सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना
(2001–2010)
तथा
वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट
(2001–2002)

जनपद औरैया

अनुक्रमणिका

क्रम सं0	अध्याय	पृष्ठ सं0
1.	जिले की पृष्ठ भूमि	1–5
2.	शैक्षिक परिदृश्य	6–19
3.	नियोजन प्रक्रिया	20–25
4.	सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य	26–30
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	31–32
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार – 1 (नवीन विद्यालय)	33–34
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार – 2 (ई0जी00एस0 / ए0आई0ई0)	35–58
8.	ठहराव में वृद्धि	59–79
9.	गुणवत्ता का प्रबन्धन एवं कार्ययोजना	80–123
10.	परियोजना प्रबन्धन एवं अनुश्रवण	124– 139
11.	परियोजना की लागत	140–154
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	155–167
	परिशिष्ट	
	महत्वपूर्ण शासनादेश	

अध्याय – 1
जनपद की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

औरैया उत्तर प्रदेश का नव सृजित जनपद है। प्राचीन काल में यह पंचाल राज्य में शामिल था। औरैया जनपद मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है। यह समुद्र तल से 139 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।

स्थानीय लोकमान्यता के आधार पर औरैया का प्रचीन नाम नारायणपुर है। यह नाम नारायण दास संधिहा के नाम पर 1521 ई0 में पड़ा था दैवीय आपदा के कारण जमालशाह सिद्ध फकीर के कहने पर इसका नाम औरई रखने के लिए कहा। औरई का अपभ्रशं शब्द ही औरैया है।

औरैया जनपद 26'21^0 उत्तरी अक्षांस तथा 79'31^0 पूर्वी देशान्तर पर बसा है।

प्राकृतिक संरचना की दृष्टि से औरैया जनपद यमुना नदी व अन्य नदियों के द्वारा व्यापक सजाया सवांरा गया है। जनपद का दक्षिणी भाग यमुना नदी का बीहड़ तथा दुर्गम दस्यु अभ्यारण के कारण प्रख्यात है। उत्तरी भाग उपजाऊ तथा समतल है।

औरैया जनपद के पूर्व में कानपुर देहात तथा पश्चिम में इटावा, उत्तर में जनपद फर्रुखाबाद तथा नवसृजित जनपद कन्नौज, व दक्षिण में जनपद जालौन है।

औरैया जनपद का कुल क्षेत्रफल 2178 वर्ग किमी है जिसमें औरेया तहसील का क्षेत्रफल 1074.6 वर्ग किमी. तथा विधूना तहसील का क्षेत्रफल 1103.40 वर्ग किमी है। इस जनपद में औरैया, अजीतमल, भाग्यनगर अछल्दा, विधूना, एरवा कटरा व सहार विकास खण्ड शामिल हैं।

भूमि व उपज – औरैया जनपद की भूमि ऊबड़ खाबड़ व असमतल है। प्राकृतिक संरचना के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है।

1. पचार 2. पार 3. धार

जनपद औरैया के पचार क्षेत्र की मिट्टी दोमट, मटियार, ऊसर व रेतीली है। पार की मिट्टी कंकरीली व पथरीली है। धार क्षेत्र की मिट्टी दोमट मटियार है। जनपद में गेहूँ मक्का धान, बाजरा तिलहन, दलहन आदि की मुख्य पैदावार है।

सिंचाई के साधन – औरैया जनपद में सिंचाई के मुख्य साधन नहरें हैं। प्रमुख रूप से 3 नहरों से जनपद का 2/3 भाग सिंचित होता है, किन्तु पार क्षेत्र जो यमुना नदी का बीहड़ वाला क्षेत्र है वहाँ पर सरकार द्वारा डीपबोरिंग के ट्यूबवैल लगाये गये हैं। विधूना तहसील के कुछ स्थान ऐसे है, जहाँ पहले कुँओं से भी सिंचाई की जाती थी जिन्हें रहट के नाम से पुकारा जाता था। इस क्षेत्र में भी अब निजी व सरकारी ट्यूबवैल हो गये हैं। कुछ बीहड़ी भाग को छोड़कर शेष जनपद का भाग सिंचित है।

नदियां व झीलें – औरैया जनपद में मुख्यतः चम्बल, यमुना, सेंगर, पांडु, पुरहान, अरिन्द हैं। प्राकृतिक झीलें तहसील बिधूना क्षेत्र में पायीं जाती हैं, जो वर्षा ऋतु में अधिक विस्तार वाली हो जाती हैं। मुख्यतः टडवा, याकूबपुर, बरोली, हरदू, महई, धूपक, मनवरा, ओतों, व धरमपुर में हैं।

उद्योग धंधे – प्रमुख उद्योग कृषि व पशु पालन हैं। प्रदेश की प्रसिद्ध घी की मण्डी औरैया में है। इमारती लकड़ी का व्यवसाय प्रमुख है। गैस अथार्टी ऑफ इंडिया, एन.टी.पी.सी. औरैया व पाता पेट्रो केमिकल्स लि0 परियोजनायें संचालित होने से राजस्व व रोजगार की संभावनायें बढी हैं।

भाषा – औरैया जनपद की भाषा ब्रज, कन्नौजी व बुंदेली मिश्रत हैं। जनपद में आल्हा, फाग, कजरी, रसिया, ढोला, अचरी, लंगुरिया, भजन, कीर्तन, आज भी ग्राम की चौपालों की शोभा उच्च लोकगीतों के माध्यम से बढ़ा रहे हैं।

पर्यटन स्थल – (1) पर्यटन स्थलों में मुख्यरूप से कुदरकोट जिसका पूर्व नाम कुडलकोट था। जनश्रुति है कि कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपरहरण यही से किया गया था।

(2) दोवा पौराणिक व पुरातालिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तीर्थ है। यह महर्षि दुवार्सा की तपोभूमि है यहाँ चार शिवलिंग स्थापित हैं जो कि गुप्तकाल के माने जाते हैं।

जनपद औरैया वर्ष सितम्बर 1997 तक इटावा जनपद का अंग था वर्ष 1997 में प्रदेश के भौगोलिक मानचित्र पर नवसृजित जनपद के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान समय में प्रशासनिक दृष्टि से जनपद दो तहसीलों औरैया एवं विधूना तथा सात विकास खण्डों में विभाजित है।

सारणी 1.1

जिले की प्रशासनिक इकाइयाँ

संख्या

तहसील	2
विकास खण्ड	7
न्याय पंचायत	75
ग्राम सभायें	441
राजस्व ग्राम	841
बस्तियों की संख्या	1666
नगरीय क्षेत्र	1
नगरनिगम	0
नगरमहापालिका	0
टाउन एरिया	6
वार्ड	25

स्त्रोत :– सांख्यकीय आंकड़े

जनसंख्या

वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 10.00 लाख थी जिसमें 5.46 लाख पुरुष एवं 4.53 लाख महिलायें थीं। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 26.89 था जो प्रदेश के औसत 21.20 प्रतिशत से अधिक था। वर्ष 2001 में जिले की कुल जनसंख्या 12.20 लाख हैं। जिसमें पुरुष 6.39 लाख तथा महिलायें 5.81 लाख हैं। जनपद का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 823 महिलाओं की है। जनपद में अनु0 जाति की जनसंख्या लगभग 3,28,013 है। जो जनपद की कुल जनसंख्या का 26.89 प्रतिशत है। जनपद की जनसंख्या वृद्धि दर प्रति दशक 21.9 प्रतिशत है। जनपद का जनसंख्या घनत्व 474 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 है। जनपद में अनु0जनजाति का प्रतिशत 0.01 है। जो नगण्य है।

सारणी – 1.2

विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार जनसंख्या

क्रम	विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या 1991							2001 (अनुमानित)					
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति जनसंख्या			प्रतिशत	कुल जनसंख्या			अनु0 जाति जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	औरैया	86446	70547	157093	25799	20189	45988		99660	91993	191653	29175	26930	56105
2.	सहार	69017	56659	125676	19353	15640	34993		79728	73596	153324	22199	20492	42691
3.	विधूना	67109	56364	123743	16778	13808	30586		78331	72306	150637	19404	17911	37315
4.	भाग्यनगर	70705	57612	128317	23167	18294	41461		86084	70463	156547	26302	24280	50582
5.	ऐरवाकटरा	52365	43340	95705	11263	8811	20074		60715	56045	116760	12735	11755	24490
6.	अछल्दा	67044	55351	122395	19385	15778	35163		77647	71675	149322	22307	20592	42899
7.	अजीतमल	64430	53018	117448	22600	18076	40676		68778	74509	143287	25805	23820	48625
	योग	477216	392891	870107	138345	110576	248941		556674	504856	1061530	157927	145780	303707
	नगर क्षेत्र	69734	60194	129928	10361	9563	19924		82425	76087	158512	12639	11667	24306
	महायोग	546950	453085	1000035	148706	120159	268865		639099	580943	1220042	170566	157447	328013

स्त्रोत भारत की जनगणना 1991

वर्ष 1991 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जनपद की कुल जनसंख्या का 15.7 प्रतिशत था। जो राष्ट्रीय औसत 25.7 से काफी कम है। नगरीय जनसंख्या में पुरुषों की भागीदारी 53.67 प्रतिशत एवं महिलाओं की 46.33 प्रतिशत है। नगरीय जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 19.3 प्रतिशत हैं जो प्रमाणित करता है कि इस वर्ग की नगरीय क्षेत्र में भागीदारी अत्यन्त कम उनके पिछड़ेपन का द्योतक है।

सारणी – 1.3

नगर क्षेत्रवार जनसंख्या

क्रम	विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या 1991						2001 (अनुमानित)					
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनु0 जाति जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	औरैया NP	27089	23683	50772	2903	2679	5582	3209	29733	61942	3541	3269	6810
2.	बाबूरपुर अजीत	9853	8479	18332	2321	2143	4464	11630	10735	22365	2832	2614	5446
3.	विधूना TA	10250	9025	19275	1454	1342	2796	12228	11287	23515	1774	1637	3411
4.	फफूंद TA	6552	5038	12190	836	771	1607	7733	7139	14872	1019	941	1960
5.	दिबियापुर TA	7413	6274	13687	1284	1186	2470	8683	8015	16698	1567	1446	3013
6.	अजीतमल TA	4667	3861	8528	910	840	1750	5410	4994	10404	1110	1025	2135
7.	अछल्दा TA	3910	3234	7144	653	602	1255	4532	4184	8716	796	735	1531
	योग	69734	60194	129928	10361	9563	19924	82425	76087	158512	12639	11667	24306

स्त्रोत भारत की जनगणना 1991

अध्याय – 2
शैक्षिक परिदृश्य

जनपद में बेसिक शिक्षा परियोजना 1993 से लागू हुई, उस समय जनपद, इटावा मे ही सम्मिलित था। जनपद सृजन के बाद से योजना औरैया से संचालित होना प्रारम्भ हुई।

परियोजना के अन्तर्गत जनपद में कुल 410 प्राथमिक विद्यालय निर्मित हुये तथा 174 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हुआ। परियोजना के अन्तर्गत जनपद में 92 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण हुआ, पेयजल व्यवस्था हेतु 460 हैण्डपम्पों की स्थापना हुई तथा 490 शौचालयों की व्यवस्था भी परियोजना के अन्तर्गत विद्यालयो में दी गयी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शैक्षिक गुणवत्ता में विकास हेतु न्याय पंचायत स्तर पर 75 संकुल भवनों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में शैक्षिक गुणवत्ता में उन्नयन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के लिये ब्लाक संसाधन केन्द्र भवन का निर्माण कराया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना के कारण जनपद में विद्यालयों में बच्चों के नामांकन दर में आशातीत वृद्धि हुई तथा ठहराव में भी व्यापक प्रभाव पड़ा। परियोजना के अन्तर्गत जनसहभागिता द्वारा, जन प्रतिनिधियों एवं शिक्षाविदो के विचारों द्वारा शिक्षा स्तर में संतोषजनक प्रगति हुई तथा जिले के पिछड़े क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा।

जनपद की 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 43.13 है। इसमें पुरुष साक्षरता 53.5 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 30.5 प्रतिशत है। ग्रामीण साक्षरता की दर 41.57 प्रतिशत एवं नगरीय साक्षरता की दर 54.00 प्रतिशत है। जनपद की कुल साक्षरता राज्य की कुल साक्षरता 41.6% की तुलना में अधिक है। अनु0जाति के ग्रमीण पुरुषों की साक्षरता 52 प्रतिशत तथा ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता 28.2 प्रतिशत है। ग्रामीण महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से लगभग 24 प्रतिशत कम है। साक्षरता की दृष्टि से वि0ख0 एरवा कटरा एवं अछल्दा सर्वाधिक पिछड़ा है। जहाँ पर कुल साक्षरता दर क्रमशः 39 एवं 38 है। साथ ही विकास खण्ड अजीतमल की साक्षरता दर 44 प्रतिशत जनपद की साक्षरता दर से अधिक है।

सारणी 2.1

साक्षरता दर

जनपद की साक्षरता दर	(1991)	राज्य की साक्षरता दर
कुल साक्षरता –	43.13	41.60
ग्रमीण साक्षरता –	41.57	36.66
नगरीय साक्षरता –	54.00	61.03
कुल पुरुष साक्षरता –	53.5	55.73
कुल महिला साक्षरता –	30.5	25.31
ग्रामीण पुरुष साक्षरता	52.0	52.05
ग्रामीण महिला साक्षरता	28.2	19.02
नगरीय पुरुष साक्षरता	61.0	69.68
नगरीय महिला साक्षरता	46.00	50.38

स्रोत– जिला सांख्यकीय पत्रिका– 1991

विकास खण्डवार साक्षरता

सारणी संख्या 2.2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विकास खण्ड अछल्दा एवं ऐरवा कटरा में महिला साक्षरता दर 24 एवं 26 प्रतिशत है जो अत्यन्त कम है इन ब्लाकों में बालिका शिक्षा के लिए अपेक्षित साक्षरता प्राप्त करने हेतु उन्नायन कार्यक्रमों को चिन्हांकित केन्द्रों में सम्मिलित किया गया है।

सारणी 2.2

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर		
		पुरुष	महिला	योग
1.	औरैया	54	30	43
2.	सहार	53	30	43
3.	बिधूना	52	28	41
4.	भाग्यनगर	54	29	43
5.	ऐरवा कटरा	50	26	39
6.	अछल्दा	49	24	38
7.	अजीतमल	55	31	44

स्रोतः— बेस लाइन सर्वे

शैक्षिक संस्थायें –

जनपद में कुल 779 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय तथा 389 मान्यताप्राप्त विद्यालय संचालित हैं। पूर्वमा0 स्तर पर 207 परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं। जनपद में 46 हाइ स्कूल एवं 57 इण्टरमीडिएट कालेज संचालित हैं। जनपद में 04 स्नातक/स्नाकोत्तर महाविद्यालय हैं। जो छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। जनपद में एक केन्द्रीय विद्यालय है। जो दिबियापुर में स्थित है।

सारणी 2.3

शैक्षिक संस्थायें

क्रम संख्या		परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्राथमिक विद्यालय	758	21	779	229	160	389	987	181	1168	33	21	56
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध (प्राथमिक)	–	–	–	9	1	10	9	1	10	–	–	–
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	203	4	207	143	63	206	346	67	413	16	11	27
4.	माध्यमिक विद्यालय सम्बद्ध उच्चप्राथमिक अनुभाग	5	–	5	91	7	98	96	7	103	–	–	–
5.	केन्द्रीय विद्यालय	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
6.	नवोदय विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	हाईस्कूल	4	–	4	41	1	42	45	1	46	–	–	–
8.	इण्टरमीडिएट	1	–	1	50	6	56	51	6	57	–	–	–
9.	डिग्री कालेज	–	–	–	2	2	4	2	2	4	–	–	–
10.	स्नाकोत्तर विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

क्रम संख्या		परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	
	योग												
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	तकनीकी संस्थान (आई.टी.आई / पॉलीटेक्निक)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	कम्प्यूटर शिक्षाप्रदान करने वाली संस्थायें	–	–	–	–	5	5	–	5	5	–	–	–
14.	आंगनबाडी केन्द्रों की संख्या	476	3	479	–	–	–	476	3	479	–	–	–
15.	मकतब / मदरसे	–	–	–	3	1	4	3	1	4	–	–	–
16.	संस्कृत पाठशालायें	–	1	1	1	1	2	1	2	3	–		
17.	विकलांग बच्चों की शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	बाल श्रमिक विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

श्रोत – विभागीय आंकड़े

शिक्षकों की उपलब्धता –

जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कुल 2650 शिक्षकों के पद सृजित हैं। जिसके सापेक्ष कुल 2337 शिक्षक कार्यरत हैं। 1 जुलाई 2000 को मानक निर्धारित करते हुए जनपद में 313 प्राथमिक स्तर पर परिषदीय शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जनपद में अब तक 161 शिक्षा मित्रों के पद स्वीकृत किए गये हैं। जनपद में उच्च प्राथिमिक विद्यालयों में कुल 1131 शिक्षकों के पद सृजित हैं जिनमें 946 शिक्षक कार्यरत हैं तथा 185 पद रिक्त हैं।

सारणी – 2.4

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

	सृजित	कार्यरत	रिक्त 01.07.2000	स्वीकृत शिक्षामित्रकीसं.
परिषदीय प्राथिमिक विद्यालय	2650	2337	313	161
परिषदीय उच्च प्राथिमिक विद्यालय	1131	946	185	–

स्रोत :– विभागीय आंकड़े

परिषदीय अथवा मान्यताप्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता:-

जनपद में 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या 841 हैं। इसमें 770 आबाद ग्राम हैं। इसमें से 606 ग्रमों मे 1कि0मी0 की परिधि में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। 1कि0मी0 से अधिक तथा 1.5 कि0मी0 से कम दूरी पर 101 ऐसे ग्राम है जहॉ पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं साथ ही 27 ऐसे ग्राम है जहॉ पर 1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। (सारणी संख्या 2.5)

जनपद में 300 से अधिक आबादी वाली 821 बस्तियां हैं इनमें 621 बस्तियों में 1कि0मी0 की परिधि में प्राथमिक विद्यालय 139 बस्तियों में 1कि0मी0 से अधिक एवं 1.5 कि0मी0 से कम दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं तथा 61 ऐसी बस्तियॉ हैं जहॉ पर 1.5 कि0मी0से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय अवस्थित हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता:-

जनपद में 800 की आबादी से अधिक ग्रामों की संख्या 490 हैं। इनमें 51 ऐसे ग्राम हैं जहाँ पर 3कि0मी0 की परिधि में कोई पूर्व माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है। उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय अनुपात 1:2 करने पर जनपद में 198 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता पडेगी। जनपद में 800 से अधिक आबादी वाली 72 बस्तियों में 3 कि0मी0 की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। (संलग्न सारिणी – 2.5)

सारणी 2.5

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 किमी0से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी. से अधिक किन्तु 1.5 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी से अधिक दूरी पर विद्यालय
ऐसे ग्राम की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	606	101	27
ऐसी वस्तीयों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	621	139	61

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	3 किमी0से कम दूरी पर परिषदीय / मा0प्रा0 उ0प्र0 विद्यालय उपलबध	3 किमी. से अधिक दूरी पर परिषदीयउ0प्रा0 विद्यालय उपलबध	उ0प्र0 तथा प्राथिमिक वि0 अनु0 1:2 करने हेतु अतिरिक्तआवश्यक उ0प्र0 विद्यालयों की संख्या
ऐसे ग्राम की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	345	51	198
ऐसी वस्तीयों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	72	—	

स्रोत– अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार।

छात्र नामांकन

जनपद में 6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या 1,58,226 है इसमें 82,278 बालक एवं 75,948 बालिकायें है। जनपद का नामांकन अनुपात 85.53प्रतिशत हैं। जनपद में 6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या 1,58,226 के सापेक्ष परिषदीय/मान्यताप्राप्त/गैरमान्यताप्राप्त विद्यालयों में 1,35,324 बच्चों का नामांकन हो चुका है।

जनपद में 11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या 79615 हैं इनमें 41400 बालक एवं 38215 बालिकाओं की संख्या सम्मिलित है। 11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या 79615 के सापेक्ष परिषदीय/मान्यताप्राप्त/गैर मान्यताप्राप्त विद्यालयों में 55,299 बच्चें नामांकित हैं।जनपद में पूर्व माध्यमिक स्तर पर नामांकन का अनुपात 69.46 प्रतिशत हैं।

जनपद में प्राथमिक स्तर पर शुद्व नामांकन की दर 80.56प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जाति हेतु शुद्व नामांकन अनुपात 122.94 है। जनपद में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट की दर 33.39 प्रतिशत हैं।

छात्र नामांकन

प्राथमिक स्तर

सन्दर्भ तिथि– 30.09.2000

सारणी – 2.7

6–11 आयु वर्ग में			नामांकन													
बच्चों की संख्या			परिषदीय			मान्यता प्राप्त			गैर मान्यता प्राप्त			योग			
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	नामांकन अनुपात
82278	75948	158226	56295	51964	108259	11259	10393	21652	2815	2598	5413	70368	64956	135324	85.53

उच्च प्राथमिक स्तर

(राजकीय हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के साथ सम्बद्ध 6–8 को भी सम्मिलित हैं)

11–14 आयु वर्ग में			नामांकन													
बच्चों की संख्या			परिषदीय			मान्यता प्राप्त			गैर मान्यता प्राप्त			योग			
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	नामांकन अनुपात
41400	38215	79615	23004	21235	44239	4601	4247	8848	1150	1062	2212	31393	23906	55299	69.46

जनपद में शुद्ध नामांकन अनुपात प्राथमिक स्तर

			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
78.59	82.78	80.56	91.12	94.79	92.96

जनपद का ड्रॉप आउटदर प्राथमिक स्तर

बालक	बालिका	योग
38.56	30.57	33.39

स्रोत – बेसा लाइन सर्वे

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें–

जनपद के 779 प्राथिमिक विद्यालयों में भवन उपलब्ध हैं। जिनमें 18 प्रा0वि0 का पुर्ननिर्माण होना है। प्रा0 स्तर पर जनपद में 696 दो कक्षीय विद्यालय हैं तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या 47 है तथा 4 कक्षीय विद्यालयों की संख्या 17 हैं। जनपद में प्राथिमिक स्तर पर 714 विद्यालयों में शौचालय, 694 विद्यालयों में हैण्ड पम्प उपलब्ध है। जब कि 88 प्राथिमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी उपलब्ध है। 49 प्रा0वि0 में बृहद मरम्मत व 120 में लघुमरम्मत की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर जनपद में 207 परिषदीय विद्यालय संचालित है जिनमें 204 उ0प्रा0 विद्यालय भवन युक्त हैं शेष 3 पू0मा0वि0 में पुर्ननिर्माण की आवश्यकता है। 196 वि0 में शौचालय 200 विद्यालयों में हैण्डपम्प व 23 विद्यालयों में चाहरदीवारी उपलब्ध है।

सारणी – 2.7
प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय भवन कक्ष							जर्जर	लघु मरम्मत	बृहद मरम्मत	हैण्ड पम्प		शौचालय		चारदीवारी	
		1	2	3	4	5	5 +	भवनहीन				हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1	औरैया	-	119	10	2	-	-	-	-	10	15	101	30	131	-	9	112
2	अजीतमल	-	117	-	-	7	-	-	2	6	6	114	6	106	14	28	92
3	अछल्दा	-	94	-	6	3	2	2	2	45	2	97	8	97	8	9	96
4	एरवाकटरा	-	72	3	2	-	-	-	-	8	5	77	-	75	2	4	73
5	विधूना	3	107	6	-	1	1	1	3	30	12	101	20	91	30	14	107
6	भरथना	-	105	9	3	1	1	-	4	10	-	111	8	114	5	12	107
7	सहार	1	82	9	3	-	-	-	7	5	4	86	9	93	2	5	90
8	नगर क्षेत्र	-	-	10	1	-	-	7	-	6	5	7	4	7	4	7	4
	योग	4	696	47	17	5	3	10	18	120	49	694	85	714	65	88	691

स्रोत विभागीय आंकड़े

सारणी –2.8

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय भवन कक्ष							जर्जर	लघु मरम्मत	वृहद मरम्मत	हैण्ड पम्प		शौचालय		चाहरदीवारी	
		1	2	3	4	5	5 +	भवनहीन				हाँ	नही	हाँ	नही	हाँ	नही
1	औरैया	-	-	34	2	1	-	1	2	1	-	37	1	37	1	3	35
2	अजीतमल	-	-	21	6	2	-	-	-	1	-	29	-	28	1	12	17
3	अछल्दा	-	-	25	5	-	-	-	-	4	-	29	1	25	5	3	27
4	एरवाकटरा	-	-	20	3	-	-	1	-	-	2	22	2	22	2	-	24
5	विधूना	-	-	29	-	-	1	-	-	-	1	30	-	29	1	-	30
6	भाग्यनगर	-	-	25	1	-	2	-	-	-	-	25	3	28	-	3	25
7	सहार	-	-	26	1	-	-	-	1	-	1	27	-	27	-	1	26
8	नगर क्षेत्र	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
	योग	-	-	181	18	3	3	2	3	6	5	200	7	196	11	23	184

श्रोत विभागीय आंकड़े

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी :–

जनपद में विभागीय मानक के अनुसार 28 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है जबकि 21 विद्यालयों का पुनःनिर्माण कराया जाना अपेक्षित है। छात्र संख्या के आधार पर 760 अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता प्राथमिक स्तर पर है इसमें सर्वाधिक अतिरिक्त कक्षा कक्ष विकास खण्ड औरैया में निर्मित होना है। 85 ऐसे प्राथमिक विद्यालय जनपद मे हैं जहॉ पर पेय जल सुविधा की आवश्यकता है जबकि 65 विद्यालय शौचालय विहीन हैं। जनपद में 691 प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी की आवश्यकता है।

पूर्व माध्यमिक स्तर पर 11 विद्यालयों मे शौचालय, 7 विद्यालयों मे हैण्डपम्प एवं 184 विद्यालयों में चाहरदीवारी की आवश्यकता होगी। जनपद प्राथमिकः उच्च प्राथमिक अनुपात 1 : 2 को मानक मानते हुए 198 उच्च प्राथमिक की आवश्यकता होती।

मरम्मत की दृष्टि से जनपद में 6 विद्यालयों मे लघु मरम्मत एवं 4 विद्यालयों में वृहद मरम्मत की आवश्यकता पड़ेगी। 1 : 2 के मानक को पूरा करते हुए उच्च प्राथमिक स्तर पर 198 नवीन विद्यालय की आवश्यकता है साथ ही 3 विद्यालयों का पुनःनिर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

सारिणी – 2.9

वर्तमान में भैतिक सुविधाओं की कमी

क्र.सं.	आइटम/सुविधा का नाम	प्राथमिक		उच्च प्राथिमिक	
		कमी	मांग	कमी	मांग 1:2 के अनुसार
1	नवीन विद्यालय	28	28	198	198
2	विद्यालय पुननिर्माण	21	21	3	3
3	अतिरिक्त कक्षा कक्ष (प्रति शिक्षक/प्रतिकक्षा कक्ष एवे नामांकन में बृद्धि के आधार पर)	760	760	26	26
4	पेय जल सुविधा	85	85	7	7
5	शौचालय	65	65	11	11
6	चाहर दीवारी	691	691	184	184

स्रोत – अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार

अध्याय– 3

नियोजन प्रक्रिया

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूसरा चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बंधित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आंकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/ आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गई

- ग्राम मे 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं हैं तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र – अध्यापक अनुपात क्या है ?
- क्या अध्यापक नियमितरूप से विद्यालय आते हैं?
- शिक्षण कार्य की स्थिति / शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये।

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण/ शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक– युवतियों, शिक्षकों/ शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गई।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री–पुरूष की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को संकेतित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड. स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही

विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गाव स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आंकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/ बस्तीवार आंकडों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/ नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 वर्ष तथा 9-14 वर्ष समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हैं, पैतृक व्यवसाय में माता –पिता की सहायता करते है अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारंटी केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आंकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय–7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ो/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहां तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आंकड़ों का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजैक्ट एक्टीविटीज) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा।

स्कूल चलो अभियान –

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से जनपद में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। यह अभियान दो चरणों में संचालित किया गया यथा – प्रथम चरण एक जुलाई से 08 जुलाई 2000 तक तथा दूसरा चरण 9 जुलाई से 15 जुलाई 2000 तक संचालित किया गया।

प्रथम चरण –

इस चरण का शुभारम्भ जिलाधिकारी द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया। उन्हें स्कूल चलो अभियान में योगदान देने तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण में सहायता करने हेतु उनका आह्वान किया गया। उसी समय विकास खंड स्तर पर ब्लाक/जिला पंचायत सदस्यों द्वारा तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापकों तथा नवनिर्वाचित प्रधानों व सदस्यों के माध्यम से स्कूल चलो अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 जुलाई से 08 जुलाई तक बाल गणना कराई गयी, जिसमें विशेष रूप से उन बच्चों को चिन्हांकित किया गया जो विद्यालय नही जाते हैं।

उक्त अभियान में शासन द्वारा नामित प्रभारी माननीय मंत्री श्री बाबू राम हरित जी द्वारा जनजागरण हेतु निकाली जाने वाली रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व उन्होंने अपने सम्बोधन में बच्चों के विद्यालय में नामांकन बढ़ाने विशेष रूप से सभी बालिकाओं को विद्यालय लाने तथा उनके स्कूल में ठहराव पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर प्रत्येक विकास खण्ड एवं विद्यालय स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरियां निकाल कर जनजागरण का कार्य किया गया ताकि प्रत्येक अभिभावक शिक्षा का महत्व समझ सके और अपने बालक को विशेष रूप से अपनी बालिकाओं को जो विद्यालय के बाहर है स्कूल भेज सके।

इस अभियान के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राम तथा न्याय पंचायत स्तर पर अध्यापकों, आंगनबाड़ी, कार्यकत्रियों, बहुउद्देश्यीय कर्मचारियों की टीमों का गठन किया गयां और उन्हें विभिन्न प्रकार के बच्चों के चिन्हांकन हेतु एक प्रपत्र दिया गया। इस प्रपत्र को ठीक से भरने हेतु यह निर्देश दिये गये कि वे प्रत्येक पंचायत में हर परिवार से सम्पर्क करके बच्चों का चिन्हांकन करें ताकि यह पता चल सके कि वे विद्यालय में नियमित रूप से जा रहे है अथवा स्कूल से बाहर हैं या किसी कारणवश विद्यालय में जाना छोड़ चुके हैं।

उपरोक्त टीमों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिये विकास खण्ड की सहायक विकास अधिकारियों तथा उनके समकक्ष अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ताकि वे यह सुनिश्चित कर सके कि कोई परिवार स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत आच्छादित

होने से छूट न गया हो। इस प्रकार जनपद के कुल 441 ग्राम सभाओं एवं नगरीय क्षेत्र के कुल 25 वार्डों के कुल 192314 परिवारों में बालगणना का कार्य किया गया। इनमें 6–14 वय वर्ग के कुल 237841 बच्चे चिन्हित किये गये जिनमें से 6–11 वय वर्ग 158226 के बच्चे थे।

द्वितीय चरण –

उपरोक्त सभी चिन्हित बच्चों का विद्यालय में नामांकन किया गया और जिन अभिभावकों के बच्चे विद्यालयों में नही जो रहे थे उन्हें विद्यालय भेजने हेतु अभिप्रेत किया गया। इस कार्य में संकुल प्रभारियों द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य किया गया इसी के साथ–साथ समय–समय पर जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्रामों का गहन भ्रमण किया गया। विद्यालय के बाहर बच्चों को विद्यालय में दाखिल करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में गोष्ठियां की गयी। ग्राम स्तर पर शिक्षा के प्रति जागरूक व्यक्तियों की टीम तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ने घर–घर जाकर जन सम्पर्क किया। इसके फलस्वरूप द्वितीय चरण के समाप्त होने तक 6–11 वय वर्ग के कुल 129911 बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराया गया। इसी प्रकार 11–14 वय वर्ग के कुल 53087 बच्चों का नामांकन उच्च प्राथमिक स्तर में कराया गया। शेष 6–11 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले 28315 बच्चे एवं 11–14 वय वर्ग के 26528, जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है, उनका नामांकन सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कराया जायेगा।

वय वर्ग	कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय में जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6–11 वय वर्ग	82278	75948	158226	67554	62357	129911	14724	13591	28315
11–14 वय वर्ग	41400	38215	79615	27605	25482	53087	13795	12733	26528

"स्कूल चलो अभियान" के कारण "सर्व शिक्षा अभियान" के नियोजन में अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई। स्कूल चलो अभियान के कारण जन जागरूकता एवं जन सहभागिता का जिले स्तर पर, ब्लाक स्तर, न्याय पंचायत स्तर पर पहले से ही अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सका।

पूर्व में बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित कार्यक्रमों से सर्व शिक्षा अभियान में व्यापक अन्तर है यह एक युद्ध स्तर पर चलाया जाने वाला कार्यक्रम है जसके अन्तर्गत निर्धारित समय में नामांकन का लक्ष्य पूरा करना अनिवार्य है साथ ही साथ शालात्यांग की दर को भी शून्य तक लाना मुख्य उद्देश्य है पूर्व में बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित कार्यक्रमों में शालात्याग शून्य करने के कई प्रयास किए गए परन्तु इसमें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शत् प्रतिशत नामांकन एवं शालात्याग की दर 2003 तक शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सर्वप्रथम जिले में अभियान की कार्ययोजना तैयार करने हेतु एक सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया।

(1) प्राचार्य, डायट
(2) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
(3) लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा
(4) उप बेसिक शिक्षा अधिकारी
(5) जनपद से एक चयनित परियोजनाधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा)

(6) वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट

(7) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी

उक्त टीम ने सीमेट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया तथा योजना तैयार करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया। तत्पश्चात् जिले स्तर पर समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समन्वयकों की संयुक्त बैठक आहुत की गयी जिसमें परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के आधार पर बस्तियों की चिन्हांकन विकास खण्डवार असेवित बस्तियों, स्कूल न जाने वाले बच्चों का चिन्हिकरण, शालात्यागी बच्चों का चिन्हिकरण, काम काजी बच्चों का चिन्हिकरण किया गया। तत्पश्चात् कोर ग्रुप के सदस्यों ने चिन्हांकित बस्तियों में बैठक (एफजीडी) की जिसमें बस्ती विशेष की मूल समस्याएं उभर कर आयी जिसके आधार पर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकताओं का आंकलन किया गया।

इसके पश्चात् ब्लांक स्तर पर प्रधानों की एक सम्मिलित बैठक बलाई गयी जिसमे समुदाय में शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं एवं सामुदायिक सहभागिता तथा शिक्षा के प्रति उनकी अपेक्षाओं से सम्बन्धित तथ्य उभरकर आये साथ ही शिक्षकों के साथ की गयी बैठक में समुदाय की अपेक्षाओं पर विचारा विमर्श किया गया एवं अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। इसके पश्चात् विकास खण्ड स्तर पर एक योजना तैयार की गयी जिसमें विकास खण्ड अधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित सहयोग लिया गया जिससे योजना को अन्तिम रूप दिया जा सका।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त समन्वय बैठक की गयी जिसमें जिले की शिक्षा के परिदृश्य में समस्याओं एवं उसे समय सीमा के अन्दर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गयी। विभिन्न बैठकों (एफजीडी) में उभर कर आये मुद्दे तथा सुझाव निम्न सारणी में दिये गये है:-

नियोजन प्रक्रिया में जनसहभागिता हेतु कृतकार्यवाही का सारांश

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण व संख्या	बैठक/विचार-विमर्श में जो बिन्दु उभरे है, उनका संक्षिप्त विवरण
13.2.2001	औरैया	कुल प्रतिभागी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी उपजिलाधिकारी औरैया जिला सूचना अधिकारी सहायक अभियन्ता (आर0ई0एस0) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-इटावा	(क) जनपद में नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं नवाचार केन्द खोलने के लिए वस्तियों का एक बार पुनरीक्षण करना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई बस्ती नवीन असेवित न रह जाए। (ख) विद्यालय भवन निर्माण में अभियंता वर्ग द्वारा इस बात का अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि भवन भूकम्परोधी हो तथा निर्माण

		प्राचार्य, डायट अजीतमल प्रवक्ता, डायट अजीतमल सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त	कार्य में अभियन्ता वर्ग की सहभागिता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। (क) योजना बनाने में वरियतों के [illegible] पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
20.2.2001	इटावा/ औरैया	प्राचार्य डायट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–इटावा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी–इटावा/औरैया सहायक बे0शि0अ0 (समस्त)22 समन्वयक समस्त 15 जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी प्रवक्ता डी0आई0सी0 सदस्य, स्वयं सेवी संगठन सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	(ख) अभिभावकों की जागरूकता में कमी के कारण योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अभिभावक ज्यादा लापरवाह होते है जो अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजना चाहते है ऐसी स्थिति में अभिभावकों को भी समुचित रूप से अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रमों में जन समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
22.2.2001	गुनौली वि0स0 क्षे0 अछल्दा	सहा. बे. शिक्षा अधिकारी प्रधान –2 (पुरुष) महिलायें :– अनु जाति – 17 पिछड़ी जाति – 4 कुल – 21 पुरुष :– अनु जाति – 28 पिछड़ी जाति – 6 कुल – 34 शिक्षक – 4	(क) नवीन विद्यालयों की स्थापना की जाय। (ख) परिषदीय विद्यालयों मान्यता प्राप्त विद्यालयों की तरह आकर्षक बनायें। (ग) विकलांग शिक्षा के लिए केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव।
22.2.2001	अपुपुर वि.क्षे. सहार		(क) छात्रवत्ति वितरण का स्तर बद्ला जाना चाहिए। बच्चों की शिक्षॉ की मांग को

		प्रधान 4 (2पु0+2म0) महिलायें – 15 अनु0जाति–11 पिछडी जाति–3 सामान्य – 1 पुरुष – 35 अनु0जाति–28 पिछडी जाति–4 सामान्य – 3	दृष्टिगत रखते हुए छात्रवृत्ति के स्थान पर समान यथा ड्रेश (यूनीफार्म), बस्ता आदि विद्यालय से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। (ख) ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में ग्राम के जागरूक नागरिक जिनका लगाव शिक्षा क्षेत्र से हो अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए।
23.2.2001	बिनपुरापुर भाग्यनगर	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधान 3 (पुरुष) महिलायें – 12 अनु0जाति–7 पिछड़ी जाति–3 सामान्य–2 पुरुष – 27 अनु0जाति–21 पिछड़ी जाति–4 सामान्य – 2 अध्यापक – 8 पुरुष –6, महिला–2	(क) प्रधानों को शिक्षकों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए शिक्षा व्यवस्था में अपनी अहम् भूमिका निभानी चाहिए। (ख) अध्यापकों का ठहराव विद्यालय में अनिवार्य रूप से नियत कर देनी चाहिए। (ग) विद्यालयों का निरीक्षण माह में एक बार अनिवार्य कर दी जानी चाहिए साथ ही गुणवत्ता में सुधार न होने की स्थिति में सम्बन्धित अध्यापक को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
24.2.2001	कुसमरा बि.क्षे. बिधूना	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधान– 2 (पुरुष) महिलायें – 8 अनु0जाति–6 पिछड़ी जाति–2 पुरुष – 16 अनु0जाति–11 पिछड़ी जाति–2	(क) शिक्षाधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। (ख) अध्यापकों को एक विद्यालय में तीन वर्ष से अधिक एवं एक विकास खण्ड में पांच वर्ष से अधिक नहीं रखा जाना चाहिए।
25.2.2001	(कुचली) ऐरवा कटरा	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधान–3(पुरुष)महिलायें–14 अनु0जाति–7, सामान्य – 7 पुरुष – 7 अनु0जाति–2 पिछड़ी जाति–2 सामान्य –3	(क) अभिभावक बच्चों के प्रति उदासीन होते हैं। (ख) शिक्षक रूचि के साथ नहीं पढाते है।
24.2.2001	अमावता	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधान–6(पुरुष–4, महि0 –2) महिलायें–14 अनु0जाति–10, सामान्य–4 पुरुष–25 अनु0जाति–18 पिछड़ी जाति–6, सामान्य–1	(क) बीहडांचल में वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए विशेषकर बालिकाओं के लिए। (ख) शिक्षा कार्य में लापरवाही बरतने वाले अध्यापकों को दण्डित किया जाना चाहिए साथ ही साथ अभिभावकों को भी दण्डित किया जाना चाहिए।

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण व संख्या	बैठक/विचार-विमर्श में जो बिन्दु उभरे हैं उनका संक्षिप्त विवरण
10.2.2001	मानधवन (सहार)	पूर्व जिला पंचायत सदस्य - प्रधान–3 (2 पुरूष + 1 महिला) अभिभावक–17(8पुरूष+9महिला) पुरूष–8 अनु0जति– 4 पिछड़ी जाति–4 महिला–9 (सभी अनु0जाति) शिक्षक–6 (सभी सामान्य)	(1) गुणवत्ता का स्तर अभी भी वांछित स्तर पर नहीं पहुंच पाया है इस दिशा में सार्थक प्रयास करने चाहिए। (2) विकास खण्ड स्तर पर शिक्षकों का दण्ड एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व ब्लॉक स्तर के अधिकारी का होना चाहिए। (3) नीरस शिक्षण विधि को दूर की जानी चाहिए
10.2.2001	मनुपुर (सहार)	सहायक विकास अधिकरी(सांख्यकीय) प्रधान–2 (सभी पुरूष) बी0डी0सी0 सदस्य–2 अभिभावक–12 (9पुरूष+3महिला) पुरूष–9 अनु0जाति–6 पिछड़ी जाति–2 सामान्य–1 महिला–3(सभी अनु0जाति) शिक्षक–4(सामान्य–2+पिछड़ी–2)	(1) बच्चों को खेल–खेल में प्रभावी शिक्षा दी जानी चाहिए। (2) प्रारंभिक शिक्षा में सैद्धान्तिक का प्रतिशत कम व्यावहारिक/प्रायोगिक का प्रतिशत ज्यादा होनी चाहिए। (3) बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण विधिवत् कराया जाए।
22.2.2001	खलरा (अछल्दा)	(1) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (2) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी (3) खण्ड विकास अधिकारी (4) पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रधान–7 (सभी पुरूष) बी0डी0सी0 सदस्य– 1 अभिभावक–18 (9पुरुष+9महिला) अनु0जाति–6 पिछड़ी जाति–1 सामान्य– 2 महिला– 9 अनु0जाति–9	(1) महिलाओं की सामाजिक स्थिति विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी निम्न स्तर का है जिससे वे बालिकाओं के साथ भेदभाव करती हैं। महिला जागरूकता के अन्तर्गत उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित की जानी चाहिए। (2) बच्चों को छात्रवृति की धनराशि नकद न देकर उनकी शिक्षा की मांग को दृष्टिगत रखते हुए समान दी जानी चाहिए। (3) शिक्षा के प्रति उदासीन अभिभावकों को दण्डित की जानी चाहिए।

22.2.2001	बरिगापुर (अजीतमल)	पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत औरैया पूर्व सदस्य–जिला पंचायत औरैया सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधान–6 (पुरूष–4+महिला–4) पुरूष–4 अनु0जाति–2 पिछड़ी जाति–2 सामान्य–1 महिला–4 पिछड़ी जाति–2 अनु0जाति–2 शिक्षक–4 अभिभावक–18(सभी पुरूष)	(1) अध्यापकों की कमी (2) नीरस शिक्षण विधि (3) दस्यु प्रभावित क्षेत्र मे अभिभावक विशेषकर बालिकाओं के प्रति असुरक्षा की भावना महसूस करते हैं इससे नामांकन एवं ठहराव दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। (4) बीहड़ांचल में अनिवार्य रूप से आसपास का ही अध्यापक नियुक्त की जानी चाहिए। चूंकि दूर के अध्यापक बीहड़ांचल में योगदान नहीं करते है। तथा इन क्षेत्रों में अध्यापकों की बराबर कमी बनी रहती है ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा मित्र की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए।
22.2.2001	बरमूपुर (औरैया)	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधान–2 (सभी पुरूष) अभिभावक–18(पुरूष–10+महिला–8) पुरूष– 10 अनु0जाति–5 पिछड़ी जाति–2 सामान्य–3 महिला–8 अनु0जाति–6 पिछड़ी जाति–2	(1) अध्यापकों का ठहराव एक विद्यालय में तीन वर्ष से अधिक तथा एक विकास खण्ड में सात वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। (2) अध्यापकों को, अध्यापन कार्य में लापरवाही होने पर जिम्मेवार ठहराना चाहिए। (3) अध्यापकों को केवल शिक्षण कार्य मे ही लगाया जाना चाहिए।
23.2.2001	खरका (औरैया)	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधान–6(सभी पुरूष) अभिभावक–18 (पु–11+म0–7) पुरूष–11 अनु0जाति–6 पिछड़ी जाति–4 सामान्य–1 महिला–7 अनु0जाति–4 सामान्य–3	(1) प्रभावी निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। (2) भवन निर्माण का कार्य अध्यापकों से नहीं कराया जाए। (3) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण समय से कराया जाए। (4) पाठ्यक्रम की जानकारी का अभाव।

सोशल एसेसमेंट स्टडी :–

कानपुर नगर में सोशल एसेसमेंट स्टडी जो डा0 (श्रीमती) राका सरन, आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा किया गया, से ज्ञात होता है कि समाज के उपेक्षित वर्ग के बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनके विद्यालय से सम्बन्धित सामाजिक एवं पारिवारिक कारण हैं, इनके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:–

1. अध्ययन से पता चलता है कि कानपुर में सभी वर्गों गरीब–अमीर, हिन्दू–मुसलमान, श्रमिक, किसान, और नौकरी पेशा की जनसंख्या से ड्रापआउट आया है। इसलिए ये केवल समाज के उपेक्षित वर्ग से ही नहीं बल्कि सभी के बीच से है।

2. विद्यालय छोड़ देने वाली अधिकांश बालिकायें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक होती हैं परन्तु कुछ सामाजिक कारणों अथवा विद्यालयों में अध्यापकों के प्रतिकूल व्यवहार, अलग शौचालयों का न होना तथा घर से विद्यालयों की दूरी आदि कारणों से उन्हें विद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

3. ह्रास–अवरोध (ड्राप आउट) वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के माता–पिता विद्यालयों में बच्चों से निम्न स्तर के कार्य कराये जाने के कारण उन्हें विद्यालय जाने से रोक लेते हैं। उनके माता–पिता ने अनुभव किया कि निम्न स्तर के कार्य करने से उनके बच्चे उच्च स्तर की अपेक्षा हीन सामाजिक स्थिति में पहुँच जायेंगे।

4. अभिभावक सहशिक्षा वाले विद्यालयों, जो जिले के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में लागू है, में अपनी लड़कियों को भेजने में संकोच करते हैं। गाँवों में बच्चे बढ़ती उम्र में विद्यालय जाना प्रारम्भ करते हैं और कक्षा–3 या 4 तक पहुँचते–पहुँचते वे 12–13 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में, किशोरावस्था में पहुँच जाते हैं। इस अवस्था में मुस्लिम तथा कुछ रूढ़िवादी परिवार जैसे–यादव, लड़कियों को लड़कों के साथ रहना पसन्द नहीं करते है। और इस प्रकार लड़कियों को शिक्षा पूर्ण किये बिना ही रोक दिया जाता है। ग्रामीण, परम्परावादी तथा रूढ़िवादी होते हैं। इसलिए 10–14 वर्ष की बालिकायें अधिक मात्रा में विद्यालय छोड़ देती हैं।

5. हमारी खोजों ने सुझाया कि कानपुर में विभिन्न अध्ययनों द्वारा सुझाये गये आर्थिक कारणों से बालिका ड्राप आउट प्रभावित नहीं है, बल्कि इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, अधिकांश परिवारों में बालकों का विद्यालय जाना जारी रहता है जबकि बालिकाओं को विद्यालय जाने से रोक दिया जाता है। दूसरे, इन परिवारों की आय खर्च वहन कर सकने योग्य है क्योंकि इनकी आमदनी 1500 से 2300 रूपये प्रतिमाह की है इसलिए वे अपने लड़कों के साथ लड़कियों को भी स्कूल भेज सकते हैं। यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा परियोजना (बी0ई0डी0) में लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क है, इसलिए लड़कियों के ड्रापआउट का कारण आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक मान्यतायें हैं, जिसके कारण लड़कियों के अभिभावकों में इच्छा शक्ति का अभाव है।

6. स्कूल छोड़ने वाले लगभग 40 प्रतिशत बच्चों से यह पता चलता है कि उन्होंने घरेलू कार्यों अथवा मजबूरी के कारण विद्यालय छोड़ा है। इससे यह पता चलता है कि कार्य करने की उम्र पर पहुँचने पर बच्चों के माता–पिता उन्हें विद्यालय से हटा लेते है। बहुत से अभिभावकों ने बताया कि उनका अनुभव है कि शिक्षा का उनके लिए विशेष उपयोग नहीं है बल्कि घरेलू कार्यों में और आमदनी बढ़ाने वाले

कार्यों में बच्चों की आवश्यकता है। अभिभावकों ने अनुभव किया कि यदि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाये तो वह उनके भविष्य के लिए अधिक उपयोगी होगी।

7. बहुत से बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि दूरी के कारण उनके बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। जब एक दिन में बच्चों के द्वारा तय की गयी दूरी का हमने आंकलन किया तो यह पाया कि यह 3 या 4 किमी0 हो जाती है। 11–12 वर्ष के बच्चे के लिए यह दूरी तय करना कठिन कार्य है इसलिए अधिकांश संख्या में बच्चे पाँचवी कक्षा पास करने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं।

8. बच्चों को पढ़ने–लिखने और रटने तक सीमित रखने वाली वर्तमान शिक्षा विधि भी ड्राप आउट का कारण है। अध्ययन से पता चला कि कुल बच्चों में केवल 12 प्रतिशत बच्चे ही इस विधि से संतुष्ट हैं जबकि 88 प्रतिशत बच्चों को इस शिक्षण विधि से कठिनाई होती है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि वर्तमान शिक्षण विधि दोषपूर्ण है और यह भी ड्रापआउट को बढ़ावा दे रही है।

9. ड्राप आउट वाले बच्चों की कठिनाई का दूसरा कारण पाठ्य–पुस्तकों द्वारा कराये जाने/पढ़ाये जाने वाले कक्षा कार्य की है। ग्रामीण अंचलों से आने वाले प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए कोई विशेष पाठ्य–पुस्तकें नहीं हैं। इन प्राथमिक विद्यालयों में वही पाठ्य–पुस्तकें पढ़ायी जाती हैं, जो राज्य सरकार के अन्य शहरी स्कूलों में पढ़ायी जाती हैं ये पाट्य–पुस्तकें शहरी लोगों को ध्यान में रखकर लिखी गयी हैं। सांस्कृतिक रूप से उपेक्षित वर्ग के बच्चे इन पुस्तकों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। अध्यापकों और अभिभावकों ने बताया कि विद्यार्थी इन पुस्तकों की भाषा समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। चूंकि ये पुस्तकें उनके सामाजिक वातावरण से मेल नहीं खाती है इसलिए ये बच्चों में रूचि पैदा करने में असमर्थ है। यह व्यर्थ की बात है कि इन विद्यालयों के बच्चे उपेक्षित और कृषक वर्ग से आते हैं, बल्कि पुस्तकें उन्हें उनकी योग्यता–क्षमता के अनुरूप शिक्षा नहीं दे पा रहीं है। बच्चों को दो तरह की दुनिया के बीच उलझना पड़ता है। एक, उनकी संस्कृति पर आधारित और दूसरी, शहरी संस्कृति पर आधारित। पुस्तकें अधिक मात्रा में शहर आधारित हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्यालयीय शिक्षा से रूचि खो देते है।

10. विद्यालयीय पाठ्य सहगामी और पाठ्येतर क्रिया कलाप बच्चों को न केवल सामाजिक और बौद्धिक विकास के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि वे स्कूल के प्रति उनकी रूचि को बढ़ाते हैं एवं विद्यालय और समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते हैं। यहाँ तक कि इन क्रिया कलापों में सहभागित्व विद्यार्थियों के सामाजिक कार्य व्यवहार के प्रकार पर भी निर्भर करता है। केवल 35 प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने विद्यालय के आन्तरिक खेल–कूदों में भाग लिया जबकि 65 प्रतिशत विद्यार्थियों ने किसी भी प्रकार की क्रिया–कलाप में भाग लेने से वंचित बताया। इससे स्पष्ट होता है कि ड्राप आउट वाले अधिकांश बच्चे विद्यालयों में पाठ्येतर क्रियाकलापों, जिन्हें शिक्षा के साथ आवश्यक समझा गया से वंचित रहते हैं।

11. उल्लेखनीय है कि सोशल एसेसमेंट स्टडी में निकाले गये कानपुर की शैक्षिक समस्याओं के विषय में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं उनको ध्यान में रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान की रणनीतियाँ एवं कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं।

डॉ0 (श्रीमती) राका सरन, आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा जनपद कानपुर नगर में सोशल एसेसमेंट स्टडी में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं, वह जनपद औरैया में भी लागू होते हैं। अतः सभी सुझावों को सर्व शिक्षा अभियान में अपनाई गई रणनीति तथा कार्यक्रम तैयार करते समय समावेश कर लिया गया है।

अध्याय - 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य व लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटि परक प्रारंभिक शिक्षा को मिशन रूप में प्रदान करने संबंधी जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री–पुरूष असमानता तथा सामाजिक अंतर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गई है।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

+ सभी बच्चों के लिए वर्ष 2003 तक स्कूल, शिक्षा गारण्टी केन्द्र वैकल्पिक स्कूल "वैक टू स्कूल" शिविर की उपलब्धता।
+ सभी बच्चे 2007 तक पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
+ सभी बच्चे वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूर्व कर तो।
+ जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया जायेगा।
+ बालक–बालिका असमानता तथा सामाजिक वर्ग–भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना।
+ वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल में बनाए रखना।

नामांकन के लक्ष्य

(क) प्राथमिक स्तर (6–11 वय वर्ग)

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2002– 2003 में शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य है जनपद का सकल नामांकन अनुपात 85.53 प्रतिशत है तथा शुद्ध नामांकन अनुपात 80.56 प्रतिशत है। इस प्रकार दोनों में 5 प्रतिशत का अन्तर है। अतः 2002–2003 में अनुपात 100 प्रतिशत लाने के लिए सकल नामांकन 105 प्रतिशत तक ले जाना होगा। जनपद में बाल गणना के अनुसार 2000–2001 में 6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या 158226 है 2001 से 2010 तक की उक्त आय वर्ग

के बच्चों की संख्या 2.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर के आधार पर प्रेक्षित की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2000–2001 में छात्र नामांकन 135324 है जो 6–11 वय वर्ग के बच्चों का 85.53 प्रतिशत है इसे वर्ष 2002–2003 में 105 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2002–2003 के पश्चात सकल नामांकन निकालने के लिए प्रतिवर्ष 2.2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। संदर्भित वर्ष की 6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या से सकल नामांकन अनुपात निकाला गया है जो स्थिर है ऐसा इसलिए किया गया है कि अधिक आयु एवं अल्प आयु के बच्चों का प्रवेश पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाता है। विवरण संलग्न तालिका 4.1 में दिया गया है।

(ख) उच्च प्राथमिक स्तर (11–14 वय वर्ग)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत–प्रतिशत नामांकन करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 69.46 प्रतिशत है। इस स्तर पर सामान्यतः सकल तथा शुद्ध नामांकन दर में विशेष अन्तर नहीं होता है। इसलिए इस स्थान पर सकल नामांकन के लक्ष्य ही रखे गये हैं। बाल गणना के अनुसार जिले में 11 से 14 वर्ष के 79615 बच्चे हैं। इनके साक्षेप 55299 बच्चे नामांकित है। वर्ष 2000–2001 से 2010–2011 तक 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 2.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर प्रक्षेपित की गई है। जहाँ तक नामांकित बच्चों की संख्या का प्रश्न है वर्ष 2007 के पश्चात इन्हें 2.2 प्रतिशत के आधार पर अनुमानित किया गया है और सकल नामांकन दर इसी आधार पर निकाली गई है। विवरण सारणी 4.2 में दिया गया है ।

सारिणी – 4.1

प्राथमिक स्तर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			सकल नामांकन
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	अनुपात
2000-01	82278	75948	158226	70368	64956	135324	85.53
2001-02	84088	77619	161707	76520	70633	147153	95.00
2002-03	85938	79327	165265	84219	77741	161960	105.00
2003-04	87828	81072	168900	92219	85126	177345	105.00
2004-05	89760	82856	172616	94248	86998	181246	105.00
2005-06	91735	84679	176414	96322	88912	185234	105.00
2006-07	93753	86542	180295	98441	90868	189309	105.00
2007-08	95816	88445	184261	100606	92868	193474	105.00
2008-09	97991	90324	188315	102820	94910	197730	105.00
2009-10	100078	92380	192458	105082	96998	202080	105.00

सारिणी – 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			सकल नामांकन
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	अनुपात
2000-01	41399	38216	79615	28755	26544	55299	69.46
2001-02	42311	39056	81367	31826	29378	61204	75.00
2002-03	43242	39915	83157	34809	32131	66940	80.50
2003-04	44193	40793	84986	38005	35082	73087	86.00
2004-05	45165	41691	86856	41325	38147	79472	91.50
2005-06	46159	42608	88767	44774	41329	86103	97.00
2006-07	47174	43545	90719	48117	44416	92533	100.00
2007-08	48212	44503	92715	50623	46728	97351	100.00
2008-09	49273	45482	94755	51736	47757	99493	100.00
2009-10	50357	46483	96840	52874	48807	101681	100.00

स्रोत – विभागीय आंकड़े

ठहराव के लक्ष्य

(क) प्राथमिक स्तर

जनपद में 2000–01 में 6–11 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 158226 के सापेक्ष 135324 बच्चे नामांकित हो चुके हैं। परिषदीय नामांकन जो कि 108259 है यह कुल नामांकित बच्चों का 20 प्रतिशत घटाकर निकाला गया है। यह 20 प्रतिशत बच्चे मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित हैं। जनपद में प्राथमिक स्तर पर शालात्याग का प्रतिशत 33.40 है। प्रभावी नामांकन को क्रमशः वर्ष वार बढ़ाया जायेगा। इस हेतु प्रभावी नामांकन के साक्षेप अध्यापकों की आवश्यकता होगी। सारणी 4.3 में वर्षवार नामांकन के सापेक्ष आवश्यक अध्यापकों की संख्या अंकित है।

(ख) उच्च प्राथमिक स्तर –

जनपद में 2000–01 में 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 79615 के साक्षेप 55299 बच्चे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में नामांकित हैं। परिषदीय नामांकन की संख्या 44239 है। जो कुल नामांकन का 20 प्रतिशत घटाने पर निकाला गया है। जनपद में 11–14 वय वर्ग के बच्चों का शाला त्याग का प्रतिशत 30.54 है इस प्रकार 2000–01 में प्रभावी नामांकन 30728 है। शालात्याग की दर वर्ष 2000–01 में 30.54 है। जिसे वर्ष 2006–07 तक शून्य करने का लक्ष्य है। सारणी 4.4 में वर्षवार नामांकन अंकित है।

सारणी 4.3

प्राथमिक नामांकन 1–7–2000

वर्ष	कुल नामांकन	20 प्रतिशत मान्यता का घटाने पर परिषदीय नामांकन	शालात्यागी बच्चों का %	प्रभावी नामांकन	अध्यापक आवश्यकता	अतिरिक्त अध्यापक	अतिरिक्त शिक्षामित्र	योग आवश्यकता
2000-01	135324	108259	33.40	72100	1802	-	-	-
2001-02	152005	121604	28.00	87554	2182	-	-	-
2002-03	173527	138822	22.00	108280	2707	185	185	370
2003-04	177345	141876	16.00	119175	2979	136	136	272
2004-05	181246	144997	10.00	130497	3262	142	142	284
2005-06	185234	148187	5.00	140777	3519	129	129	258
2006-07	189309	151447	0.00	151447	3786	134	134	268
2007-08	193474	154779	-	154778	3869	42	42	84
2008-09	197730	158184	-	158183	3954	43	43	86
2009-10	202080	161664	-	161664	4042	44	44	88

स्रोत – बेस लाइन सर्वे

सारणी 4.4

उच्च प्राथमिक नामांकन

वर्ष	कुल नामांकन	20 प्रतिशत मान्यता का घटाने पर परिषदीय नामांकन	शालात्यागी बच्चों का %	प्रभावी नामांकन
2000-01	55299	44239	30.54	30728
2001-02	61204	48963	27.00	35743
2002-03	66940	53552	23.00	41235
2003-04	73087	58470	19.00	47360
2004-05	79472	63578	15.00	54040
2005-06	86103	68882	11.00	61304
2006-07	92533	74026	7.00	68844
2007-08	94569	75655	0.00	75655
2008-09	96649	77320	-	77320
2009-10	98776	79020	-	79020

स्रोत – वर्ष 2000 में बाल गणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़े

अध्याय– 5

समस्यायें व रणनीतियाँ

जनपद मे सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत रूप में तथा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करते हुए अपनायी गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत बच्चों को शिक्षा की धारा में लाये जाने पर, बच्चों को विद्यालय/वैकल्पिक केन्द्रों में ठहराव बनाये रखने पर एवं गुणवत्ता में सुधार लाये जाने पर विशेष बल दिया जायेगा। इस हेतु शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गो, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों आदि से चर्चा में जो समस्यायें उभरकर आयी। उनके समाधान हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली रणनीतियां निम्न सारणी में वर्णित की गई है।

	मुख्य समस्याएं	रणनीतियाँ
शिक्षा की पहुंच सम्बन्धी	1. अभिभावकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी। 2. बालिकाओं के प्रति असरुक्षा की भावना। 3. संसाधनों की कमी	1. सामुदायिक सहभागिता का अधिक से अधिक कार्यक्रमों में समावेश किया जायेगा । 2. सामाजिक चेतना बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय किये जायेंगे ताकि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। 3. बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर ही व्यायाम शिक्षा का योजना में समावेश किया जायेगा। 3. मानक के अनुरूप संसाधनों की कमी की पूर्ति की जायेगी। 4. स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा।
नामांकन संबंधी	1. शिक्षाका रोजगार परक न होना। 2. रूढ़िवादी अल्पसंख्यक समुदाय में बुनियादी शिक्षा के प्रति उदासीनता। 3. विद्यालयों की उपलब्धता में कमी	1. शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए कार्ययोजना में विशेष पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाएगा। 2. रूढ़िवादी समुदाय को जागरूक किया जायेगा। 3. मानक के अनुरूप विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। 4. ग्राम शिक्षासमिति में विशेष रूप से महिला सदस्यों का सहयोग लिया जायेगा।

ठहराव सम्बंधी	1. विद्यालयी सुविधा में कमी। 2. बालिका शिक्षा के कार्यक्रमों में कमी 3. विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का अभाव। 4. शिक्षिकाओं का महिलाओं से संपर्क न होना। 5. अध्यापकों का अध्यापक कार्य के प्रति रूझान कम होना।	1. वेकल्पिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। 2. योजना मे बालिका शिक्षा के कार्यक्रमों का समावेश किया जायेगा। 3. योजना मे समेकित शिक्षा का समावेश किया जायेगा। 4. अध्यापकों को तीन वर्ष में एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में एवं 10 वर्ष में एक वि0क्षे0 से दूसरे वि0क्षे0 में स्थानान्तरण करने का प्राविधान किया जायेगा ।
गुणवत्ता संबंधी	1. अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो का किया जाना। 2. अध्यापकों की कमी। 3. प्राथमिक स्तर पर बहुकक्षा शिक्षण प्रणाली का अभाव। 4. सहायक सामग्री के समुचित प्रयोग का अभाव।	1.अध्यापकों की पूर्ति के लिए मानक के अनुरूप शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का प्राविधान किया जायेगा। 2. प्राथमिक स्तर पर बहु कक्षा शिक्षण प्रणाली की स्थापना की जायेगी। 3. विज्ञान/गणित किट के समुचित प्रयोग के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
संस्थागत	1. शिक्षकों का प्रशिक्षित मानकों के अनुरूप न पढ़ा पाना। 2. निरीक्षण की संख्या कम होना। 3. वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुकूल शिक्षा न होना।	1. पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा। 2. निरीक्षण व्यवस्था को गति एवं सनयबद्ध किया जायेगा। 3. कम्प्यूटर शिक्षा एवं अन्य उपयोगी विषयों को पाठ्यक्रम में लाया जायेगा।

अध्याय– 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार– नवीन औपचारिक विद्यालय

जनपद में बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रारम्भ वर्ष 93 से सन् 2000 तक कुल 410 प्राथमिक विद्यालय निर्मित हुये तथा 174 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हुआ। पूर्व मे निर्धारित मानकों के अन्तर्गत कुछ असेवित बस्तियाँ जनसंख्या मानक पूरा न कर पाने के कारण छूट गयी थी। वर्तमान में इन असेवित बस्तियों की आबादी मानक के अनुरूप है। अतः यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय खोला जाना न्याय संगत है।

असेवित बस्तियाँ

जनपद में 28 बस्तियों में जिनकी आबादी 300 से ऊपर है तथा 1.5 किमी की परिधि में प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन बस्तियों का विकास खण्डवार विवरण संलग्नक में दिया गया है साथ ही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात मानक के अनुसार 198 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी।

शिक्षक

शिक्षा की पहुंच के विस्तार हेतु जनपद में नवीन विद्यालयों में 28 शिक्षकों एवं 28 शिक्षा मित्रों की आवश्यकता होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये एक प्रधानाध्यापक एवं चार सहायक अध्यापक की दर से 198 प्रधानाध्यापक एवं 792 सहायक अध्यापक की आवश्यकता पड़ेगी।

शिक्षण सामग्री / काष्ठोपकरण

प्राथमिक स्तर–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपभोग बी0ई0पी0 की भांति सर्व शिक्षा अभियान में भी किया जायेगा। इस धनराशि से निम्न सामग्री का क्रय किया जायेगा– मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्युपमेन्ट– ढोलक, मजीरा, हार्मोनियम, बांसुरी आदि। क्रीड़ा सामग्री– फुटबॉल, वॉलीबाल, हवा भरने का पम्प, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायरयुक्त कूंदने की रस्सी। क्लासरूम टीचिंग मैटीरियल– गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञानकोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि। उपरोक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। 1. प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम की दो प्रतियां। 2. कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों का एक सेट। 3. अध्यापक संदर्शिकाओं का एक सेट। 4. शब्दकोष– हिन्दी, अंग्रेजी–2 5. एटलस। 6. अध्यापकों के लिये विश्वकोष। 7. इसके अतिरिक्त 9 चार्ट 15 मानचित्र (भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, विश्व, एशिया, भारत, राज्य, जिला), ग्लोब, विज्ञान किट, गणित किट, ऑडियो कैसिट, प्लेयर टूइनवन। 8. क्रीड़ा सामग्री– फुटबॉल, वालीबॉल, स्कीपिंग रोल, एयरपम्प, डम्बल्स, हार्मोनियम, ढोलक, बांसुरी, मजीरा। 9. काष्ठोपकरण– कुर्सी, मेज, (प्रत्येक अध्यापक के लिये) 10. अन्य सामग्री– बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, अलमारी, दरी, पत्र–पत्रिकायें (विज्ञान प्रगति, आविष्कार, बालभारती एवं एक दैनिक समाचार पत्र)। उपरोक्त सभी सामग्रियों का क्रय ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा।

प्रस्तावित कार्यक्रम का वर्षवार नियोजन

जनपद के कुल 13 असेवित बस्तियों में जिनकी आबादी 300 से अधिक है 2002–2003 में प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। 2003–2004 तक 15 असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य है। इस प्रकार वर्ष 2003 तक 28 असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। स्थल चयन से लेकर निर्माण कार्य के लिए ग्राम शिक्षा समितियां का वांछित सहयोग लिया जाएगा। इन नवीन विद्यालयों के लिए वर्ष 2002–2003 में 13 परिषदीय अध्यापक एवं 13 शिक्षा मित्र की नियुक्ति का प्राविधान किया जाएगा जबकि वर्ष 2003–2004 तक 13 + 15 = 28 परिषदीय अध्यापक एवं 13+15 शिक्षा मित्र रखे जाने का प्राविधान किया जाएगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर (1:2) के मानक में वर्ष 2002–2003 में 50, 2003–2004 में 50, एवं 2004–2005 में 98 अर्थात् 2005 तक कुल 198 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2002–2003 में 250 अध्यापक, 2003–2004 में 250 अध्यापक, 2004–2005 में 490 अध्यापक अर्थात् 2005 तक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 990 अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी। इन 990 अध्यापकों में 198 प्र0अ0 एवं 720 स0अ0 होंगे।

सारणी 6.1

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय	योग	उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग
2001–2002	—	—	—	—
2002–2003	13	13	50	50
2003–2004	15	15	50	50
2004–2005	—	—	98	98
2005–2006	—	—	—	—
2006–2007	—	—	—	—
2007–2008	—	—	—	—
2008–2009	—	—	—	—
2009–2010				
महायोग		28		198

संलग्नक

शेष अरोक्षित बस्तियाँ जहाँ नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है।

1.	अछल्दा	1. खलरा
		2. जागूपुर
		3. कंधिया
		4. शाहपुर
2.	सहार	5. मानधवन
		6. अण्डा
		7. भुनियापुर
3.	भाग्यनगर	8. शाहपुर
		9. मिश्रीपुर
		10. चिरैयापुर
		11. कुठरी
4.	अजीतमल	12. शाला
		13. नगला सहलू
		14. मानिकपुर
		15. अड्डा पीतम
		16. खुशालपुर
5.	एरवाकटरा	17. रतनगोपियापुर
		18. बेलझाली
6.	औरैया	19. गंगदासपुर
		20. भैरोंपुर
		21. मंसुखपुर
		22. नगला चिंतई
		23. पूर्वा उम्मेद
		24. डेरा बंजारन
7.	विधूना	25. पृथ्वीपुर
		26. ढिपारा
		27. धर्मपुर
		28. पूर्वा दीक्षित

अध्याय–7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार II

जनपद में सर्वशिक्षा हेतु शिक्षा गारन्टी एवं नवाचार शिक्षा योजना की संभावनायें–

जनपद में 6 से 11 वयवर्ग में सकल नामांकन 85.53 प्रतिशत है। जिसके सापेक्ष 33.40 प्रतिशत ड्रॉप आउट है एवं 11 से 14 वयवर्ग मे कुल छात्र नामांकन 69.46 प्रतिशत है, जिसके सापेक्ष 30.54 प्रतिशत ड्रॉप आउट है। इस प्रकार शालात्यागी बच्चों की पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि अधिकांश बच्चे इनमें कामकाजी है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनपद में शिक्षा गारन्टी एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका की आवश्यकता है।

सूक्ष्म नियोजन का आधार–

सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद में सूक्ष्म नियोजन कराया गया था। उसी को आधार मानकर विकास खण्डवार निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें संकलित की गयी है। उपरोक्त माइक्रो प्लानिंग एवं सर्वेक्षण द्वारा जो आंकड़े उपलब्ध हुए है उन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता है। अतः सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 में पुनः ग्राम/बस्तीवार परिवार सर्वेक्षण कराया जायेगा ताकि उन सभी बच्चों को चिन्हित किया जा सके। जो किन्हीं कारणों से विद्यालयी शिक्षा से वंचित अथवा दूर है। किसी भी योजना की सफलता उसके नियोजन पर निर्भर करती है। ये सर्वेक्षण इसलिये भी आवश्यक है कि जैसे–जैसे परियोजना वर्ष 2002–2003 में एवं इसके बाद आगे बढ़ती जायेगी, ई0जी0एस0, ए0आई0ई0, ग्रीष्म शिविर आदि कार्यक्रमों को बच्चों के लक्षित/चिन्हित समूह पर केन्द्रित किया जा सकेगा।

जनपद में ऐसी असेवित बस्तियां जिनकी आबादी 300 से कम है तथा 1 किमी0 की परिधि में औपचारिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है ऐसी बस्तियों में शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत विद्या केन्द्र (ई0जी0एस0) खोले जाने का लक्ष्य है साथ ही साथ 300 आबादी से अधिक ऐसी बस्तियां जहां पर नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य है। ऐसी बस्तियों में भी विद्यालयों का निर्माण कार्य होने तक ई0जी0एस0 केन्द्र संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जनपद औरैया में सात विकास खण्ड है। विकास खण्ड औरैया, अजीतमल, भाग्यनगर सहार, ऐरवाकटरा, विधूना, अछल्दा है। विकास खण्ड औरैया और अजीतमल का दक्षिणी क्षेत्र बीहड बाहुल्य है एवं शैक्षिक स्तर निम्न है। बीहड़ नदियों का किनारा व बीहड़ मे रहने वाले दस्युओं के भय से जनसमुदाय बच्चों को विद्यालय भेजने से डरता है साथ ही जनपद का दूरस्थ विकास खण्ड ऐरवाकटरा में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विद्यालय पहुंच से दूर हैं। शेष चार विकास खण्डों में शिक्षा का स्तर औसत है विकास खण्ड अछल्दा एवं ऐरवाकटरा में महिलाओं की साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम है।

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक/नवाचार योजना में लाभान्वित करने का लक्ष्य 6–14 वय वर्ग के बच्चे हैं। विकलांग बच्चों की आयुसीमा 18 वर्ष तक है।

इस योजना के अन्तर्गत 6–11 वय वर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों में पंजीकृत कराया जायेगा अथवा EGS केन्द्र में प्रवेश दिलाया जायेगा। 9–14 वय वर्ग के बच्चे जो पूर्व में ही विद्यालयों से ड्राप आउट हो चुके हैं अथवा कभी भी विद्यालय में पंजीकृत नहीं हुए हैं। सड़क छाप बच्चों व घुमन्तू बच्चों के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों अथवा ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा में औपचारिक विद्यालयों में किसी भी कक्षा में किसी भी समय, जिसके लिए बच्चे उपयुक्त होगे, प्रवेश दिलाना ही मुख्य उददेश्य होगा।

सर्वेक्षण / चिन्हांकन

ऐसी असेवित बस्तियों में जहॉ 1 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय नहीं है 6–11 वय वर्ग के 30 बच्चों की उपलब्धता पर कक्षा 1 और 2 के लिए ईजीएस केन्द्र खोले जायेंगे। वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का निर्धारण माइक्रोप्लानिंग के आधार पर किया गया है। प्रथम चरण में जिस क्षेत्र विशेष में ईजीएस केन्द्र खोला जाना विचाराधीन होगा वहॉ पर एआईई केन्द्रों के खोलने पर सम्प्रति विचार न किया जायगा क्योंकि सर्वप्रथम यह प्रयास किया जायेगा कि प्रत्येक बच्चा औपचारिक विद्यालयों में अथवा ईजीएस केन्द्रों में प्रवेश ले ले। विशेष परिस्थितियों में ही ऐसे स्थानों पर एआईई केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जायेगा। जनपद स्तर के प्रस्ताव जिसमें स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्ताव भी सम्मिलित होगे।

ड्रॉप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण झेंप / मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, कामकाजी तथा बाल –श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वेकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों, अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन शिविरों तथा दीर्घकालीन शिविरों, ब्रिज कोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मकतबों / मदरसों में बालक / बालिकाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उददेश्यों से इनके क्षेत्रों में भी एआईई योजना की व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यतः झुग्गी–झोपड़ी, मलिन बस्तियों एवं बाल श्रमिकों से आच्छादित स्थलों आदि, जहॉ पर 9–14 वय वर्ग के ड्राप आउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चे उपलब्ध होंगे, वहॉ नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेंगे। इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय किया जा सकता है तथा इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गो के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई (जिस स्तर के बच्चे होगें) पूर्ण कराकर औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा के प्राथमिक विद्यालय में किसी भी उपयुक्त कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिये निकट के प्राथमिक विद्यालय / उच्च

प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रवेश दिलाये जाने की व्यवस्था सम्पन्न करायी जायेगी जिससे ये बच्चे अतिशीघ्र मुख्य धारा में शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ कर दें।

रणनीति

सर्व शिक्षा योजना अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र के मध्यम से स्कूल न जाने वाले 6 से 8 तथा 9 से 14 वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें 2003 से 2007 तक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र हेतु समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों में अध्ययन करने वाले छात्र किसी भी समय मुख्य धरा से जुड़ सकते है। जिस योग्य वे हैं।

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन करते समय निम्न क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी :–

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र।
2. ऐसे क्षेत्र जहां बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम हो।
3. ऐसे क्षेत्र जहां ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो।
4. ऐसे क्षेत्र जहां स्ट्रीट चिन्ड्रेन, बाल श्रमिक एवं खतरनाक, गैर खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की संख्या अत्यधिक हो।
5. ऐसे क्षेत्र जहां प्राथमिक विद्यालय/शिक्षा गारण्टी योजना के विद्यालय न हों।
6. निर्माणाधीन प्राथमिक विद्यालय निर्माणाधीन वर्ष में (EGS) केन्द्र खोले जायेंगे।

केन्द्रों का संचालन स्थल ग्राम शिक्षा समिति की संस्तुतियों पर पंचायत भवन, चौपाल अथवा किसी विवाद रहित स्थान पर किया जा सकता है जो पहुंच की दृष्टि से पूर्व संदर्भित वंचित वर्ग के बच्चों के लिये उपयुक्त हो।

केन्द्र संचालन का समय

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि को

नहीं रखा जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन 4 घंटे संचालित किये जायेंगे।

अनुदेशक चयन

अनुदेशक यथासम्भव उसी स्थान एवं समुदाय के उपयुक्त होगा जहां पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना हो उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा तत्पश्चात् अनुदेशक को आमंत्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम समिति शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

प्रस्तावों का संकलन

माइक्रोप्लानिंग से संबंधित पत्रजातों का विश्लेषण एवं समीक्षा करने के पश्चात् ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों को विकास खण्ड स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष, विकास खण्ड अधिकारी तथा सदस्य सचिव, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उपविद्यालय निरीक्षक तथा विकास खण्ड का ग्राम प्रधान एवं एक वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होंगे, के द्वारा तैयार प्रस्तावों की समीक्षा कर भारत सरकार के निर्देशानुसार उनकी समीक्षा कर प्रस्तावों का संकलन करेगी, तत्पश्चात् अपनी संस्तुति सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक

एवं

नवाचार शिक्षा योजना

हेतु चिन्हित स्थानों का विवरण

सारणी– 7.1

विकास खण्ड का नाम	पहचान किये गये केन्द्रों की संख्या	
	E.G.S	A.I.E. नवाचार नाम
1. सहार	25	–
2. अछल्दा	12	5
3. भाग्यनगर	23	39
4.बिधूना	36	5
5.एरवाकटरा	34	24
6.औरैया	21	31
7.अजीतमल	24	14
8.नवीन विद्यालय स्थलों पर	28	–
योग	241	118

स्रोत अद्ययतन सर्वेक्षण सूची संलग्न है

केन्द्र खोले जाने की प्रक्रिया

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन, जिला बेसिक अधिकारी, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र, सभासद संबंधित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतव/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मोलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक होने की स्थिति मे मकतबा/मदरसा म सचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा संबंधित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो, को मकतबों में संचालित होने वाले केन्द्रों में

अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रस्तावित करना होगा कि स्थानीय जन समुदाय को अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के संबंध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति संबंधित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी, यदि आवश्यक हुआ तो, सम्मिलित किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिये। जहां पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हों वहां पर इन्टरमीडियट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक का प्रशिक्षण

एस0सी0 आर0टी0 द्वारा विकसित माड्यूल के अनुसार डायट पर 30 दिन का प्रशिक्षण होगा। उच्च प्राथमिकता का प्रशिक्षण 40 दिन का होगा। प्रशिक्षण के उपरान्त उनका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। प्रशिक्षण में पूरे समय भाग न लेने या असत्य होने पर नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित की जाएगी, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री का बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सभी अनुदेशकों को उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाएगी।

पर्यवेक्षण की व्यवरथा

पर्यवेक्षण हेतु मानक तथा पर्यवेक्षण की प्रणाली :–

(1) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य प्रतिदिन।

(2) बी0आर0सी0 समन्वयक– 10 प्रतिमाह।

(3) एन0पी0आर0सी0 समन्वयक सप्ताह में एक बार प्रत्येक केन्द्र।

(4) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उपविद्यालय निरीक्षक– 5 प्रतिमाह।

(5) विकास खण्ड अधिकारी– 5 प्रतिमाह।

(6) बेसिक शिक्षा अधिकारी– 5 प्रतिमाह।

(7) जिला प्रशासन – 2 प्रतिमाह।

(8) मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक– 2 प्रतिमाह।

अनुश्रवण की व्यवस्था

प्रत्येक केन्द्र से वहाँ उपस्थित छात्र–छात्राओं की उपस्थिति ड्राप आउट की स्थिति, ड्राप आउट को पुनः केन्द्र पर लाने की स्थिति, शैक्षिक स्तर मुख्य धारा से जुड़ाव, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, केन्द्र स्थल का रखरखाव सामुदायिक सहभागिता, निरीक्षण,मूल्यांकन तथा उनकी अन्य कठिनाइयों, बैठकों के आंकड़ों का संकलन मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक बैठकों में विकास खण्ड स्तर पर किया जाएगा।

प्रधान,बी0डी0सी0 सदस्य, ब्लॉक प्रमुख तथा अन्य जन प्रतिनिधियों को संचालित केन्द्रों की सूची अनुदेशक के नाम, स्थल, व समय के उल्लेख के साथ अवश्य उपलब्ध कराई जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और उनका सहयोग भी लिया जा सके। उस क्षेत्र के निकटवर्ती विद्यालय में बाहर बोर्ड पर केन्द्र का नाम, अनुदेशक का नाम, समय व स्थान अंकित किया जाएगा। जिससे जनसमुदाय को सम्पूर्ण जानकारी रहे।

शिक्षा गारन्टी योजना/नवाचार केन्द्र :-

जनपद में 6–14 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 2,37,841 है इसमें से 1,90,623 बच्चे विभिन्न मान्यता प्राप्त/परिषदीय/राजकीय संस्थओं में नामांकित है। शेष 47,218 बच्चों में से 1,070 बच्चे गौर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में 60 प्रतिशत बच्चे औपचारिक विद्यालयों में लाए जायेंगे। शेष 30 प्रतिशत बच्चे अर्थात् 14,165 बच्चों के लिए E.G.S. एवं A.I.E. केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। जनपद में तीन चरणों में कुल 213 E.G.S. केन्द्र तथा 118 A.I.E. केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। जनपद में प्रथम चरण में 63 E.G.S.तथा 68 A.I.E. केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। द्वितीय चरण में 75 E.G.S. तथा 50 A.I.E. केन्द्र खाले जाएंगे शेष तृतीय चरण में 75 E.G.S. केन्द्र केन्द्र खोले जाएंगे। ऐसी असेवित वस्तियाँ जहाँ प्राथमिक विद्यालय खोला जाना है वहाँ भी E.G.S. केन्द्र खोले जाने का प्राविधान किया गया है ताकि विद्यालय का निर्माण पूर्ण हो जाने तक ऐसे E.G.S. केन्द्रों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ दिया जाएगा। ऐसे केन्द्रों की कुल संख्या 28 है। जो 213 E.G.S. केन्द्रों के अतिरिक्त है।

प्रस्तावित कार्य योजना

	E.G.S	A.I.E.
प्रथम चरण	63	68
द्वितीय चरण	75	50
तृतीय चरण	75	–
नवीन विद्यालय स्थल हेतु	28	–

EGS./AIE योजना हेतु सर्वेक्षणप्रपत्र– (1)

स्कूल जाने वाले बच्चों की स्थिति (31.12.2000 की स्थिति)

सारणी– 7.2

(1) 6–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या.....

बालक [1,23,677] बालिका [1,14,164] योग– [2,37,841]

(2) 6–14 वय वर्ग के स्कल जाने वाले बच्चों की संख्या 1,90623

वर्ग	अनुसूज़ित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	29,203	–	37,667	12,734	19,525	1,06,749
बालिका	26,956	–	34,769	11,754	18,015	83,874
योग	56,159	–	72,436	24,488	37,540	1,90,623

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूजित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	1,666	–	2,073	698	1,439	5,876
बालिका	1,419	–	1,914	645	638	4,616
योग	3,085	–	3,987	1,343	2,077	10,492

(4) 9–14 वर्ष के स्कल न जाने वाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूजित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	20	–	90	19	45	174
बालिका	17	–	71	16	34	138
योग	37	–	161	35	79	312

स्रोत – वर्ष 2000 में बाल गणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़ें।

घुमन्तु बच्चें (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूजित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	4	—	6	8	4	22
बालिका	4	—	7	4	2	17
योग	8	—	13	12	6	39

कामकाजी बच्चें (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूजित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	5,025	—	5,935	2,308	3,693	16,961
बालिका	5,443	—	7,553	2,129	3,408	18,533
योग	10,438	—	13,488	4,437	7,101	35,494

सड़क छाप बच्चें (STREET CHIILDREN)

वर्ग	अनुसूजित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	39	—	31	—	—	70
बालिका	—	—	—	—	—	—
योग	39	—	31	—	—	70

विकलांग बच्चें (PHYSICAL HANDICAPED CHILDIREN)

वर्ग	अनुसूजित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	140	—	145	163	143	491
बालिका	94	—	91	46	89	320
योग	234	—	236	109	232	811

स्रोत – वर्ष 2000 में बाल गणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़ें।

AIE में नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (2)
पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण (9–14 वय वर्ग)

सारणी 7.3

क्रमांक	व्यवसाय का नाम जिसमें बच्चे अपने अभिथावक के मददगार हैं।	स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या		
		बालक	बालिका	योग
	कृषि	11472	10590	22062
	पशुपालन	1477	1363	2820
	दुकानदारी	2215	2044	4259
	कुम्हार	738	682	1420
	बढ़ई	738	762	1500
	दर्जी	554	511	1065
	अन्य	1263	1165	2428

स्रोत – वर्ष 2000 में बाल गणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़ें।

सारणी सं0 - 7.4

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
सहार			
1	गैरानिया	पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र	
2	प0 डुपुर	अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्र	
3	गूलाहार	पिछड़ी जाति की आबादी वाला क्षेत्र	
4	पूवतिरा		
5	गेर		
6	सुखलालपुर		
7	पहाणपुर		
8	पुर्वा फुशल	पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र	
9	गानघवन	अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्र	
10	सारी	अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्र	
11	पूर्वा मक्का		
12	पूर्वा बक्सा		
13	गढ़ेवा	अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्र	
14	मवुपुर	अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्र	
15	अण्डा		
16	पुर्वा सवसुख	अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्र	
17	पुर्वा क्षमा		
18	पुर्वा घसा		
19	औगढ नाथ	सपेरों का डेरा है।	
20	बिहारीपुर	अनु0जाति आबादी	
21	हिम्मतपुर		
22	मढहादासपुर		
23	माधव नगर		
24	भदरवार		
25	जड़कडू	अनु0 आबादी क्षेत्र	

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
विधूना			
1	रतनपुर	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
2	रैनाह		
3	न0पन्नी	अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्र	
4	न0परसादी	अनु0 जाति व पिछड़ी जाति की मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र	
5	लखन्यारा	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
6	रौरी	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
7	खरगपुर	अनु जाति बाहुल्य क्षेत्र	
8	लक्ष्मनपुर	अनु जाति बाहुल्य क्षेत्र	
9	कटराकोठी		अनु जाति बाहुल्य क्षेत्र
10	विजौंडा	अनु जाति बाहुल्य क्षेत्र	
11	उदनकपुर		
12	लोधियाना		
13	वीराउसर		
14	कटरा	अनु जाति बाहुल्य क्षेत्र	
15	सरैया		अनु जाति बाहुल्य क्षेत्र
16	फतेहपुर	अनु जाति बाहुल्य क्षेत्र	
17	भवानीपुर	अनु जाति बाहुल्य क्षेत्र	
18	रज्जा पुर्वा		
19	भवानीपुर	अनु0जाति आबादी क्षेत्र	
20	रम्पुरा		
21	जगालपुर		
22	पटना		
23	पुर्वा उदई		
24	पुर्वा क्षव्वा		
25	नन्दपुर		
26	डिल्लाहार जोगियन डेरा	सपेरों की आबादी	
27	वसई		
28	पुर्वा सिंह	अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्र	
29	नन्दपुर		
30	लालपुर		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
31	पुर्वा गनेश		
32	पुर्वा उग्गेद		
33	जरियापुर		
34	पृथ्वीपुर		अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र
35	पुर्वा हीरा	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
36	दलपपुर		
37	क्षवरा		
38	शंकरपुर	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
39	पुर्वा धन्ना		
40	ककराही	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
41	गोडा		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
औरैया			
1	रोमनपुर(हाजीपुर)		
2	त्योरलालपुर(रामपुर प्रताप सिंह)	दस्यू प्रभावित	
3	महेवा	दस्यू प्रभावित क्षेत्र	
4	चौकी(गूजरी)	दस्यू प्रभावित क्षेत्र	
5	जसवन्तपुर(मन्सुखपुर)	अनु0 जाति आवादी	
6	जसवन्तपुर(गिश्रपुर प्रताप सिंह)		
7	भोंतापुर(केशोपुर)		
8	प्रयागपुर(शेखुपुर करम)		
9	इंगुठिया(सिखौली)		
10	पढ़ीन(सुन्दरपुर अड्डा)	अनु0 जाति आवादी	
11	गिहौली(बिचौली)	अनु0 जाति आवादी	
12	अजनपुर(सरियापुर)	अनु0 जाति आवादी	
13	द्वारकापुर(बसन्तपुर)(पैगम्बरपुर)	दस्यू प्रभावित	
14	सुरान(डेरा बंजारन)	दस्यू प्रभावित	
15	सलेमपुर(भरतपुर)		
16	मधूपुर(धीरजपुर)	अनु0 जाति आवादी	
17	बरगूपुर(सालाबाबा)	अनु0 जाति आवादी	
18	बमुरीपुर(पुर्वामल्हान)		
19	नन्दगाँव(मड़नई)		
20	नन्दगाँव(पण्डपुरा)	दस्यू प्रभावित	
21	भासौन(भैरोपुर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
22	भासौन(स्वरूपनगर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
23	सढ़रापुर(गंगादासपुर)		अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र
24	सिहौली(कसायालकापुर्वा)		
25	तुर्कीपुर चित्तर सिंह(शिवकर का पुरवा)		
26	खरका(पैगम्बरपुरवा)		अनु0 जाति आवादी क्षेत्र
27	खरका(बसन्तपुर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
28	मई(जगतपुर)		
29	मई (नौरी अडडा)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
30	सखरना(खेरा डॉडा)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
31	अकबरपुर(रजपुरा)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
32	अकबरपुर(इकबालपुर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
33	अकबरपुर(नगला चिन्ताई)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
34	तिवरलालपुर(लक्ष्मनपुर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
35	बवाइन(अनिरुद्ध नगर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
36	बवाइन(अहिनिरर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
37	राजन्दापुर(सिखोलम)		
38	सुरान(डेरा बंजारन)		
39	जसवन्तपुर(मन्सुखपुर)		अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र
40	भोंतापुर(केशीपुर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
41	पन्हर(टिकोली)		अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र
42	दासपुर(कोठी)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
43	जैतपुर(जलोखर)		
44	रामपुर रामसहाय(कलापुर)		अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र
45	करमपुर(सेखूपुर)		अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र
46	प्रयागपुर(नगला छेदामी)		अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र
47	पड़रिया(चमनपुर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
48	जरुहौलिया(मड़ैया)		
49	बनारसीदास		
50	दयालगंज		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

	E.G.S.	A.I.E.
एरवा कटरा		
1 बदनापुर		
2 नगला हरी राम		
3 बमुराह		
4 जगतपुर		
5 बुझौआ		
6 लड़ैयापुर		
7 गुजरीपुर		
8 अचानकपुर		
9 गपकापुर		
10 गुर्रा		
11 नगवा गुदे		
12 किरकिचियापुर		
13 एनपुरा		
14 रतनपुर		
15 राभापुर		
16 जरैला		
17 रुपपुर	2 किमी पर विद्यालय नहीं	
18 रघुनाथपुर		
19 वेलझाली		
20 नगला जादौं		
21 नगला महुआ		
22 सूरजपुर		
23 मढा		
24 भवानीपुर		
25 नगला दौलत		
26 नगला नया		
27 गोकुलपुर		
28 सिंहपुर		
29 भगवानपुर		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
30	न0 मारवाडी		
31	हरयावपुर		
32	सिलवट		
33	भारागल		
34	इटौली		
35	हरनागरपुर		
36	धरमजीत		
37	कलियानपुर		
38	वृजराजपुर		
39	उद्दैतपुर		
40	मकरन्दपुर		
41	न0 रावोझ		
42	वहादुरपुर		
43	नगला तुला		
44	जसवन्तपुर		
45	कछपुरा		
46	रानीपुरदत्त		
47	नगला वराह		
48	चकवदनपुर		
49	गुलालपुर		
50	वरहिन		
51	किल्लालपुर		
52	सुल्तानपुर		
53	सिमरिया		
54	नगला अतिवल		
55	रढगाँव		
56	नगला वोझ		
57	वीलपुर		
58	सुरजपुर		
59	सुरैथा		
60	हरचन्दापुर		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
61	रामपुर खारा		
62	ललउआ		
63	मानीकोठी		
64	नूरावाद		
65	इकघरा		
66	वीवीपुर		
67	कासावोझ		
68	वरौना कलॉ		
69	चिरैयापुर		
70	गोपियापुर		
71	नगला वैश		
72	विकमपुर		
73	वैवाह		
74	सराय शीशमउ	2 किमी पर विद्यालय नहीं	
75	गनूपुर		
76	नगला दौलत		
77	कुकरकाट		
78	कुचैला		
79	रमपुरा		
80	गाजीपुर		
81	वाउरवेडा		
82	ईश्वरपुर		
83	पखनलेई	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
84	वरौनाखुर्द		
85	समायन		
86	रतनपुर		
87	हमीरपुर रुरु		
88	पिवखना		
89	चन्दौली		
90	रघुनाथपुर	पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र	
91	सिही स्योरा	2 किमी पर विद्यालय नहीं	
92	फैजुल्लापुर		
93	दोवामाझी		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
अजीतमल			
1	खुखूपुर		
2	नगला नन्दन		
3	शाला सिंगार		
4	गढ़िया सिंगार		
5	हरपालपुर	पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र	
6	वंसियापुर	दस्यू प्रभावित क्षेत्र	
7	ज्ञानपुर प्रतापसिंह		
8	छत्तरपुर	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
9	कमालपुर		
10	वरीपुरा		
11	डेरावंजारन		
12	सुदनीपुर		
13	सैदपुर की मड़ैया	2 किमी पर विद्यालय नहीं	
14	नगला खिंभन		
15	मानिकपुर		
16	कुंजीपुर		
17	प्रहलादपुर		
18	धरमपुर		
19	कृपालपुर		
20	पुरवाझावर		
21	केशवदास का पुरवा		
22	वाहरपुर		
23	गोपालपुर		
24	तुर्कीपुर		
25	किशनपुर		
26	नैवरपुर		
27	पुरवा हरसहाय		
28	विधीपुर		
29	व्योरा		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
30	खरगेकापुरवा		
31	महाराजपुर		
32	पुरवानन्दलाल		
33	खुशालपुर		
34	सिकरोडी		
35	छीतापुर	दस्यू प्रभावित क्षेत्र	
36	रामनगर		
37	जाजपुर	दस्यू प्रभावित क्षेत्र	
38	सुरजनपुर		
39	ककरैया		
40	नियगितपुर		
41	यदुवंशपुर		
42	शेखूपुरआधारसिंह		
43	जगन्नाथपुर		
44	पंचदेवरा	दस्यू प्रभावित क्षेत्र	
45	वेरीकपरिया		
46	वेरीघनगर		
47	डेरावन्जारन(बीसलपुर)	सम्पूर्ण आवादी वंजारों की	

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
अछल्दा			
1	खलरा	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
2	जुगराजपुर	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
3	कटरानकी		
4	पूर्वागनू		
5	मन्हों		
6	पलहरी		
7	डेरा बंजारा नरागपुर	बंजारों का निवास स्थान	
8	साजनपुर		
9	कंधिया		
10	नडोरा	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
11	मिटारी		
12	पूर्वागोविन्द		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
भाग्यनगर			
1	खजुइया		
2	खेरा		
3	निबझना		
4	खेरा		
5	झपटियापुर		
6	हीराकापुर्वा		
7	बहादुपुर		
8	पुर्वाअगनू		
9	बरमुपुर		
10	डेराबंजारा		
11	डेराबंजारा		
12	तुलसीमडैया		
13	मेरखपुर		
14	हंसे कापुर्वा		
15	प्रतापपुर		
16	पूर्वाचिटकाई	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
17	पुर्वादासा		
18	ाहपुर		
19	मोहनपुर		
20	पुर्वापरसाद		
21	मुचहा		
22	गजलुआपुर		
23	मडैयामल्हान		
24	नबलपुर		
25	मडैयामलहान		
26	रूहेली		
27	चपौली		
28	गपकापुर		
29	रतवा		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
30	पुर्वानीलकंठ		
31	डाढी		
32	खुशालीपुर्वा		
33	झपनीपुर्वा		
34	हरीकापुर्वा		
35	इटहा		
36	उचौपुर	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र	
37	डेराजोगी		
38	अनन्तपुर		
39	तुर्कीपुरमडैया		
40	खजुहा		
41	अजलापुर		
42	फतेहसिंहपुर्वा	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
43	कुठर्रा		
44	डेराबंजारा		
45	रामपुरअडडा		
46	नानपुर		
47	महाराजपुर		
48	ताहरपुर		
49	पुर्वाधन		
50	बढआ		
51	मौनकपुर		
52	डेराबंजारा		
53	सिंगलमउ	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
54	करही		
55	गोपालपुर		
56	सिन्दुरिया		
57	माखनपुर		
58	हंसनपुरचॉदखा		
59	फूटाताल		

अध्याय – 8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रमः– जिले के ड्रॉप आउट दर शुन्य करने एवं ठहराव में वृद्धि हेतु विद्यालयों का पुर्निमाण एवं आकर्षक बनाया जायेगा।

जनपद औरैया में सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2000 तक भौतिक एवं अकादमिक सुविधायें सुलभ कराई जाती रहीं। इन संसाधनों से जनपद में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपूर्ण रहे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रस्ताव किया गया है।

जनपद में 21 विद्यालय जो जर्जर स्थिति में है,को पुनःनिर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है पूर्व से अतिरिक्त कक्षा कक्ष जनपद मे उपलब्ध है यद्यपि छात्र/अध्यापक संख्या के अनुरूप 760 अतिरिकत कक्षा कक्ष निर्माण करने का लक्ष्य है। प्राथमिक स्तर पर जनपद मे 714 शौचालय 694 हैण्डपम्प 88 चाहरदीवारी की सुविधा उपलब्ध है जबकि 65 शौचालय 85 हैण्डपम्प 691 चाहरदीवारी निर्मित करने का लक्ष्य है। पूर्व माध्यामिक स्तर पर जनपद मे 196 शौचालय 200 हैण्डपम्प 23 चाहरदीवारी की सुविधा उपलब्ध है जबकि 11 शौचालय 7 हैण्डपम्प 184 चाहरदीवारी निर्मित करने का लक्ष्य है।

अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्रः– जनपद मे प्राथमिक स्तर पर नवीन विद्यालयों के संचालन के लिए 28 परिषदीय एवं 28 शिक्षा मित्र की आवश्यकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 198 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 198 प्र0अ0 792 स0अ0 की आवश्यकता है।

विद्यालयी सुविधाएँः– प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए विद्यालय मरम्मतर/रखरखाव हेतु अनुदान की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष रू05000/– का प्राविधान किया जा रहा है विद्यालय विकास अनुदान हेतु प्रतिवर्ष रू02000/– प्रति विद्यालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

निर्माण योजना

जनपद में प्राथमिक स्तर पर एक कक्ष की सुविधा 4 विद्यालयों में तथा 2 कक्ष की सुविधा 696 विद्यालयों में उपलब्ध है। अतिरिक्त कक्षों की पुर्ति के लिए 704 कक्ष निर्माण की आवश्यकतर पड़ेगी। 56 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पर छात्र संख्या के सापेक्ष अति रिक्त कक्ष की आवश्यकता है। इस प्रकार जनपद में कुल 760 कक्षा कक्ष का निर्माण प्रस्तावित है।

सारणी 8.1

निर्माण योजना वर्षवार

वर्ष	जर्जर		अतिरिक्त कक्ष		शौचालय		हैण्डपम्प		चारदीवारी	
	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0
2001	10	3	160	11	15	11	20	07	191	54
2002	11	–	250	15	25	–	25	–	200	60
2003	–	–	350	–	25	–	40	–	300	70
2004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2006	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2007	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2008	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2009	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2010	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

आवश्यक अध्यापक/शिक्षा मित्र

सारणी 4.3 में प्रभावी नामांकन के सापेक्ष 1:40 के अनुपात में वर्षवार आवश्यक अध्यापकों का विवरण दिया गया है। प्रतिवर्ष अतिरिक्त अध्यापक एवं शिक्षा मित्रों की आवश्यकता का विवरण निम्न सारणी में अंकित है।

सारणी – 8.2

प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात में

आवश्यक अध्यापक/शिक्षा मित्र

वर्ष	नामांकन	आवाश्यक अध्यापक	आवश्यक शिक्षा मित्र	योग
2001–02	87554	–	–	–
2002–03	108280	185	185	370
2003–04	119175	136	136	272
2004–05	130497	142	142	284
2005–06	140777	129	129	258
2006–07	151447	134	134	268
2007–08	154778	042	042	84
2008–09	158183	043	043	86
2009–10	161664	044	044	88

बालिका शिक्षा

बच्चों की कुल संख्या के सापेक्ष बालिकाओं की संख्या लगभग आधी है। यह बालिकायें हमारे बालिका शिक्षा का केन्द्र बिन्दु है। जिस अनुपात में बालिकाओं का नामांकन/ठहराव प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में होना चाहिये। उस लक्ष्य से हम अभी काफी पीछे हैं। समाज के विशेष समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में यह स्थिति और भी खेद जनक है।

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना के लागू होने के पश्चात् बालिका शिक्षा के नामांकन एवं ठहराव में अपेक्षित सुधार आया है। इस सभी प्रयासों के पश्चात् अभी भी बालिका शालाव्यागदर में हम शत प्रतिशत शून्यता को नहीं प्राप्त कर सके हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा पर विशेष कार्ययोजना बनायी गई है।

साक्षरता प्रतिशत महिला

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	प्रतिशत	कुल
1	एरवाकटरा	26	39
2	बिधूना	28	41
3	अछल्दा	24	38
4	सहार	30	43
5	अजीतमल	31	44
6	भाग्यनगर	29	43
7	औरैया	30	43
8	नगर क्षेत्र औरैया	46	54

स्रोत बेस लाइन रिपोर्ट 2000 – 2001

फोकस ग्रुप डिस्कसन के पश्चात् बालिका शिक्षा में आने वाली बाधाओं के सम्बन्ध में जो तथ्य उभर के आये वे निम्नवत् हैं –

1. महिला शिक्षक का अभाव।
2. अजीतमल एवं औरैया के दस्यु प्रभावित एवं बिहड़ांचल क्षेत्र मे शिक्षा व्यवस्था का प्रभावी न होना।

3. विद्यालय दूर होने के कारण असुरक्षा की भावना।
4. छोटे बच्चों की देखभाल एवं घरेलू कार्यों के परिणाम स्वरूप विद्यालय न जा पाना।
5. व्यवसाय में हाथ बटाना।
6. शिक्षा की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान न होना।
7. लिंग भेद
8. क्षेत्र विशेष के लिए शिक्षा।
9. जाति विशेष के लिए शिक्षा व्यवस्था

जनपद में बालिका शिक्षा का स्तर उठाने के लिए एवं शत प्रतिशत नामांकन/ठहराव का लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु एक कार्य योजना प्राथमिकता के आधार पर बनाई गई है जिसके अन्तर्गत –

- सामुदायिक गतिशीलता को बढ़ावा देना
- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना
- महिला शिक्षकों का चयन (आचार्या के रूप में)
- विशेष समूहों हेतु योजना (अनुसूचित, अल्पसंख्यक)
- अध्यापक प्रशिक्षण
- निःशुल्क पुस्तक वितरण
- ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण
- कार्यानुभव आधारित केन्द्रों का चयन
- एन0जी0ओ0 से सहायता
- विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा
- अनुसंधान

सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम शिक्षा समिति में से कम से कम तीन महिला सदस्यों के होने का प्राविधान है इनमें से एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्या, एक अनुसूचित जाति की नामांकित महिला एवं एक नामांकित माँ का होना आवश्यक है।

प्रशिक्षण के लिए संसाधन समूहों का गठन किया जायेगा, जिसमें स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, आधारभूत कार्यकर्त्ताओं संकुल स्तरीय शिक्षा अधिकारियों का समावेश किया जायेगा।

विशेष कार्ययोजना के अन्तगत प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी में सुधार का एक आदर्श संकुल विकास अभिगम इस अभिगम द्वारा बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास

किया गया है। इस कार्यक्रम के प्रारम्भिक चरण में औपचारिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन या वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षा के द्वारा बालिकाओं में प्राथमिक शिक्षा की पहुँच को बढाना है। द्वितीय चरण में बालिकाओं की उपस्थिति एवं ठहराव को केन्द्रित करता है। संकुलों के चुनाव का मापदंड –

1. महिलाओं की शिक्षा दर कम है।
2. बालिकाओं का कम नामांकन एवं ठहराव।
3. अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग व अल्प संख्यकों के जन समुदाय की अधिकता।
4. 10–12 गाँवों का संकुल

आयोजनात्मक क्रियायें :-

इस हस्तक्षेप को कार्यान्वित करने से पूर्व प्रारम्भिक क्रियाएं की जायगी। जैसे कि संकुलों की पहचान –

1. ब्लाक एवम् संकुल समन्वयको सहित जिला परियोजना टीम को आदर्श संकुल विकास अभिगम द्वारा बांटा जायेगा।
2. उन केन्द्रों दलों को पहचानना जो कि प्रत्यक्ष रुप से संकुल के साथ गतिविधयों में कार्यरत है।
3. गाँव के निरीक्षण द्वारा ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों एवम् मुख्य व्यक्ति के साथ सम्पर्क स्थापित करना।
4. गाँव के मुख्य व्यक्ति में शिक्षकों एवम् ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण।
5. गाँव की बैठकों का आयोजन।
6. बालिकाओं की शिक्षा के लिये पी0आर0ए0 तथा घर सर्वेक्षण करने के लिये विशेष प्रशिक्षण।
7. घरों के सर्वेक्षण/पी0आर0ए0 द्वारा एकत्रित ऑकड़ों व ग्राम विकास की विशेष योजनाओं के ऑकड़ों की तुलना।
8. इस अभिगम में गांव के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता।
9. कक्षा में होने वाली गतिविधियों में बालिका शिक्षा परिप्रेक्ष्य के अनुश्रवण में समन्वयकों

में जेन्डर संवेदनशीलता का विकास।

10. इस अभिगम के आरम्भ से ही एक समयबद्ध योजना को कार्यान्वित किया जायेगा। और इसके आधार पर गतिविधियों का क्रम निश्चित किया जायेगा।

केन्द्र दल :-

संकुल स्तर केन्द्र दल की स्थापना की जायेगी। बालिकाओं की शिक्षा के लिये जिला समन्वयक संकुल समन्वयक के अतिरिक्त महिला एवं युवा सदस्यों को भी लिया जायेगा। केन्द्र दल के दैनिक कार्यों में जिला परियोजना अधिकारी सहायता करेगा।

केन्द्र दल को स्थापित करने में निम्न बातों का ध्यान दिया जायेगा :–

– जिन व्यक्तियों का माडल समूह अभिगम से गहरा सम्बन्ध है उनसे कार्य के प्रति निष्ठावान होने का आश्वासन लेना।

– संकुल के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के लिये क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ जान पहचान सुनिश्चित करना।

प्रारम्भिक गतिविधियों को पूर्ण करने के पश्चात् चुने हुए संकुलों में संगठनात्मक एवं नामांकन अभियान चलाये जायेगे।

नामांकन अभियान के अन्तर्गत निम्न योजनायें अपनायी गयी –

– पद यात्रा, प्रभात फेरी
– नुक्कड़ नाटक
– बैठकें
– घर–घर जाकर प्रोत्साहित करना।
– मीना अभियान
– माँ–बेटी मेला
– महिला संसद

इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य :-

गाँव में बालिकाओं की शिक्षा वर्तमान स्थिति तथा बालिकाओं के नामांकन को सुधारने के लिये समुदाय पर प्रभाव ।

– घरों के सर्वेक्षण से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर यह निर्धारित करना कि बालिकाओं

की शिक्षा के सम्बन्ध में और क्या किया जा सकता है।

– विद्यालय के वातावरण व विद्यालय प्रबन्धन साधनों को सुधारना।

– विद्यालयों के प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी तथा विद्यालय एवं समुदाय के पारस्परिक मेल जोल का संस्थाकरण।

5. ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय उपस्थिति।

6. सक्रिय महिला समूहों अथवा प्रेरित व्यक्तियों की उपस्थिति।

आयोजनात्मक क्रियाएँ :-

इस हस्तक्षेप को कार्यान्वित करने से पूर्व प्रारम्भिक क्रियाएँ की जायेगी जैसे संकुलों की पहचान –

1. ब्लाक एवम् संकुल समन्वयकों सहित जिला टीम को आदर्श संकुल विकास अभिगम द्वारा बॉटना

3. नामांकन के पश्चात् ठहराव हेतु निम्न कदम उठाये जायेंगे -

1. अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जायगा।

2. समय को लचीला बनाया जायेगा ताकि अधिक संख्या में बालिकाओं का नामंकन हो सके।

3. आई0सी0डी0एस0 की मदद से या नए शिशु केन्द्रों को खोला जायेगा।

4. उपस्थिति का निरन्तर अवलोकन किया जायेगा।

5. संकुल पर प्रतिमाह बैठक में आने वाली समस्याओं पर विचार किया जाये साथ उन्हें दूर करने के कदम उठाये जायेंगे।

6. विद्यालयों में विशेष आयोजन किये जायेंगे।

7. ग्राम शिक्षा समितियों की क्षमता विकास कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण

प्रारम्भिक बाल देख रेख प्रशिक्षण सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में प्रारम्भिक बाल शिक्षा से दोहरे लाभ है प्रथम यह कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश हेतु बच्चों को तैयार करना। दूसरा यह विद्यालय जाने वाली बालिकाओं को छोटे भाई बहनों की देखरेख से मुक्त कर विद्यालय में रहने का अवसर प्रदान करता है। जनपद में सहार एवं अछल्दा विकास खण्डों में 30–30 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

रणनीतियाँ :

कनवर्जेन्स–समेकित बाल विकास परियोजना की प्रारम्भिक शिक्षा को मजबूत करना, प्रशिक्षण सामग्री सहायता द्वारा सुदृढ़ करना तथा प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय में समन्वय स्थापित किया जायेगा।

अन्य शिविर :

ग्रीष्म कालीन शिविर की उपयोगिता को देखते हुए इसे भी कार्य योजना में शामिल किया जायेगा है चिन्हाकित शालात्याग बस्तियों की बालिकाओं के लिए ग्रीष्म कालीन शिविर आयोजित किये जायेंगे जो कि संख्या के आधार पर एन0पी0आर0सी0 या बी0आर0सी0 स्तर पर होंगे।

साथ ही साथ जीवनोपयोगी अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण किशोरीन्वय बालिकाओं को दिया जायेगा जिसके अन्तर्गत –

- आने वाली स्वस्थ्य सम्बन्धी समस्याओं की जानकारी एवं उनके बचाव के तरीके।
- किशोरन्वय तनाव से बचने के उपाय एवं उनका समायोजन
- व्यक्तित्व विकास
- नेतृत्व क्षमता विकास
- वाणी–सम्बोधन क्षमता विकास

उपरोक्त प्रशिक्षण की अवधि 15 दिन होगी। प्रशिक्षण हेतु परीक्षक को बुलाया जायेगा एवं सम्मान स्वरूप उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव

जनपद में चिन्हाँकित की गई बस्तियों में बालिकाओं की शालात्याग दर अधिक है जो चिन्ता का विषय है इन बालिकाओं का विद्यालय छोड़ देने का कारण प्रायः इनके माँ बाप होते हैं। जो इन्हें अपने पैतृक व्यवसाय एवं बच्चों की देखभाल हेतु प्रयोग करते हैं। ऐसी बालिकाओं के लिए जनपद ने अपनी कार्य योजना में कार्यानुभव आधारित विद्यालयों को चयनित किया गया है।

कम्प्यूटर शिक्षा ग्रामीण एवं शहरी असमानता को दूर करते हेतु आधुनिक संचार व्यवस्था के उपयोग, प्रोत्साहन एवं रुचि संवर्धन हेतु जिला कार्य योजना ने प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लाक में उच्च प्राथमिक स्तर पर एक–एक कम्प्यूटर लगाने का प्रस्ताव किया है। आने वाले वर्षो में इसकी संख्या प्रत्येक विकास खण्ड में दस करने की है। औरैया विकास खण्ड के कुछ क्षेत्र में बालिकाएं सिलाई कढ़ाई, बुनाई, अदि का कार्य करती हैं। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम कार्यानुभव के रूप में सम्मिलित किए जायेंगे।

योजना को सफल बनाने के लिए मानक के अनुरूप धन का प्राविधान है जिसका उपयोग किया जायेगा। जिसमें अनुदेशकों का चयन किया जायेगा जो कि कम्प्यूटर एवं जरदोजी के प्रशिक्षक होंगे उन्हें मानक के अनुरूप मानदेय दिया जायेगा। साथ ही तैयार माल वहीं केन्द्रों पर बेचा जायेगा। प्राप्त राशि प्रोत्साहन स्वरूप बालिकाओं में वितरित की जायेगी। कार्यानुभव शिक्षा से बालिकाओं की शालात्याग दर में प्रभावी कमी आयेगी।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण -

बालिका शिक्षा एवं समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को विद्यालय में ठहराव की स्थिति बनायें रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओं तथा सभी वर्ग कर बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कराई जायेंगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर के साथ–साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अनुसूचित जाति के बालक–बालिकाओं तथा अन्य सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कराई जायेंगी। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रति छात्र–छात्रा 150 रु0 की दर का प्रावधान है। जिसमें वर्ष 2000–2001 में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित बालकों की संख्या 121172 है आने वाले वर्षों में अनुमानित लाभार्थियों की संख्या संलग्न सारिणी 8.4 में दी गई है।

सारिणी नं– 8.4

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण

वर्ष	अनुसूचित बालक			अनुसूचित बालिका			अन्य वर्ग बालिका			महायोग		
	प्रा0	उ0प्र0	योग	प्रा0	उ0प्र0	योग	प्रा0	उ0प्र0	योग	प्रा0	उ0प्र0	योग
2001	17522	11681	29203	16174	10782	26956	39008	26005	65013	72704	48468	121172
2	17907	11938	29845	16529	11020	27549	39866	26577	66443	74302	49535	123837
3	18300	12201	30501	16893	11262	28155	40743	27162	67905	75736	50825	126561
4	18703	12469	31172	17265	11510	28775	41639	27760	69399	77607	51739	129346
5	19114	12743	31857	17645	11763	29408	42555	28370	70925	79314	52876	132190
6	19534	13024	32558	18033	12022	30055	43492	28994	72486	81059	54040	135099
7	19965	13310	33275	18393	12262	30655	44448	29631	74080	82806	55204	138010
8	20404	13603	34007	18798	12532	31330	45426	30283	75710	84628	56417	141047
9	20653	13902	34755	19211	12808	32019	46426	30950	77376	86490	57607	144150
10	21270	14180	35450	19334	13090	32724	47447	31631	79078	88351	58901	147252

समेकित शिक्षा- विशेष वर्ग की शिक्षा

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को भी विद्यालय में नहीं लाया जाता है। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहाँ बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जायेगी है। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जायेगी है। जनपद औरैया में 811 बच्चें विकलांग चिन्हित किये गये है। नगर क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य होना शेष है।

समस्यायें

बच्चों में कुछ विकलांगतायें/अक्षमतायें जन्म से होती हैं तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है। साथ ही कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती हैं। बच्चों की अधिगम अक्षमता के कई कारण होते हैं।

बौद्धिक क्रिया कलाप का निम्न स्तर एवं विकास की मन्द गति। देखने में कठिनाई, सुनने एवं बोलने में कठिनाई। हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना, अंगों की विकृति, मांस पेशियों के तालमेल न होने से क्रिया कलाप में कठिनाई। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान, स्मृति विषयक समस्यायें।

कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धित होते है जैसे – माता पिता के स्नेह में कमी। बच्चों को हीन भावना से देखना। सीखने के समान अवसर न मिलना। शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना। शिक्षक का बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

विकलांगता के कारण बच्चों में आत्मनिर्भरता में कमी, चलने में परेशानी, समाज में उपेक्षित रहने का भय बना रहता है।

विश्लेषण

विश्लेषण से ये तथ्य उभरकर सामने आये हैं जैसे अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं माध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढाने के लिये विशेष तकनीक की आवश्कता नहीं होती, केवल अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिनका रोग असाध्य या गम्भीर रूप धारण कर चुका है। शेष बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यकतायें / कार्य योजना :-

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है इस हेतु समुदाय, परिवार एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

संवेदीकरण :-

1– समुदाय का संवदीकरण– इसके अन्तर्गत जन समुदाय को भ्रांतियों को दूर किया जायेगा साथ ही ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाया जायेगा। इस हेतु गोष्ठी एवं प्रचार माध्यम का उपयोग किया जायेगा।

2– सामूहिक जनसभा करके परिवार एवं भाई–बहनों का संवेदीकरण एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा। विकलांगता अभिशाप नहीं है। हमें ऐसे बच्चों को दया नहीं सहयोग देना चाहिये जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

3– अध्यापकों का संवेदीकरण के अन्तर्गत उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया जायेगा है कि ऐसे बच्चों के विकास में आपकी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है इस हेतु ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का निर्धारण किया जायेगा।

छात्र स्वास्थ्य परीक्षण

1. ब्लाक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य देख–रेख चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य संकल्पनाओं के बारे में अवगत कराया जायेगा। अंतरक्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रयास किया जायेगा। बैठक में जाँच दल का चुनाव किया जायेगा।

2. चिकित्सा दल चुने हुए स्कूल के अध्यापक–अध्यापिका के साथ मिलकर छात्रों की जाँच पर विचार–विमर्श कर अंतर क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर बल दिया जायेगा।

3. तकनीकी कर्मचारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा चुने जायेंगे।

4. विशेषज्ञों को बुलाया जायेगा।

5. विशेषज्ञों को सम्मान स्वरूप धनराशि दी जायेगी।

6. उपकरण एवं उपस्कर :-

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपकरण एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिये बच्चों का डाक्टरों की टीम, जिसमें एक आर्थोपेडिक्ट, एक ई0एन0टी0 डाक्टर एवं आई स्पेशिलिस्ट हो, द्वारा मेडिकल एसेसमेंट कराया जायेगा। फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करायी जायेगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से की जायेगी इसके लिये निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जायेगा–

1– राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून।

2– एलिम्को, जी0टी0 रोड, कानपुर – 208 016

3– अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, कर्करडूमा, विकास मार्ग दिल्ली।

4– मंगलम, ए–445, इंदिरा नगर लखनऊ

5– यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13, लूकरगंज, इलाहाबाद

7. आध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण :-

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से लिया जायेगा जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया जायेगा। समेकित शिक्षा के लिये प्राथमिक अध्यापकों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा और इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन सेन्टर द्वारा दिया जायेगा।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश किया जायेगा जैसे :-

- विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन।
- विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना।
- इन बच्चों के समूहों के लिये शिक्षण रणनीति विकसित करना।
- कक्षा कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन।
- इन बच्चों, इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।
- विकलांग बच्चों का आवश्यकताओं के संबंध में अन्य बच्चों में जागरुकता उत्पन्न करना।

स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयं संस्थाओं की भागीदारी ली जायेगी जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये कार्य कर रही हों।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम

सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की रणनीति में ग्राम शिक्षा समितियों को केन्द्रीय भूमिका प्रदान की जायेगी गई है। हमारे प्रदेश में ग्राम शिक्षा समितियों का अस्तित्व दो दशक से भी अधिक का है किन्तु इनकी प्रभावी भूमिका कुछ सीमिति गतिविधियों तक हो रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन इन समितियों को न केवल विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन का दायित्व दिया जायेगा साथ ही ग्राम की शिक्षा विकास योजना की संरचना का भी दायित्व दिया जायेगा। इसका मूल उद्देश्य यह है कि स्थानीय आवश्यकताओं के परिवेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के नियोजन में ग्राम शिक्षा समिति और इसके माध्यम से उस क्षेत्र की जनता को भी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। यह एक नवीन चुनौती पूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि आज के बालकों के भविष्य की शिक्षा का नियोजन एवं प्रबन्धन और उसके माध्यम से एक सफल नागरिक का विकास हमारी संवैधानिक प्रति बद्धता है।

प्रत्येक विकास खण्ड में से उत्कृष्ट कार्य के लिए दो ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन स्वरूप 25000/– रुपये का पुरस्कार देने की योजना इस अभियान में सम्मलित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम शिक्षा समितियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी। यह प्रतिस्पर्धा मात्र अनुदान प्राप्त करने के लिए ही नहीं अपितु क्षेत्र प्रगति की शिक्षा–व्यवस्था औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा दोनों विधाओं के माध्यम से विकसित और प्रभावी करने हेतु है।

विश्लेषण :-

जनपद औरैया पूर्व में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित रहा है जिसके अन्तर्गत माइक्रोप्लानिंग एवं परिवार सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का सफल प्रयास किया जा चुका है। उस क्रम को बनाये रखने एवं शेष एवं अपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उसे अधिक क्रियाशील एवं प्रभावी ढंग से कार्य योजना में सम्मिलित किया जायेगा जिससे हमारा उद्देश्य पूरा हो सके।

आकड़ों का विश्लेषण करके प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति द्वारा एक ग्राम शिक्षा योजना तैयार की जायेगी जिसमें बच्चों के नामांकन तथा शैक्षिक सुविधाओं/कार्यक्रमों में सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार की जायेगी। इस कार्य योजना के अनुसार यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाँव के शत प्रतिशत बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार हो।

ग्राम शिक्षा समिति का गठन एवं स्वरूप

संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में व्यापक संशोधन किए गए हैं। उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश 2000 के अन्तर्गत गठित शिक्षा समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा–

1.	प्रधान	अध्यक्ष
2.	प्रधानाध्यापक	सदस्य सचिव
3.	3 अभिभावक	छात्रों के तीन अभिभावक, जिसमें एक महिला होगी। (स0वे0शि0अधि0 द्वारा नामित)

यदि ग्राम पंचायत में एक से अधिक स्कूल हैं तो उनके प्रधानाध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य सचिव होगा।

उत्तरदायित्व :

1– शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करना तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।

2– पंचायत क्षेत्र में शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वयन।

3– शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ पर प्रशासकीय नियंत्रण :-

(1) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(2) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के आध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता समझे जाएं।

(3) शिक्षामित्र एवं आचार्य जी के चयन का अधिकार।

(4) बच्चों की उपस्थिति एवं शिक्षकों के शिक्षण कार्य का लगातार अनुश्रवण करना।

ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण :-

प्रशिक्षण के उद्देश्य :-

1– ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतः अपनाने हेतु क्रियाशील बनाना।

2– प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण विशेष रूप से बालिका शिक्षा एवं विकलांग बच्चों के लिए वातावरण निर्माण में ग्राम शिक्षा समिति एवं समुदाय के सक्रिय योगदान के संदर्भ में (सेन्सिटाइज करना) जागरूक बनाना।

3– विकेन्द्रीकृत नियोजन के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण के अभ्यास के द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने की दक्षता विकसित करना।

4– आकर्षक विद्यालय/कक्षा निर्माण, रुचिपूर्ण माहौल, विद्यालय संचालन में ग्राम शिक्षा समिति के योगदान के लिए अभिप्रेरित/सुग्राहित करना।

5– अन्तर्क्षेत्रीय समन्वयन, सहयोग तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्तीय एवं अन्य स्थानीय संसाधन, जुटाने के लिए अभिप्रेरित/सुग्राहित करना।

शैक्षिक उत्तरदायित्व वहन करना :-

(1) ग्राम शिक्षा समिति की बैठक प्रतिमाह करना।

(2) आवश्यकतानुसार नये बेसिक स्कूलों का चयन, स्थल चयन आदि कार्यवाही।

(3) नये विद्यालय का निर्माण तीन माह में सुनिश्चित करवाना एवं विद्यालय को आकर्षक बनाना।

(4) विद्यालय सम्पत्ति का रखरखाव।

(5) वित्तीय संसाधन जुटाना।

(6) स्थानीय उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर समुदाय के सहयोग से शिक्षण सामग्री तैयार करवाना। शिक्षण सामग्री, आपरेशन ब्लैक बोर्ड की सामग्री एवं साइंस किट का समुचित प्रयोग करवाना।

(7) प्राथमिक विद्यालय में समस्त बच्चों का नामांकन करवाना। जुलाई से सितम्बर तक 'स्कूल चलो अभियान' चलवाना।

(8) स्कूल में बच्चों का धारण में स्थायित्व बालिकाओं और अपवंचित वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान देना।

(9) विशिष्ट आवश्कता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना।

(10) स्कूल के बाहर के बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं बाल मजदूरों की शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कराना।

(11) शिक्षक मातृसंघ एवं अभिभावक शिक्षक संघों का गठन करना तथा उनकी नियमित बैठकें करवाना।

(12) वन विभाग के सहयोग से विद्यालय में वृक्षारोपण करवाना । समुदाय को प्रेरित कर विद्यालय की आवश्कतानुसार सहायता, दान/श्रम के रूप में प्राप्त करना।

(13) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के बच्चों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करवाना।

(14) ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों पर बच्चों का नमांकन, संचालन में सहयोग देना एवं अनुश्रवण करना।

(15) स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों का नियमित हेल्थ चैकअप करवाना, तथा बच्चों को प्रतिरक्षीकरण टीका लगवाना।

(16) युवक मंगल दल एवं युवती मंगल दलों को प्रेरित करना ताकि आवश्यकतानुसार ग्राम स्कूल की सफाई, निर्माण आदि में श्रमदान करके सहयोग दे सकें।

(17) कक्षा में इमला लिखवाना, जोर से पढवाना, गृहकार्य एवं जांच कार्य आदि कार्यों को नियमित करवाना।

(18) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को विभिन्न कार्यों का विवरण करना।

(19) शिक्षा सिर्फ कक्षा तक ही सीमित न रहे इसके लिए माहौल बनाने की आवश्यकता है। अतः हमारे परिवेश में विभिन्न व्यवसायों–मिट्टी के बर्तन, खिलौने बनाने, बढ़ई गिरी, लुहार गिरी के कुशल कारीगरों, अच्छे कहानी वाचक, गायक, वादक, कहानीकारों को समय–समय पर बच्चों से वार्तालाप कर विभिन्न जानकारी देने के लिए बुलाया जाय इससे बच्चों के दृष्टिकोण में कार्य की महत्ता पहचानने में बढ़ावा मिलेगा। अतः इन व्यक्तियों की संदर्भ व्यक्ति के रूप में पहचान कर सूची बना ली जायेगी।

(20) प्राथमिक विद्यालय में दस–दस पुस्तकें प्रति कक्षा रखकर बुक बैंक की स्थापना की जायेगी एवं इन पुस्तकों को सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को वितरित किया जायेगा।

शिक्षा के लिए वातावरण निर्माण :-

(1) जन सहभागिता एवं वातावरण सृजन हेतु रैलियों, विद्यालयों द्वारा प्रभात फेरियों, मशाल जुलूसों आदि का आयोजन किया जायेगा।

(2) समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शैक्षिक मेले, बाल मेले, प्रदर्शनी आदि आयोजित किये जायेंगे।

(3) प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रचार–प्रसार हेतु नुक्कड़ नाटक दल एवं प्रेरक समूह तैयार किये जायेंगे।

(4) गांव के स्थानीय कलाकारों द्वारा नाटक, गीत आदि तैयार करवा कर प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

(5) पोस्टर, गीत, नारों, कहानियों, चलचित्रों आदि के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को उजागर किया जायेगा।

(6) बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्धित अंधविश्वासों, पूर्वाग्रहों आदि को दूर किया जायेगा।

(7) बालिका का शिक्षित होना बालक से भी अधिक आवश्यक है– अभिभावकों में यह भावना जागृत करायी जायेगी।

(8) सहभागी क्रियाओं, अभिनय आदि के माध्यम से उहारण देकर प्रस्तुतीकरण करना कि बेटी भी कर सकती है आपके सपने पूरे, आपके परिवार का नाम रोशन।

(9) विद्यालय भ्रमण, विद्यालय भ्रमण के उपरान्त बालिकाओं को विद्यालय न भेजने वाले परिवारों का अध्ययन तथा इन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जायेगा।

(10) क्षेत्र में लगने वाले हाट, बाल मेलों, प्रदर्शनियों में शिक्षा सम्बन्धी स्टाल लगाकर आडियो/वीडियो कैसेट का प्रसारण तथा प्रदर्शन किया जायेगा।

(11) अन्तर्कक्षीय/अन्तर्विद्यालयी प्रतियोगिताएं आयोजित करायी जायेगी।

(12) स्कूल चलो अभियान आयोजित कार्यक्रम चलाया जायेगा।

(13) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित होने वाली गतिविधियों में भाग लेना। बालिकाओं के नामांकन के लिए विशेष अभियान मीना फिल्म, प्रदर्शन एवं चर्चा। सामूहिक पी0टी0 प्रतियोगिता।विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार देना। खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार देना। अभिभावक–शिक्षक बैठकों का अयोजन कराये जायेंगें।

(14) अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन/राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन/त्यौहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं द्वारा गांव के प्रतिभाशाली बच्चों का चयन कर सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना। दीवार–समाचार–पत्र, नारे लेखन, महत्वपूर्ण स्थानों पर नारे, सूक्तियाँ, विचार लेखन आदि। पुस्तकालय/वाचनालय का प्रयोग। साक्षरता प्रसार कार्य किया जायेगा।

(15) नारे व सूक्तियों का निर्माण, 'आकर्षक स्कूल भवन' रख–रखाव, सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित दक्षताओं–लेखन, सुस्वर पाठन प्रतियोगिताओं काआयोजन कराया जायेगा।

(30) छात्रों में गणवेश, व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई, नाखून काटना, स्वच्छ दांत, प्रतिदिन स्नान करना बालों की स्वच्छता एवं विन्यास, जूते पहनने की आदतों को विकसित करने हेतु प्रतियोगिताएं आयोजित करायी जर, यसेंगी।

अन्य विभागों से भी अपेक्षित सहयोग लिया जयेगा -

स्वास्थ्य विभाग :-

ग्राम वासियों को व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जगारुक करना।ए0एन0एम0 की सहायता से बच्चों को टीके लगवाना। गाँव में स्वास्थ्य घर खुलवायें जहाँ दवाइयाँ, ओ0आर0एस0 के पैकेट, आयरन की गोलियाँ आदि आसानी से मिल सकें। गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, जांच, टीके एवं प्रशिक्षित दाई की सहायता से सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था करवाना।

महिला एवं बाल विकास विभाग :-

यदि आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है तो बाल विकास विभाग से सम्पर्क कर खुलवायेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकत्री की सहायता से बच्चों का नियमित वजन करवाना ताकि बच्चों को कुपोषण न हो सके। सभी बच्चों को नियमित एवं समय पर टीके लगवायेंगे। गर्भवती महिलाओं को 100 आयरन फौलिक ऐसिड गोलियां दी जायेंगी।

विकलांग कल्याण विभाग :-

विकलांग बच्चों की पहचान का प्रमाण-पत्र बनवाये जायेंगें और जिला विकलांग कल्याण विभाग से उपकरण की व्यवस्था करायी जायेगी।

श्रम विभाग :-

श्रम विभाग के सहयोग से 6–14 वर्ष वर्ग के बाल मजदूरों की पहचान करायी जायेगी इन बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था करायी जायेगी।

जल विभाग :-

खराब हैण्डपम्प की मरम्मत एवं मानक के अनुसार नये हैण्डपम्प की व्यवस्था करायी जायेगी।

वन विभाग :-

विद्यालय परिसर में पौधों के रोपण में सहयोग लिया जायेगा।

समाज कल्याण विभाग :-

बच्चों की छात्रवृत्ति की समय से वितरण की व्यवस्था करायी जायेगी।

आपूर्ति विभाग :-

विद्यालयों में बच्चों को पोषाहार का नियमित प्रतिमाह वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करवायी जायेगी।

महिला समाख्या :

बालिकाओं के नामांकन, सम्प्राप्ति, वातावरण निर्माण एवं महिलाओं के सबलीकरण हेतु सहयोग लिया जायेगा।

अध्याय–9

गुणवत्ता सम्वर्द्धन एवं अकादमिक क्षमताओं का विकास

शैक्षिक गुणवत्ता का परिदृश्य–

औरैया जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिये वर्ष 1993 में बेसिक शिक्षा परियोजना आरम्भ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और सम्वर्द्धन करने के लिये गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 7 बी. आर.सी. तथा 75 एन.पी.आर.सी. की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बन्ध में 5 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्थल पर आयोजित किये गये। इस तरह बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र ऐसे भी शेष रहे जिन्हें संचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका।

बेसिक शिक्षा परियोजना का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन तथा 6 से 11 वयवर्ग के बच्चों का नामाकंन ठहराव एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति रहा। जनपद स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु डायट, विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र खोले गये। सभी का लक्ष्य था कि विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि हो सके तथा विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर में सुधार हो सके। जनपद में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सम्प्राप्ति का मुख्य उत्तरदायित्व डाएट पर है । इस दिशा में डाएट द्वारा बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विभिन्न प्रकार के विषय आधारित सेवारत् प्रशिक्षण प्रदान किये गये हैं । प्रशिक्षणों में विषयों के शिक्षण की नवीनतम विधियॉ, सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं समुचित प्रयोग, कठिन संबोधों का सरल रूप में शिक्षण, विद्यार्थियों का सतत् व्यापक मूल्यांकन तथा विद्यालय को आकर्षक एवं आदर्श बनाने हेतु किये जाने वाले प्रयासों का सैद्धान्तिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया है । प्रशिक्षणोपरांत प्रशिक्षकों द्वारा अपने–अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका मूल्यांकन शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा डाएट, बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा किया जाता है ।

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग और समर्थन प्रदान करने हेतु डाएट, बी0

आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 पर एक निश्चित तिथि को मासिक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है । बी0 आर0 सी0 पर आयोजित कार्यशाला में डाएट प्रतिनिधि तथा एन0 पी0 आर0 सी0 पर आयोजित कार्यशाला में बी0 आर0 सी0 व डाएट प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं । कार्यशालाओं में पर्यवेक्षण और अनुश्रवण को प्रभावी बनाने की कार्य योजना तैयार की जाती है तथा शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग–समर्थन देने सम्बन्धी प्रयासों पर विचार–विमर्श किया जाता है । डाएट, बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के पर्यवेक्षण के समय आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण भी किया जाता है तथा उनकी शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है । पर्यवेक्षण के समय विद्यालय चैक लिस्ट के अनुसार सी व डी ग्रेड प्राप्त विद्यालयों को उच्च ग्रेड में लाने हेतु सुझाव व प्रयास किये जाते हैं । तदुपरान्त इन विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है।

स्कूल पूर्व शिक्षा :

बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा बच्चों में स्कूल रेडीनेस लाने और बालिकाओं का नामांकन तथा ठहराव बढ़ाने हेतु शिशु शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से30 केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय–सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चों खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका को अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु0 1500 भी प्रदान किये गये। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये–

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।

2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक–बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।

3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में भागीदारी में वृद्धि हुई।

4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्राभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यो का भी पर्यवेक्षण करती है।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद औरैया में डायट के नेतृत्व में 441 ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी.) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों, स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं और बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे:–

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।

3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण।

4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा समितियां तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया जाता है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण, विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूलों के क्रियाकलापों से स्थानीय स्तर के पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूलों में न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग व समर्थन से प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति और दशा में सुधार हो रहा हैं । ग्रामवासी विद्यालय भवन को राजकीय भवन न मानकर अपने गॉव की सम्पत्ति मानने लगे हैं । विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण व आवश्यक शिक्षण सामग्रियों की व्यवस्था भी ग्राम शिक्षा समिति के प्रयासों से सम्भव हो रही है । प्रत्येक माह की एक निश्चित तिथि व समय पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की बैठक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित की जाती हैं जिसमें प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन पर विचार विमर्श किया जाता है ।

ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण डाएट तथा बी0 आर0 सी0 के पर्यवेक्षण में एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा ग्राम स्तर पर आयोजित किए जाते हैं।

स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी की स्थिति नगण्य थी वहीं ग्राम शिक्षा समितियों का गठन कर स्कूल की गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी को प्रशिक्षित कराया गया जिसके फलस्वरूप समुदाय के कुछ लोगों ने स्कूल की गतिविधियों में सकारात्मक सहयोग एवं सहभागिता देखने को मिली वही शैक्षिक गुणवत्ता में भी सुधार आया। बच्चों की शिक्षा में परिवार का सहयोग जरूरी है बिना परिवार के सहयोग से बालक की शिक्षा सही नही हो सकती। जब तक माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त नही होगा उनमें शिक्षा के प्रति रूचि एवं जागरूकंता दिखाई नहीं

देगी। बच्चे की शिक्षा अपेक्षित स्तर की संभव न हो सकेगी, अतः नामांकन के दृष्टि कोण से जनसम्पर्क अभियान चलाया गया। शिक्षकों द्वारा घर–घर जाकर अभिभावकों से सम्पर्क किये गये जिससे पढ़ने का वातावरण बना। अधिकाशतः देखने में आया है। कि बालिकाओं में शिक्षा के प्रति अभिभावक अभी भी उदासीन हैं। बालिकाओं का ड्राप आउट रूक सके इसके लिये कार्यवाही की आवश्यकता हैं उपाय करने होगें। समाज के लोगों में शिक्षा के प्रति प्रेरणा ,रूचि जागरूकता कूट–कूट कर भरनी होगी । ऐसा प्रयास ही शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये आवश्यक होगा।

बी.ई.पी. के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण :

बच्चों का भाषा एवं गणित विषयों के प्रति सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ सकें इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये दक्षता आधारित प्रशिक्षण चलाया गया। बच्चों का बौद्धिक स्तर आगे बढ सके इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अनुपूरक अध्ययन सामग्री प्रशिक्षण तथा शिक्षकों की दक्षता, क्षमता हेतु विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये गये। जनपद में संचालित शिक्षक–प्रशिक्षणों का विवरण इस प्रकार है–

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकों में शिक्षण की दक्षता एवं कौशलों का विकास करने हेतु दिये गये हैं । समय की बदलती हुई परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि शिक्षक बच्चे के परिवेश में तेजी से आने वाले परिवर्तन के अनुरूप अपने शिक्षण में उतना ही अधिक दक्ष और योग्य हो कि बच्चों को उतनी ही गति से शिक्षण दे सकें, जितनी गति से वह सीखना चाहते हैं ।

इन प्रशिक्षणों का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि कक्षा शिक्षण प्रभावी, रूचिपूर्ण एवं बाल केन्द्रित हो ।

प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण :

प्राथमिक स्तरीय शिक्षक की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने हेतु तथा शिक्षण की दक्षताओं एवं कौशलों का विकास करने हेतु विभिन्न सेवारत् अध्यापक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सेवारत् शिक्षकों के प्रशिक्षणों के 5 चक्र आयोजित किये जा चुके हैं – **प्रथम चक्र** में बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को सरस एवं रूचिकर बनाना, बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं का विकास करना। स्थानीय परिवेश के अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग एवं स्कूली शिक्षा की तैयारी सम्बन्धित व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के दूसरे चक्र में अध्यापकों को दक्षता आधारित भाषा–शिक्षण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया । भाषा की प्रमुख दक्षताएँ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किन शिक्षण विधियों द्वारा किया जाये, इसकी सम्यक् जानकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण के द्वारा दी गई।

बच्चों में स्वपठन की आदत का विकास, विषय सामग्री को पढ़कर समझ लेने की क्षमता का विकास, भाषा की दक्षताओं में परिपक्वता, अवकाश के दिनों में खाली समय का सदुपयोग का अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के **तीसरे चक्र** के माध्यम से अध्यापक को अनुपूरक अध्ययन सामग्री का प्रशिक्षण प्रदान किया गया । प्रशिक्षण में इन्द्र धनुष भाग–1 से 5 द्वारा रंगीन चित्रों के माध्यम से रोचक कहानियां एवं बाल कविताओं को सरल शिक्षण विधियों के माध्यम से कक्षा–1 से 5 तक के बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया ।

गणित विषय को सरल एवं रुचिकर बनाकर बाल केन्द्रित विधियों द्वारा शिक्षण का ज्ञान प्रदान करने हेतु सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण के **चौथे चक्र** में गणित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया । प्रशिक्षण में गणित के 5 अधिगम क्षेत्र क्रमशः संख्याओं एवं संख्यांकों को समझना, जोड़ने–घटाने, गुणा तथा भाग की मौलिक संक्रियाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय अंको की पहचान, मुद्रा, लम्बाई, भार, धारिता, क्षेत्र तथा समय का मापन, भिन्न, दशमलव भिन्न, प्रतिशत तथा ज्यानितीय आकृतियों के शिक्षण को सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से रुचिकर शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रशिक्षण के **पाँचवे चक्र** में पर्यावरण अध्ययन प्रशिक्षण के अन्तर्गत सामाजिक विषयों (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र) व वैज्ञानिक विषयों (भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान) के शिक्षण को सरल रूचिकर व बोधगम्य बनाकर विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से अध्यापकों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया।

बी. ई. पी. में उच्च प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण :

उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित विषय की तीनों शाखाओं (अंकगणित, बीजगणित व रेखागणित) के शिक्षण को सरल, रूचिकर और बोधगम्य बनाकर कक्षा–कक्ष में सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से शिक्षण को प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को गणित विषय का सैद्धान्तिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

विज्ञान की तीनों शाखाओं से सम्बन्धित विषय सामग्री को चित्रों, चार्टो एवं प्रयोगात्मक उपकरणों के द्वारा कक्षा–कक्ष में सरल, रोचक एवं बोधगम्य शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षण के उद्देश्यों से उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को विज्ञान शिक्षण का सैद्धान्तिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उक्त प्रशिक्षणों में कक्षा–6 से 8 तक के पाठ्यक्रम के समस्त प्रकरणों को सम्मिलित किया गया। जो प्रकरण शिक्षण की दृष्टि से अध्यापकों को कठिन प्रतीत होते थे, उन पर विशेष बल दिया गया।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण मुख्यतः विकास खंड स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तरीय

शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया गया था। जनपद में बी.ई.पी. के अंतर्गत जो सेवारत शिक्षक प्रशिक्षक प्रदान किये गये उनकी स्थिति इस प्रकार है–

चक्र	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
प्रथम चक्र	5255	925
द्वितीय चक्र	4410	936
तृतीय चक्र	4290	–
चतुर्थ चक्र	4000	–
पंचम चक्र	3469	–

स्रोत : डायट, औरैया

शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशाला का आयोजन डायट स्तर पर हुआ जिसमें विकास खण्ड स्तर के समन्वयक तथा न्याय पंचायत स्तर के सम्न्वयक, समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों ने प्रतिभाग किया। इसके साथ ही साथ विगत वर्षो में बच्चों के नामांकन में और अधिक वृद्धि हो सके इस हेतु ग्रामीण स्तर से लेकर जनपद स्तर तक स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम चलाया गया।

शैक्षिक गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु,डायट, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विभिन्न प्रकार के मैटेरियल मेलों का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं डायट स्तर पर विभिन्न प्रकार की कार्यशालायें गोष्ठियां आयोजित की गयीं। विजिनिगं कार्यशाला का उद्देश्य यही था कि लोगों की मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो सके परन्तु अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये जो पर्याप्त नही रहे। उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों को अकादमिक सहयोग और समर्थन भी पर्याप्त सिद्ध नही हुआ। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐसे बच्चों की संख्या काफी अधिक है जो अशासकीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत है, मकतब मदरसों में भी अध्ययनरत बच्चों की संख्या काफी है ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि अशासकीय क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेजों, मकतब मदरसों में जहाँ 6 से 8 तक कक्षाएं संचालित है उनके शिक्षकों के लिये भी विषय ज्ञान, क्षमता संवर्धन और शिक्षण विधियों पर केन्द्रित प्रशिक्षण तथा सतत् अकादमिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

शैक्षिक योग्यता :

इसके अतिरिक्त शिक्षकों के शैक्षिक योग्यता की स्थिति का विश्लेषण यह बताता है कि शिक्षकों को विषय ज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जैसा कि सारिणी–1 शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता का विवरण प्रदर्शित करती है। प्राथमिक शिक्षक के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा बी.टी. सी. अथवा समकक्ष प्रशिक्षण है किन्तु जनपद में अभी भी ऐसे शिक्षक हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता मानक से कम है।

सारिणी–9.1 (अ)

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

		प्राथमिक स्तर के शिक्षक	उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक
1.	शिक्षकों की कुल संख्या	2337	948
2.	हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या	21	–
3.	केवल हाई स्कूल उत्तीर्ण	353	05
4.	केवल इण्टरमीडियट उत्तीण (अप्रशिक्षित)	17	–
5.	स्नातक(अप्रशिक्षित)	138	–
6.	"क" विज्ञान शिक्षक	–	164
	"ख" संस्कृत उर्दू शिक्षक	30	236
7.	परास्नातक (अप्रशिक्षित)	–	–
8.	इण्टरमीडियट एवं (प्रशिक्षित)	703	450
9.	स्नातक एवं (प्रशिक्षित)	709	271
10.	परास्नातक एवं (प्रशिक्षित)	517	174

स्रोत– बी.एस.ए. कार्यालय औरैया

उपर्युक्त सारिणी से यह स्पष्ट है कि–

1. परिषदीय प्राथमिक शिक्षकों की कुल सं0 2337 तथा उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की सं0 946 है।
2. प्राथमिक विघालयों में हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या 21 है इन अध्यापकों की गुणवत्ता सम्बर्द्धन के लिये प्रस्ताव के तहत डायट स्तर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता हैं। ऐसे शिक्षकों का प्रतिशत 0.9प्रतिशत है।
3. जनपद में हाई स्कूल उत्तीर्ण अध्यापकों की संख्या 15 है । इनको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

4. जनपद में 5 प्रतिशत ऐसे शिक्षक है जो इण्टर/स्नातक तथा अप्रशिक्षित है यह सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त नही है ऐसे शिक्षकों के लिए पत्राचार आधारित प्रशिक्षण के लिए निदेशक SCERT लखनऊ को अवगत कराकर उनके निर्देशानुसार डायट स्तर पर व्यवस्था की आवश्यकता है।

5. संस्कृत/उर्दू/विज्ञान/अंग्रेजी/संस्कृत अध्यापकों को जो लगभग 13 प्रतिशत है को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों का पदस्थपना :

सारिणी 9.1 (ब)

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

शिक्षण अनुभव	योग	उच्च प्राथमिक
5वर्ष से कम	1047	27
5–10 वर्ष तक	375	75
10–15 वर्ष तक	169	56
15–20 वर्ष तक	142	112
20–25 वर्ष तक	89	119
25–30 वर्ष तक	222	146
30 वर्ष से अधिक	294	330
योग	**2337**	**946**

स्रोतः–बी0एस0ए0 कार्यालय

जनपद में शिक्षकों की पद स्थापना की स्थिति से स्पष्ट है कि–

5 वर्ष से कम अनुभव वाले 45 प्रतिशत अध्यापक है। 16 प्रतिशत अध्यापक 5 से 10 वर्ष का अनुभव रखते है। 10 से 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले 7.23 प्रतिशत अध्यापक है 6.07 प्रतिशत लगभग ऐसे अध्यापक है जिनका अनुभव 15 से 20 वर्ष है तथा 20–25 वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले 3.8 प्रतिशत शिक्षक/शिक्षकाएं हैं । 9.5 प्रतिशत ऐसे अध्यापक है जिनका अनुभव 20–30 वर्ष के बीच है। 30 वर्ष से अधिक शिक्षण अनुभव वाले 12.58 प्रतिशत अध्यापक है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि जो अध्यापक 20 वर्ष से अधिक अनुभव रखते है को विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण नवाचार के रूप में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इससे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार सम्भव है। जनपद में बी.ई.पी. के अन्तर्गत शिक्षकों की दक्षतावर्धन हेतु कार्यक्रम संचालित किये गये। जिसका विवरण निम्नवत् है।

प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु पहले बी.आर.सी. स्तर पर संदर्भदाताओं कों

प्रशिक्षित किया गया उसके बाद क्रमशः प्रथम चक्र उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा नामांकन धारण सम्प्राप्ति के अन्तर्गत चक्रवार प्रशिक्षकों की व्यवस्था डायट स्तर पर की गई। तत्पश्चात बी0आर0सी0 स्तर पर प्रत्येक चक्र का प्रशिक्षण देने के लिए सभी प्राथमिक अध्यापकों को बुलाया गया। जिससे शैक्षिक सम्प्राप्ति एवं गुणवत्ता में सुधार हो सकें। इसके साथ ही अन्य विविध पक्षीय प्रशिक्षण भी डायट स्तर पर किये गये। बीच बीच में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। सभी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु से प्रतिभागी शिक्षक प्रभावित हुए इन प्रशिक्षणों के प्रयोग के लिये अभी और प्रयास की आवश्यकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित विज्ञान के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु डायट स्तर पर संदर्भदाताओं को प्रशिक्षित किया गया। तत्पश्चात बी0आर0सी0 स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान गणित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। औरैया नगर क्षेत्र के शिक्षकों की प्रशिक्षण व्यवस्था डायट स्तर पर की गई है।

कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से शिक्षकों को रु0 500 वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता हैं जिससे वे सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करते हैं और उनका कक्षा में उपयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एन.पी. आर.सी., बी.आर.सी. तथा डायट स्तर पर मैटीरियल मेले का आयोजन किया गया जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा है और कक्षा–शिक्षण में शिक्षण–सामग्री का समुचित उपयोग बढ़ा है।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम जनवरी 1999 में बेसिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसे मासिक शिक्षण योजना के आधार पर विभाजित कर सभी शिक्षकों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी तथा डायट को उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु नवीन पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित होकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया जा रहा हैं।

शिक्षकों को सहयोग समर्थन की व्यवस्था

शिक्षकों को सहयोग समर्थन देने हेतु डायट स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण के अन्तर्गत विविध कार्यनीतियाँ अपनाई गई। इसके लिये विशेष बल देने हेतु डायट स्तर पर पटनी सहारनपुर पैकेज के आधार पर शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाए आयोजित की गई इसमें समस्त विकास खण्डों के समन्वयक, सहसमन्वयक एन0पी0आर0सी0 प्रभारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों एवं डायट प्रवक्ताओं का प्रतिभाग सुनिश्चित किया गया।

विभागीय निर्देशानुसार उच्च प्राथमिक/प्राथमिक एवं अन्य शैक्षिक स्तरों के अकादमिक पर्यवेक्षक की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। इसमें डाइट बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 द्वारा जागरूकता के साथ अकादमिक पर्यवेक्षण किया गया। इसके अन्तर्गत विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट भी दिया गया। इनका विभागीय निर्देशानुसार श्रेणीकरण भी किया गया तथा वांछित श्रेणी में लाने हेतु उन्हें विशेष

मार्गदर्शन तथा शैक्षिक सपोर्ट भी दिया गया। समन्वयक द्वारा मासिक बैठकों में अपने अपने विकास खण्डो की शैक्षिक समस्याओं को जाना गया तथा उनका आपसी विचार–विमर्श से निस्तारण किया गया। इस व्यवस्था से निचले धरातल पर शिक्षकों को उचित सहयोग एवं सनर्थन दिया गया। विद्यालयों की उनके प्रदर्शन के आधार पर जो ग्रेडिंग की गई, उससे गुणवत्ता स्तर की जानकारी मिलती है। निम्न सारिणी द्वारा इसे प्रदर्शित किया गया है–

सारिणी 9.2

पर्यवेक्षण के आधार पर ग्रेडिंग

क्रम	विकास खण्ड	प्राथमिक					उच्च प्राथमिक				
सं0	का नाम	स्कूलों की संख्या	श्रेणी				स्कूलों की संख्या	श्रेणी			
			ए.	बी.	सी.	डी.		ए.	बी.	सी.	डी.
1.	अजीतमल	120	73	47	—	—	29	15	13	01	—
2.	औरैया	127	39	78	10	—	38	17	17	04	—
3.	भाग्यनगर	119	42	70	6	1	28	12	16	—	—
4.	सहार	92	44	48	—	—	25	13	12	—	—
5.	अछल्दा	101	48	49	4	—	30	15	13	02	—
6.	एरवाकटरा	99	64	31	4	—	22	10	12	—	—
7.	बिधूना	112	33	63	13	3	20	8	11	01	—
8.	नगर क्षेत्र औरैया	—	—	—	—	—	01	01	—	—	—

स्रोत डायट औरैया

जनपद स्तर पर अकादमिक पर्यवेक्षण एवं प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु ग्रेडिंग प्रणाली अपनाने जाने के रूप में पर्यवेक्षक का कार्य डायट स्तर से लेकर एन0पी0आर0सी0 तक संचालित किया गया। जिसके प्रमुख घटक निम्न रहे–

1. आदर्श पाठ योजना के आधार पर शिक्षण कार्य पर बल देना।
2. शासन से प्राप्त अनुदान रूपया 500 द्वारा सहायक सामग्री निर्माण का कक्षा शिक्षण में अपनाये जाने पर बल दिया जाना।
3. गणित विज्ञान जैसे दुरूह विषय के लिये कक्षा शिक्षण के समय किटों के प्रदर्शन पर विशेष बल।
4. दक्षता आधारित शिक्षा पर बल।
5. खेल परक शिक्षा पर बल।
6. समय सारिणी के अनुसार शिक्षण कार्य पर बल।

किन्तु अभी भी सुधार की पर्याप्त संभावना है यथा निम्नांकित बिन्दुओं के प्रति उपाय और व्यवस्था की जरूरत है :–

1. विषय शिक्षण के लिये समय का महत्तम उपयोग किये जाने पर बल।
2. लर्निंग कार्नर तथा टी0एल0एम0 के प्रयोग पर बल।
3. कक्षा शिक्षण के दौरान मूल्यांकन एवं सतत मूल्यांकन पर बल।
4. क्रियात्मक शोध के माध्यम से समस्या निदान पर बल।
5. नई तकनीकी शिक्षा एवं उसके उपयोग पर बल।
7. बच्चों के मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुरूप शिक्षण कार्य पर बल।
8. पाठ्यक्रम के मासिक विभाजन के आधार पर कक्षा शिक्षण पर बल।

स्कूल ग्रेडिंग के आधार पर जो स्थिति उभर कर आयी है उसे उपर्युक्त सारिणी द्वारा दर्शाया गया है। यह स्पष्ट है कि ऐसे विद्यालयों की संख्या काफी है जिनका प्रदर्शन स्तर अच्छा नहीं है और उन्हें सुधार कर बी, ए श्रेणी में लाना होगा। इन पिछड़ने वाले विद्यालयों पर अधिक घ्यान केन्द्रित करने और इन्हें पृथक अतिरिक्त सहयोग समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है।

ग्रेडिंग प्रणाली के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्कूलों को किस तरह का शैक्षिक समर्थन आवश्यक है, इसका बोध और पर्याप्त क्षमता बी0 आर0सी0 स्तरीय कार्यकताओं को इस द्वष्टि से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की भी आवश्यकता है।

ग्रेडिंग प्रणाली में मकतब मदरसों हाईस्कूल इण्टर कालेज की कक्षा 6–8 कक्षाओं को भी शामिल किये जाने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो इसके लिये उपाय की आवश्यकता है ।

बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर :

जनपद में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन समय–समय पर किया गया है। बेस लाइन का प्रथम सर्वेक्षण 93–94 के अन्तिम मासों में सम्पन्न कराया गया। और अन्तिम मूल्यांकन का कार्य वर्ष 2000 में कराया गया। जिसके निष्कर्ष बिन्दु निम्न हैं।

1. प्रथम बेस लाइन सर्वे की अपेक्षा अन्तिम मूल्यांकन सर्वे में देखने में आया है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध पाये गये।
2. प्रशिक्षण की प्रभावकारिता व मूल्यांकन दर में प्रगति हुई है।
3. शिक्षण सामग्री के लिये कार्य तो किया गया लेकिन उपलब्ध कराये गये धन का समुचित प्रयोग देखने का नहीं मिला।
4. शैक्षिक गुणवत्ता की वृद्धि उच्च कक्षाओं में देखने को मिली लेकिन कक्षा 1 में अपेक्षाकृत सुधार कम हुआ।
5. मानक के अनुसार शिक्षा व्यवस्था देखने में नहीं मिली
6. विद्यालय उन्नयन में समुदाय की सहभागिता कम दिखाई दी।

7. अभिलेखों का रखरखाव पूर्ण किया गया किन्तु कार्य विधिवत् संतोषजनक नही मिला।

8. पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में अपेक्षित प्रगति देखने को नही मिली है।

9. परम्परागात मूल्यांकन कार्य किया गया। किन्तु आधार भूत मूल्यांकन व्यवस्था में कमी देखने को मिली।

10. शिक्षकों को अतिरिक्त कार्यो में लगाये जाने के कारण भी ड्राप आउट देखने को मिला।

शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का स्तर

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए कक्षा–2 एवं कक्षा–5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में परीक्षण किया गया। प्रथम सर्वेक्षण जिसे आधारभूत सर्वेक्षण कहते हैं, 1992–93 में किया गया। मध्यावधि मूल्यांकन जुलाई 1996 में और अन्तिम मूल्यांकन अगस्त 2000 में, निर्धारित विधि से चयनित विद्यालयों में किया गया।

सारणी 3 : कक्षा 2 एवं 5 में भाषा तथा गणित की मध्यमान उपलब्धि (एफ़.ए.एस.,2000)

कक्षाएं	भाषा			गणित		
	N	M	SD	N	M	SD
कक्षा 2	616	87.59	10.92	616	85.49	13.23
कक्षा 5	643	89.50	7.66	643	87.72	9.57

सारणी संख्या 3 में भाषा तथा गणित विषयों की कक्षा 2 एवं कक्षा 5 में मध्यमान उपलब्धि एवं मानक विचलन दर्शाये गये हैं। कक्षा 2 भाषा में औसत उपलब्धि 87.59 प्रतिशत तथा मानक विचलन 10.92% है जबकि कक्षा 2 गणित में औसत उपलब्धि 85.49 प्रतिशत एवं मानक विचलन 13.23% है। सारणी 2 यह भी दर्शाती है कि कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि 89.50 प्रतिशत है जबकि मानक विचलन मात्र 7.66 है इसी प्रकार कक्षा 5 गणित में मध्यमान 87.72 प्रतिशत एवं मानक विचलन 9.57 हैं। कक्षा 5 में दोनों ही विषयों भाषा एवं गणित में मानक विचलन का कम होना यह दर्शाता है कि सभी छात्र लगभग समान स्तर के हैं।

सारणी 4 : कक्षा 2 में भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि (एफ़.ए.एस. 2000)

	बालक			बालिका		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	323	87.00	11.70	323	88.20	10.00
गणित		86.00	12.80		85.00	13.70

सारणी संख्या 4 यह दर्शाती है कि कक्षा 2 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 87.00 प्रतिशत है जबकि गणित में यह उपलब्धि 86.00 प्रतिशत है।

कक्षा 2 भाषा एवं गणित में बालिकाओं की उपलब्धि भी बालकों के सापेक्ष लगभग समानता पर है। भाषा में बालिकाओं की औसत उपलब्धि 88.20 प्रतिशत तथा गणित में 85.00 प्रतिशत है।

सारणी 5 : कक्षा 5 भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि (एफ.ए.एस. 2000)

कक्षाएं	बालक			बालिका		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	339	90.2	7.3	339	88.7	8
गणित		88	9.9		87.4	9.2

सारणी 5 प्रदर्शित करती है कक्षा 5 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 90.2 प्रतिशत जबकि गणित में 88 प्रतिशत है। इसी प्रकार लगभग बालकों के समान ही बालिकाओं की औसत उपलब्धि भाषा में 88.7 प्रतिशत तथा गणित में 87.4 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि भाषा एवं गणित में समान है।

सारणी 6 : कक्षा 2 भाषा तथा गणित में वर्गवार मध्यमान उपलब्धि (एफ.ए.एस. 2000)

कक्षाएं	अनु.जाति / जनजाति			अन्य		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	275	87.70	8.80	341	87.50	12.40
गणित		86.20	11.50		85.70	10.50

सारणी 6 दर्शाती है कक्षा 2 भाषा में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की औसत उपलब्धि 87.70 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग में यह 87.50 प्रतिशत है। इसी प्रकार, कक्षा 2 गणित में अनुसूचित जाति/जनजाति बालकों की औसत उपलब्धि 86.20 प्रतिशत एवं मानक विचलन 11.50 है और अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 85.70 प्रतिशत एवं मानक विचलन 10.50 है।

सारणी 7 : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में वर्गवार औसत उपलब्धि (एफ.ए.एस. 2000

कक्षाएं	अनु.जाति / जनजाति			अन्य		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	291	88.6	7.7	164	89.2	8.9
गणित		86	9.5		88.8	9.2

सारणी 7 प्रदर्शित करती है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की कक्षा 5 भाषा में

औसत उपलब्धि अन्य वर्ग के बालकों के लगभग समान है। अनुसूचित जाति/जनजाति की बालकों की भाषा में औसत उपलब्धि 88.6 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग के बालकों की उपलब्धि 89.2 प्रतिशत है। कक्षा 5 गणित में अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की औसत उपलब्धि 86 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 88.8 प्रतिशत है।

सारणी 8 : कक्षा 2 भाषा एवं गणित में आधारभूत, मध्यावधि एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में उपलब्धि

	आधारभूत सर्वेक्षण			मध्यावधि सर्वेक्षण			अन्तिम मूल्यांकन		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	583	50.05	29.85	666	39.40	27.25	616	87.59	10.92
गणित	583	24.43	33.42	666	46.35	32.14	616	85.49	13.23

सारणी 8 दर्शाती है कि कक्षा–2 भाषा में अन्तिम मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 87.59 प्रतिशत रही जबकि यह मध्यावधि में 39.40 तथा आधारभूत सर्वेक्षण में 50.05 प्रतिशत थी इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में भी अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में बालकों की औसत उपलब्धि 85.49 प्रतिशत प्राप्त हुई जबकि यह आधारभूत सर्वेक्षण में 24.43 प्रतिशत तथा मध्यावधि सर्वेक्षण मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 46.35 प्रतिशत रही। उपर्युक्त सारणी 7 से यह स्पष्ट होता है कि कक्षा 2 भाषा एवं गणित में मध्यावधि एवं आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण की तुलना में अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में सार्थक बढ़ोतरी हुई जो उद्देश्यानुसार 50 प्रतिशत से भी अधिक रही।

सारणी 9 : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में आधारभूत सर्वेक्षण, मध्यावधि सर्वेक्षण तथा अन्तिम सर्वेक्षण में उपलब्धि

	आधारभूत सर्वेक्षण			मध्यावधि सर्वेक्षण			अन्तिम मूल्यांकन		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	680	40.20	14.44	611	42.86	9.69	643	89.50	7.66
गणित	680	30.40	14.25	611	32.25	9.33	643	87.72	9.57

सारणी 9 प्रदर्शित करती है कि कक्षा 5 भाषा में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में जहाँ बच्चों की औसत उपलब्धि मात्र 40.20 प्रतिशत थी वही मध्यावधि में यह बढ़कर 42.86 प्रतिशत एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में 89.50 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार गणित में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में औसत उपलब्धि 30.40 प्रतिशत से बढ़कर मध्यावधि में 32.25 प्रतिशत तथा अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में यह बढ़कर 87.72 प्रतिशत रही।

इसी प्रकार जनपद में वर्ष 2000 में क्लास रूम आबजर्वेशन स्टडी करायी गयी (एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा)जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है– प्राथमिक स्तर पर गणित भाषा के गुणवत्ता का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए क्लास रूम आबर्जवेसन स्टडी सर्वे एस0सी0ई0आर0टी0 के विशेषज्ञों द्वारा तैयार टूल्स तथा (सिस्टम) तंत्र के अनुसार विद्यालयों में शिक्षक और छात्रों के बीच शिक्षण गति

विधि को बिल्कुल प्राकृतिक रूप में इस सर्वेक्षण में मापने का प्रयास किया गया। प्राकृतिक रूप का अभिप्राय है कि दिन प्रति दिन के शिक्षण में जिस प्रकार शिक्षण गति विधि अपनाई जाती है वह मूलतः उसी रूप में मापी जा सके ऐसा न होने पावे कि अध्यापक पर्यवेक्षण के समय अपने दिन प्रतिदिन के शिक्षण में पर्यवेक्षण के दिन/समय कक्षा शिक्षण के सुधार लाने के दृष्टि से कक्षा को बनावटी या अप्राकृतिक बना ले।

इस अध्ययन में अध्यापक छात्र के बीच शिक्षण गतिविधियों के अलावा यह भी आयोजन किया गया कि छात्र अध्यापक की सहभागिता कितनी स्पष्ट है। बालिकाओं तथा विशिष्ट बच्चों जैसे विकलांग, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रति अध्यापक कितना सजग है।

शिक्षकों के बारे में:–

शिक्षकों के बारे में क्लास रूम आबजर्वेशन के अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ देखने को मिली।

1. गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य 60 प्रतिशत के लगभग देखने को मिला।
2. 80 प्रतिशत समयबद्धता भी अधिकांश विद्यालयों में देखने की मिली।
3. कक्षा शिक्षण के प्रति सजगता 60 प्रतिशत अध्यापकों में देखने को मिली।
4. 50 प्रतिशत सहायक सामग्री का उपयोग भी देखने को मिला।
5. 10 प्रतिशत ऐसे भी अध्यापक पाये गये जिससे ऐसा पता चला कि वह वादन का समय किसी तरह व्यतीत करना चाहते है।

कक्षा की प्रक्रिया के बारे में:–

1. क्रिया आधारित जिज्ञासा कम देखने को मिली
2. विद्यालयों के अध्ययन से कुछ विद्यालयों में यह भी देखने को मिला कि जिन कक्षाओं का आब्जर्बेसन किया जाना था उन कक्षाओं के बच्चों को दूसरी कक्षा के बच्चों से अलग कर टूल्स भरना संभव हो पाया।
3. छात्रों द्वारा डायरेक्टिंग यानी सिस्टम कोड 18 में बच्चे लगभग न के बराबर पाये गये।
4. जागरूकता लड़को में 42 प्रतिशत बालिकाओं में 35 प्रतिशत देखने को मिली

शिक्षण विधियों के बारे में:–

1. नवाचार युक्त शिक्षण विधियों का उपयोग देखने को कम मिला।
2. उचित गुणवत्ता की शिक्षण विधियाँ प्रायः कम पायी गयी।
3. प्रशिक्षण की प्रभावकारिता शिक्षण विधियों में कम पायी गयी।

शिक्षण सामग्री के बारे में :–

1. सहायक साम्रगी कक्षा में 60 प्रतिशत देखने की मिली
2. 50 प्रतिशत दृश्य सामग्री का उपयोग देखने को मिला।
3. 50 प्रतिशत अध्यापकों के पास पाठ्य पुस्तकों का अभाव पाया गया।
4. विभिन्न प्रशिक्षणों की प्रभावकारिता प्रशिक्षण के अनुरूप प्रायः कम देखने को मिली।

शिक्षण सामग्री का उपयोगः–

डायट द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान प्रायः ऐसा देखने में आता है कि सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग कक्षा शिक्षण में कम हो रहा है। रुपया 500/– शासन द्वारा प्रतिवर्ष सहायक सामग्री निर्माण हेतु दिये जाने के बाद भी इसका सही व समुचित उपयोग बहुत ही कम देखने को मिल रहा है जिसके लिये डायट के प्रभारी प्रवक्ताओं/ बी0आर0सी0 समन्वयकों/न्याय पंचायत स्तर के समन्वयकों द्वारा प्रेरित भी किया जा रहा है कक्षा शिक्षण के समय वांछित सहायक सामग्री के प्रदर्शन पर आवश्यक बल दिया जाये यदि ऐसा नही होगा तो विषयवस्तु स्पष्ट नहीं हो पायेगी।

प्रायः ऐसा देखना में आया है कि गरीब परिवार के बच्चे विद्यालय में न जा कर बाल मजदूरी, खेती बाडी तथा अन्य कारखानों में काम करते है। ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए समाज को प्रेरित करने की आवश्यकता है तथा मलिन बस्तियों को चिहिन्त कर इन बच्चों के लिए प्रथक रणनीति और कार्यक्रम निश्चित करने की आवश्यकता है स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग लेकर मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण कार्यक्रम तैयार कर चलाने की आवश्यकता है।

जनपद में स्कूलों कक्षाओं व शिक्षकों के विवरण को देखते हुए यह स्पष्ट है बहुकक्षा शिक्षण की समस्या अभी भी है जैसा कि सारणी–9.5 द्वारा प्रदर्शित है।

सारणी–9.5

स्कूलों की कक्षाओं की स्थिति–प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर

विद्यालय स्तर	एक शिक्षक विद्यालय संख्या	दो शिक्षक विद्यालय संख्या	तीन शिक्षक विद्यालय संख्या	चार शिक्षक विद्यालय संख्या	पाँच शिक्षक विद्यालय संख्या	पाँच से अधिक शिक्षक विद्यालय संख्या
प्राथमिक स्तर	111	263	168	101	55	72
उच्च प्राथमिक स्तर	07	17	28	24	36	38

स्रोत– बे. शि. अ., औरैया

प्राथमिक स्तर के एकल विधालयों का प्रतिशत 14 है ।, दो शिक्षक विधालयों का प्रतिशत 34 है तीन शिक्षक विघालयों को प्रतिशत 22 है चार व पांच शिक्षकों वाले विद्यालय क्रमशः 7 व 9 है पाँच से अधिक शिक्षकों का प्रतिशत 11 है। अतः ऐसी स्थिति में जहाँ एकल विद्यालय है वहाँ बहुकक्षा शिक्षण विधा के अपनाने पर बल देने की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक विद्यालयों का प्रतिशत 3.3 है। दो शिक्षक विद्यालय का प्रतिशत 13.53 है। चार शिक्षक विद्यालय संख्या का प्रतिशत 11.59 है। पाँच शिक्षक विद्यालय का प्रतिशत 16.91 है। पाँच से अधिक शिक्षक विद्यालय का प्रतिशत 15.94 है। बहुकक्षा शिक्षण विधा उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। विशेष विषयों जैसे– उर्दू, संस्कृत, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के लिये अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

प्राथमिक स्तर पर छात्रांकन को मद्देनजर रखते हुये नवीन नियुक्तियाँ की गई। किन्तु अभी भी शिक्षकों की कमी के कारण बहुकक्षा शिक्षण स्थिति बनी हुई है इसके लिए विभन्न प्रकार के कारण भी उत्तर दायी सिद्ध हुए है। डायट स्तर पर भी आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षकों में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति में शिक्षण करने के लिए विविध प्रकार की तकनीकी एवं विधाओं से परिचित कराया गया। जिसका प्रभाव विद्यालयों में बच्चों पर अनुकूल पड़ा। सभी कक्षाओं के बच्चे किसी न किसी शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय रहते पाये गये, किन्तु अभी भी यह अनुभव किया गया है कि शिक्षक बहुकक्षा शिक्षण स्थिति को ठीक से संभाल नही पाते। सार्थक शिक्षण/अनुभव नहीं दे पाते। अतः इस दृष्टि से प्रशिक्षण देने और सामग्री विकास की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान/गणित शिक्षकों का अभाव

विद्यालय भ्रमण कार्यक्रम से यह तथ्य सामने आया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र नामांकन एवं कक्षा तथा विषय के अनुसार शिक्षकों की कमी है। विशेष रूप से विज्ञान एवं गणित शिक्षकों का अभाव है। इस दिशा में विभाग द्वारा विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की पूर्ति होना नितान्त आवश्यक है जिसमे बच्चों की गणित एवं विज्ञान विषयों में अधिगम स्तर सुधर सके । प्रायः निरीक्षण के दौरान यह देखने में आया कि बहुत से शिक्षक विज्ञान एवं गणित विषयों के शिक्षण हेतु निर्धारित योग्यता नही रखते है फिर भी व्यवस्था के तौर पर उन्हें उक्त विषयों का शिक्षण करना पड़ता है। फलस्वरूप किसी न किसी स्तर परे विषयगत कठिनाई अनुभव करते है। जिसका सीधा प्रभाव बच्चों के अधिगम पर पड़ता है इस दृष्टि से निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की आवश्यकता है।

शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं :

शिक्षक विद्यालय में कार्य करने के दौरान जिन समस्याओं को अनुभव करते है/सानना करते

है उनकी जानकारी स्कूल भ्रमण और पर्यवेक्षण के दौरान मिलती है ऐसी कुछ चुनौतियाँ/कठिनाइयाँ इस प्रकार है–

1. पुराने बी0टी0सी0 अध्यापक यद्यपि गणित–विज्ञान का शिक्षण करते तो है लेकिन प्रभाव पूर्ण ढंग से नहीं कर पाते है। यही समस्या संस्कृत व अग्रेंजी विषयों के साथ भी हैं।
2. गणित, विज्ञान, अग्रेजी भाषा के शिक्षण में अध्यापक पढ़ाये जाने वाले विषय वस्तु के प्रति संज्ञानात्मक रूप से अनभिज्ञ या अल्पज्ञान प्रदर्शन करते पाये जाते है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें पढ़ाये जा रहे विषय वस्तु के सम्बन्ध में शैक्षिक सपोर्ट प्रदान कर प्रभावी शिक्षण दिया जाय।

इस प्रकार संज्ञानात्मक पक्ष की कमी से अध्यापक विषय वस्तु की अवधारणा को स्पष्ट नहीं कर पाते है जो कि सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में अभिवृद्धि करने और गुणवत्ता प्रदान करने से सहायक होती है।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक कहते है कि जो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों से आते है वे पूरी तरह से तैयार नहीं होते है। उनकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर बहुत कम/मानक से कम होता है।

इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में यह बात संज्ञान में आती है कि निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षकों के साथ बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि सन्तोष जनक स्थिति की न होने की चर्चा की जाती है। यह कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षकों द्वारा नवीन शिक्षण विधाओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है किन्तु तथ्यों की परिवेशीय शैक्षिक/परिस्थितियाँ अनुकूल एवं सकारात्मक न होने से विद्यालय में रहकर बच्चे जितना सीख पाते हैं, अधगमित विषय वस्तु विस्मृत कर बैठते हैं। फलतः उनका अधिगम स्तर धीरे–धीरे न्यून हो जाता है। जो उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिये एकसमस्या के रूप में सामने आता है। उक्त परिस्थितियों वश प्राथमिक स्तर के बच्चें की शैक्षिक गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की नही होती है। आज के वर्तमान परिवेश में प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता सवंर्द्धन हेतु शिक्षकों से समुदाय की काफी अपेक्षायें है। जिससे शिक्षा के गिरते स्तर में अपेक्षित सुधार हो सके।

समुदाय अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालय शिक्षकों से इस बात की अपेक्षा रखता है कि हमारे समुदाय के बच्चों का शैक्षिक स्तर गुणात्मक हो। समाज की आवश्यकता के अनुसार बालक नैतिक गुणों से भरपूर हो । इसके लिये सभी शिक्षक समय से विधालय आयें। पूरे समय तक विधालय में रुक कर पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य करें। समय–समय पर समाज के दिशा देने वाले विविध प्रकार के आयोजन करें। जिससे बालकों में नेतृत्व के गुणों का विकास हो और हमारा समाज/ समुदाय आदर्श स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम हो सके।

प्रशिक्षणोपरान्त दिखाई देने वाली दिक्कतें

प्रशिक्षण के दौरान बतायी गई विधियों की प्रभावकारिता दिखाई नही देती है। शिक्षक कक्षा में बच्चों की अभिरूचि को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण में बताई गई विधि में सेएक या दो का ही प्रयोग करता है। मूल्यांकन की सतत् प्रक्रिया शिक्षकों द्वारा नही अपनाई जाती है। सहयोगी अधिगम प्रक्रिया का अनुपालन कराने में कठिनाई का अनुभव करते है। स्कूल कक्षा में जो प्रकिया दिखाई देती है वह कई तरह की कठिनाइयों को उजागर करती है।

1. कक्षा में भीड़ भाड़ है और शिक्षक उन्हें ठीक से संभाल नही पा रहे हैं।
2. सभी बच्चों पर शिक्षक का पर्याप्त ध्यान नही हैं।
3. शिक्षण अधिगम सामग्री विषय वस्तु के अनुसार नही होती और ऐसी सामग्रा नही रहती जिसे बच्चे भी अपनी सुविधा अनुसार उपयोग कर सके।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद औरैया में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक–अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियन्त्रित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

बी.आर.सी. को संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका लाभ शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।

- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन और फालोअप करते हैं।
- विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।

- वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वेकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
- एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
- ई.एम.आई.एस.. के आंकड़ों का संकलन,
- डायट के मार्गदर्शन में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका– संकुल स्तर पर शैक्षिक, अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रित बिन्दु एन.पी.आर.सी. है स्थानीय समुदाय के अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचि.ण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों के सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वय कों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बाल गणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण, योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभ्रमण तथा सूचनाओं के आदान प्रदान।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु–ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस.ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं –

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादनिक आवश्यकताओं से सीधे जुडी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
2. प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों

को ही प्रदान प्रशिक्षण किया जा सका।

3. प्रशिक्षण के उपरांत फालोंअप खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

एस.एस.ए. के अंतर्गत गुणवत्ता विकास के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षणः–

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद औरैया में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वंय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद–विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय **वीजनिंग कार्यशालाओं** का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों,

शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षकों में गुणवत्ता का विकास तभी सम्भव हो सकता है जब शिक्षकों के ज्ञान, कौशल एवं उनकी दक्षताओं के विकास के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाये । इन प्रशिक्षणों में अध्यापक के विषय ज्ञान की वृद्धि के उपायों पर विचार विमर्श होगा । इसके साथ अध्यापक छात्रों में एकाग्रता, पठन पाठन, स्मरण की क्षमता, अधिगम दक्षता का विकास कैसे करेगा ? इसका प्रायोगिक अभ्यास करें। अध्यापक छात्रों को अध्ययन हेतु मानसिक रूप से कैसे तैयार करेगा? अध्ययन का समय, अवधि, अध्ययन की समाप्ति पर प्रत्यास्मरण का अभ्यास कैसे कराया जायेगा? इसकी दक्षता अध्यापक में प्रशिक्षण द्वारा विकसित की जायेगी। प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण भी कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष आयोजित होगा। इस प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबन्ध, भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, स्वास्थ्य शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग आदि के विषय में नव विकसित विधाओं पर चर्चा होगी । नवनियुक्त अथवा मृतकाश्रित अध्यापकों की संख्या प्रत्येक ब्लाक में भिन्न हो सकती है। इसलिए सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डाएट में संपादित होगा । नियुक्ति के पश्चात सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण का आयोजन यथाशीघ्र किये जायेगे । प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों हेतु भी यह प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

भाषा की दक्षताओं का विकास, नवीन पुस्तकों के पाठन कौशलों पर अभ्यास। इन प्रशिक्षणों का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर होगे तो कम समयावधि में प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न हो सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर का प्रशिक्षण खण्ड संसाधन केन्द्र पर सम्पादित किये जायेगे। इन प्रशिक्षणों के लिए

सन्दर्भ दाता का प्रशिक्षण डाएट में सम्पन्न होगा। डाएट के सतत् पर्यवेक्षण से प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया जा सकता है । प्रशिक्षण के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कितने दिवस निर्धारित किये जाये, यह भी पूर्व ही सुनिश्चित कर लिया जायेगा। प्राथमिक विद्यालयों में "शिक्षा–मित्र" योजना के अन्तर्गत शैक्षिक वातावरण में नवीनीकरण का प्रयास किया जा रहा है । विद्यालयों में नियुक्त शिक्षा–मित्रों तथा अध्यापकों हेतु साथ–साथ प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे क्योकि पूर्व कार्यरत अध्यापक एवं शिक्षा मित्रों के कार्य एवं दायित्व समान है । विद्यालय का शिक्षण कार्य बाधित न हो । इसलिए सभी अध्यापकों का एक साथ प्रशिक्षण में सम्मिलित होना उचित नहीं है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने में डाएट, खण्ड संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र में तालमेल बनाने के दृष्टिकोण से कार्यो का विकेन्द्रीकरण श्रृंखलाबद्ध किया जायेगा ।

शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, भाषा शिक्षक, विज्ञान–गणित शिक्षक, खण्ड संसाधन केन्द्र के समन्वयकों तथा सह–समन्वयक, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों की प्रतिभागिता होगी। उच्च प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था भी डायट सुनिश्चित करेगा ।

वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों तथा अन्य अभिकर्मियों का प्रशिक्षण डाएट वर्ष में दो बार अवश्य करेगा ।

प्रशिक्षण देने हेतु कुशल संदर्भदाता डाएट द्वारा चयनित किये जायेगे । प्रशिक्षकों (संदर्भ दाता) का चयन स्थानीय शिक्षा विदो में से किया जायेगा । प्राथमिक शिक्षा से अविरल रूप से जुड़े व्यक्तियों को ही संदर्भदाता चयनित किया जायेगा। प्राथमिक शिक्षा सुधार कार्यक्रमों से जुड़े गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्य भी संदर्भदाता चुने जा सकते हैं। भाषा दक्षता प्रशिक्षण में भाषा विद् ही संदर्भ दाता नियुक्त होगे । अन्य विषयों में विषय–विशेषज्ञ एवं दक्षता प्राप्त संदर्भ दाता नियुक्त होगे। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण डाएट में आयोजित होगा। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर डाएट में संदर्भ दाताओं को प्रशिक्षित करेंगे।

विज्ञान व गणित विषय का प्रशिक्षण मॉड्यूल राज्य स्तर पर विकसित किये जायेंगें। भाषा एवं पर्यावरण विषय का प्रशिक्षण मॉड्यूल जनपद स्तर पर विकसित किया जायेगा तथा उनका मुद्रण भी जनपद स्तर पर होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते समय दूरस्थ शिक्षा माध्यमों का उपयोग अधिकाधिक किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षण में नव विकसित शैक्षिक तकनीक तथा उपकरणों द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। डी.आर.एस. सिस्टम का अपग्रेडेशन किया जायेगा तथा उन्हें डिजीटल बनाया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तको पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया

जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. वीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण / कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्रकार रु0 4० लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन. पी. आर .सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 4० लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा सामाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने,

सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 40 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।

3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 40 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 40 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा

सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्च्यों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.

आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी. आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक

मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित हैं।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त **उच्च प्राथमिक कक्षाओं** के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण**– जनपद के 161 शिक्षामित्रों तथा 241 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायगा। यह प्राशेक्षण शिक्षा मित्रा के लिए संवारत शिक्षक प्राशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. **वैकल्पिक शिक्षा** – जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 118 है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 100 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग । व ।।) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वर्ष वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी / एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण**– बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज के संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमतां में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग

किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए, एस.डी.आई प्रशिक्षण**– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई.जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशेधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी. , एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के

कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. **एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण** – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ानाः–

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सत्र 1 जुलाई से प्रारम्भ होकर 20 मई तक रहता है जिसमें मात्र 220 दिन ही कार्य दिवस रूप से में उपलब्ध हो पाते हैं। इन्हीं कार्य दिवसों में शिक्षण कार्य, परीक्षाएं तथा विद्यालय सम्बन्धी अन्य कायों का सम्पादन होता है। विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु मात्र 165–175 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं। निम्नांकित सारणी 8,9 द्वारा स्कूलों में वास्तविक शिक्षण समय को दर्शाया गया है।

सारिणी 8

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय :–

		प्राथमिक स्तर घंटा/समय	उच्च प्राथमिक घंटा/समय
भाषा 1	हिन्दी	9 घण्टे	9 घण्टे
भाषा 2	संस्कृत/उर्दू	6 घण्टे	6 घण्टे
भाषा 3	हिन्दी	6 घण्टे	8 घण्टे
विज्ञान		6 घण्टे	7 घण्टे
गणित		9 घण्टे	10 घण्टे
सामाजिक विषय		6 घण्टे	6 घण्टे
सामाजोपयोगी कार्य		4 घण्टे	4 घण्टे
कला शिक्षण		2 घण्टे	2 घण्टे

स्रोतः बे. शि. अ., औरैया

स्कूल समय सारिणी के अनुसार प्रारम्भिक व उच्च विद्यालयों में शिक्षण अवधि मात्र 5 या 6 घण्टे होती है। इसी अवधि में विभिन्न कक्षाओं के वार्षिक पाठ्यक्रन को विभाजित कर शिक्षण कार्य किया जाता है। समय सारिणी में मुख्य विषयों का अधिक स्थान दिया जाता है जबकि अन्य विषयों को अपेक्षाकृत कम समय ही मिल पाता है।

शिक्षण दिवस मात्र 165–175 दिन होने के कारण विभिन्न कक्षाओं के वार्षिक पाठ्यक्रम का शिक्षण कक्षा में पूर्ण नहीं हो पाता है।

सारिणी 8

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण के लिए दिवस	175	165
परीक्षा	20	25
अन्य कार्य	15	20
नष्ट हो जाने वाले दिन	10	——

स्रोतः बे. शि. अ., औरैया

उपर्युक्त सारिणी–9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 175 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 165 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परिक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समयसे अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कायक्रम क अन्तगत विकासत प्राथामक कक्षाओ को नवीन पाठ्यपुस्तको को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी,

उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 1.20 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 1.80 करोड़ रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 2 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यंपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 48 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 72 लाख व्यय होगी।

7– गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

अकादमिक नेत त्व प्रदान करना –

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप-जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय तथा अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिनुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूलयांकन, नवाचार

कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी., एन. पी. आर. सी. समन्वकों की पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षितं करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यक्रम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी. आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुद ढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, शिक्षकों से प्राप्त संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञ योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं।अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी.आर. सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार कमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में बी. ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रक्रिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

बी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओ के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.

आर.सी, बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद हैं। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

एक्शन रिसर्च :

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी. आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक लें जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
4. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रिपीटेशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर किये जायेगे तथा मूल्यांकन को व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम

स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के **प्रशिक्षण/कार्यशाला** तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण	30 दिन	
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत वि ायों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेत त्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन

18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण-	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	हुश्रेणी शिक्षण हेतु 'सेल्फ लर्निंग मेटीरियल' का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी. आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास नें प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी

वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पूर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।
- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

सप्लीमेन्ट्री टीचिंग मैटीरियल :

जनपद के लिये सरल पाठ्यक्रम के विकास तथा बच्चों के लिये सप्लीमेन्ट्री रीडिंग मैटीरियल के विकास हेतु डायट द्वारा (गुइयां) नामक पुस्तिका का निर्माण किया गया इस हेतु इलाहाबाद व लखनऊ में डायट प्रवक्ता तथा जनपद इटावा/औरैया के लेखन कार्य में रूचि रखने वाले अध्यापकों ने प्रतिभाग किया। इसी क्रम में डायट अजीतमल में भी कई कार्यशालायें चलाई गई। पुस्तिका प्रिंटिंग हेतु तैयार है। पुस्तिका इटावा की क्षेत्रीय बोली में विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार कराई गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सप्लीमेन्टीरीडिंग मैटीरियल का विकास एवं डायट स्तर पर कराया जायेगा जिसमें समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

डायट स्तर से शिक्षकों शिक्षा अधिकारियों तथा बी0आर0सी0 के लिये मासिक न्यूज पेपर (डायट दर्पण) का प्रकाशन नियमित रूपसे बी.ई.पी. के तहत होता रहा है भविष्य में सर्वशिक्षा अभियान के तहत डायट स्तर पर बजट आवंटन हो जाने पर सतत् रूपसे प्रक्रिया जारी रहेगी।

नवाचार कार्यक्रम–

नगर क्षेत्रों में मलिन क्षेत्रों में रहने वालों बच्चों स्टीट चिल्ड्रन के लिये शिक्षण कार्यक्रमों का संचालन सम्पन्न कराने हेतु सबसे पहले फोकस ग्रुप डिस्कशन के रूप में विचार विमर्श करके स्थान का चयन कराया जायेगा। तत्पश्चात् उनके प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था डायट स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण के सुधार के लिये अभिनव कार्य उपकेन्द्र न्याय पंचायत स्तर पर स्थित अच्छे उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाई स्कूल इण्टरमीडियट में से किसी विद्यालय का डी0आई0ओ0एस0 व बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा चुनाव कर उनमें विज्ञान प्रयोगशाला का सुदृणीकरण, उपकरणों की व्यवस्था करना तथा आसपास के शेष प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों से उनको जोड़कर विज्ञान शिक्षण के लिये सघन कार्यक्रम चलाया जायेगा।

बच्चों की उपलब्धि से अभिभावकों को अवगत कराने के लिये प्रत्येक अध्यापक को यह जिम्मेदारी सौंपी जायेगी कि वह अपने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के घर माह में एक बार सम्पर्क कर उसके उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इसी क्रम में अभिभावक संघ का गठन किया जायेगा जिसकी वर्ष में दोबार बैठक सम्पन्न कराई जायेगी। जिससे समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी सन्निहित होगी।

योजना निर्माण की प्रक्रिया :–

योजना निर्माण की प्रक्रिया में निम्न घटकों का सहयोग लिया गया है जो इस प्रकार है–

(1) सर्व प्रथम जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की बैठक में विचार–विमर्श के दौरान विचारों का सहयोग लिया गया।

(2) फोकस ग्रुप डिसकशन के अन्तर्गत डायट स्तर पर स्टाफ से विचार विमर्श किया गया। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0आर0सी0 समन्वयकों के अथक प्रयास एवं वार्ता के फलस्वरूप जो बिन्दु उभर कर सामने आये उन बिन्दुओं को निष्कर्ष रूप में चुना गया और योजना निर्माण में सम्मिलित किया गया।

(3) योजना निर्माण की प्रक्रिया में पर्यवेक्षण से प्राप्त अनुभवों का भी उपयोग किया गया है। पर्यवेक्षण का कार्य डायट के प्रभारी प्रवक्ताओं एवं बी0आर0सी0 समन्वयकों तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा कराया जाता रहा है। इस प्रकार प्राप्त अनुभवों के आधार पर योजना की रणनीति का निर्धारण किया गया है।

(4) स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं एवं समुदाय के सभी सदस्यों का योजना निर्माण की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग लिया गया।

कार्यालय - प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजीतमल-औरैया/इटावा ।

प्राथमिक स्तरीय प्रशिक्षण (परियोजना अवधि में)

बी०आर०सी० एवं डायट स्तर पर आयोजित

चक्र/प्रशिक्षण	बी०आर०सी०स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षक	डायट स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षक	कुल प्रशिक्षित	अन्य
प्रथम चक्र	4517	738	5255	
द्वितीय चक्र	4052	358	4410	
तृतीय चक्र	3938	352	4290	
चतुर्थ चक्र	3908	92	4000	
पंचम चक्र	3441	28	3469	शेष 1344

ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर सम्पन्न उच्च प्राथमिक स्तरीय प्रशिक्षण :-

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षित शिक्षक	अन्य
गणित प्रशिक्षण	427	
विज्ञान प्रशिक्षण	502	

अध्याय–१०

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष २००१ से वर्ष २०१० तक की होगी। इस अवधि में ६–१४ आयु के सभी बालक / बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबंधन उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का प्रस्ताव है ।

प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन–प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबन्ध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रित शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली का विकास कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जबावदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया विकसित करने, वित्तीय निवेशों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने और नवाचारी विधियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उ० प्र० सर्व शिक्षा अभियान में एक प्रबन्ध तन्त्र विकसित किया गया है, जो निम्नवत दर्शाया जा सकता है ।

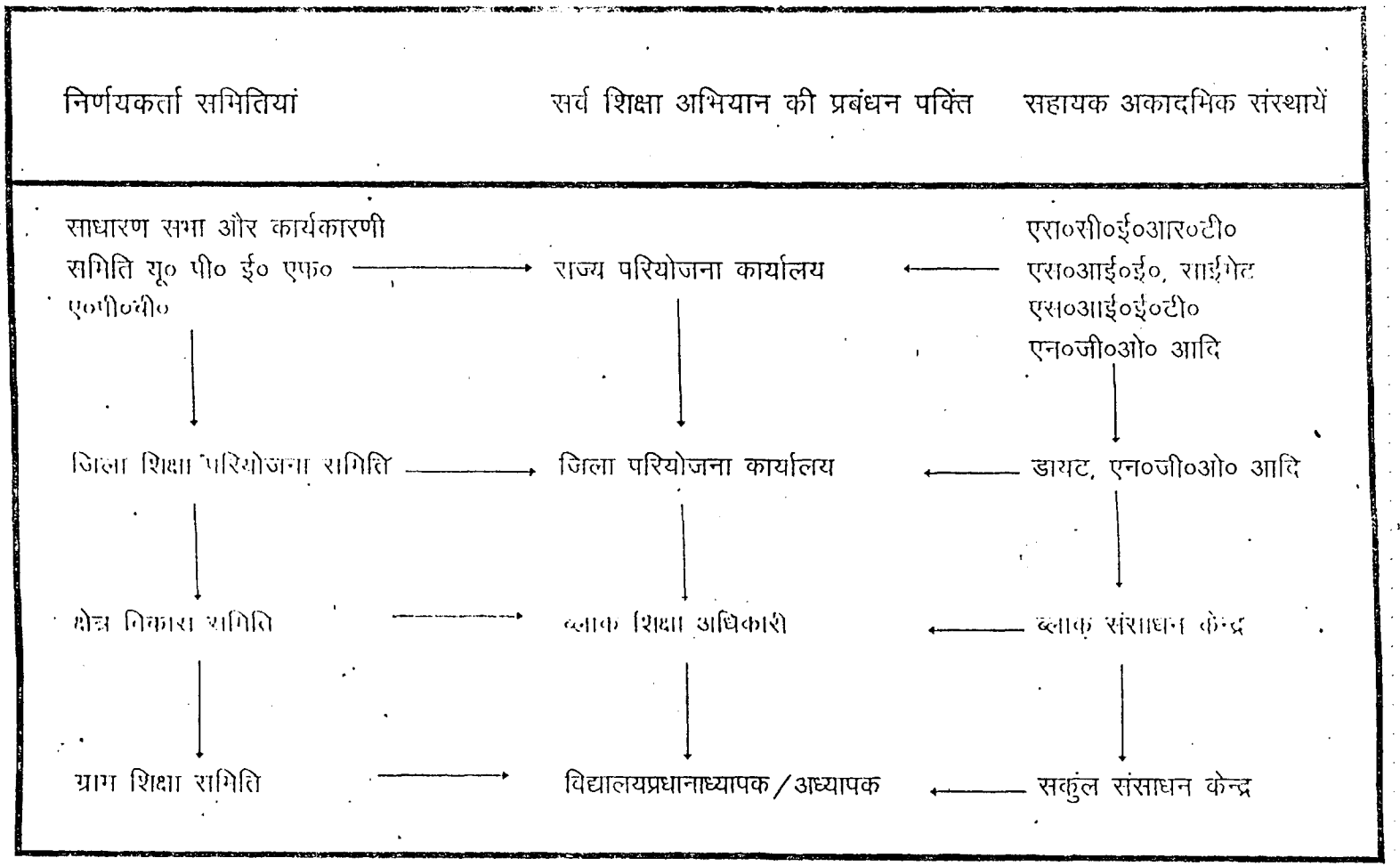

निर्णयकर्ता समितियां	सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू० पी० ई० एफ० ए०पी०पी० →	राज्य परियोजना कार्यालय	← एस०सी०ई०आर०टी० एस०आई०ई०, साईमेट एस०आई०ई०टी० एन०जी०ओ० आदि
↓	↓	↓
जिला शिक्षा परियोजना समिति →	जिला परियोजना कार्यालय	← डायट, एन०जी०ओ० आदि
↓	↓	↓
क्षेत्र विकास समिति →	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	← ब्लाक संसाधन केन्द्र
↓	↓	↓
ग्राम शिक्षा समिति →	विद्यालयप्रधानाध्यापक / अध्यापक	← सकुंल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा– नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम १९७२ यथा संशोधित वर्ष २००० के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्य है ।

समिति का स्वरूप निम्नवत है :–

१. ग्राम पंचायत का प्रधान — अध्यक्ष

२. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां १ से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य सचिव ग्राम शिक्षा समिति होगा।।

३. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी–

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों का सम्पादन, उनका प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे विहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों अतिरिक्त कक्षा कक्षों शौचालय आदि का निर्माण, तथा पुनर्निर्माण एवं मरम्मत, विद्यालय परिसर का उन्नयन, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है तथा विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन में इन समितियों ने आशातीत वृद्धि प्राप्त की है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सभी ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षित ग्राम शिक्षा समिति ने सभी ग्राम सभाओं में माइक्रो प्लानिंग के पश्चात ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा गाँव स्तर पर विद्यालय प्रबंधन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। जून, २००० में पंचायत चुनाव के माध्यम से ग्राम पंचायत का गठन हुआ है तथा फलस्वरूप नवीन ग्राम शिक्षा समितियां गठित हो गयी हैं। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों, विशेष रूप से जो जून २००० के पंचायत चुनावों में नवनिर्वाचित हुये हैं, को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके। कार्यक्रम में सक्रिय समुदायिक सहभागिता बढाने तथा उसे प्रणालीगत स्वरूप प्रदान करने के लिये पी०टी०ए०, एम०टी०ए०, महिला अभिप्रेरण समूह भी स्थापित किये जायेगें, जो स्थानीय स्तर पर प्रभावी योगदान देगें।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रन (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यो, की नियुक्ति तथा इनके और आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य 'हर बच्चा हो स्कूल में, हर स्कूल हो सुन्दर व हर बच्चा सीख रहा हो' के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कार्य करेंगे।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन०पी०आर०सी०):–

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ–साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

१. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।

२. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार–विमर्श एवं उसका निराकरण करना।

३. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।

४. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।

५. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी। क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है–

१.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
२.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव
३.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
४.	विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना जे० जी० एस० वाई० के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिक शिक्षा के लिये प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन – ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पचायत स्तर पर एक सहायक बासिक शिक्षा अधिकारी / प्राति उप विद्यालय निरीक्षक जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन

केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लि उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय स एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाए रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्ष अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। स्वरूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी क प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे:-

१. सर्व शिक्षा अभियान की नितियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
२. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
३. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
४. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
५. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आँकड़े एकत्रित कर संकलित करना।
६. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।
७. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।
८. विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी बालक/बालिकाओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित करना।
९. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
१०. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्र की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।
११. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।
१२. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई०जी०एस० एंव ए०आई०ई० केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम-अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की गयी है। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड

परियोजना अधिकारी की हैसियत से समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख रखाव हेतु निम्न धनराशि (मानक रू० १८००० प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हें ई०जी०एस०/ ए०आई०ई० योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी० आर० सी० सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी०आर०सी०)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना वर्ष १९९३ से वर्ष २००० तक संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेंगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी०आर०सी० समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी०आर०सी० को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी०आर०सी० में एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

१. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।

२. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।

३. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षिणक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।

४. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

५. पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।

६. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।

७. विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूटराईज्ड विवरण तैयार करना।

८. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः—

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है –

०	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
०	मुख्य विकास अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
०	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य सचिव
०	प्राचार्य डायट	–	सदस्य
०	जिला श्रम अधिकारी	–	सदस्य
०	जिला समाज कल्याण अधिकारी	–	सदस्य
०	वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा)	–	सदस्य
०	अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.)	–	सदस्य
०	अधिशासी अभियंता(पी०डब्ल्यू०डी०)	–	सदस्य
०	जिला विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य
०	दो शिक्षाविद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से)	–	सदस्य

- दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिये)
- दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः–

यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे सभी निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एंव जनसहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध में इसके निर्णय सभी प्रशासनिक एंव शैक्षिक अगों को मानने होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवर्धन, निर्माण के लिये तकनीकी सर्वेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार–प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई०जी०एस०/ ए०आई०ई० से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम १९७२ के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:–

१.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
२.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
३.	मुख्य विकास अधिकारी	पदेन सदस्य
४.	जिला हरिजन एंव समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
५.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
६.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
७.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।	सदस्य
८.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों क सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र – जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे–

१.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन	जिला परियोजना अधिकारी
२.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई०जी०एस० / ए०आई०ई०)	१	(प्रतिनियुक्ति पर)
३.	समन्वयक (बालिका शिक्षा, सामुदायिक गतिशीलता, वैकल्पिक शिक्षा, समेकित शिक्षा)	४	(प्रतिनियुक्ति पर अथवा नियत मानदेय के आधार पर)
४.	सलाहकार	२	रू. २०,०००/– नियत वेतन प्रति पद
५.	कम्प्यूटर आपरेटर	१	रू. ३,०००/– नियत वेतन प्रति पद
६.	सहायक लेखाधिकारी	१	(प्रतिनियुक्ति पर)
७.	लिपिक	१	नियत मानदेय के आधार पर

८. परिचारक १ नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के सस्टेनेबेलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उनके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (यदि उप जिला परियोजना अधिकारी) अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह अधिकारिक दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्तव्य की तरह ही करेंगे। परियोजना क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्मः–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यक्रम में एम०आई०एस० स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम०आई०एस० डाटा कैप्चर प्रणाली व प्राइमरी स्तर का साफ्ट वेयर (डायस) स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। तथा वर्ष ९७–९८ से २०००–२००१ तक के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उक्त शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण आंकड़ों का संचालन एवं विश्लेषण किया जायगा। इन दोनो कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एवं उपयुक्त ई० एम० आई० एस० तथा प्रोजैक्ट मानिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संचालित करने हेतु दो कम्प्यूटर आपरेटर्स की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी।

प्रशिक्षणः–

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी०आर०सी० समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और

उन्हे ई०एन०आई०एस० सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

१. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)	यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी तथा उसका स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ भाग लेगा।
२. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)	यह प्रशिक्षण भी दो दिवसीय होगा और इसमें सहा० बे० शि० अ० / उप विद्या० निरिक्षण, बी० आर० सी० समन्वयक, सह समन्वयक प्रतिभागी होंगे।
३. ई.एन.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)	यह दो दिवसीय प्रशिक्षण होगा इसमें न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र .समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक भाग लेंगे।
४. ई० एम० आई० एस० तथा प्रोजैक्ट मैनेजमैन्टका प्रशिक्षण –	एस० पी० ओ० / सीमेट द्वारा यह प्रशिक्षण दो सप्ताह का होगा इसमें डी० पी० ओ० तथा बी० आर० सी० के कम्प्यूटर आपरेटरर्स भाग लेंगे। प्रथन सप्ताह में ई० एन० आई० एस० प्रबन्धन तथा दूसरे सप्ताह में प्रोजेक्ट मैनेजमैन्ट इन्डीकेटर्स तथा सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायगा।

आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः–

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से ३० सितम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई०एन०आई०एस० रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट–आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः–

ई०एन०आई०एस० आंकडों के विश्लेक्षण से महत्वपूर्ण इन्डीकेट्र्स जैसे– जी०ई०आर०, एन०ई०आर०, ड्राप–आउट दर, छात्र–अध्यापक अनुपात, कक्षा–कक्ष अनुपात, एकल अध्यापिकोय आदि विद्यालय प्रतिवर्ष

प्राप्त होगें। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग प्रोजैक्ट मैनेजमैन्ट डिसीजन्स तथा वार्षिक प्लानिंग एन्ड बजटिंग में किया जायेगा ताकि बार–बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदानुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके।

डायस' के अन्तर्गत ई०एम०आई०एस० से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्राप्त आंकडों के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि ग्राम शिक्षा समिति द्वारा की गई माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ों का एकत्रीकरण व विश्लेषण कम्प्यूटराइज्ड किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ट होगा। ई० एम० आई० एस० व माईक्रोप्लानिंग आंकडों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जा सकेगा।

१. नवीन विद्यालयों हेतु अनुमोदित बस्तियों की पहचान।

२. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।

३. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।

४. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।

५. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।

६. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों, न्याय पंचायतों निकायों का चिन्हीकरण।

७. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।

८. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।

९. शिक्षकों का विवरण।

१०. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।

११. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई०एम०आई०एस० से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

प्रोजैक्ट मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम्सः--

एन०आई०एस० के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग में लाया जायेगा। इसके लिये भी एन०आई०एस० इकाई प्रयोग में लायी जायेगी ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान ड०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका का पूर्ण विवरण अध्याय–६ में उल्लिखित हैं। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित मुख्य कार्य होंगे :–

१. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

२. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थान से सम्पर्क में रहना तथा शिक्षा के अभिनव प्रवृत्तियों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना। जिससे जिले स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया जा सके।

३. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना है।

४. जिले स्तर के शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों का क्रियान्वयन करना।

५. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

६. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया–कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

७. जिला स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों का नियोजन करना।

८. जिला स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

९. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

१०. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

११. शैक्षिक आकडों (ई०एम०आई०एस० के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनका उपयोग करना ।

१२ शिक्षकों, समन्वयकों, ई०सी०सी०ई० तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका का विस्तृत विवरण अध्याय–६ में दिया गया है।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो आफ फण्ड) :–

प्रतिवर्ष फरवरी में जनपद अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तावित करेगा। सीमेट के एप्रेज़ल के पश्चात तथा उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्य योजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, अकादमिक, पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी० आर० सी०, एन० पी० आर० सी० को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे– ग्राम शिक्षा समिति, स्वंयसेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि को सीधे खाते के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता रहेगा जो कि प्रोजैक्ट एक्टिविटीज की धनराशि के लिये खोला जा चुका है। यह खाता बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय संदर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिला अधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू० ५०००/– मूल्य से अधिक सभी वित्तीय मामलो पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का बैंक खाता भी डायट प्राचार्य तथा उस संस्थान के लेखा सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन क तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के स्तर पर भी परियोजना सम्बन्धी खाता खुला है जिसका परिचालन उ प्र० सभी के लिये शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोख रखने के नियम स्पष्टतः निर्धारित हैं। परचेज़ तथा प्रोक्योरमैन्ट के नियम भी इसी संदर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो इस परियोजना में भी अपनाये जायेंगे। तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि कुछ संशोधन की आवश्यकता होगी तो उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायगी। समस्त लेखा सम्बन्धी स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायगा तथा समय समय पर रिफ्रैशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे। परियोजना कार्यक्रमों को अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है। जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डाइग्राम

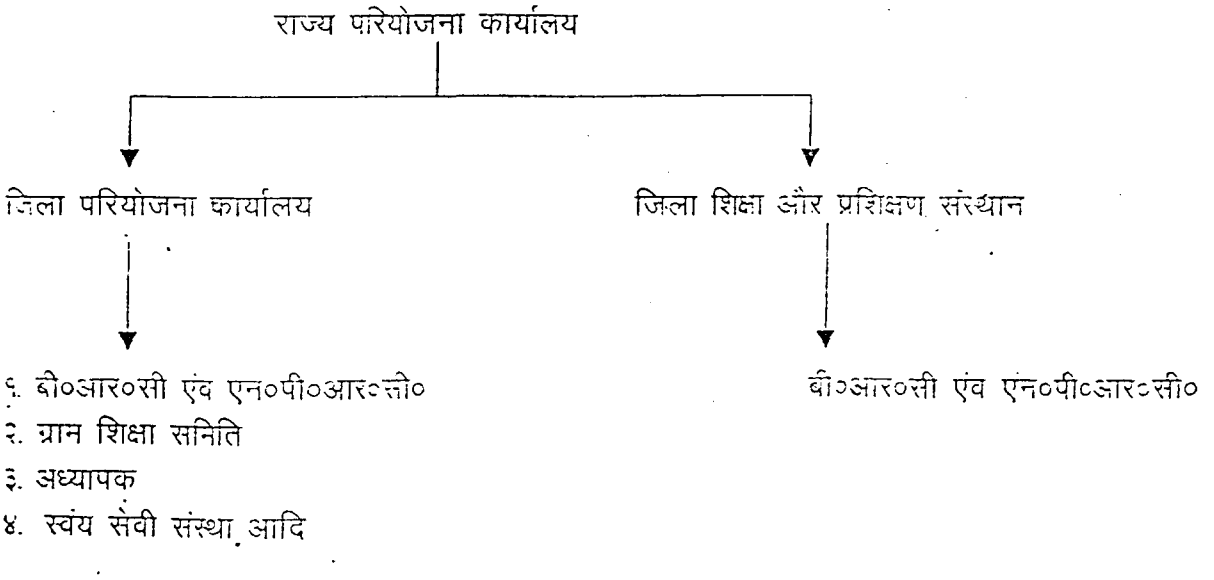

सम्प्रेक्षण व्यवस्था

उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों के लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डैपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायगा। यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायगा। चार्टर्ड एकाऊन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ़ रिफ़रैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा।

राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रति वर्ष किया जायगा।

राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा भी समय समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

अध्याय – 11

PROJECT COST

SERVA SHIKSHA ABHIYAN

S	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	Access																					
A1	New primary Schoolds-unserved	259 (191+10+18 +40)	-	-	13	3367	15	3885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	7252
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18 +40)	-	-	50	16900	50	16900	98	33124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	66924
2	Salary of PS Asstt. Teacher New School	9.2	-	-	13	1435	28	3091	28	3091	28	3091	28	3091	28	3091	28	3091	28	3091	209	23072
3	Salary of Teacher in UPS (4 NO.) In New School	6.5	-	-	200	15600	400	31200	792	61776	792	61776	792	61776	792	61776	792	61776	792	61776	5352	417456
4	HT of New UPS	7.5	-	-	50	4500	100	9000	198	17820	198	17820	198	17820	198	17820	198	17820	198	17820	1338	120420
5	Furniture/ Fixture & Equipment																					
	PS	15	-	-	-	-	13	195	15	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	420
	UPS	50	-	-	-	-	50	2500	50	2500	98	4900	-	-	-	-	-	-	-	-	198	9900
	Total																					
A2	Upgradation of Egs (TLE) to PS	10																				
	Total																					

S	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Interventions for out of School Childern																					
A3	Alteranative Schools (EGS+ AIE)																					
	EGS																					
	Primary-Including all models of DPEP	705 Per Child	2520	1777	5500	3878	7800	5499	4000	2820	1500	1058	-	-	-	-	-	-	-	-	21320	15032
	Upper Primary	1.0 Per Child	3060	3060	5310	5310	4500	4500	3000	3000	1000	1000	400	400	-	-	-	-	-	-	17270	17270
A4	Back to School Campaign	1.5 Per Child	80	120	75	113	60	90	50	75	50	75	-	-	-	-	-	-	-	-	315	473
A5	Bridge/ Remedial Courses	1.5 Per Child	1	75	1	75	1	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	225
A6	Strengthening Maqtap/ Madersa																					
	Total																					
	Subtotal A		5661	5032	11212	51172	13017	78935	8231	124431	3666	89720	1418	83087	1018	82687	1018	82687	1018	82687	46259	678444
(R)	RETENTION																					
	Additional Classrooms	70	160	11200	250	17500	250	17500	100	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760	53200
	Additional Teachers Primary Schools																					
	Additional Teachers Upper Primary Schols	2.2+5.5=7.7 6.5	-	-	185	17094	321	29660	463	42781	591	54608	725	66990	766	70778	809	74752	853	78817	4713	435480
R1	Toilets	10	25	200	25	250	25	250													76	700

S.	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Rec of old UPS	270	-	-	3	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	810
R2	Drinking Water	18	27	486	25	450	25	450	15	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	1656
	Rec of old P.S	191	-	-	10	1910	11	2101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	4011
R3	Repair & Maintenance of School	5 PAPER Schoo	250	1250	300	1500	400	2000	250	1250	300	1500	400	2000	250	1250	300	1500	400	2000	2850	14250
R3	Boundry Walls (PS+UPS) Girls School	40	175	7000	200	8000	250	10000	250	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875	35000
R4	School improvement grant PS	2 pa per Schools	-	-	13	26	28	56	28	56	28	56	28	56	28	56	28	56	28	56	209	418
	School improvement grant UPS	4 pa	-	-	50	200	100	400	198	792	198	792	198	792	198	792	198	792	198	792	1330	5320
R5	Innovative Programmes (Upto max. Rs 50 lacs)	5000 Per District																				
	Promoting Girls Education																					
	Summer Camps	10 Per camp	8	80	8	8	80	8	80	8	80	8	80	8	80	8	80	8	80	8	72	720
R6	MCDA Including	75 Per Cluste	4	300	4	300	4	300	4	300	4	300	4	300	-	-	-	-	-	-	24	1800
	Gender Sensitization																					
R7	SUPW for Girls	25 Per School	2	50	4	100	4	100	4	100	4	100	8	200	8	200	8	200	8	200	50	1250
R8	Training / Refrasor Coursed for Gender Coordinetors	1.5 Per head Per day	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R9	Opening of ECCE Centres in non ICDs Block	1.8 Per Centre	20	360	20	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	720
1	Strengthening ICDs Centers		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 Per District	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100

S.	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
4	Civil Works(One additional room)	70																				
5	TLM	5 per center	-	-	20	100	40	200	40	200	40	200	-	-	-	-		-	-	-	140	700
6	Additional Honorarium (Instructor+Worker)	0.375 per center	20	90	40	180	40	180	40	180	40	180	-	-	-	-		-	-	-	180	900
7	Contingency/ Recurrent grant	1.5 per cente	-	-	20	30	40	60	40	60	40	60	-	-	-	-		-	-	-	140	210
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)																					
	Induction	3	20	60	20	60	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	40	120
	Recurring	1.2	-	-	20	24	40	48	40	48	40	48	-	-	-	-		-	-	-	140	168
R1	Community Mobolisation																					
1	MTA /PTA training	0.007	4410	9261	4410	9261	4410	9261	4410	9261	4410	9261	4410	9261	4410	9261	4410	9261	4410	9261	39690	83349
2	Kala Jatha (VEC,BlockLevel & Dist. Level)	8 per NPRC	40	320	40	320	-	-	-	-	40	320	40	320	-	-	-	-		-	160	1280
3	Development of Awareness Material	5 per block	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	-	-	-	-	64	320
4	Bal Mela at NPRS	5pa/per NPR	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	72	360
5	Production of Audio Tapes	10 per Dist.	1	10	-	-	1	10	-	-	1	10	-	-	1	10	-	-	-	-	4	40

S	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
6	Production of Video Tapes	10Per Cost	1	10	-	-	1	10	-	-	1	10	-	-	1	10	-	-	-	-	4	40
7			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 Per Dist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R1	Award to Best VEC (2No)	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	18	450
R1	Award to Best Shiksh Mitras	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
R1	Remedial Teaching of SC/ST children	0 705 per child	200	141	150	106	200	141	150	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	494
R1	Assistance to NGOs for SC ST Education	0 705 per child	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R1	Provision for disabled children	1 20 per chil	811	973	900	1080	950	1140	1000	1200	1200	1440	800	960	600	720	400	480	250	300	6911	8293
1	Assistance to NGOs for Integrated inclusive education	1 20 per chil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R1	Computer Education for UPS composite school	100	7	700	7	700	7	700	7	700	7	700	7	700	7	700	7	700	7	700	63	6300
	School Health Check Up PS+UPS	0 500 per school	986	493	1049	525	1114	557	1212	606	1212	606	1212	606	1212	606	1212	606	1212	606	10421	5211
	Book Bank & School Library per UPS	5 0 per school	986	4930	-	-	1114	5570	-	-	1212	6060	-	-	1212	6060	-	-	1212	6060	5736	28680
	Sub'Total B		8173	38109	7803	61097	9506	75805	8350	75053	9467	76394	7911	82328	8792	90554	7503	88458	8709	98695	75616	609693

S	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	(C) Quality Improvement																					
Q1	Training Programmes																					
1	Induction Training to Shiksha Mitra	0.07 per person per day	-	-	370	777	272	571	283	594	257	540	267	561	83	174	85	179	88	185	1705	3581
2	Induction Training for Assistant Teacher	0.07 per person per day	-	-	370	155	272	114	283	119	257	108	267	112	83	35	85	36	88	37	1705	716
3	Induction Training for Head Teacher(PS)	0.07 per person per day	-	-	13	6	15	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	13
4	Induction Training for Head Teacher(UPS)	0.07 per person per day	-	-	50	21	50	21	98	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	83
5	In-service Teachers Training	0.07 per person per day	3277	2294	3477	2434	3677	2574	4069	2849	4326	3028	4593	3215	4676	3273	4761	3333	4849	3394	37705	26394
7	Induction Training of EGS AIE Worker	0.07 per person per day	159	334	125	263	75	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359	755
8	Refresher course for Shiksa Mitra	0.07 per person per day	-	-	161	169	531	557	803	843	1086	1140	1343	1410	1610	1690	1693	1778	1778	1866	9005	9453

S	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
9	Refresher Course of EGS/ AIE Workers	0.07 per person per day	-	-	131	138	256	269	331	348	168	176	18	124	-	-	-	-	-	-	904	1055
10	Training of BRC Co-ordinators	0.07 per person per day	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5
11	NPRC Co-ordinators Training	0.07 per person per day	77	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	54
12	Refresher Training for BRC Co-ordinators	0.07 per person per day	-	-	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	56	24
13	Refresher Training for NPRC Co-ordinators	0.07 per person per day	-	-	77	27	77	27	77	27	77	27	77	27	77	27	77	27	77	27	616	216
14	Trg of Resource persons at (DIETs)	0.07 per person per day	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	180	252
15	Staff Development Training for (DIETs)	0.07 per person per day	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	225	477
16	BRC/NPRC Co-ordianators Management Training by SIEMAT	0.07 per person per day	84	126	84	126	84	126	84	126	84	126	84	126	84	126	84	126	84	126	756	1134
17	ABSA/SDI Training	0.07 per person per day	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	135	45

S	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
18	Training for AE/JE	0.07 per person per day	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3
19	Teacher Training in Computer (UPS)/DIETs Faculty	1.50 per person	10	300	10	300	10	300	10	300	10	300	10	300	10	300	10	300	10	300	90	2700
20	Orientation of VECs/Ward Committee	0.03 per person per day	3528	318	-	-	3528	318	-	-	3528	318	-	-	3528	318	-	-	3528	318	17640	1590
21	Training of RCI(IED)	70.00(45 days	10	700	10	700	10	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	30	2100
22	Teachers Orientation in IED	0.07	1200	420	1000	350	750	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2950	1033
23	AWPB Review & Training for Core Planning Teams by SIEMAT	0.500 per person per day	4	14	4	14	4	14	4	14	4	14	4	14	4	14	4	14	4	14	36	126
24	Trainig on EMIF by SIEMAT	0.500 per person per day	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	90	225
25	Teachers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender sensitization	0.07 per person per day	1200	252	800	168	900	189	800	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3700	777
Q2	Teaching Learning Material																					
1	Teacher Grant (PS)	0.5	2337	1169	2707	1354	2979	1489	3262	1631	3519	1760	3786	1893	3869	1935	3954	1977	4042	2021	30455	15229
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1035	518	1285	643	1535	768	2025	1013	2025	1013	2025	1013	2025	1013	2025	1013	2025	1013	16005	8007
3	Free text book to SC/ST chieldern 7 Girls	0.150 per chield per year	121172	18176	123837	19576	126561	18985	129346	19402	132190	19828	135099	20265	136016	20702	141047	21157	144150	21623	1191412	178714

S	Heads Sub Heads Activity	Unit cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	779	389	792	396	807	404	807	404	807	404	807	404	807	404	807	404	807	404	7220	3613
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1.00	207	207	257	257	307	307	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	3201	3201
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS+UPS)	80	1	80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80	-	-	-	-	-	-	2	160
7	Printing & Distribution of Training Modules(PS+UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	9	1440
8	Printing & Distribution of Trainers Guides(PS+UPS)	160	1	160	-	-	-	-	1	160	-	-	-	-	1	160	-	-	-	-	3	480
9	Development, Printing and Distribution of as Training Modules	10	1	10	1	10	1	10	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	40
10	Childern learning Evaluation (PS) (3 times in 10 years)	400 each	-	-	1	400	-	-	-	-	-	-	1	400	-	-	-	-	1	400	3	1200
11	Childern learning Evaluation (UPS) (3 times)	400 each	-	-	1	400	-	-	-	-	-	-	1	400	-	-	-	-	1	400	3	1200
12	School Awards	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	18	450
13	Research Evaluation, Seminar Workshop	0.300 per school	976	293	-	-	1114	334	-	-	1212	364	-	-	1212	364	-	-	-	1212		
	SubTotal c		135169	25850	135643	28008	142781	28495	142769	28778	148823	29511	148868	31073	155352	30900	155117	31073	162017	32857	1329519	266545

S	Heads Sub Heads Activity	Unit cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Tota	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C1	DIET																					
1	Furniture	50																				
2	Equipments (Including audio-visual)	200																				
3	Computer Work Station	400																				
4	Vehicle (where applicable)	350																				
5	Hiring	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
6	POL	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
7	Maintenance of Vehicle	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	9	135
8	Research/ Action Reasearch	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
9	Faculty Development	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
10	Exposure visit	50	1	50	-	-	1	50	-	-	1	50	-	-	1	50	-	-	1	50	5	250
11	Library	25	1	25	-	-	1	25	-	-	1	25	-	-	1	25	-	-	1	25	5	125
12	Salary of Computer operator	7	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	9	756
13	Salary of Driver (where applicable)	4	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	9	432
14	Consumable/ Computer stationary	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Subtotal																					
C2	Block Resource Centre																					

S.	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1	Civil Construction	600																				
2	Salary Co-ordinator	65																				
3	Asstt. Co-ordinator (2No)	5.5X2=11	7	462	7	462	7	462	7	462	7	462	7	462	7	462	7	462	7	462	63	4158
4	Chowkidar	3	7	252	7	252	7	252	7	252	7	252	7	252	7	252	7	252	7	252	63	2268
5	Equipment/ Furniture	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Travelling Allowance	5	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	63	315
7	Maint. of Equipment	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	63	63
8	Maint. of building	6	7	42	7	42	7	42	7	42	7	42	7	42	7	42	7	42	7	42	63	378
9	Books	10	7	70	-	-	7	70	-	-	7	70	-	-	7	70	-	-	7	70	35	350
10	Monitoring & Supervision	0.300 per scho	976	293	1049	315	1114	334	1212	364	1212	364	1212	364	1212	364	1212	364	1212	364	10411	3126
11	Consumables	5	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	63	315
12	Contingency	12.00	7	84	7	84	7	84	7	84	7	84	7	84	7	84	7	84	7	84	63	756
13	Monthly Review Meeting of CRC Co-ordinators 7 x 12	0.300 per meeting	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	70	225
C3	School Complex (NPRC)																					
1	Construction	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Salary Co-ordinator	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Equipment/ Furniture	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Books for Library/ book Bank	5	77	385	-	-	77	385	-	-	77	385	-	-	77	385	-	-	77	385	385	1925

S	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
5	Contingency	2.5	77	193	77	193	77	193	77	193	77	193	77	193	77	193	77	193	77	193	693	1737
6	Monthly Review meeting at CRC 77 x 12	0 200 per Meeting	77	185	77	185	77	185	77	185	77	185	77	185	77	185	77	185	77	185	693	1665
7	Monitoring & Supervision	0 200 per School	976	195	1049	210	1114	223	1212	242	1212	242	1212	242	1212	242	1212	242	1212	242	10411	2080
C4	District Project Office																					
	Staffing Co-ordinators-1 Consultants-2 Computer Operator-1 Driver-1 (If Vehicle is Purchased)	77 x 12	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	9	7668
	Equipment	50	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50
	Furniture & pixtures	50	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50
	Books	10	1	10	-	-	1	10	-	-	1	10	-	-	1	10	-	-	1	10	5	50
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city Lucknow New dist. Ayodya)	350	1	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	350
	Motorcyle	50	-	-	4	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	200
	Travelling Allowances	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	200
	Hqrs of AE/JE	6 Per dist	1	6	1	6	1	6	1	6											4	24
	Consumables	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	225
	Telephone/ Fax	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	270
	Vehicle Maintenance & POL	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	450
	Pol for Motercycle	12 x 4	-	48	-	48	-	48	-	48	-	48	-	48	-	48	-	48	-	48	-	432

.N	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Maintenance of equipment	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Hiring of Vehicle	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
	Supervision &	0.400 per school	976	390	1049	420	1114	446	1212	485	1212	485	1212	485	1212	485	1212	485	1212	485	10411	4166
	Contingency	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	90
	Research & Evalution	0.300 per	976	293	1049	315	1114	334	1212	364	1212	364	1212	364	1212	364	1212	364	1212	364	10411	3126
	Total																					
4	MIS																					
1	MIS call Furnishing	50	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50
2	Salary of Computer Operator	p m.	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	9	756
3	MIS Equipments (Where applicable	460	1	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	460
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
5	Maintenance of equipments	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Sub Total D		4222	5468	4426	4257	4769	4674	5074	4252	5160	4786	5073	4246	5160	4786	5073	4246	5160	4786	44117	41501
	Grand Total (A+B+C+D)		153225	74459	159084	144540	170073	185909	164424	232514	167116	200411	163270	200734	170322	208927	168711	206764	176904	219225	1482531	1673183

SUMMARY OF PROJECT COST - I (Rs. in thousands)

YEAR	CIVIL WORK	MANAGEMENT COST	PROGRAMME	TOTAL COST
2001-2002				
Amount	20238	2858	51363	74459
2002-2003				
Amount	50729	2140	91671	144540
2003-2004				
Amount	53128	1995	130786	185909
2004-2005				
Amount	51686	2054	178774	232514
2005-2006				
Amount	1542	2058	196811	200411
2006-2007				
Amount	2042	2048	196644	200734
2007-2008				
Amount	1292	2058	205577	208927
2008-2009				
Amount	1542	2048	203174	206764
2009-2010				
Amount	2042	2058	215125	219225
GRAND TOTAL	184241	19317	1469925	1673183
as% of total cost	11.01	1.15	87.84	100

SUMMARY OF PROJECT COST - II

Amount in lakhs

YEAR	ACCESS	RETENTION	QUALITY	CAP.BUILDING	TOTAL COST
2001-2002					
Amount	50.32	381.09	258.5	54.68	744.59
as % of total Project cost.	6.76	51.18	34.72	7.34	
2002-2003					
Amount	511.78	610.97	280.08	42.57	1445.4
as % of total Project cost.	35.41	42.27	19.38	2.94	
2003-2004					
Amount	769.35	758.05	284.95	46.74	1859.09
as % of total Project cost.	41.38	40.78	15.33	2.51	
2004-2005					
Amount	1244.31	750.53	287.78	42.52	2325.14
as % of total Project cost.	53.52	32.28	12.38	1.82	
2005-2006					
Amount	897.2	763.94	295.11	47.86	2004.11
as % of total Project cost.	44.77	38.12	14.73	2.38	
2006-2007					
Amount	830.87	823.28	310.73	42.46	2007.34
as % of total Project cost.	41.39	41.01	15.48	2.12	
2007-2008					
Amount	826.87	905.54	309	47.86	2089.27
as % of total Project cost.	39.58	45.34	14.79	2.29	
2008-2009					
Amount	826.87	884.58	310.73	42.46	2064.64
as % of total Project cost.	40.05	42.84	15.05	2.06	
2009-2010					
Amount	826.87	988.95	328.57	47.86	2192.25
as % of total Project cost.	37.72	45.11	14.99	2.18	
GRAND TOTAL	6784.44	6866.93	2665.45	415.01	16731.83
as% of total cost	40.55	41.05	15.93	2.48	

ANUAL WORK PLAN & BUDGET

(Amount in thousand)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	1st Year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Physical	Financial	Physical	Financial
(A)	Access					
A1	New primary Schoolds-unserved	259 (191+10+18 +40)	-	-	-	-
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18 +40)	-	-	-	-
2	Salary of PS Asstt. Teacher New School	5.5	-	-	-	-
3	Salary of Teacher in UPS (4 NO.) In New School	6.5	-	-	-	-
4	HT of New UPS	7.5	-	-	-	-
5	Furniture/ Fixture & Equipment					
	PS	15	-	-	-	-
	UPS	50	-	-	-	-
	Total					
A2	Upgradation of Egs (TLE) to PS	10	-	-	-	-
	Total		-	-	-	-
	Interventions for out of School Childern					
A3	Alteranative Schools (EGS+ AIE)					
	EGS					
	Primary-Including all models of DPEP	0.705 Per Child	2520	1777	1008	711
	Upper Primary	1.0 Per child	3060	3060	1224	1224
A4	Back to School Campaign	1.4 Per Child	80	120	32	48
A5	Bridge/ Remedial Courses	1.4 Per Child	1	75	1	30
A6	Strengthening Maqtap/ Madersa		-	-	-	-
	Subtotal A		5661	5032	2265	2013

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	1st Year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Physical	Financial	Physical	Financial
(R)	RETENTION					
	Additional Classrooms	70	160	11200	64	4480
	Additional Teachers Primary Schools	5.5	-	-	-	-
	Additional Teachers Upper Primary Schols	6.5	-	-	-	-
R1	Toilets	10	26	260	10	100
R2	Drinking Water	18	27	486	10	500
R3	Repair & Maintenance of School	5 PA/PER Schools	250	1250	100	500
R3	Boundry Walls (PS+UPS) Girls School	40	175	7000	70	2800
R4	School improvement grant P S	2 pa per Schools	-	-	-	-
	School improvement grant P S	4per schools	-	-	-	-
R5	Innovative Programmes (Upto max. Rs. 50 lacs)	5000 Per, District	-	-	-	-
	Promoting Girls Education					
	Summer Camps	10 Per camps	8	80	3	30
R6	MCDA Including	75 Per Cluster	4	300	1	75
	Gender Sensitization					
R7	SUPW for Girls	25 Per Schools	2	50	1	25
R8	Training / Refrasor Coursed for Gender Coordinetors	1.5 Per head Per day	-	-	-	-
R9	Opening of ECCE Centres in non ICDs Block	1 8 Per Centre	20	360	8	144
1	Strengthening ICDs Centers					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 Per District	-	-	-	-
3	Civil Works(One additional room	70	-	-	-	-
4	TLM	5 per center	20	100	8	40
5	Additional Honorarium (Instructor+Worker)	0.375 per center	20	90	8	36
6	Contingency/ Recurrent grant	1.5 per center	-	-	-	-

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	1st Year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Physical	Financial	Physical	Financial
7	Training of ECCE Instructor (at BRC)					
	Induction	3	20	60	8	24
	Recurring	1.2	-	-	-	-
R10	Community Mobolisation					
1	MTA /PTA training	0.007	4410	926	1764	124
2	Kala Jatha (VEC,BlockLevel & Dist. Level)	8 per NPRC	40	320	16	128
3	Development of Awareness Material	5 per block	8	40	8	40
4	Bal Mela at NPRS	5pa/per NPRC	8	40	3	15
5	Production of Audio Tapes	10 per Dist.	1	10	1	10
6	Production of Video Tapes	10Per Dist.	1	10	1	10
7	Training of VEC/Community Leaders members	0.07 Per Person Per day	3528	315	1400	126
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 Per Dist.	-	-	-	-
R11	Award to Best VEC (2No.)	25	2	50	2	50
R12	Award to Best Shiksh Mitras	5	1	50	1	50
R13	Remedial Teaching of SC/ST childern	0.705 per child,	200	141	80	56
R14	Assistance to NGOs for SC/ST Education	0.705 per child	-	-	-	-
R15	Provision for disabled childern	1.20 per child	811	973	324	389
1	Assistance to NGOs for Integrated/inclusive education	1.20 per child	-	-	-	-
R16	Computer Education for UPS composite school	100	7	700	2	200
	School Health Check Up	0.500 per school	986	493	394	197

S No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	1st Year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Physical	Financial	Physical	Financial
	Book Bank & School Library	5.0 per school	986	4930	394	1970
	Sub'Total B		8173	38109	4095	10373
	(Q) Quality Improvement					
Q1	Training Programmes					
1	Induction Training to Shiksha Mitra	0.07 per person per day	-	-	-	-
2	Induction Training for Assistant Teacher	0.07 per person per day	-	-	-	-
3	Induction Training for Head Teacher(PS)	0.07 per person per day	-	-	-	-
4	Induction Training for Head Teacher(UPS)	0.07 per person per day	-	-	-	-
5	In-service Teachers Training	0.07 per person per day	3277	2294	1310	917
6	In-service Training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day	-	-	-	-
7	Induction Training of EGS/ AIE Worker	0.07 per person per day	159	334	60	126
8	Refresher course for Shiksa Mitra	0.07 per person per day	-	-	-	-
9	Refresher Course of EGS/ AIE Workers	0.07 per person per day	-	-	-	-
10	Training of BRC Co-ordinators	0.07 per person per day	7	5	7	5
11	NPRC Co-ordinators Training	0.07 per person per day	77	54	30	21
12	Refresher Training for BRC Co-ordinators	0.07 per person per day	-	-	-	-

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	1st Year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Physical	Financial	Physical	Financial
13	Refresher Training for NPRC Co-ordinators	0.07 per person per day	-	-	-	-
14	Trg. of Resource persons at (DIETs)	0.07 per person per day	20	28	5	10
15	Staff Development Training for (DIETs)	0.07 per person per day	25	53	10	21
16	BRC/NPRC Co-ordianators Management Training by SIEMA	0.07 per person per day	84	126	30	45
17	ABSA/SDI Training	0.07 per person per day	15	6	15	6
18	Training for AE/JE	0.07 per person per day	7	3	7	3
19	Teacher Training in Computer (UPS)/DIETs Faculty	1.50 per person	10	300	4	120
20	Orientation of VECs/Ward Committee	0.03 per person per day	-	-	-	-
21	Training of RCI(IED)	70.00(45 days	10	700	4	280
22	Teachers Orientation in IED	0.07	1200	420	480	168
23	AWPB Review & Training for Core Plainning Teams by SIEMA	0.500 per person per day	4	14	4	14
24	Trainig on EMIF by SIEMAT	0.500 per person per day	10	25	4	20
25	Teachers ABSA/BRC/NPRC Staf training for Gender sensitization	0.07 per person per day	1200	252	480	101
Q2	Teaching Learning Material					
1	Teacher Grant (PS)	0.5	2337	1169	935	467
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1035	518	414	207
3	Free text book to SC/ST childern / Girls	0.150 per chield per year	121172	18176	48469	7270
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	779	389	312	156
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1.00	207	207	83	83

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	1st Year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Physical	Financial	Physical	Financial
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS+UPS)	80	1	80	1	80
7	Printing & Distribution of Training Modules(PS+UPS)	160	1	160	1	160
8	Printing & Distribution of Traners Guides(PS+UPS)	160	1	160	1	160
9	Development, Printing and Distribution of as Training Modules	10	1	10	1	10
10	Childern learning Evaluation (PS) (3 times in 10 years)	400 each	-	-	-	-
11	Childern learning Evaluation (UPS) (3 times)	400 each	-	-	-	-
12	School Awards	25	2	50	1	25
13	Research Evaluation, Seminars & Workshop	0.300 per school	976	293	390	117
	Total					
	Subtotal c		135169	25850	51988	10232
(C)	CAPACITY BUILDING					
C1	DIET					
1	Furniture	50	-	-	-	-
2	Equipments (Including audio-visual)	200	-	-	-	-
3	Computer Work Station	400	-	-	-	-
4	Vehicle (where applicable)	350	-	-	-	-
5	Hiring	5	1	5	1	5
6	POL	30	1	30	1	30
7	Maintenance of Vehicle	15	1	15	1	15
8	Research/ Action Reasearch	50	1	50	-	-
9	Faculty Development	30	1	30	1	30
10	Exposure visit	50	1	50	-	-
11	Library	25	1	25	-	-
12	Salary of Computer operator	7	1	84	1	34
13	Salary of Driver (where applicable)	4	1	48	1	20
14	Consumable/ Computer stationary	10	1	10	1	10
C2	Block Resource Centre					
1	Civil Construction	800	-	-	-	-

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	1st Year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Physical	Financial	Physical	Financial
2	Salary Co-ordinator	65	-	-	-	-
3	Asstt. Co-ordinator (2No)	5 5X2=11	7	462	7	165
4	Chowkidar	3	7	252	7	100
5	Equipment/ Furniture	100	-	-	-	-
6	Travelling Allowance	5	7	35	7	14
7	Maint. of Equipment	1	7	7	7	7
8	Maint. of building	6	7	42	7	10
9	Books	10	7	70	7	28
10	Monitoring & Supervision	0.300 per school	976	293	390	117
11	Consumables	5	7	35	7	14
12	Contingency	12.00	7	84	7	34
13	Monthly Review Meeting of CRC Co-ordinators	0.300 per meeting	7	25	7	10
C3	School Complex (NPRC)					
1	Construction	200	-	-	-	-
2	Salary Co-ordinator	6.5	-	-	-	-
3	Equipment/ Furniture	10	-	-	-	-
4	Books for Library/ book Bank	5	77	385	30	150
5	Contingency	2.5	77	193	30	75
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 per Meeting	77	185	30	60
7	Monitoring & Supervision	0.200 per School	976	195	390	78
C4	District Project Office					
	Staffing Co-ordinators-1 Consultants-2 Computer Operator-1 Driver-1 (If vehicle is Purchased)	71x12	1	852	1	340
	Equipment	50	1	50	1	50
	Furniture & pixtures	50	1	50	1	50
	Books	10	1	10	1	10
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow)	350	1	350	1	350
	Motorcyle	50	-	-	-	-
	Travelling Allowances	20	-	20	1	4

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit cost	1st Year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Physical	Financial	Physical	Financial
	Consumables	25	-	6	1	6
	Telephone/ Fax	30	-	30	1	10
	Vehicle Maintenance & POL	50	-	50	1	12
	Motar cycle Pol	12	-	48	1	20
	Maintenance of equipment	10	1	10	-	-
	Hiring of Vehicle	5	1	5	1	10
	Supervision &	0 400 per school	976	390	390	156
	Contingency	10	-	10	1	10
	Research & Evalution	0 300 per	976	293	390	117
C4.1	MIS					
1	MIS call Furnishing	50	1	50	1	50
2	Salary of Computer Operator	7 p.m.	1	84	1	34
3	MIS Equipments (Where applicable	460	1	460	1	184
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20
5	Maintenance of equipments	20	1	20	1	20
6	Computer Consumables	25	1	25	1	10
	Sub'Total D		4222	5468	1738	2494
	Grand Total (A+B+C+D)		153225	74459	60087	25162

Implementation Schedule for 2001-02 AWP & B

S.No.	Item	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
	Project Management											
1	Furniture for DPO		✓	✓								
2	Equipment for DPO	✓	✓	✓								
3	Hire charges for vehicles for DPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4	Salary for DPO staff	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	DPO consumables	✓			✓			✓			✓	
6	Water,Electricity,Telephone Etc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Rent for DPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	TA & DA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Purchase of Moter cycle/ Vehicle		✓	✓								
10	Consultants			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Total											
	Planning & Management											
11	Est. of MIS Cell			✓	✓	✓						
12	BRC/NPRC Co-ordinatorsMgt.	✓	✓	✓								
	training at SIEMAT,											
13	AWPB workshop					✓	✓	✓				
	Total											

Implementation Schedule for 2001-02 AWP & B

S.No.	Item	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
	Research, Evaluation, Monitoring and Supervision											
14	Action Research					✓	✓					
15	Smaller Scale classroom based Reserch									✓	✓	
16	Oreintation on Research / Activity Evalution											
17	Conduct of Pupil Achievement Survey									✓		
18	Baseline & Midterm Assessment								✓			
19	MIS Equipment				✓	✓						
20	EMIS / DISE						✓	✓				
21	MIS Equipment, Operation & Maintenance				✓		✓			✓		
22	Computer Stationery, Peripherals				✓			✓			✓	
23	Academic monitoring of schools											
	by DIET staff (Travelling expenditure)				✓			✓			✓	
24	Academic supervision by MRPs DIET/BRC/NPRC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Total											
	Community Mobilization & Participation											
25	Orientation to VEC Members			✓								
26	Bal Melas at Cluster			✓	✓							
27	Orientation of MTA& VEC			✓	✓							
28	Community Mobilization at Habitation Level		✓	✓	✓							
29	Campaign material including tables films	✓	✓	✓								
	Total											

Implementation Schedule for 2001-02 AWP & B

S.No.	Item	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
	Access											
30	Residential Bridge Courses	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	Induction training of AS voluntary teachers/ Bridge Course											
	Volunteers(271+75)		✓									
32	Induction training of New Teachers & Shiksha Mitra		✓									
33	Recurrent training of Alternative											
	schooling volunteersand Shiksa Mitra		✓	✓								
34	Salary for New School Teachers (Primary)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	Salries for Addl. Teachers (New)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Retetion											
36	Summer Camps	✓	✓									
37	MCDA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	Alternative school per Child Cost											
39	SUPW for girls											
40	ECCE workers Honrarium			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	Receiving grants to ECCE centre			✓								
42	TLM grants to ECCE center		✓									
43	Induction training of ECCE centre		✓									
44	Recurrement Trg. of ECCE workers											
45	Material on ECCE		✓	✓								
46	Residential Teaching for SC/ST			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	Computer Education for UPS compositer schools			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Total											

Implementation Schedule for 2001-02 AWP & B												
S.No.	Item	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
	Civil Works (Primary + Upper Primary)											
48	Additional classrooms			✓	✓	✓	✓	✓	✓			
49	Building for building less schools											✓
50	Boundry Wall		✓	✓	✓							
51	New School Building											
52	Toilets			✓	✓							
53	Drinking Water			✓	✓							
	Total											
	Pedalogy & School Improvement											
54	Teachers training in multi level/ activity	✓	✓									
	based teaching											
55	Training of BRC/NPRC co-ordinators	✓										
56	Training of Resource Persons	✓										
57	TLM grants per teachers for formal				✓							
	schools(Primary+Upper Primary)											
58	School Grant(Primary+Upper Primary)					✓						
59	Building for DIET											
60	Furniture for DIET					✓						
61	Furniture for BRC/NPRC					✓						
62	Equipment for DIET					✓	✓					
63	Equipment for BRC/NPRC					✓	✓					
64	Exposure visit of DIET fallows									✓	✓	

Implementation Schedule for 2001-02 AWP & B												
S.No.	Item	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
65	Faculity Dev. programe of DIET Faculity					✓	✓	✓				
66	Academic review meeting @one per month	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
67	Repairs and maintenance of schools			✓	✓							
68	Library Books for DIET				✓							
69	Library Books for BRC/NPRC							✓				
70	Printing of modules	✓	✓									
71	Award for Best VEC											
72	Award for Best Shiksha Mitra											
73	Award for Best School											
74	Supplementry Reading Material						✓					
75	Printing of Training module	✓										
76	Printing and Distribution of Syllabous		✓									
77	Printing and Distribution of Trainners Guide	✓										
78	Printing of AS module	✓										
	Total											
	Children with Special Education Needs (SEN)											
89	Per child Cost		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Total											
	Grand Total											

रजिस्टर्ड नं० एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०-91 [illegible]
लाइसेन्स नं० डब्लू०पी०-41 [illegible]
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट [illegible]

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक संवत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1245/सत्रह-वि०-1—1 (क)-29-1999

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा, और—

(क) इस प्रकार से पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत या नगरपालिका" रख दिये जायेंगे;

(2) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(च) 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।"

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उनके लिये दिये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ख) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ग) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (घ) में शब्द और अंक "यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ग) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों या नगरपालिकाओं" और शब्द "उनके प्रशासन पर अधीक्षण रखना" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर अधीक्षण रखना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द "नार्मल स्कूलों" के स्थान पर शब्द "जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर शिक्षा समिति" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में शब्द "और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना" निकाल दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (छ-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या

नगरपालिकाओं को उनके कृत्यों के संबंधन में ऐसे निर्देश जारी करना, जो इस अधिनियम से असंगत न हो।"

(ब) खण्ड (3-2) निकाल दिया जायगा।

धारा 5 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 10 में अनिर्दिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा;

(दो) खण्ड (ग) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा।

नई धारा 9क का अन्तःस्थापन

6—मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जायगी, अर्थात् :—

बेसिक स्कूल के अध्यापकों और सम्पत्तियों का नियंत्रण

"9—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को और से,—

(क) बेसिक स्कूल का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व परिषद् के अधीन सेवारत रहा हो, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका के, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित है, प्रशासनिक नियंत्रण में होगा;

(ख) किसी बेसिक स्कूल के संबंध में परिषद् के सभी भवन, सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित हो, अन्तरित और उसमें निहित हो जायगी।

(ग) जहां ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन या उसके किसी भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए परिषद् किरायेदार के रूप में अध्यासित रहा हो वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी किसी संविदा, पट्टा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरपालिका के पक्ष में अन्तरित हो जायगी;

(घ) धारा 18-क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन या उसके भाग के संबंध में परिषद्, लाइसेन्सधारी नहीं रह जायेगा और, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर ऐसा भवन अवस्थित हो, यदि वह पहले से उसका स्वामी न हो तो, ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, लाइसेन्सधारी समझा जायेगा।

(2) किसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को उपधारा (1) के अधीन अन्तरित या उसमें निहित किसी भवन, सम्पत्ति या आस्तियों को विक्रय, दान, विनिमय, बंधक, पट्टा द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने की शक्ति नहीं होगी।"

धारा 10, 10-क और 11 का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 10, 10-क और 11 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

जिला पंचायत के कृत्य

"10—उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन जिला पंचायतों के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक जिला पंचायत; परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और निदेशन

के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ख) जिले में बेसिक शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों के क्रियाकलाप का, सामान्यतया ऐसी रीति में जैसी विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना;

(ग) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय ।

नगरपालिकाओं के कृत्य

10-क—यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन नगरपालिकाओं के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नगरपालिका, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध करना;

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(घ) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(ङ) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

ग्राम शिक्षा समिति और उसके कृत्य

11-(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो ग्राम शिक्षा समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से, ज्येष्ठतम, जो सदस्य-सचिव होगा;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन करना;

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना;

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायें;

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।"

8—मूल अधिनियम की धारा 12-क निकाल दी जायगी। धारा 12-क का निकाला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी; अर्थात्:— नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

"13-क—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।"

अध्यारोही प्रभाव

10—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द "शक्ति" के स्थान पर शब्द "शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय" रख दिये जायेंगे। धारा 14 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्" रख दिये जायेंगे। धारा 17 का संशोधन

12—(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1245 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-29-[illegible]

Dated Lucknow, May 5, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. Act No. 18 of 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 1999.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 34 of 1972

2. Section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof and,

(a) in sub-section (1) as so renumbered,—

(i) in clause (*e*) *for* the words "Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee or Notified Area Committee" the words, "Zila Panchayat or Municipality" shall be *substituted*;

(ii) *after* clause (*e*) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*f*) "Municipality" means a Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be."

(b) *after* sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) in clause (*b*) *for* the words and figures "Zila Parishads established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961," the words and figures "Zila Panchayats established under section 17 of the Utter Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961" shall be *substituted*;

(b) in clause (*c*) *for* the words and figures "Mahapalikas constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959", the words and figures "Corporations constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959" shall be *substituted*;

(c) in clause (*d*) *for* the words and figures "Municipal Boards established under the U. P. Municipalities Act, 1916," the words and figures "Municipal Council and Nagar Panchayats established under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) in clause (*c*) *for* the words "Zila Basic Shiksha Samitis or Nagar Basic Shiksha Samitis and to superintend the said Samitis", the words, "the Gaon Shiksha Samitis, or Municipalities and to superintend Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats and Municipalities" shall be *substituted*;

(b) in clause (*d*) *for* the words "normal schools" the words "District Institute of Education and Training" shall be *substituted*;

(c) in clause (e) *for* the words "the Zila Basic Shiksha Samiti or the Nagar Shiksha Samiti", the words "Gaon Shiksha Samitis, Zila Panchayats or Municipalities" shall be *substituted*;

(d) in clause (f) the words "and in particular, to accept gift of any building or equipment of any basic school or normal school on such conditions as it thinks fit" shall be *omitted*;

(e) *for* clause (g-1) the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(g-1) subject to the general control of the State Government to issue directions not inconsistant with this Act, to Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats, Zila Panchayats or Municipalities in the performance of their functions under this Act;"

(f) clause (g-2) shall be *omitted*.

Amendment of section 5

5. In section 5 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1) the words and figures "each Zila Basic Shiksha Samiti referred to in section 10 and" shall be *omitted*,

(b) in sub-section (2),—

(i) in clause (a) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

(ii) in clause (d) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

Insertion of new section 9-A

6. *After* section 9 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Control of teacher and properties of basic schools

9-A(1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other provisions of this Act, on and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000,—

(a) every teacher of the basic school serving under the Board immediately before such commencement shall be under the administrative control of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school, is situated;

(b) all buildings, properties and assets of the Board in respect of a basic School shall stand transferred to, and vest in, the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(c) where any building or part thereof is occupied as a tenant by the Board for the purpose of a basic school immediately before such commencement, the tenancy in respect of such building or part thereof shall, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, stand transferred in favour of the Gram Panchayat, or the Municipality, as the case may be;

(d) the Board shall cease to be the licensee in respect of the building or part thereof referred to in sub-section (2) of section 18-A and the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits such building is situated, shall, if it is not already owner thereof, be deemed to have become licensee in respect of such building or part thereof on such terms and conditions as may be determined by the State Government.

(2) No Gram Panchayat or Municipality shall have power to transfer by sale, gift, exchange, mortgage, lease or otherwise any building, property or assets transferred to, and vested in, such Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, under sub-section (1).

Substitution of sections 10, 10-A and 11

7. For section 10, 10-A and 11 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

Functions of Zila Panchayats

"10. Without prejudice to the powers and functions of Zila Panchayats under the Uttar Pradesh Zila Panchayats and Kshettra Panchayats Adhiniyam, 1961, every Zila Panchayat shall, subject to superintendence and directions of the Board or the State Government perform all or any of the following functions, namely:—

(*a*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of basic schools in the rural areas of the district ;

(*b*) to supervise generally in such manner as may be prescribed the activities of Gram Panchayats in the district with regard to basic education ;

(*c*) to perform such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.

Functions of Municipalities

10-A Without prejudice to the powers and functions of Municipalities under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, every Municipality shall, subject to superintendence and control of the Board or the State Government, perform all or any of the following functions, namely:—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the Municipal area;

(*b*) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(*c*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(*d*) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the Municipal area;

(*e*) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within the limits of the municipal area.

Gaon Shiksha Samiti and its function

11. (1) For each village or group of villages for which a Gram Panchayat is established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a committee to be known as Gaon Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely:—

(*a*) the Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairman;

(*b*) three guardians of students of basic schools (of whom one guardian must a woman) to be nominated by the Assistant Basic Education Officer;

(*c*) the head master of the basic school situated in the Gram Panchayat and if there are more than one such schools, the senior-most of the head masters thereof, who shall be the Member-Secretary;

(2) except as otherwise provided in any other provisions of this Act and subject to the supervision and control of the Gram Panchayat, the Gaon Shiksha Samiti shall perform the following functions, namely :—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the panchayat area;

(*b*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(c) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the panchayat area;

(d) to make suggestions to the Zila Panchayat for the improvement of basic schools, buildings and the equipment thereof;

(e) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(f) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within limits of the panchayat area.

(g) such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.".

8. Section 12-A of the principal Act shall be *omitted*. Omission of section 12-A

9. *After* section 12 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 13-A

"13-A. Over riding effect Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the provisions of this Act shall have effect.".

10. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "powers" the words "powers, except the power to make rules" shall be *substituted*; Amendment of section 14

11. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words and figures "after December 31, 1977" the words and figures "after the expiration of the period of two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000" shall be *substituted*. Amendment of section 17

12. (1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed. Repeal and savings

U. P. Ordinance no. 4 of 2000

U. P. Ordinance no. 13 of 1999

U. P. Ordinance no. 16 of 1999

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment), Ordinance, 1999, or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) (Second) Ordinance, 1999 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

संख्या: 2604/15-5-99-292/99

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ०प्र०लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक,
उ०प्र०सभी के लिए शिक्षा परियोजना,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा (5) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 1999

विषय:- उ०प्र० के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु "शिक्षा मित्र योजना" लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु राज्यपाल महोदय वर्तमान शिक्षा सत्र 1999-2000 से प्रदेश में संलग्न "शिक्षा मित्र योजना" लागू करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यत: निर्धारित अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। शिक्षा सत्र 1999-2000 में पूरे प्रदेश में 10,000 की सीमा तक शिक्षा मित्रों को अनुबंधित किया जायेगा।

3- योजना के संचालनार्थ जिला स्तर पर एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1-जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
3- लेखाधिकारी,(कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

...2...

4- जनपद में उपर्युक्त योजनान्तर्गत कार्यक्रम को संचालित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उपर्युक्त समिति का होगा।

5- योजनान्तर्गत " शिक्षा मित्रों " के चुनाव हेतु विस्तृत निर्देश संलग्न योजना में दिये गये हैं, जिनका अक्षरशः पालन किया जायेगा।

6- योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षा मित्र को प्रतिमाह रूपये 1450/- का मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त एक माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए उन्हें रूपये 400/- की दर से मानदेय देय होगा। शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित दरों पर धनराशि देय होगी।

7- कृपया तद्नुसार योजना के संचालनार्थ वित्तीय आवश्यकताओं का आंगणन कर प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव।

संख्या: व दिनांक: तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत उ0प्र0।
4- निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार चयनित शिक्षा मित्रों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आंगणन कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5- सचिव, उ0प्र0शासन पंचायती राज विभाग।
6- निदेशक, पंचायती राज विभाग उ0प्र0लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0
8- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9- शिक्षा निदेशक (मा0/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा / उर्दू एवं प्राच्य भाषायें) उ0प्र0लखनऊ।
10- पंचायती राज अनुभाग -1
11- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव /कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
12- शिक्षा सम्बद्ध विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या : 2604/15-5-99-282/98 दिनांक 26 मई 1999 का संलग्नक।

शिक्षा मित्र योजना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु कम लागत पर शिक्षण की व्यवस्था के लिए शिक्षा मित्र नामक योजना की रूप रेखा निम्नवत् है। यह योजना शैक्षिक सत्र 1999-2000 से लागू होगी।

शिक्षा मित्र संकल्पना

1- स्थानीय आवश्यकता और माँग के संदर्भ में ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध इण्टरमीडिएट तक शिक्षित व्यक्तियों में से निश्चित मानदेय पर पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमंत्रित किये जाने वाला व्यक्ति "शिक्षा मित्र" होगा।

2- (1) शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निर्धारित अध्यापक छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

(2) ग्राम पंचायत की ग्राम शिक्षा समिति में "शिक्षा मित्र" की आवश्यकता का प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि शिक्षा समिति विद्यालय में "शिक्षा मित्र" की व्यवस्था हेतु सहमत एवं तैयार है।

शिक्षा मित्र की शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता

3- (1) शिक्षा मित्र (पुरूष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी।

(2) उक्त ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेने से पूर्व जिस गाँव में विद्यालय स्थित है, उसमें निर्धारित अर्हताधारी महिला अथवा पुरूष अभ्यर्थी को चिन्हित करेगी। विशेष परिस्थिति में किसी गाँव में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से जहाँ ऐसे अर्हताधारी महिला/पुरूष अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, अर्हताधारी महिला अथवा पुरूष को चिन्हित किया जायेगा।

(iii) किसी भी विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा "शिक्षा मित्र" का अनुपात अधिकतम 3:2 होगा।

शिक्षा मित्र की संख्या का निर्धारण

4- निदेशक परियोजना द्वारा बी0एस0पी0/डी0पी0ई0पी0परियोजना से आच्छादित जनपदों में तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक (बे0) द्वारा शिक्षा मित्रों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार तथा अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। निर्धारित संख्या के अन्तर्गत ही जनपदों में शिक्षा मित्र रखे जायेंगे।

आयु

5- शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षण कार्य करने योग्य सक्षम स्थानीय / निकटवर्ती गाँव के अर्ह व्यक्ति (महिला/ पुरुष) का चयन किया जा रहा है।

शिक्षा मित्र का चयन

6- (क) ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र / मित्रों के चयन हेतु बैठक आहूत करेगी जिसमें समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ख) समिति के द्वारा सदस्यों के सम्मुख उपलब्ध अर्ह व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की जायेगी। यह सूची उनके द्वारा हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का नाम पहले रखा जायेगा।

(ग) समिति आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की संख्या का आंकलन करेगी। यह संख्या 1:40 के आधार पर शिक्षकों की कुल संख्या में से कार्यरत शिक्षकों की संख्या को घटाकर निकाली जायेगी। तद्नुसार 101 छात्र संख्या पर 3 तथा इसके उपरान्त 40 छात्रों की पूर्ण संख्या पर एक अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता का आंकलन किया जायेगा।

(घ) विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50% महिलायें होंगी। इनका भी चयन बिन्दु (ख) में इंगित आधार पर किया जायेगा।

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य श्रेणियों के आरक्षण हेतु प्रचलित नियमों/ निर्देशों का पालन यथावत् सुनिश्चित किया जायेगा।

....3..

।घ। ग्राम शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट संबंधी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं किया जायेगा।

संविदा की अवधि

7- शिक्षा मित्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर चालू शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर रखा जायेगा जो मई माह के अन्तिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

संविदा अवधि का मानदेय

8- शिक्षा मित्र को संविदा पर रुपया 1450/- प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर रखा जायेगा।

संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया

9- ।1। किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति, समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर संविदा समाप्त कर सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

।2। संबंधित शिक्षा मित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह में उसके विरुद्ध ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा समाप्त करने के आशय का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जायेगा तथा इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुनः सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

शिक्षा मित्र के मानदेय की स्वीकृति

10- ।1। उपर्युक्त अनुच्छेद-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र का चयन करने के उपरान्त एतदर्थ अनुदान प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचनाओं सहित संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपेक्षित सत्यापन एवं पुष्टि के उपरान्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा नामित समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृत करें, निर्णय संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को सूचित करेंगे ।

।2। अनुदान स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम शिक्षा समिति संबंधित शिक्षा मित्र को इस आशय की सूचना देगी कि वह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। उनके द्वारा संतोषजनक ढंग से एक माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर निर्धारित प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र को अध्यापन कार्य हेतु मानदेय रुपया 1450/-

प्रतिनाह पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। यह संविदा आगामी 31 मई को स्वत: समाप्त हो जायेगी।

प्रशिक्षण
=====

11- शिक्षा मित्र के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :-

(i) प्रशिक्षण- प्रत्येक चयनित शिक्षा मित्र को जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। इसके बाद ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र कार्य आरम्भ करेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक शिक्षा मित्र को रू0400/- का मानदेय देय होगा। संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति शिक्षा मित्र की दर से धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन तथा प्रशिक्षण अवधि में भोजन, आवास आदि पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण- प्रत्येक वर्ष आगामी शिक्षा सत्र में पूर्व 15 दिन के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में प्रत्येक ऐसे शिक्षा मित्र को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, जो आगामी शैक्षिक सत्र में शिक्षा मित्र के दायित्व को निर्वहन करने को तैयार हो, किन्तु ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए अप्रैल माह में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर इसकी सूचना संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं पदाधार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को देनी अनिवार्य होगी। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षा मित्र को रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा। तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों की दर से आवास भोजन तथा प्रशिक्षण के आयोजन हेतु धनराशि दी जायेगी।

पर्यवेक्षण
=====

12- (i) शिक्षा मित्र को आकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उनका दैधिक पर्यवेक्षण मुख्यत: इन केन्द्रों के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र / सरकारी स्कूल पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली एक द्वितीय कार्यशाला / बैठक में शिक्षा मित्र का प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। इस एक द्वितीय कार्यशाला में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा प्रत्येक शिक्षा मित्र से शिक्षण कार्य में उनके अनुभव, समस्याओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर उनकी समस्याओं का समाधान

...5..

किया जावेगा तथा उसे पृथक पंजिका में अभिलिखित भी किया जावेगा। यदि कोई समस्या होती है जिसका समाधान समन्वयक के स्तर से संभव नहीं हो तो उसकी जानकारी संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जावेगी एवं इस संबंध में वरीयता से कार्यवाही कर उसका निदान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से कराया जावेगा।

।।।। शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा तथा वे इसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किन्तु शिक्षा मित्र अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन विद्यालय के प्रधान अध्यापक / प्रभारी प्रधान अध्यापक के नियंत्रण एवं निर्देशन में करेंगे ।

।।।।। ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्कूल के निरीक्षण / पर्यवेक्षण के समय स्कूल के अन्य अध्यापकों की भाँति "शिक्षा मित्र" भी पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

।४४। विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण कार्य के संबंध में पर्यवेक्षण टिप्पणी प्रस्तुत की जावेगी जिस पर ग्राम शिक्षा समिति विचार करेगी। यदि शिक्षा मित्र के विरुद्ध लगातार टिप्पणी आती है तब ग्राम शिक्षा समिति उक्त शिक्षा मित्र की निर्धारित प्रक्रियानुसार संविदा समाप्त करती है और अन्य शिक्षा मित्र का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन कर सकती

13- ।।। इस योजना के अधीन " शिक्षा मित्र" के मानदेय तथा प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की धनराशि को एक मुश्त संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक । बेसिक । द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति के उपरान्त धनराशि का आगमन निर्धारित दर पर आगामी मई 31 तक के लिए किया जावेगा तथा एक किस्त स्वीकृत कर दिये जाने पर आगामी किस्त पूर्व स्वीकृत किस्त के उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत की जावेगी। धनराशि दो समान किस्तों में संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जावेगी।

...6...

14- प्रस्तर -10 में उल्लिखित नामित समिति को यह अधिकार होगा कि किसी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा " शिक्षा मित्र " योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान की धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर अनुदान की दूसरी किश्त की धनराशि के हस्तान्तरण को रोक दें अथवा पूर्व में स्वीकृत धनराशि की नियमानुसार वसूली करायें।

15- उपरोक्त नियमों में प्रयुक्त ग्राम शिक्षा समिति का तात्पर्य ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति से है ।

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

संख्या-129(1)/15-5-2000-282/98

प्रेषक,

श्री एन0 रविशंकर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक(बे)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 1 जुलाई, 2000

विषय:- प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षित युवाओं की सहभागिता हेतु शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या- 2604/15-5-99-282/98, दिनांक 26.5.1999 एवं शा0 सं0-4386/15-5-99-282/98 टीसी, दिनांक 11.08.1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश मे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयासों के अन्तर्गत शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रसार में स्वेच्छा उनकी सहभागिता सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में ग्राम पंचायतो द्वारा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मित्र योजना की रचना की है। वस्तुत: यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षित युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा के आलोक को सामुदायिक सेवा के रूप में प्रज्वलित करने हेतु उन्हे उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ की गयी है। यहां यह भी स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षा मित्र योजना सेवायोजन परक योजना नही है, प्रत्युत इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे उनकी सामुदायिक सेवा हेतु उत्प्रेरित करना मात्र है।

शासन ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों की आवश्यकता के आंकलन, चयन तथा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रशस्त करने का निर्णय लिया है:-

शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन:

प्रदेश में विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं से आच्छादित जनपदों में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा तथा

शेष जनपदों में शिक्षा निदेशक(बे) द्वारा शासन द्वारा पूरे प्रदेश के लिए निर्धारित संख्या के अंतर्गत किया जायेगा तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 का अनुसरण हो।

प्रत्येक विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र का अनुपात अधिकतम 3:2 का होगा। शिक्षा मित्र की तैनाती उन्हीं विद्यालयों में होगी जहां पहले से न्यूनतम एक नियमित अध्यापक कार्यरत हो। दूसरा शिक्षा मित्र सम्बन्धित विद्यालय में तभी तैनात किया जा सकेगा जब विद्यालय में पहले से दो नियमित अध्यापक कार्यरत हों और अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपातिक आधार पर शिक्षा मित्र की आवश्यकता हो। दो से अधिक शिक्षा मित्रों को एक विद्यालय में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया एवं रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. <u>योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन:</u>

योजनान्तर्गत शिक्षा मित्रों की जनपदवार आवश्यकता का निर्धारण शिक्षा निदेशक(बे) एवं राज्य परियोजना निदेशक, बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा करा लिये जाने के उपरान्त विद्यालयों का चिन्हांकन शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करने हेतु शिक्षा निदेशक(बे)/परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित जनपद के लिए निर्धारित शिक्षा मित्रों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों, जहां प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की व्यवस्था अपेक्षित हो, का चिन्हांकन ऐसे एकल अध्यापकीय विद्यालयों जो जनपद के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हों और अध्यापकों की कमी के कारण जहां पठन-पाठन में समस्या रही हो, को वरीयता प्रदान करते हुए विद्यालयों के चयन हेतु संस्तुति की जायेगी।

3. <u>ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र के चिन्हांकन की प्रक्रिया:</u>

जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत अवस्थित विद्यालय हेतु शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि समिति सम्बन्धित विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु सहमत है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी।

सूचना के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 10 दिन की समयावधि में इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उस ग्राम पंचायत में जिसकी प्रादेशिक सीमा में विद्यालय अवस्थित है के निर्धारित अर्हता धारी अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी। विशेष परिस्थिति में यदि किसी गांव में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सम्बन्धित न्याय पंचायत में से अर्ह अभ्यर्थी चिन्हांकित किये जा सकेंगे।

निर्दिष्ट अर्हता/अधिमानी अर्हता एवं आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में शिक्षण से सम्बन्धित सामाजिक कार्य के लिए अपनी सेवायें सुलभ कराये जाने हेतु निर्दिष्ट-प्रारूप एक में आवेदन पत्र अपनी शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता, आयु एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ उनके द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा की अंक तालिकायें तथा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट समयावधि पूरी हो जाने के (10 दिन) तुरन्त बाद आवेदन पत्रों का सम्यक रूप से परीक्षण एवं उन पर विचार हेतु अपनी बैठक आहूत की जायेगी। शिक्षा समिति सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से उनकी अर्हता/अधिमानी अर्हता तथा आयु के संबंध में सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा मित्र को चिन्हित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर शिक्षा मित्र के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले क्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।

विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50 प्रतिशत महिला होंगी। ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायत शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन के अनुसार जिस रूप में वर्गीकृत हो अर्थात- सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, उस पंचायत की प्रादेशिक सीमा में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय में 'शिक्षा मित्र' के रूप में प्रथम रिक्ति पर परिसीमन के अनुसार यथास्थिति उसी वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगी। निर्दिष्ट मानके के अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय में यदि शिक्षा मित्र के रूप में दो अभ्यर्थी चिन्हित होते हैं तो दूसरी रिक्ति अनारक्षित होगी।

शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट सम्बन्धी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं कियाजायेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, स्वसुर (पित्र एवं मात्र सम्बन्धी) पुत्र, पौत्र,दामाद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री तथा मां से है।

ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र के रूप में नहीं रखा जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है, की सेवा से पृथक अथवा सेवाच्युत करने का दण्ड दिया गया हो अथवा किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

शिक्षा समिति उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में अपना समाधान करने एवं संबंधित व्यक्ति जिन्हें शिक्षा मित्र के रूप में समिति द्वारा रखा जाना प्रस्तावित हो, के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करेगी।

शिक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए चिन्हित शिक्षा मित्र को सम्बन्धित विद्यालय में प्रारूप-दो के अनुसार उनकी सहमति प्राप्त कर शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. <u>शिक्षा मित्र की अर्हतायें:</u>

शिक्षा मित्र (पुरूष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों में संस्थागत छात्र के रूप में बी0एड0/एल0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होगी।

5. <u>शिक्षा मित्र का कार्यकाल:</u>

शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतया किसी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वत: समाप्त हो जायेगा। शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य एवं आचरण से संतुष्ट होने की स्थिति में समिति द्वारा अगले शिक्षा सत्र के लिए भी उसे चिन्हित किया जा सकता है।

किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य व आचरणसंतोषजनक न होने की दशा में शिक्षा समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर सत्र के मध्य में भी समिति शिक्षा मित्र को किसी भी समय हटा सकती है। इस संबंध में शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुन: इस रूप में कार्य करनेका अवसर नही दिया जायेगा।

6. <u>शिक्षा मित्र का मानदेय:</u>

शिक्षा मित्र को रू0 2250/- प्रति माह का नियत मानदेय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भुगतान किया जायेगा। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में रखी जायेगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त मानदेय हेतु अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित होगी।

शिक्षा सत्र के मध्य में हटाये जाने वाले शिक्षामित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह उसके विरूद्ध शिक्षा समिति द्वाराउसे हटाये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

7. <u>शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण:</u>

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित एवं जिला समिति द्वारा अनुमोदित शिक्षा मित्र को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रशिक्षण प्रदान कियाजायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्र को सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र को शिक्षा कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस प्रशिक्षण अवधि के लिए उसे रू0 2250/- के स्थान पर रू0 400/- का मानदेय देय होगा।

यदि शिक्षा मित्र का अगले शिक्षा सत्र के लिये चयन शिक्षा समिति द्वारा कर लिया जाता है तो उसे आगामी सत्र में 15 दिन का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण अवधि में उसे रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण अवधियों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उन्हें नि:शुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा दी जायेगी।

8. शिक्षा मित्र के कर्तव्य व दायित्व:

शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा और वह समिति के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होगा। किन्तु वह अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के नियंत्रण एवं मार्ग निर्देशन में करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय शिक्षा मित्र अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे।

शिक्षा मित्र को अकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र, द्वारा प्रदान की जायेगी और उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखत: इन केन्द्रों के प्रभारी/समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में अन्य व्यवस्थायें शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 से संलग्न शिक्षा मित्र योजना के अनुरूप प्रभावी होंगी। संदर्भगत शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 को उक्त सीमा तथा संशोधित/परिवर्तित समझा जाय।

कृपया तदनुसार शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रविशंकर)

सचिव ।

संख्या: व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उ0प्र0।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 निशातगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार आचार्यों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सचिव, उ0प्र0 शासन पंचायती राज विभाग।
6. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा/उर्दू एवं प्राच्य भाषायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. पंचायती राज अनुभाग-1
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
12. बेसिक शिक्षा शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,

(जी0 डी0 त्रिपाठी)

विशेष सचिव।

शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा का अवसर दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।

सेवा में,

अध्यक्ष,

ग्राम शिक्षा समिति,

ग्राम पंचायत -.....

जिला -.....

महोदय,

ग्राम पंचायत-.....द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित युवाओं की सामुदायिक सेवा में सहभागिता के लिए शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु दिनांक.....को प्रसारित विज्ञापन के संदर्भ में मैं शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा किये जाने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

मेरे अभ्यर्थन के संबंध में वांछित सूचनायें निम्नवत् है:-

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. निवास स्थान, ग्राम- ग्राम पंचायत जिला
4. शैक्षिक योग्यता -

(क) हाई स्कूल	श्रेणी	प्राप्तांक
(ख) इण्टरमीडिएट	श्रेणी	प्राप्तांक
(ग) अधिमानी अर्हता-बी0एड0/एल0टी0	श्रेणी	प्राप्तांक

5. जन्म तिथि

[(क)(ख)(ग) तथा 5. के संबंध में प्रमाण पत्र/अंक तालिकायें संलग्न है।]

6. जाति-(यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का हो) प्रमाण पत्र सहित उल्लेख।

शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक सेवा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मुझे योजना के सभी नियम व शर्तें मान्य होगी।

दिनांक-

भवदीय,

नाम/पता:

प्रारूप-दो

शिक्षा मित्र द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र ।

मैं.....आत्मज पति.....

ग्राम.....पंचायत समिति.....

जिला.....स्वेच्छा से समाजसेवी की हैसियत से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के आधार पर निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करता/करती हूँ:

1. मैं गांव के विद्यालय में एक समाज सेवी की हैसियत से शिक्षण कार्य करूँगा/करूँगी। मैं एक स्वेच्छिक कार्यकर्ता हूँ एवं अपने आपको राजकीय/परिषदीय कर्मचारी नहीं समझूंगा/समझूंगी। मैं इस समाज सेवा के लिए कोई वेतन नहीं लूंगा/लूंगी, केवल इस निमित्त नियमानुसार देय मानदेय ही प्रतिमाह प्राप्त करूँगा/करूँगी।
2. यदि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं किया जावे अथवा योजना के निर्धारित मानदण्डों पर मैं खरा न उतरूँ तो मेरी कार्य करने की दी गयी स्वीकृति रद्द कर दी जावे।
3. मेरा यह समाधान है कि शिक्षा मित्र के रूप में मेरा यह चयन केवल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्वक पूर्ण करने के बाद मुझे सर्वथा योग्य पाये जाने पर मुझे शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा करने का अवसर मिल सकेगा।
4. मैं ग्राम पंचायत शिक्षा समिति को यह अधिकार देता हूँ कि शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण के दौरान या बाद मेरे विरुद्ध कोई शिकायत या प्रतिकूल तथ्य प्रमाणित होते हैं तो मैं शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य समझा जाऊँगा।
5. योजना नियमांतर्गत अथवा जनहित में पंचायत द्वारा दिये गये निर्णयों का सम्मान करूँगा/करूँगी और स्वार्थवश कोई उज्रदारी नहीं करूँगा/करूँगी।
6. मेरे द्वारा दी गयी सूचना/सूचनायें तथ्यहीन या असत्य पायी जायें तो उनकी तथ्यता प्रकाश में आने के तुरन्त बाद बिना नोटिस के शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द कर दी जावे।
7. यदि मेरे प्रति ग्राम समुदाय में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो मुझे हटा दिया जावे।
8. शिक्षा सत्र के मध्य अथवा अंत में मेरे कार्य के मूल्यांकन में यदि मैं सफल नहीं हुआ/हुई तो मुझे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा निरस्त कर दी जावे।

दिनांक

हस्ताक्षर शिक्षा मित्र

हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण।

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2
संख्या-2000/60-2-2000-2/131911/93
लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2000

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

राज्य सहायतित परियोजना की सहायता से संचालित "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम" (डी०पी०ई०पी०) के द्वारा अर्ली चाईल्ड केयर एण्ड एजूकेशन (ई०सी०सी०ई०) केन्द्रों को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित करने के उद्देश्य से प्रदेश में, अनुलग्नक-1 में उल्लिखित जनपदों में एक प्रशासनिक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

(1)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई०सी०डी०एस०	सदस्य
(3)	सम्बन्धित विकास खण्ड के उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(4)	सम्बन्धित विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई०सी०डी०एस०	सदस्य/सचिव
(5)	सम्बन्धित न्याय पंचायत केन्द्रों के प्रभारी	सदस्य
(6)	जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा	सदस्य

2. उपरोक्त योजना का मूल उद्देश्य यह है कि अपने घर पर छोटे भाई/बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी बालिकाएं समीपवर्ती स्कूलों में दाखिला लें तथा उनके छोटे भाई/बहनों की देखरेख, स्थापित किए जाने वाले, ई०सी०सी०ई० केन्द्रों में की जाए। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में यह योजना संचालित की जायेगी, उनके खुलने तथा बन्द होने का समय वही होगा जो वहां के स्कूल खुलने और बन्द होने का समय होगा।

3. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ई०सी०सी०ई० केन्द्र का संचालन करेगी और उसकी केन्द्र सहायिका, ई०सी०सी०ई० केन्द्र में भी सहायिका का कार्य करेगी। अर्थात् दोनों केन्द्र समन्वित रूप से संचालित होंगे। चूंकि उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय तक कार्य करना पड़ेगा अतः उन्हें इस बढ़े हुए कार्य के सम्पादन हेतु निम्नवत् धनराशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में स्वीकृत की जायेगी :-

1- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रु0250/-
2- [illegible] रु0125/-

जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

(डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत चलाये जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन होगा, वहाँ भी कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जायेगी । उपरोक्तवत् आवंटित मानदेय सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम शिक्षा निधि में हस्तान्तरित की जायेगी । प्रस्तर-1 में गठित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिमाह मानदेय नियमित रूप से ग्राम निधि के माध्यम से ई०सी०सी०ई० कार्यकत्रियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं ।

5- परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को रु05000/- की धनराशि अनावर्तक अनुदान के रूप में तथा रु01500/- की धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी । जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण प्रस्तावित / निर्माणाधीन है, वहाँ यदि शैक्षिक उपकरण पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो अनावर्तक अनुदान के रूप में प्राप्त रु05000/= की धनराशि बच्चों हेतु स्थानीय चूल्हे के निर्माण में व्यय की जा सकती है । शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनावर्तक अनुदान से क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दरी, बच्चों के खिलौने, शैक्षिक उपकरण व साज-सज्जा आदि पर प्रस्तर-1 में वर्णित समिति के अनुमोदन से व्यय की जायेगी । आवर्तक अनुदान का व्यय स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सामग्री ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से क्रय की जायेगी । अतः रु0 5000/= की धनराशि अनावर्तक अनुदान भी ग्राम निधि में स्थानान्तरण की जायेगी ।

6- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का यह दायित्व होगा कि उनके आंगनबाड़ी केन्द्र पर संचालित किए जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन समुचित तरीके से हो तथा ई०सी०सी०ई० केन्द्र में आने वाले बच्चों का नाम से लेखा-जोखा रखा जाए ।

7- प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर फलदार पेड़ जैसे [illegible] नीबू, अमरूद तथा पपीता के पेड़ लगाना अनिवार्य होगा । इन पेड़ों की पौध क्रय करने पर आने वाला व्यय प्रस्तर-5 में वर्णित अनुदान से वहन किया जायेगा । प्रत्येक
का यह दायित्व होगा कि वह आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी केन्द्र की माप के आधार पर अधिक से अधिक इन पेड़ों को लगाए, क्योंकि इन पेड़ों के फलों से लाभार्थियों को प्राकृतिक रूप में प्रचुर पुष्टाहार उपलब्ध हो सकेगा ।

8- प्रत्येक जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जिले में इस योजना के संचालन हेतु समुचित पर्यवेक्षण करे और अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। योजना के पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड की बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

ललित श्रीवास्तव
सचिव।

संख्या-2000(1)/60-2-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, निशातगंज, लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4- सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी।
5- सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक।

आज्ञा से,

(राम बहादुर सिंह)
उपसचिव।

क्रमांक	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	गांव संख्या	
1	2	3	4	5
1-	देवरिया	बरहज	35	लकड़ी, दौला, मंझिल, सड़का मरि, देवा, रामपुर हसनाल, समदतार, करमहां, कटहरा, मरदपार, हरकौरा, कोटवा, बरसि, समोतर, कोदई, मृतापर, भरताल उपादवाल, लवकनी गंगा, हरकड़ी, गेनापा, करायलपुर, कड़ेसर, जयनगर, दरियाबारा, कुरह, सिसोपुर, बहुदा उफरा, होरी, महेन, नाफिता।।।।, पतोरा, देवदार, कोदुआ, हाविरा पुर्व, उसरामोहा, सिसोपुर, लक्ष्मीपुर, ईश्वर नवकली।
		रुद्रपुर	18	महुआ, पकड़िया, अविलहरपुर, सहुआ गर, रामगढ़, कहौली, केवट लिया, मरोलिया, कुरिहा, गोछा तिवारी, बलुआ, नगवा खास, अहियारी, सरांघुई, गुईपुर, शीतलपाला, तारापारा, महरहा।
		सलेमपुर	10	देरौ।।।।, बथलपुर, नवलपुर, देवरास उर्फ रामपुर, हरदल कोर, अतरौली, नकटा भोपाई, बांसपोखरा, शिव डाडमासी, मलफौली।
		भैतालपुर	12	हुलासपुर, जगदीशपुर, चैनपुरिया, गोविन्दपुर, पाण्डेयपार, करमैल बजरही, बनहीपुर, बरारी, बरदारा, सोफहांसा, भेलई, प्रसाद, महरानगंज, ईटवा।
2-	घोसगढ़	चौरापल	67	लहटरी, परसौआ, करहोता, पुरवा, मदका, होमई, सुवा, देवगढ़, माधिकडा, रिसुहार, रघेउर, पिसरैली -।, शिवौली, पडलीमिया, मनदहा, कुड़ेल, मरहरौरा, बोरिडार, मझोली, पितरसार, चौरापत, पिपरहरी -।, कोठी -।, रमोली, डेवली, हिरदाई, पतरदेवा, शोभिनी, मापतोहर, हुरकली, सिसहार, पुरवाल -।, सिरौरो, भवरवामा, पुरलिया, फुलारी, सोह, केवटा, महुआ, मापडेम, कोसाइल, सिलौली, ओदार, दरहोता, पिडरिया, मीलगाहार, कोदरिया, डेगाड़ा -।, कुसहरिया -।, दामडेगदोहर, कुआर, परसोल

	दुद्धी	44	पीडर, रनहू, दुम्हरान, महुवरया, मुलाकासरिता, घसोरा, सारोवेला, छटोंगी, सारोकुर्द, पिपरटही, मझौली, रन्हू, सल्हेवा, पटना, जुगरी, टेढ़ा, वीढल, कमर्या, झक्सार, निगितडीह, पिपरडीह, नगहुर, हरपुरा, मझौली, करिहा, मडीसेमर, सतैयाडीह, परती, डोलदा, मुस्टेल्हवा, पोतिलढुवा, बागादुबा, देवाल रन रन्हू-II, दुम्हरान-II, हरमाली, परसा घसोर, अपला, छटोसी, घसोरा, महुआरिया, डुमरडीहा, बघर, वीडुम, डुमरडीहा।
3-. ललितपुर	महरावरा	16	रनगांव, गुरयाना, वैरवारा, महावरा, अर्जुनखिरिया, गोजा, मोजा, रजवारा, झ्कोजा, अलंदर, पड़डीकला, बौलदा, घोरीलागर, बमराना, उत्तमाखुर्द, डोंगरा
	बिरधा	04	बालाबेहट, ददारिया, पटसेमरा, घौरी।
	बार	25	पारोन, टोडी, फेलगवां, अरावली, गोगाल, बार, बमर, देवरान, धिमलौआ, नाबपुर, डगराला, भारीटोरन, खितौलीतोन, गैदोरा, क्लवारा, रपाला, दहरारा, भारोली, बगारा, हीरापुर, सिलगा, करवई, सिरोरा, हैलवारा, गावती।
	महरौनी	03	सिलरा, सिवनीखुर्द, बमरौआ।
	मडावरा	03	पठा, लम्हेडी, कैथारा।
	तालबेहट	24	करेगा, बन्नुवकला, सिवरौठा भौलाई, मगांव, मऊ, कोटरा, उदगुवां, पिपलपुरा, पूराकलां, धुराखली, दुरैरा, कडेसरकलां, सेरवांसकला, सिदरौठा, बिहारीपुरा, रानीपुरा, भावौ, बन्हेतरा, इस्टोरा, कन्डारी, रमपुरा, धुकौरी, छांगा, रजावन।
बदायूं	वजीरगंज	25	रोठा, कौनिया, मछोई-बोठा, कल्लिया-दामपुर, सिवलया, पेंतन, पसरैल, सागौ हरनाथपुर, हुसैनपुर, सिलौली गंज, रजौडिया, उरैना, हरनाथपुर, दौरमहर, कुदुआ, मीरापुर, चिवरली, पामरपुर, कोर, इ पकौटा, छबेहरी, इतरा, पतिलगोटिया, सिंहरा, पलकोटा, तहरापुर।

		इरतTसनगर	25	[illegible], उदगुर, [illegible], [illegible] ।
5-	महरTसगंज	पसिहरT	11	[illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवीपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
		महरTसगंज	15	रसपुरवा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], तिवारी, [illegible], [illegible], [illegible] ।
		सिमलति	10	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
		फरेंदT	40	[illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], ठाकुर, निरकTसनगर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], गणेशपुर, [illegible], [illegible], फरेंदा[illegible], [illegible], गोपालपुर पिपरा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], परसिया, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवीपाटन, [illegible], [illegible] । पंचमी, हरपुर, फरेंदा[illegible], [illegible], [illegible] ।
6-	[illegible]	[illegible]	21	[illegible], [illegible] ।
		[illegible]	21	[illegible], [illegible] ।

7-	फिरोजाबाद फिरोजाबाद	49	दतिया रा, रसूपटी, नगला, सिरसगंज, सहजापुर, अरांव, इटोली, फिरोजपुर, मोहम्मदाबाद, डाहिनी, आमरी, पहाड़पुर, हरगनपुर, अब्बासपुर, हेवतपुर-ऊर्फ, हरिहर, सुहाग, मुबारकपुर, सदा-बांसा, मकरनपुर, खदारा, मटोसिरौली, हरदुमई, मोहनी नगर, बांगहरा, रोदरा, मठसाबाद, पिलकनी, रूपपुरा सिरार, महादेवगढ़, बड़ा परखम, अहरा, हमाज़पुर, पादरोली, नेवड़ा, कनगई, नदलपुर-ऊर्फ, नारपरा खुर्द, जारौरपुर, सीय-कोरियाबाद, कहली, मनिकी, सनीरपुर, नाजपुर, अंगातीपुर, गुजावलपुर, खपुरा, करवुरा, रसतार, कलाणपुर।
	टूण्डला	41	मोहम्मदपुर, टूण्डलाजगत, टूण्डलाजगत, वसई, मोहम्मदाबाद, महतानगाबाद, टूण्डली, सo दर्शे, सoसिंधी, खाई, हरगुला, गोरपुरा, गोरपुरा पारेखेर, ठारहौरा, जलालपुर, गंदेमली, नाराई, गढ़ी गोपाल, मुरहापली, पूरहापली, नाहीदे, कोटली, देवखेड़ा, पमारारी, पुर्व बहद्दा, खांदर, गढ़ी-भूपाल, मुबारकनगर, हेमरापुर, माशिय, श्रीनगर, गढ़ीओरी, मठपत, हिम्मतपुर, मठद्वता, मदूरस, गढ़ी, तिलंद, रिमसिंहपुर, नटोमा, छितरा।
8-	तकीपुरखीरी विधानसभा	126	परपताहा, पिरलापुरना, मोहन सियाहेड़, महोरी, खेडारा, खेडारा, खेडारा-2, यह परसोता, गोतीपुर, मोतीपुर, सिंगाही माता, सिंगाही धमरोला, परसोता, पुरहा परसोता, पुरहा परसोता लोरंगाबाद, रसालगंज, मंगपुरवा, सिंगाही ऊता, सिंगाही, सिंगाही, सिरमा, अमीनपुरवा, गसती पुरवा, रसूलपुरअंसी सिंगाही कला।
	सिखरा	25	पहोड़ा, हिमरतेल, ललिहा, रामनगर, अमराहा, ब तेलपुर, कठरिहिया, देवरिया, अलीगंज, रड़ा देवरिया, अब्दुलपुरवा, नेहरी, गुलरिया, हरेर-1, पहारियापुर, मुडियाहेमसिंह, लखुआ, गोमतीत,

				[illegible], अमेठी ।
-	मुरादाबाद	मुरादाबाद	16	मनोहरपुर, सिरसखेड़ा, [illegible], [illegible], [illegible], दौलीपुर, रामपुर, सिकन्दर, देवापुरी, [illegible], देहराडीपुर, [illegible], रघुपुर, [illegible], दौलरपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
		बिलारी	09	मझूला, रतनपुरकलां, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], राजा का सहसपुर, कुढ़, गैहरा, देहरार ।
		कुन्दरकी	15	पिलपुर, रामनगला, पिपलिया, हाटीपुर, [illegible], चांदपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], अटपुरा, नारपुर, [illegible], काशीपुर, [illegible], [illegible], [illegible] ।
10-	गोण्डा	पण्डरीकृपाल	25	पकड़ी, [illegible], [illegible], [illegible], सिंहपुर, [illegible], [illegible] द्वितीय, रेतापुर, पियरा, [illegible], [illegible], [illegible], मिश्रपुर, [illegible], [illegible], पिपरा, [illegible] द्वितीय, [illegible], [illegible], [illegible], मुण्डेरवा माफी, [illegible], बीरपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], गंतरी ।
11-	हरदोई	सण्डीला	25	पुरवामऊ, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-11, [illegible], [illegible]-1, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-1, [illegible], [illegible]-1, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-1, [illegible], [illegible] ।
		कछौना	22	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], बरवा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देव, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-11, [illegible]-[illegible]

12- बरेली	बरेली शहर	124	इज्जतनगर, बाहताई, जंक्शन, सिविल लाईन्स, राजेन्द्रनगर, कालीबाड़ी, कुआ, प्रेमनगर, बाड़ी, फूटादरवाजा, कटरा, मीरगंज, सिकलापुर, आलमगिरि, कोहनरान, आजमनगर, सुर्खा, सिविल लाईन्स, कटरा चाँदखाँ, सुभाषनगर, रबड़ी टोला, हरचनपुर, फ्रीगंज, ठाकुरद्वारा, नैनीताल, जगतपुर, बाकरगंज, कमीनतमार, अमर, अरबन, कोहाड़ापीर, भूड़, खनपुरी, बनपुरी, मेरठ रोड, विहारीपुर, बकरीपुर, बारादरी, जोगी नवादा, सुभाषनगर, सुभाषनगर, शाहदाना, चौपला, मलूकपुर, रहीमपुर, कटघर, सिकन्दरपुर, भगतपुर, मलूकपुर, पंजाबपुरा, गुलाबराय, प्रेमनगर, कुतबखाना, हजियापुर, गुलाबनगर, पटेलनगर, ठाकुरद्वारा, गंगापुर, बिहारीपुर, राजेन्द्रनगर, सुभाषनगर, नेकपुर, कुंवरपुर, दीपकी, गंगापुर, मधुबन, बानखाना, कोहाड़ापीर, कुआ-11, महानगर, राजपुर कलां-11, किला-11, प्रेमनगर-11, सुभाषनगर-11, कालीबाड़ी-11, अलखनाथ-11, शिवपुरी-11, गंगापुर-11, सिविल-11, साहूकारा-11, संजयनगर-11, मढ़ीनाथ-11, सुर्खा-11, जनकपुरी-11, कटराचाँदखाँ-11, साहूकारा-11, राजेन्द्रनगर-11, बाहताई-11, भूड़-11, आलमगिरि-11, बिहारीपुर-11, प्रेमनगर-11, बाकरगंज-11, चाहबाई-11, सुभाषनगर-11, मढ़ीनाथ-11, हजियापुर-11, सुभाष नगर-111, आलमपुर-111, मढ़ीनाथ-111, अलखनाथ-111, राजपुर कलां-111, शिवपुरी-111, सैनी-111, सिविल-11, सैनी, सैनी-4, सैनी-5, सैनी-6, कुआ-4, कुआ-5, कुआ-6, कुआ-7, शिवपुरी-4, शिवपुरी-5, शिवपुरी-6, शिवपुरी-7, राजपुर कलां-4, गंगापुर-11, बाहताई-111, मढ़ीनाथ-4, आलमपुर-4, आलमपुर-5, मढ़ीनाथ-4 ।
13- पीलीभीत	पीलीभीत	25	पिठोरा, नौगवा, सिरसा, जोगीठेर, बहादुरगंज, सितारगंज, मोहनपुर, पूरनपुर, हथनी, हुसैनपुर, मकरंदपुर, पिठौरा, देश, पिडिया, छत्रपुर, बीसलपुर, नौरंगाबाद, मीरगंज, मालगोदाम, बंजरिया, बिलसंडा, जहानाबाद, हिम्मतनगर, कुण्डा, बरखेड़ा, कलीनगर, अमरिया ।

....

		मीरनपुर	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], मोहम्मदपुर [illegible], अलीपुर, [illegible], [illegible], [illegible], दरेवा, [illegible], [illegible], इस्माइलपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], बिहारीपुर [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	25	[illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ।
14-	[illegible]	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रामपुर-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible]-1, [illegible]-2, [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

[illegible], [illegible] ।

संख्या-3274 /5-11-2000- ई-42/98

प्रेषक,

डा. सी.डी. माहेश्वरी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना
निशातगंज लखनऊ।

2. शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

4. महानिदेशक
रा.शै.अनु. एवं मूल्यांकन
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 01 अगस्त, 2000

विषय:- उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण।

:-----:

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-एस.एल.17/5-11-99 ई-42/98, दिनांक 21 जुलाई, 1999, जिसके द्वारा गत वर्ष प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (यू.पी.बी.ई.पी./डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत 35 जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों में आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त कार्यक्रम की गत वर्ष की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये शासन ने वर्तमान शिक्षा सत्र में इस कार्यक्रम को प्रदेश के 78 जनपदों जिसकी सूची संलग्न है, जनपद लखनऊ को छोड़कर (जो पी.ओ.आई.ए.स्ट के अन्तर्गत लिया गया है), चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों की देख-रेख में सुनियोजित ढंग से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ कार्ड बनाना, रेफरल कार्ड बनाना, विकलांग बच्चों को चिन्हित करना व उन्हें प्रमाण-पत्र देना तथा कृमिनाशक (डी-वार्मिंग)

अभियान चलाया जाता है ताकि बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनका उपचार समयानुसार हो सके ।

3. उक्त कार्यक्रम के सुचारु संचालन हेतु शासन स्तर पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

(1) इस कार्यक्रम को तीन चरणों में माह 15 अगस्त, 2000 से दिसम्बर, 2000 तक पूरा किया जाये । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विचार-विमर्श करके सभी विद्यालयों को तदनुसार सूचित करायेंगे ।

(2) स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) अपने क्षेत्र में एक माह में आठ विद्यालयों को आच्छादित करेंगी व हेल्थ कार्ड तथा संदर्भ कार्ड बनवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी । स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेगा कि वजन मापने की मशीन व हाईट स्केल उपलब्ध हों ।

(3) आवश्यकतानुसार बेसिक शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके ।

(4) बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्ड व सन्दर्भ कार्ड राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा । इस संदर्भ में जो कार्ड बनाये जायेंगे वह निम्न तीन प्रकार के होंगे :-

1.	लाल संदर्भ कार्ड	गम्भीर रोगों के लिये
2.	पीला संदर्भ कार्ड	कम गम्भीर रोगों के लिए
3.	हरा संदर्भ कार्ड	साधारण रोगों के लिए

स्वास्थ्य कार्डों व संदर्भ कार्डों में प्रविष्टियाँ अंकित करने एवं उनके रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) आवश्यकतानुसार प्रधानाध्यापक को सहयोग करेंगी ।

केसरी

5- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग तथा बाल विकास परियोजना के अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति समय-समय पर बैठकें करके इस परियोजना की समीक्षा करेगी और आने वाली समस्याओं का जिला स्तर पर समाधान करने का प्रयास करेगी। समिति के गठन की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

6- जिलाधिकारी जनपद में कार्यरत रेडक्रास सोसाइटी एवं अन्य स्वयंसेवी/स्वैच्छिक/धर्मार्थी संस्थाओं का सहयोग भी लेने का पूरा प्रयास करेंगे एवं उनके सहयोग से विशेषकर पर्याप्त मात्रा में समय से कृमिनाशक (डी-वार्मिंग) औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7- विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक तीन माह में सी.एच.सी. स्तर पर परीक्षण किये जाने तथा उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जाये। इसके लिये सी.एच.सी. पर प्रत्येक त्रैमास के अन्तिम सप्ताह कोई एक दिन/तिथि निर्धारित की जाय और उस दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहें। यथा सम्भव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उस दिन ई.एन.टी. सर्जन, आर्थोपैडिक सर्जन तथा नेत्र विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। दिवस/तिथि के निर्धारण की कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जनपद में इसका विशेष प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी इसकी सूचना प्रत्येक गाँव पंचायत के विद्यालय को पहुँचायेंगे।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तत्कालसार सम्पन्न कराने तथा प्रगति प्रत्येक माह संलग्न प्रारूप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिये शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा भवन, लखनऊ को व उसकी एक प्रति महानिदेशक, परिवार कल्याण को उपलब्ध करायेंगे।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,

(डा० जी.डी. माहेश्वरी)
सचिव।

संख्या-3274(1)/5-11-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव ~~[illegible]~~ महोदय के सूचनार्थ।

2- प्रमुख सचिव, शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन।

3- सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड।

5- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6-8-2000

आज्ञा से,

(कामिनी श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना [बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद]

1. वाराणसी
2. भदोही
3. गोरखपुर
4. इलाहाबाद
5. बांदा
6. इटावा
7. सीतापुर
8. अलीगढ़
9. सहारनपुर
10. पौड़ी
11. नैनीताल
12. ऊधम सिंह नगर
13. कौशाम्बी
14. औरैय्या
15. हाथरस
16. चन्दौली
17. चित्रकूट

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम [डी०पी०ई०पी० जनपद]

1. महाराजगंज
2. सिद्धार्थनगर
3. गोण्डा
4. बदायूं
5. लखीमपुर खीरी
6. ललितपुर
7. पीलीभीत
8. बस्ती
9. मुरादाबाद
10. शाहजहांपुर
11. सोनभद्र
12. देवरिया
13. हरदोई
14. बरेली
15. फिरोजाबाद
16. बलरामपुर
17. ज्योतिबाफुले नगर
18. संत कबीर नगर

डी०पी०ई०पी० जनपदों की सूची

क्र०सं०	जनपद का नाम	क्र०सं०	जनपद का नाम
1.	उन्नाव	33.	बिजनौर
2.	रायबरेली	34.	बागेश्वर
3.	कानपुर देहात	35.	पिथौरागढ़
4.	फर्रुखाबाद	36.	चम्पावत
5.	कन्नौज	37.	उत्तरकाशी
6.	मैनपुरी	38.	टिहरी
7.	एटा	39.	रामपुर
8.	आगरा	40.	बाराबंकी
9.	मथुरा	41.	बहराइच
10.	मेरठ	42.	श्रावस्ती
11.	बागपत	43.	[illegible]
12.	बुलन्दशहर		
13.	गाजियाबाद		
14.	गौतमबुद्ध नगर		
15.	कुशीनगर		
16.	झांसी		
17.	जालौन		
18.	फैजाबाद		
19.	अम्बेडकर नगर		
20.	सुल्तानपुर		
21.	आजमगढ़		
22.	बलिया		
23.	मऊ		
24.	जौनपुर		
25.	गाजीपुर		
26.	मिर्जापुर		
27.	प्रतापगढ़		
28.	फतेहपुर		
29.	हमीरपुर		
30.	महोबा		
31.	उधमसिंहनगर		
32.	हरिद्वार		

विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट

जनपद का नाम:..........

रिपोर्टिंग माह ....

क्र0 सं0	प्राथमिक स्वा0 केन्द्र का नाम	विद्यालय का नाम	स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि	कुल छात्रों की संख्या जिनका परीक्षण किया गया	छात्रों की संख्या जिनको विद्यालय में ही उपचार दिया गया	छात्रों की संख्या जिन्हें संदर्भित किया गया			सामु0स्वा0 केन्द्रों में विकलांगों की परीक्षण तिथि	प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्रों की संख्या			अन्य विवरण
						गंभीर	कम गंभीर	साधारण		मूक	श्रवण दोष	दृष्टिदोष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

विद्यालय गुणवत्ता निष्पादन (परफारमेन्स) के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण हेतु

चेक बिन्दु

कुल अंक – 50

विद्यालय एवं कक्षा–कक्षों का भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण

भाग – एक

कुल अंक – 9

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
1	विद्यालय भवन / कक्षा–कक्षों की रंगाई, पुताई, सफाई	1	• वर्षवार प्राप्त विद्यालय अनुदान का प्रयोग – रंगाई, पुताई, टाट पट्टियाँ, प्लास्टिक की चटाई, अध्यापक की कुर्सियाँ, सनमाइका टाप टेबल, विकलांग बच्चों के लिए रेम्प, खेल–कूद का सामान तथा अन्य कार्य
2	शौचालय का रखरखाव / प्रयोग	1	• क्या शौचालय का प्रयोग हो रहा है? • क्या शौचालय स्वच्छ हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
3	पीने के पानी की व्यवस्था / हैण्ड पम्प का रखरखाव	1	• क्या हैण्ड पम्प सही स्थिति में है? • हैण्ड पम्प प्रयोग हो रहा है? • उसके चारों ओर स्वच्छता है? सीमेन्ट का चबूतरा बना है? पानी निकास की व्यवस्था है?
4	विद्यालय अभिलेख का रखरखाव	1	• बालगणना पंजिका • उपस्थिति पंजिका • पुस्तक वितरण / बुक बैंक पंजिका • अन्य प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, खाद्यान्न वितरण • ग्राम शिक्षा योजना अद्यतन स्थिति • स्वास्थ्य कार्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण की अद्यतन स्थिति • छात्रों के मूल्यांकन कार्ड एवं अद्यतन स्थिति • ग्राम शिक्षा समिति बैठक / कार्यवाही पंजिका • माता शिक्षक / अभिभावक शिक्षक बैठक / कार्यवाही पंजिका

शिक्षक एवं शिक्षण/अधिगम संबधी

भाग – दो

कुल अंक – 29

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
9	शिक्षक का व्यक्तित्व	1	• वेशभूषा, साफ सुथरी • संयत एवं मुस्कुराहट • प्रसन्नचित्त, मृदुस्वभाव, समयबद्धता • शिष्ट एवं अनुशासित आचरण
10	शिक्षक की भाषा एवं सम्प्रेषण क्षमता	3	• स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है। • शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करता है। • उसकी बात/भाषा, कक्षा के सभी बच्चों को समझ में आती है। • बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से सम्बोधित करता है।

क्र०सं०	चेंक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
11	अध्यापक का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण	1	• मित्रवत् – स्नेहपूर्ण • सकारात्मक • बालिकाओं एवं बालकों के प्रति समान भाव रखता हो। • अध्यापकों का व्यवहार छात्रों को प्रोत्साहन देता है या नकारात्मक शब्दों से उन्हें हतोत्साहित करता है। • बच्चों की शैक्षिक प्रगति के प्रति संचेत/प्रयासरत रहता है या नहीं।
12	सभी बच्चों तथा शिक्षक के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा अनुपूरक साहित्य उपलब्ध हैं?	1	• शिक्षक के द्वारा T.L.M. अनुदान से स्वयं के लिए पुस्तकें क्रय की गई है या नहीं। • बालिकाओं एवं अनु०जाति के लड़कों को पुस्तक समय से उपलब्ध हुई या नहीं। • अन्य आर्थिक रुप से कमजोर वच्चों को बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध करायी गई या नही।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
13	विद्यालय अनुशासन	1	• क्या विद्यालय समय से खुलता है? • बच्चों की एसेम्बली (प्रार्थना सभा) होती है? • बच्चे विद्यालय तथा कक्षाओं में अनुशासित हैं?
14	• कक्षावार समय सारिणी की उपलब्धता • पाठ्यक्रत की उपलब्धता • समयबद्ध शैक्षिक इकाईयों के अनुसार पढ़ाई की जा रही है या नहीं?	3	• समय सारिणी का अनुपालन करना • समयबद्ध रूप से शैक्षिक इकाईयों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। • पूर्व में पढ़ाई गई इकाईयों पर पुनरावृत्ति करायी जाती है या नहीं।
15	शिक्षक संदर्शिका के आधार पर शिक्षक के द्वारा T.L.M. एवं बतिविधियों की अन्य आवश्यक तैयारी की है या नहीं।	3	• नवीन इकाई/विषय वस्तु के लिए पाठ योजना बनाकर तैयारी करता है या नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
16	क्या शिक्षक बच्चे पाठ/विषय के अनुसार शिक्षक अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करते हैं।	2	• क्या विषय वार, पाठ वार शिक्षण अधिगम सामग्री की समझ अध्याापक को है? एवं इसका आवश्यकतानुसार विकास किया जा रहा है? • स्थानीय सामग्री का प्रयोग शिक्षक अधिगम सामग्री के रूप में तथा इसके निर्माण में किया जाता है?
17	क्या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियाँ कराई जा रही हैं?	1	• बच्चों को करके सीखने में अध्यापक मदद करता है? • क्या बच्चे स्वयं गतिविधियाँ करते हैं?
18	क्या अध्यापक कक्षा गतिविधियों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराता है।	3	• क्या बालिकाओं और कमजोर बच्चों को अभिव्यक्ति एवं गतिविधि करने का समान अवसर दे रहा है। • कुछ बच्चे गतिविधि करें तथा कुछ निष्क्रिय, उपेक्षित हों ऐसा तो नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
19	कक्षा के समस्त बच्चे क्रियाशील हैं?	3	• क्या बच्चों से वाचन/लेखन कार्य कराया जाता है? • क्या बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं? • क्या बच्चे गतिविधि करके सीख रहे हैं? • क्या बच्चे समूह में एक दूसरे से सीख रहे हैं। • क्या बच्चे एकाग्रचित्त हो कर अपना अभ्यास कार्य कर रहे हैं? • क्या अध्यापक के द्वारा विभिन्न प्रत्ययों के स्पष्टीकरण के समय बच्चे सचेत होकर ध्यान दे रहें हैं? • क्या बच्चे गणित के प्रश्न अथवा अन्य लेखन कार्य एकाग्रता से कर रहे हैं? • क्या बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
20	पाठ्य पुस्तक में दिये गये अभ्यास कार्य नियमित रूप से पूर्ण किये जा रहे है या नहीं।	3	• पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के उपरान्त दिए अभ्यास कार्यों को किया जा रहा है? • प्रत्येक इकाई के उपरान्त दिए गए अभ्यास एवं मुल्यांकन • कक्षा कार्यों की जांच एवं उसके सुधार का अवसर दिया गया?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
21.	क्या अध्यापक पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराता है?	1	• पाठ्य सहगामी क्रियाओं में लड़कियों की सहभागिता है या नहीं? • क्या बच्चे स्वतंत्र रूप से पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों, क्रियाओं, अनुशासन, पुस्तकालय आदि का संचालन करते हैं तथा इसके लिए उनकी समितियाँ बनी हैं? • ड्राइंग, क्राफ्ट को सप्ताह में कितने दिन तथा कितने घण्टे समय दिया? • खेल–कूद/पी०टी० को सप्ताह में कितना समय मिलता है? • स्कूल में 3 माह में कितनी बार तथा किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुईं? • पुस्तकालय की पुंस्तकों को पढ़ने के लिए कितना समय दिया गया है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
22	क्या विद्यालय में विद्यालयी सरकार बनी है।	1	• क्या बालिकाओं को उक्त समितियों में बराबर का भागीदार बनाया गया है? • क्या बच्चों की सरकार विद्यालय संचालन में सहयोग करती है? (पुस्तक वितरण, पर्व–उत्सव, बाल मेले, प्रतियोगिताएं, मूल्यांकन, शिक्षण, उपस्थिति सुनिश्चित कराना, दीवार समाचार–पत्र बच्चों के द्वारा तैयार किया गया तथा कब बनाकर लगाया गया? इत्यादि)
23	अध्यापक के द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग / कार्य	2	

छात्रों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन/अनुश्रवण सम्बन्धी

भाग – तीन

कुल अंक – 12

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
24	पाठ्य पुस्तक में 'कितना सीखा' के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं?	1	• इकाई आधारित
25	शिक्षक के द्वारा गृह कार्य दिया जा रहा है/उसकी जाँच की जा रही है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
26	छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति	3	पर्यवेक्षण कर्ता स्वयं पर्यवेक्षण के समय कम से कम दो विषय भाषा एवं गणित का मूल्यांकन उस समय तक पढ़ाई जा चुकी इकाइयों में से 5–5 प्रश्न/अभ्यास कराके जाँच करें।
27	क्या अध्यापक बच्चों का वर्षवार/छमाही संचयी मूल्यांकन अभिलेखन करता है एवं उसका प्रयोग करता है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
28	मासिक परीक्षण/इकाई परीक्षण के उपरान्त उभरे कठिन स्थलों/बिन्दुओं पर शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया गया अथवा नहीं।	3	• कमजोर, पिछड़े बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयास • (गिफ्टेड) अतिमेधावी बच्चों के लिए संसाधन जुटाना। उन्हें नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिलाना।
29	क्या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन भी किया जा रहा है।	1	प्रतियोगिताओं में अच्छे कार्यों का विवरण मूल्यांकन कार्ड
30	क्या बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराता है?	2	• छमाही पर बच्चों के उपलब्धि स्तर उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं कमजोरियों के सम्बंध में अभिभावकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है?

कुल अंक	50

श्रेणीकरण

अंक	श्रेणी
41-50	अ (A)
26-40	ब (B)
16-25	स (C)
0-15	द (D)

Month wise categories provided to the school

	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May
NPRC-C											
BRC-C											
SDI, ABSA											
BSA											
DIET											
Others											
Total											

Sl. No.	Village Code Name	Habitation No. Name	Census Popl'n 1991 Total	SC	ST
	360	B/f :	463192	102967	51
1119.	361 Mihoi	2 Chubya	100	0	0
1120.		3 Gariya Gulab	453	262	0
1121.		4 Gariya Mulu	351	113	0
1122.		5 Mechaiya	100	0	0
1123.		6 Kasaua	274	0	0
1124.		7 Beechka Chandra	50	0	0
1125.		8 Chkariya Danda	71	0	0
	361	Tehsil Total :	463221	103252	51
	35 2 Barthana Tehsil				
	35 2 4 Takha Block				
1126.	1 Tirkhi Tilokpur	1 Tirkhi Tilokpur	222	0	0
1127.		2 Tilokpur	237	0	0
1128.		3 Barsenda	282	9	0
1129.		4 Durha	351	0	0
1130.	2 Sarsai Nawar	1 Sarsai Nawar	3235	1154	0
1131.		2 Chandra Nagar	279	88	0
1132.		3 Girdhar Pura	99	40	0
1133.		4 Nagla Bal Singh	298	70	0
1134.		5 Kuber Pura	462	0	0
1135.		6 Daulat Pura	278	0	0
1136.		7 Hatila	234	0	0
1137.		8 Patta Pura	239	0	0
1138.		9 Ruriya	368	0	0
1139.		10 Bhadarpura	195	132	0
1140.		11 Nagla Jalal	239	0	0
1141.		12 Nagla Sundra	419	0	0
1142.		13 Nagla Ekpura	318	0	0
1143.		14 Nagla Khidariya	50	0	0
1144.		15 Dera Banjaran	179	158	0
1145.		16 Raipura	302	132	0
1146.		17 Kachhpura	467	0	0
1147.		18 Madaiyya Mansing	72	0	0
1148.		19 Nagla Mara	0	0	0
1149.		20 Kripal Pura	311	0	0
1150.	3 Kadampur	1 Kadampur	1159	431	0
1151.		2 Nagla Gokul Pura	237	0	0
1152.		3 Rampura	228	0	0
1153.		4 Udaipur Kalan	276	216	0
1154.		5 Udaipur Khurd	327	0	0
1155.		6 Nagla Kisin Pura	307	0	0
1156.		7 Nagla Prithvi Pura	353	0	0
1157.		8 Kadampur	0	0	0
1158.		9 Nagla Bharha	99	0	0
1159.	4 Nagla Kiratpur	1 Nagla Kiratpur	150	0	0
1160.		2 Madaiyya Garariyan	169	12	0
1161.	5 Bachhroi	1 Bachhroi	940	192	0
1162.		2 Nagla Gange	204	96	0
1163.		3 Nagla Kachhpura	101	38	0
1164.		4 Khilji Pura	216	0	0
1165.		5 Nagla Rampura	233	0	0
1166.		6 Nagla Madan Pura	0	0	0
1167.	6 Badkan Shahpur	1 Badkan Shahpur	491	33	0
1168.		2 Adda	157	0	0
1169.	7 Bharatpur Kalan	1 Bharatpur Kalan	303	31	0
1170.		2 Nagla Bhagwanpur	95	0	0
1171.	8 Anandpur	1 Anandpur	66	33	0
1172.		2 Bhagwanpur	58	0	0
1173.	9 Murcha	1 Murcha	617	244	0
1174.		2 Nagla Dharao Nagaria	100	0	0
1175.	10 Nagla Lalman	1 Nagla Lalman	270	0	0
1176.	11 Tandehar	1 Tandehar	272	0	0
1177.		2 Nagala Jamuria	61	43	0
1178.	12 Usrahar	1 Usrahar	321	31	0
1179.	13 Mohari	1 Mohari	1128	434	0
1180.		2 Gariadeep Singh	802	0	0
1181.		3 Nagla Jamni	109	0	0
1182.	14 Chamarpur Rudra	1 Chamarpur Rudrapur	437	311	0
1183.		2 Rudrapur	119	0	0
	13	C/o :	19571	3888	0

Sl. No.	Village Code Name	Habitation No. Name	Census Popl'n 1991 Total	SC	ST
	13	B/f :	19571	3888	0
1184.	14 Chamarpur Rudra	3 Mana Pura	79	79	
1185.		4 Nagla Nain Sukh	79	0	
1186.		5 Nagla Baba Ki Sala	21	0	
1187.	15 Kointa	1 Kointa	416	0	
1188.		2 Nagla Chhajju	251	0	
1189.		3 Nagla Saraiyya	803	463	
1190.		4 Nagla Pisapura	265	0	
1191.		5 Nagla Kuja Jhani	222	[illegible]	
1192.		6 Nagla Dayal	222	0	
1193.		7 Nagla Bhage	532	0	
1194.		8 Nagla Dandi	167	0	
1195.		9 Nagla Bahadurpur	56	0	
1196.		10 Nagla Rathiya	35	0	
1197.	16 Kaua	1 Kaua	764	153	
1198.		2 Nagla Rampura	611	0	
1199.		3 Nagla Badanpura	53	0	
1200.		4 Nagal Chhiriyahar	240	0	
1201.		5 Nagla Bada	44	28	
1202.		6 Nagla Bhidwara	262	0	
1203.	17 Khara Bandh	1 Khana Bandh	312	312	
1204.		2 Nagla Bandh	265	42	
1205.		3 Nagla Nagariya	275	0	
1206.	18 Sonthana	1 Sonthana	526	241	
1207.		2 Nagla Raj Pura	498	0	
1208.		3 Nagla Bhago	100	0	
1209.		4 Rajpura	209	0	
1210.	19 Badurpur Pachar	1 Badurpur Pachar	213	150	
1211.	20 Nagla Lachhi	1 Nagla Lachhi	260	137	
1212.	21 Bharatpur Khurd	1 Bharatpur Khurd	776	67	
1213.	22 Tipatiya	1 Tipatiya	285	0	
1214.		2 Nagla Garariya	110	0	
1215.	23 Bamhunipur	1 Bamhunipur	778	750	
1216.		2 Nagala Ram Nagar	148	136	
1217.	24 Harkunjalpur	1 Harkunjalpur	56	33	
1218.		2 N Bhagawatpur	200	16	
1219.		3 Gihalwas	100	0	
1220.		4 Gadarian	300	0	
1221.		5 Puran Pura	167	0	
1222.	25 Puraila	1 Puraila	1676	398	
1223.		2 Rajapur	227	0	
1224.		3 Gariha	195	0	
1225.		4 Prithwipur	211	0	
1226.	26 Nagla Gujrati	1 Nagla Gujrati	300	77	
1227.		2 Nagariya Chamaran	99	84	
1228.		3 Nagla Khar	394	0	
1229.		4 Sobran Pura	99	0	
1230.		5 Bishunpura	99	84	
1231.		6 Chato	93	85	
1232.	27 Hidupur Baidpur	1 Hidupur Baidpur	604	0	
1233.		2 Bedpur	107	62	
1234.		3 Nagla Nagariya	299	0	
1235.		4 Nandpur Haweli	100	0	
1236.	28 Nagala Chinta	1 Nagala Chinta	[illegible]	69	
1237.		2 Nagla Nagariya	126	0	
1238.	29 Kharag Pur Sari	1 Kharag Pur Sariya	55	45	
1239.		2 Nagla Kharagpura	210	21	
1240.		3 Nagla Suran	83	0	
1241.	30 Nagla Kalyanpur	1 Nagla Kalyanpura	501	68	
1242.	31 Rampura Pachar	1 Rampura Pachar	500	[illegible]	
1243.	32 Baratiya	1 Baratiya	379	113	
1244.		2 Nagla Patto	273	0	
1245.	33 Rudrapur Itauha	1 Rudrapur Itauhar	122	23	
1246.	34 Achini	1 Achini	245	205	
1247.		Nagla Vijay	424	203	
1248.		3 Madaiyya Chamaran	242	101	
1249.		4 Nagla Khande	395	0	
1250.		5 Nagla Mardua	121	2	
1251.		6 Nagla Badna	101	0	
1252.	35 Rudauli	1 Rudauli	555	112	
1253.		2 Nagla Gonda	251	0	
	35	C/o :	40344	8367	

35 1 Etawah Tehsil

35 1 1 Jaswantnagar Block

Sl.No.	Village Code Name	Habitation No. Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
1.	1 Meeraknpur	1 Meeraknpur	512	93	0
2.		2 Nagla Jai	113	0	0
3.		3 Mirakhpur Putgha	151	0	0
4.		4 N Danti	315	14	0
5.		5 N Pura	302	13	0
6.	2 Alai	1 Alai	176	61	0
7.		2 N Passi	76	0	0
8.		3 N Khushhal Pura	55	0	0
9.		4 Housingcolony	392	16	0
10.	3 Dhanua	1 Dhanua	1175	307	0
11.		2 N Panchi	150	0	0
12.		3 N Bharat	138	0	0
13.		4 N Jagan	396	0	0
14.		5 M Kumarsen	451	98	0
15.		6 N Fatehpura	379	86	0
16.		7 N Khub Chandra	150	0	0
17.		8 N Tularam	175	0	0
18.		9 N Ghanshyampura	225	0	0
19.		10 N Layak	390	0	0
20.		11 N Dambar	75	0	0
21.		12 Iswar Pura	136	0	0
22.		13 N Hera	130	0	0
23.		14 N Bindu	150	0	0
24.		15 N Rupe	90	0	0
25.		16 N Raghhu	77	0	0
26.		17 N Dayalpura	193	0	0
27.		18 N Mehajit	200	0	0
28.		19 N Mundela	200	0	0
29.		20 Bhart Singh Tal	50	0	0
30.		21 N Hulashi	250	0	0
31.		22 N Madan Pura	151	0	0
32.	4 Kakarai	1 Kakarai	479	8	0
33.		2 N Madhi	450	0	0
34.	5 Shahjanhapur	1 Shahjanhapur	962	15	0
35.	6 Chandanpur Beeb	1 Chandanpur Beebamau	400	55	0
36.		2 N Padarpura	180	30	0
37.		3 N Girdhari	114	26	0
38.	7 Darshanpur	1 Darshanpur	453	81	0
39.	8 Khera Bujurg	1 Khera Bujurg	1652	574	0
40.		2 N Tulrampur	341	19	0
41.		3 N Nawal	304	58	0
42.		4 Dhar Mangalpur	200	40	0
43.		5 Dera Banjarn	881	0	0
44.		6 N Kehri	322	100	0
45.		7 N Bhagwanta	200	102	0
46.		8 N Khusali	199	107	0
47.	9 Phulrai	1 Phulrai	833	79	0
48.		2 N Jalpokhra	191	0	0
49.		3 N Lallu	171	0	0
50.	10 Manikpur Beebam	1 Manikpur Beebamau	209	44	0
51.		2 N Tiwari	140	0	0
52.	11 Mahamai	1 Mahamai	677	309	0
53.		2 N Ashroai	586	501	0
54.	12 Nagari	1 Nagari	521	130	0
55.		2 N Dhobi	201	201	0
56.		3 N Ramjit	102	102	0
57.	13 Jonai	1 Jonai	664	21	0
58.		2 N Banke	577	0	0
59.		3 N Nand Kishor	301	0	0
60.	14 Dholpura	1 Dholpura	561	140	0
61.		2 N Khera	196	0	0
62.		3 N Ramtal	433	88	0
63.	15 Dharwar	1 Dharwar	3064	738	0
64.		2 N Jhabrapur	252	6	0
65.		3 Siyaram Nagar	101	0	0
66.		4 N Asha	123	0	0
67.		5 N Durga Pura	301	0	0
68.		6 N Tal	311	0	0
69.		7 N Bhardwaj	321	0	0
70.		8 N Kudawar	301	0	0
	14	C/o :	26045	4462	0
	14	B/f :	26045	4462	0
71.	15 Dharwar	9 N Lachhi	305	0	[illegible]
72.		10 N Bhanipur	270	0	[illegible]
73.	16 Dhaurahra	1 Dhaurahra	102	60	[illegible]
74.	17 Kursena	1 Kursena	1570	107	[illegible]
75.		2 N Keshau	299	0	[illegible]
76.		3 N Gadi	457	0	[illegible]
77.		4 Hanumant Kheda	458	0	[illegible]
78.		5 N Nawal	229	0	[illegible]
79.	18 Bauth	1 Bauth	1033	332	[illegible]
80.		2 Gadi Sambhar	219	79	0
81.		3 N Charkana	233	79	0
82.		4 Maha Sambhar	199	70	0
83.		5 N Trilok	219	62	0
84.		6 Gadi Maharan	204	0	0
85.		7 Madanyan Kuwanrsen	402	2	0
86.		8 Madanyan Fakera	392	0	0
87.		9 Singiya Manbhawar	389	0	0
88.	19 Tijara	1 Tijara	460	41	0
89.		2 N Bishun	1923	150	0
90.	20 Beebamau	1 Beebamau	1287	313	51
91.	21 Rotai	1 Rotai	363	98	0
92.	22 Ajabpur Beebama	1 Ajabpur Beebamau	451	41	0
93.	23 Doduya Gopalpur	1 Doduya Gopalpur	630	43	0
94.		2 Garhi Ram Dhan	737	122	0
95.	24 Balrai	1 Balrai	772	234	0
96.		2 N Tal	0	0	0
97.		3 N Gundi	370	134	0
98.		4 Canal Culvery	0	0	0
99.		5 Balrai	0	0	0
100.	25 Nagla Salehadi	1 Nagala Salehadi	854	145	0
101.		2 Garhi Dalal	613	26	[illegible]
102.	26 Kachpura Beebam	1 Kachpura Beebamau	132	12	[illegible]
103.	27 Saramai	1 Saramai	262	0	[illegible]
104.		2 Madiyalungi	209	0	0
105.	28 Guraiya	1 Guraiya	90	35	[illegible]
106.		2 Punchhari	23	0	[illegible]
107.	29 Naglataur	1 Naglataur	2195	282	[illegible]
108.		2 N Ghurha	399	0	[illegible]
109.		3 N Khube	191	0	[illegible]
110.		4 N Kiratpur	229	0	[illegible]
111.	30 Nagla Ramsundar	1 Nagla Ramsundar	1916	324	[illegible]
112.	31 Rajpurtameri	1 Rajpurtameri	539	288	[illegible]
113.	32 Tameri	1 Tameri	550	550	[illegible]
114.	33 Tamera	1 Tamera	376	0	[illegible]
115.	34 Bahoripur	1 Bahoripur	416	250	[illegible]
116.	35 Nijampur	1 Nijampur	390	294	[illegible]
117.	36 Naseerpur	1 Naseerpur	103	0	[illegible]
118.		2 N Bahadur	909	35	[illegible]
119.	37 Andawali	1 Andawali	1018	96	[illegible]
120.	38 Jugora	1 Jugora	678	118	[illegible]
121.	39 Chaksalempur	1 Chaksalempur	604	435	
122.	40 Kakawali	1 Kakawali	1397	237	
123.		2 Khan Ka Bag	424	0	
124.		3 N Madela	201	0	
125.	41 Peharpur	1 Peharpur	848	104	
126.	42 Piprendi	1 Piprendi	504	162	
127.		2 N Jawalapur	180	0	
128.		3 N Adda	50	0	
129.		4 N Sundar	170	0	
130.	43 Sishvat	1 Sishvat	2043	496	
131.		2 Vilaspur	513	365	
132.	44 Ludhpura Jaswan	1 Ludhpura Jaswant Nag	296	170	
133.	45 Sirhaul	1 Sirhaul	969	375	
134.		2 N Hira Singh	236	88	
135.		3 N Chhanda	301	100	
136.	46 Nagariya Jasoha	1 Nagariya Jasohan	499	58	
137.	47 Bhikhanpur	1 Bhikhanpur	1073	248	
138.	48 Sirsa Bibamau	1 Sirsa Bibamau	435	51	
139.		2 Shayam Nagar	151	0	
140.		3 Hari Nagar	151	0	
	47	C/o :	63620	11874	

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
		47		B/f :	63630	11574	51
141.	48	Sirsa Bhamau	4	Mahatya Pura	323	15	0
142.			5	Madenya Prem	111	0	0
143.			6	Madenya Sirsa	110	0	0
144.	49	Jasohan	1	Jasohan	723	149	0
145.			2	N Jasohan Katahari	325	97	0
146.			3	N Kalwari	391	40	0
147.			4	N Sagiya	330	110	0
148.			5	N Khand	544	253	0
149.			6	N Uday Singh	250	125	0
150.			7	N Ram Tal	594	244	0
151.			8	N Keshorai	592	122	0
152.			9	N Angnu	250	110	0
153.			10	N Johakpur	762	178	0
154.			11	N Thickhar	976	0	0
155.	50	Ganampur	1	Ganampur	425	153	0
156.	51	Mohabbatpur Jas	1	Mohabbatpur Jasohan	538	358	0
157.			2	N Dauda	556	171	0
158.			3	N Munj	136	19	0
159.	52	Sakhaua	1	Sakhaua	633	165	0
160.	53	Rukanpur	1	Rukanpur	951	0	0
161.			2	Sugandh Nagar	542	110	0
162.			3	Kanchamiya	404	90	0
163.	54	Ajnora	1	Ajnora	690	534	0
164.			2	N Pathakpur	824	28	0
165.	55	Bhavalpur	1	Bhavalpur	766	193	0
166.	56	Alampur Nariya	1	Alampur Nariya	481	148	0
167.			2	Nariya	456	150	0
168.			3	N Nagariya	602	57	0
169.	57	Parsauwa	1	Parsauwa	1595	205	0
170.	58	Niloi	1	Niloi	1759	752	0
171.			2	N Rathaur	438	0	0
172.			3	N Paras Pura	445	30	0
173.			4	N Bidhi	393	0	0
174.			5	N Niharan	361	166	0
175.	59	Bhali	1	Bhali	505	35	0
176.			2	N Harnath	180	0	0
177.	60	Ghingupur	1	Ghingupur	1094	25	0
178.			2	N Sandher	232	10	0
179.	61	Bihari Bhatpura	1	Bihari Bhatpura	871	354	0
180.			2	N Bhatpura	783	103	0
181.	62	Bhujpura Beeban	1	Bhujpura Beebamau	310	62	0
182.	63	Chobeypur	1	Chobeypur	887	9	0
183.	64	Geenja	1	Geenja	1059	298	0
184.			2	N Harnath	375	0	0
185.			3	N Bhoore	251	0	0
186.			4	N Surajbhan	401	0	0
187.			5	N Keshon	251	0	0
188.	65	Tirkarabacha	1	Tirkarabacha	226	0	0
189.	66	Ranuah	1	Ranuah	654	263	0
190.			2	N Bhaupura	173	40	0
191.			3	N Ajab	202	61	0
192.	67	Larkhore	1	Larkhore	1079	348	0
193.			2	Galalpur	58	0	0
194.			3	Mohan Pura	551	160	0
195.			4	Khushalpur	650	97	0
196.			5	Navalpura	441	7	0
197.	68	Muchahara	1	Muchahara	245	54	0
198.			2	N Naya	100	0	0
199.			3	N Kakriya	119	119	0
200.			4	N Jhabra	79	20	0
201.			5	N Achhelal	27	27	0
202.	69	Sanfai	1	Sanfai	1506	322	0
203.	70	Lachbai	1	Lachbai	1335	376	0
204.			2	N Saba	209	0	0
205.			3	N Dera Banjaran	99	0	0
206.			4	N Chhavinath	205	0	0
207.			5	N Subhan	611	611	0
208.			6	N Ramaiyapur	623	119	0
209.	71	Narholi Bhidara	1	Narholi Bhidaramau	841	313	0
210.			2	N Bhindarua	539	28	0
		70		C/o :	100812	20518	51

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
		70		B/f :	100812	20518	51
211.	71	Narholi Bhidara	3	N Chaturi	[illegible]	0	0
212.			4	N Hardevia	77	0	0
213.	72	Hanwara	1	Hanwara	1301	405	0
214.			2	N Rathaur	553	66	0
215.			3	N Saba	313	0	0
216.			4	N Bani	332	50	0
217.			5	N Muralmau	250	8	0
218.			6	N Sau	459	11	0
219.			7	N Kothi	125	0	0
220.			8	N Aniya	250	145	0
221.	73	Chimara	1	Chimara	1415	194	0
222.			2	N Bani	592	99	0
223.			3	N Deep	153	0	0
224.			4	N Nandram	347	0	0
225.			5	N Raksia	243	49	0
226.	74	Sanamai	1	Sanamai	721	200	0
227.			2	N Indrajit	314	23	0
228.	75	Kakrara	1	Kakrara	129	19	0
229.			2	N Tej	51	3	0
230.			3	N Bihari	27	2	0
231.	76	Kuiya	1	Kuiya	1121	183	0
232.			2	N Lale	331	0	0
233.			3	N Shree	224	0	0
234.			4	N Chandheri	75	0	0
235.			5	N Nekram	148	0	0
236.	77	Bhalasaiya	1	Bhalasaiya	795	235	0
237.			2	N Premnagar	310	102	0
238.			3	N Gadarian	171	48	0
239.	78	Bhagotipur Durg	1	Bhagotipur Durga Pra	318	6	0
240.			2	N Baba	327	50	0
241.	79	Latupur	1	Latupur	650	0	0
242.			2	N Seva	201	0	0
243.	80	Usrai	1	Usrai	350	94	0
244.			2	N Chen Sukh	155	24	0
245.			3	N Kakraiya	150	8	0
246.	81	Bhadeiyi Kaship	1	Bhadeiyi Kashipur	622	104	0
247.			2	N Bhawanerpur	201	49	0
248.			3	N Bamuri	102	10	0
249.			4	N Bhadeh Khas	701	238	0
250.			5	N Kashipur	652	12	0
251.			6	N Miyan	251	0	0
252.			7	N Amar	251	0	0
253.			8	N Madha	82	0	
254.	82	Borayan	1	Borayan	450	19	0
255.			2	N Paramsukh	141	8	0
256.			3	N Jalim	93	0	0
257.	83	Kantihar	1	Kantihar	410	0	0
258.	84	Barra	1	Barra	1253	200	0
259.			2	Roop pur	436	[illegible]	0
260.	85	Sipahari	1	Sipahari	474	0	0
261.	86	Heerapur	1	Heerapur	366	27	0
262.			2	N Naya	106	106	
263.	87	Ramet	1	Ramet	[illegible]	[illegible]	
264.			2	N Karan	[illegible]	24	
265.			3	Dera Banjaran	[illegible]	0	
266.	88	Chitoni	1	Chitoni	[illegible]	136	
267.	89	Kharduli	1	Kharduli	731	41	
268.			2	N Madha	427	66	
269.	90	Nagla Lekhi	1	Nagla Lekhi	142	0	
270.	91	Raghaupur	1	Raghaupur	[illegible]	[illegible]	
271.			2	N Mathi	[illegible]	0	
272.			3	N Beldar	41	0	
273.			4	N Hakim	9	0	
274.	92	Baroli Saidpur	1	Baroli Saidpur	727	155	
275.			2	N Gadariyan	455	45	
276.	93	Saidpur	1	Saidpura	[illegible]	[illegible]	
277.			2	N Bazar	47	40	
278.			3	N Ramshree	151	101	
279.	94	Jahanabad	1	Jahanabad	415	68	
280.	95	Chakoopur	1	Chakoopur	663	32	
		94		C/o :	127843	24714	

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
	94			B/f :	127549	24714	51
281.	95	Chak[illegible]	2	N Vilakhera	[illegible]	[illegible]	0
282.			3	N Budhu	222	[illegible]	[illegible]
283.	96	Phoolapur	1	Phoolapur	[illegible]	[illegible]	[illegible]
284.			2	N Mahola	416	[illegible]	[illegible]
285.			3	N Devsan	453	[illegible]	[illegible]
286.	97	Siyapur Babu	1	Siyapur Babu	[illegible]	[illegible]	[illegible]
287.			2	N Sishia	137	5	0
288.	98	Umrahi	1	Umrahi	560	133	0
289.	99	Bhaishan	1	Bhaishan	325	137	0
290.			2	N Jhadrin	551	93	0
291.	100	Utrai	1	Utrai	338	145	0
292.	101	Rai Nagar	1	Rai Nagar	1250	437	0
293.			2	N Hari	451	0	0
294.			3	N Bhawani	432	0	0
295.	102	Mahlai	1	Mahlai	1313	512	0
296.			2	Harkupura	592	135	0
297.	103	Mohabbatpurnagl	1	Mohabbatpurnagla Bha	339	339	0
298.			2	N Mahasshukh	450	170	0
299.			3	N Kuwar	160	97	0
300.	104	Jari Khera	1	Jari Khera	452	153	0
301.	105	Kunjpur	1	Kunjpur	774	151	0
302.	106	Kailokhar	1	Kailokhar -	1213	417	0
303.			2	N Sewa	603	0	0
304.	107	Kaist	1	Kaist	2241	755	0
305.			2	N Inchha	1313	280	0
306.			3	N Arjun	655	288	0
307.			4	Madiyan Sompal	427	397	0
308.			5	Dashahari	246	83	0
309.			6	N Jhilla	271	0	0
310.	108	Malajani	1	Malajani	1097	376	0
311.			2	N Hulsi	596	202	0
312.			3	N Dudha	728	415	0
313.			4	N Bishun	642	0	0
314.			5	Bhikan Dhara Nagare	483	217	0
315.			6	N Harchand	583	102	0
316.			7	N Hati	141	0	0
317.			8	N Bhadauriya	140	0	0
318.	109	Birampur	1	Birampur	515	19	0
319.	110	Bankati Bujurg	1	Bankati Bujurg	1169	216	0
320.	111	Siyapur Etgawa	1	Siyapur Etgawa	413	0	0
321.	112	Malhoopur	1	Malhoopur	600	134	0
322.			2	N Varmajit	169	27	0
323.	113	Needarpur	1	Needarpur	402	144	0
324.	114	Adhiyapur	1	Adhiyapur	1119	426	0
325.			2	Udaypur	594	235	0
326.	115	Rajmau	1	Rajmau	2040	591	0
327.	116	Sonai	1	Sonai	658	230	0
328.	117	Balaiyapur	1	Balaiyapur	842	273	0
329.			2	N Nihali	270	50	0
330.			3	N Kanhi	202	0	0
331.	118	Bicharpur	1	Bicharpur	504	204	0
332.			2	N Budela	252	183	0
333.			3	N Sardarsingh	50	0	0
334.			4	N Kothi	202	0	0
335.	119	Doongri	1	Doongri	593	80	0
336.	120	Bhainsrai	1	Bhainsrai	437	101	0
337.			2	N Gadarian	571	160	0
338.			3	N Chhate	465	70	0
339.	121	Saidpur	1	Saidpur	174	174	0
340.	122	Jatia	1	Jatia	422	104	0
341.	123	Hazaratpur	1	Hazaratpur	495	97	0
342.			2	N Pattijhari	428	84	0
343.	124	Bichpuri	1	Bichpuri	1010	428	0
344.	125	Harsoli	1	Harsoli	199	13	0
345.	126	Kunara	1	Kunara	2108	592	0
346.			2	N Madapura	216	216	0
347.			3	N Mukundi	176	72	0
348.			4	Adda Thakur I T I	169	1	0
349.	127	Sultanpur Kalan	1	Sultanpur Kalan	1137	259	0
350.	128	Saray Dayanat	1	Saray Dayanat	1247	119	0
	128			C/o :	170243	35774	51

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
	128			B/f :	170243	35774	51
351.	129	Paret Chawani	1	Paret Chawani	32	0	0
352.	130	Saray Ram Chand	1	Saray Ram Chand	0	0	0
	35 1 2 Basrehar Block						
353.	131	Kathua	1	Kathua	394	108	0
354.			2	Kachhpura	348	64	0
355.			3	Naglalaischai	49	0	0
356.			4	Thakarpura	174	106	0
357.			5	Nandlalpura	[illegible]	0	0
358.			6	NaglaHimmat	226	0	0
359.			7	Nagla Thara	35	0	0
360.			8	Nagla Mathia	273	0	0
361.			9	Nagla Surat	56	0	0
362.			10	N Bashya	139	0	0
363.			11	N Madaiya	70	0	0
364.			12	N Hargyam	229	0	0
365.			13	N Baiha	345	0	0
366.	132	Larrampur	1	Larrampur	573	284	0
367.	133	Kaisonpur Baini	1	Kaisonpur Baini	132	29	0
368.	134	Shivpuri Timaro	1	Shivpuri Timarocwa	412	3	0
369.			2	Timorua	1295	505	0
370.			3	Naglamudian	71	0	0
371.			4	N Heerapur	317	185	0
372.			5	N Ajeet	159	0	0
373.	135	Parasana	1	Parasana	293	282	0
374.			2	N Chitrupura	176	0	0
375.			3	N Gudpura	233	0	0
376.			4	N Nandpura	90	0	0
377.			5	N Chandpura	495	50	0
378.			6	N Uttampura	243	0	0
379.			7	N Devirampur	182	0	0
380.	136	Nagariya Kookpu	1	Nagariya Kookpur	52	52	0
381.			2	Kookpur	257	0	0
382.			3	N Bamuri	258	0	0
383.	137	Manigawan	1	Manigawan	64	43	0
384.			2	N Singh	87	0	0
385.			3	N Bane	694	297	0
386.			4	N Ishawarpura	55	0	0
387.			5	N Karori	492	0	0
388.			6	N Moharajpur	358	0	0
389.			7	N Hawalia	179	0	0
390.			8	N Girdhari	172	0	[illegible]
391.	138	Sarvarpur	1	Sarvarpur	186	0	[illegible]
392.			2	Sukhdalpur	52	0	[illegible]
393.			3	N Kuryat	160	93	[illegible]
394.	139	Madhaiyapur	1	Madhaiyapur	971	367	[illegible]
395.			2	N Gujarjhala	65	0	[illegible]
396.	140	Thulrai	1	Thulrai	507	125	[illegible]
397.			2	N Roor	215	142	[illegible]
398.			3	N Kiratpura	109	0	[illegible]
399.			4	N Nimariya	104	0	[illegible]
400.			5	N Simarya	129	107	[illegible]
401.			6	N Ishwari	65	65	[illegible]
402.	141	Sarsai Helu	1	Sarsai Helu	251	55	[illegible]
403.			2	N Nagaria	233	0	[illegible]
404.			3	N Pipar	166	137	[illegible]
405.			4	N Sadipura	511	143	[illegible]
406.			5	N Jiginiyan	322	0	[illegible]
407.			6	N Gopalpur	271	103	[illegible]
408.			7	N Jagannathpur	907	249	[illegible]
409.			8	Na Mahua	[illegible]	0	[illegible]
410.			9	N Bhotha	115	95	[illegible]
411.			10	N Balipura	354	290	[illegible]
412.			11	N Kohitya	60	0	[illegible]
413.			12	N Jalmpura	66	0	[illegible]
414.			13	N Ghusupura	391	0	[illegible]
415.			14	N Nutpura	25	20	[illegible]
416.	142	Karri	1	Karri	1162	391	[illegible]
417.			2	N Karri	423	364	[illegible]
418.			3	N Akbarpur	257	30	[illegible]
419.			4	N Lalpura	154	131	[illegible]
	141			C/o .	188709	41835	

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Popl'n 1991 Total	SC	ST
	141			B/f :	188700	41835	51
420.	142	Kanni	5	N Prafappura	170	92	0
421.			6	N Mukundpura	514	334	0
422.			7	N Kalepura	270	154	0
423.	143	Ganeshpur	1	Ganeshpur	637	145	0
424.			2	N Bhoota	733	117	0
425.			3	N Rampura	535	92	0
426.	144	Beena	1	Beena	2130	762	0
427.			2	N Kachhiyat	157	0	0
428.	145	Krepalpur	1	Krepalpur	586	221	0
429.			2	N Bindu	50	50	0
430.			3	N Udi	50	0	0
431.			4	N Nihali	81	80	0
432.			5	N Puni	116	0	0
433.			6	N Mardan	127	0	0
434.	146	Paroli Ramayan	1	Paroli Ramayan	474	194	0
435.			2	N Hari	270	94	0
436.			3	N Usar	254	138	0
437.	147	Santoshpur Umwa	1	Santoshpur Umwa	0	0	0
438.			2	N Uwan	795	485	0
439.			3	N Santoshpur	471	60	0
440.			4	N Deljeet	153	0	0
441.			5	N Bojhahar	77	0	0
442.			6	N Mandhota	46	0	0
443.			7	N Rajpur	230	237	0
444.			8	N Damadar	96	0	0
445.			9	N Hidupura	588	110	0
446.			10	N Hiralal	38	0	0
447.			11	N Shikara	69	0	0
448.			12	N Harju	29	0	0
449.	148	Iswarpur	1	Iswarpur	231	90	0
450.			2	N Bari	254	0	0
451.			3	N Beech	85	0	0
452.			4	N Khadhaita	85	0	0
453.			5	N B Deo	27	0	0
454.	149	Baralokpur	1	Baralokpur	2175	522	0
455.			2	N Irain	155	0	0
456.			3	N Banka	175	0	0
457.			4	N Kudaila	184	0	0
458.			5	N Kishunpura	194	0	0
459.			6	N Shivpuri	580	272	0
460.			7	N Lokpura	677	0	0
461.			8	N D Era Banjaram	75	53	0
462.			9	N Madiagabogilal	91	63	0
463.	150	Bhojpur Ramayan	1	Bhojpur Ramayan	148	54	0
464.			2	N Sabi	289	0	0
465.	151	Agupur Gopalpur	1	Agupur Gopalpur	260	111	0
466.			2	N Gopalpur	84	0	0
467.			3	N Chhadami	84	0	0
468.			4	N Jolla	101	0	0
469.			5	N Pull	27	0	0
470.			6	N Garhi	67	0	0
471.			7	N Madhaya	107	0	0
472.			8	N Sabi	50	50	0
473.	152	Arazi Gubariha	1	Arazi Gubariha	256	0	0
474.	153	Raipura	1	Raipura	242	93	0
475.			2	N Muhansi	97	0	0
476.			3	N Ut Kabera	63	0	0
477.			4	N Saldeo	135	0	0
478.	154	Moonj	1	Moonj	901	309	0
479.			2	Chhattarpur	167	0	0
480.			3	N Kabuli	173	102	0
481.			4	N Ranjeetpura	49	0	0
482.			5	N Bakhir	28	0	0
483.			6	N Ramsagaria	40	0	0
484.			7	N Kishunpur	55	0	0
485.			8	N Rampura	947	385	0
486.			9	N Ramsanehi	259	0	0
487.			10	N Fardpura	566	73	0
488.			11	N Chaupula	149	0	0
489.			12	N Nawalpura	129	36	0
	153			C/o :	209245	47383	51

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Popl'n 1991 Total	SC	ST
	153			B/f :	209245	47383	51
490.	154	Moonj	13	N Sanwarpura	92	0	[illegible]
491.			14	N Paye	52	0	[illegible]
492.			15	N Saki	51	0	[illegible]
493.			16	N Loharipura	136	0	[illegible]
494.			17	N Mugalpura	212	131	[illegible]
495.			18	N Hari	426	0	[illegible]
496.			19	Tankipura	418	0	[illegible]
497.			20	N Manju	174	0	[illegible]
498.			21	N Chora	81	0	[illegible]
499.			22	N Tila	96	1	[illegible]
500.	155	Kalyanpur Rahin	1	Kalyanpur Rahin	694	256	[illegible]
501.			2	N Jharu	171	5	[illegible]
502.			3	N Dharmjeet	72	0	[illegible]
503.			4	N Pooth	349	0	[illegible]
504.	156	Bhadiyapur Rahi	1	Bhadiyapur Rahin	426	125	[illegible]
505.			2	N Tishuadeo	455	0	[illegible]
506.			3	N Dugaiyen	47	0	[illegible]
507.	157	Chobiya	1	Chobiya	557	257	[illegible]
508.			2	N Daya	80	77	[illegible]
509.			3	N Kuwan	175	0	[illegible]
510.			4	N Putai	179	0	[illegible]
511.			5	N Laxmi	171	36	[illegible]
512.	158	Biharipur	1	Biharipur	305	60	[illegible]
513.			2	N Motiram	198	0	[illegible]
514.	159	Sultanpur Rahin	1	Sultanpur Rahin	122	0	[illegible]
515.			2	N Arhupura	418	0	[illegible]
516.			3	N Gagadin	139	0	[illegible]
517.	160	Gulabpur	1	Gulabpur	404	0	[illegible]
518.	161	Bidhooni	1	Bidhooni	138	0	[illegible]
519.	162	Keshonpur Rahin	1	Keshonpur Rahin	320	150	[illegible]
520.			2	N Munni	136	0	[illegible]
521.	163	Gangapur	1	Gangapur	996	83	[illegible]
522.			2	N Peete	151	0	[illegible]
523.	164	Sicholi	1	Sicholi	569	118	[illegible]
524.	165	Bakhitayarpur	1	Bakhitayarpur	450	0	[illegible]
525.			2	N Derabanjaran	225	0	[illegible]
526.			3	N Anhkaripur	85	0	[illegible]
527.			4	N Dayaram	70	8	[illegible]
528.	166	Jain Pur Chobiy	1	Jain Pur Chobiya	673	49	[illegible]
529.	167	Khera Helu	1	Khera Helu	1057	316	[illegible]
530.			2	N Miekiya	352	8	[illegible]
531.			3	N Khagi	125	0	[illegible]
532.			4	N Durhaha	228	0	[illegible]
533.			5	N Khushauli	310	72	[illegible]
534.	168	Bhasnai	1	Bhasnai	690	94	[illegible]
535.			2	N Lalju	125	0	[illegible]
536.			3	Madaiyadejeet	60	0	[illegible]
537.			4	Madaiya Lalta	30	0	[illegible]
538.	169	Sadanpur	1	Sadanpur	133	47	[illegible]
539.	170	Barouli Kalan	1	Barouli Kalan	865	555	[illegible]
540.			2	N Mohati	211	0	[illegible]
541.			3	N Brij	112	0	
542.			4	N Bahadur	115	0	
543.			5	N Harchandpur	105	0	
544.			6	N Mante	95	0	
545.			7	N Dera	95	0	
546.	171	Odampur	1	Odampur	351	108	
547.			2	N Jadha	49	0	
548.	172	Barauli Khurd	1	Barauli Khurd	319	260	
549.			2	N Pami	148	0	
550.			3	N Bhatpura	[illegible]	0	
551.			4	N Banjarahawa	165	0	
552.			5	N Shishiya	135	0	
553.			6	N Nathu	213	0	
554.			7	N Bachhuhan	136	[illegible]	
555.			8	N Kekhariter	91	0	
556.	173	Hardoi	1	Hardoi	1373	537	
557.			2	N Kala Bnja	242	0	
558.			3	N Rakueya	129	0	
559.			4	N Simraha	727	0	
	172			C/o :	226791	50737	

Sl.No.	Village Code Name	Habitation No. Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
	172	B/f :	228791	50737	51
560.	173 Hardoi	5 N Manikpur	424	0	0
561.		6 N Balbhadrapur	129	0	0
562.		7 N Haweli	157	0	0
563.		8 N Birsi	372	221	0
564.	174 Gora Dayalpur	1 Gora Dayalpur	1109	116	0
565.		2 Ln Jagat	153	25	0
566.	175 Navasai	1 Navasai	490	0	0
567.		2 N Katiya	150	0	0
568.		3 N Kankarpur	207	0	0
569.	176 Mohanpur Rahin	1 Mohanpur Rahin	620	228	0
570.		2 N Popi	138	0	0
571.		3 N Barua	320	0	0
572.	177 Sesanpur	1 Sesanpur	650	10	0
573.		2 N Kehari	128	0	0
574.	178 Udhampur	1 Udhampur	472	0	0
575.	179 Kumhabar	1 Kumhabar	1361	359	0
576.		2 N Masni Ki Madaiya	450	285	0
577.	180 Longpur	1 Longpur	493	126	0
578.	181 Khadkoli	1 Khadkoli	1359	72	0
579.	182 Tulsipur	1 Tulsipur	547	298	0
580.	183 Nandpur	1 Nandpur	238	0	0
581.	184 Bhawanipur	1 Bhawanipur	0	0	0
582.	185 Rahin	1 Rahin	1328	615	0
583.		2 N Milkiya	140	51	0
584.	186 Rooppur Sarai B	1 Rooppur Sarai Bhikha	347	0	0
585.		2 N Jhawara	294	93	0
586.		3 N Kachhiyan	61	0	0
587.	187 Bhagipur	1 Bhagipur	303	220	0
588.		2 N Himachal	148	97	0
589.		3 N Milak	56	0	0
590.	188 Jafarpur	1 Jafarpur	0	0	0
591.		2 N Bag	350	0	0
592.		3 N Natiyar	412	0	0
593.	189 Salempur	1 Salempur	0	0	0
594.		2 N Dariyaw	210	0	0
595.		3 N Loha	268	0	0
596.	190 Ema Nagla Mohan	1 Ema Nagla Mohan	122	0	0
597.	191 Vishunpur Lohor	1 Vishunpur Lohoroi	351	0	0
598.		2 N Rampura	330	213	0
599.	192 Sherpur Basgawa	1 Sherpur Basgawa	1028	117	0
600.		2 Basoawam	663	0	0
601.		3 N Chakkan	232	232	0
602.	193 Bankati Khurd	1 Bankati Khurd	634	376	0
603.	194 Badri Pooth	1 Badri Pooth	1736	270	0
604.	195 Jafrabad	1 Jafrabad	228	102	0
605.	196 Bahadurpur Luhi	1 Bahadurpur Luhiya	973	316	0
606.		2 Luha Kalan	287	214	0
607.		3 N Tar	352	202	0
608.		4 N Shv Rajpur	221	1	0
609.	197 Asha Nandpur	1 Asha Nandpur	527	75	0
610.		2 N Tikur	55	0	0
611.		3 N Kachiya	158	0	0
612.	198 Jait Pur Tota R	1 Jait Pur Tota Ram	744	318	0
613.	199 Ayara Luhia	1 Ayara Luhia	[illegible]	0	0
614.		2 N Luha Khurd	167	86	0
615.		3 N Shankrpur	128	0	0
616.		4 N Rajpur	119	0	0
617.		5 N Jhammanpur	119	0	0
618.		6 Ayara	159	90	0
619.	200 Bajirpur	1 Bajirpur	543	31	0
620.		2 Angupura	375	0	0
621.		3 N Deemar	751	0	0
622.		4 N Partapurwa	652	652	0
623.	201 Kalyanpura Ayar	1 Kalyanpura Ayara	128	44	0
624.	202 Rajpur Totaram	1 Rajpur Totaram	505	243	0
625.		2 N Bairy	166	0	0
626.	203 Kelamau	1 Kelamau	500	202	0
627.		2 N Bamanpura	244	100	0
628.	204 Durgapur	1 Durgapur	191	0	0
629.		2 N Dhoba	72	0	0
	204	C/o :	256654	57487	51

Sl.No.	Village Code Name	Habitation No. Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
	204	B/f :	256654	57487	51
630.	205 Champaner	1 Champaner	512	130	[illegible]
631.		2 N Ballam	148	0	[illegible]
632.	206 Sirsa Etawah	1 Sirsa Etawah	1336	451	[illegible]
633.		2 N Dugain	141	0	[illegible]
634.		3 N Mani	116	61	[illegible]
635.		4 N Nada	142	0	[illegible]
636.	207 Killi Sitanpur	1 Killi Sitanpur	1370	437	[illegible]
637.		2 N Dhoba	351	22	[illegible]
638.	208 Ritoli	1 Ritoli	693	300	[illegible]
639.		2 N Kharakhpur	154	0	[illegible]
640.		3 N Dabua	77	0	[illegible]
641.	209 Mahamai	1 Mahamai	310	71	[illegible]
642.		2 N Dubah	111	0	[illegible]
643.	210 Bhadva Savrnn	1 Bhadva Savrnn	337	192	[illegible]
644.		2 N Chami Sukh	97	0	[illegible]
645.		3 N Lachhi	73	0	[illegible]
646.		5 N Mutoo	49	0	[illegible]
647.		6 N Harli	195	0	[illegible]
648.	211 Bhadva Rasulaba	1 Bhadva Rasulabad	195	0	[illegible]
649.		2 N Layak	100	0	[illegible]
650.	212 Sekhpur Saraiya	1 Sekhpur Saraiya	351	304	[illegible]
651.		2 N Adda Boheri	93	0	[illegible]
652.		3 N Add Jamaniya	32	0	[illegible]
653.		4 Saraiya	324	0	[illegible]
654.	213 Basrehar	1 Basrehar	929	667	[illegible]
655.		2 N Shikaria	207	170	[illegible]
656.	214 Basrehar	1 Basrehar	4519	735	[illegible]
657.		2 N Tikampur	170	162	[illegible]
658.	215 Shankarpur	1 Shankarpur	360	244	[illegible]
659.		2 N Mahadia	48	0	[illegible]
660.	216 Ladhpura Mohabb	1 Ladhpura Mohabbatpur	414	26	[illegible]
661.	217 Tikupura	1 Tikupura	303	73	[illegible]
662.	218 Sarai Malpur	1 Sarai Malpur	592	233	[illegible]
663.		2 N Saraiya Tada	380	0	[illegible]
664.		3 N Malpura	194	0	[illegible]
665.		4 N Kachhiyat	194	0	[illegible]
666.		5 N Thakuri	335	264	[illegible]
667.	219 Akbarpur	1 Akbarpur	1626	456	[illegible]
668.		2 N Mallah	501	0	[illegible]
669.		3 N Baba Shalla	38	0	[illegible]
670.		4 Block Office	251	24	[illegible]
671.	220 Lalpur	1 Lalpur	435	0	[illegible]
672.	221 Mohabbatpur Lud	1 Mohabbatpur Ludhpura	852	0	[illegible]
673.		2 Mubabbatpur Ludhpura	636	200	[illegible]
674.	222 Bulakipur Ludhp	1 Bulakipur Ludhpura	443	138	[illegible]
675.	223 Dugaoli	1 Dugaoli	455	47	[illegible]
676.		2 N Nababpur	222	157	[illegible]
677.		3 N Hasanpura	262	0	[illegible]
678.		4 N Ankalapura	276	141	[illegible]
679.	224 Yadi Nagar	1 Yadi Nagar	811	161	[illegible]
680.		2 N Seeta	453	37	[illegible]
681.		3 N Gyanpura	260	0	[illegible]
682.	225 Hadiyapura	1 Hadiyapura	[illegible]	0	[illegible]
683.	226 Loknathpur	1 Loknathpur	501	11	[illegible]
684.		2 N Jawahar	102	0	[illegible]
685.	227 Khudisar	1 Khudisar	1171	195	[illegible]
686.		2 N Madho Singh	301	0	[illegible]
687.		3 N Chamasan	382	183	[illegible]
688.		4 N Chhatti	201	0	[illegible]
689.		5 Dura Bangasan	211	201	[illegible]
690.		6 Harnath Pura	121	0	[illegible]
691.	228 Chaka Bujurg	1 Chaka Bujurg	1408	435	[illegible]
692.		2 N Chamanpura	231	0	[illegible]
693.	229 Kunaiya	1 Kunaiya	310	0	[illegible]
694.		2 Ram Nagar	287	0	[illegible]
695.	230 Mungapur	1 Mungapur	445	80	[illegible]
696.	231 Itgaon	1 Itgaon	1723	262	[illegible]
697.		2 N Meera Lal	502	37	[illegible]
698.		3 N Ajuin	122	0	[illegible]
699.	232 Peetambarpur	1 Peetambarpur	251	121	[illegible]
	231	C/o :	289484	65058	[illegible]

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
	231			B/f :	289434	65068	51
701.	232	Peetambarpur	2	N Mulayan Nagal	32	35	0
702.	233	Lokasai	1	Lokasai	434	35	0
703.	234	Pachaoli	1	Pachaoli	1074	[illegible]	0
704.	235	Shantoshpur Itg	1	Shantoshpur Itgaon	300	306	0
705.			2	Adda Santospur	344	0	0
706.	236	Ahladpur	1	Ahladpur	727	334	0
707.			2	N Hasnaraiinpur	373	0	0
708.	237	Ivanepur Pathak	1	Ivanepur Pathakpur	300	32	0
709.			2	Abhinaypur	200	29	0
710.			3	Pathakpur	222	0	0
711.	238	Udaipura	1	Udaipura	1310	144	0
712.	239	Amritpur	1	Amritpur	1026	496	0
713.			2	Lbabu Harnastia	424	75	0
713.			3	Awrotpur	315	0	0
714.	240	Gourapur	1	Gourapur	330	6	0
715.			2	N Bhikhan	253	22	0
716.			3	Adda Hari Niaran	126	0	0
717.	241	Hariharpur	1	Hariharpur	551	189	0
718.	242	Dataoli	1	Dataoli	207	0	0
719.			2	Chauki	8	0	0
720.			3	Adda Budhu	106	0	0
721.			4	Dinanath	61	0	0
722.	243	Ghughalpur	1	Ghughalpur	2228	590	0
723.			2	Add Jytilal	210	210	0
724.	244	Kokpura	1	Kokpura	310	104	0
725.			3	Tala	62	0	0
726.			4	Baigia	34	0	0
727.			5	Shalla	52	0	0
728.			6	Add Sumer	103	0	0
729.			7	Add Nathoo	86	0	0
730.			8	Jai Narai	86	0	0
731.			9	Add Gulgar	96	0	0
732.			10	Ad Na Coloney	66	0	0
733.			11	Yashoda Najev	155	155	0
734.	245	Sirajmau	1	Sirajmau	2326	324	0
735.	246	Jugaramau	1	Jugaramau	666	230	0
736.			2	Addapadua	202	69	0
737.			3	Adda Mavdhata	187	88	0
738.	247	Lakhapur	1	Lakhapur	350	0	0
739.			2	Kotara	421	0	0
740.	248	Chakwa Khurd	1	Chákwa Khurd	811	165	0
741.			2	N Nainsukh	203	7	0
742.			3	N Ram Sukh	201	0	0
743.	249	Chitbhawan	1	Chitbhawan	2903	611	0
744.			2	N Pran	303	0	0
745.			3	N Tkuria	432	0	0
746.	250	Shantoshpur Dha	1	Shantoshpur Dhar	1364	303	0
747.	251	Manikpur Bhikha	1	Manikpur Bhikham	447	156	0
748.	252	Keshonpur Kalan	1	Keshonpur Kalan	706	408	0
749.			2	N Bandha	333	0	0
750.	253	Mahatua	1	Mahatua	728	341	0
751.	254	Etawah Dehat	1	Etawah Dehat	0	0	0
752.			2	N Rahatpur	1347	186	0
753.			3	Addajalim	447	145	0
754.			4	Sootmill	162	0	0
755.			5	Shanti Colony	740	10	0
756.			6	Addatulsi	463	33	0
757.			7	Addachetram	232	11	0
758.			8	Adda Hanraj	225	15	0
759.			9	Adda Tikka	275	29	0
760.			10	Adda Usar	781	60	0
761.			11	Adda Angatu	307	46	0
762.			12	Adda Maksood	124	44	0
763.			13	Adda Gular	92	33	0
764.			14	Adda Noorkhan	[illegible]	[illegible]	0
765.			16	Friends Colony	2458	373	0
766.			17	Railwaycolony	1319	269	0
767.			18	Addabamwari	463	49	0
768.			19	Ram Nagar	1669	403	0
769.			20	Vijay Nagar	2047	294	0
	253			C/c :	328455	72859	51

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
	253			B/f :	328455	72859	51
770.	254	Etawah Dehat	21	Adda Harsarai	116	0	[illegible]
771.			22	Bangalicolony	372	147	[illegible]
772.			23	Adda Ajeet	226	117	[illegible]
773.			24	Adda Bhasita	369	136	[illegible]
774.			25	Sindhi Colony	393	0	[illegible]
775.			26	Kalpi Road	187	35	[illegible]
776.			27	Adda Bhagwan	232	[illegible]	[illegible]
777.			28	Adda Prabhu	135	9	[illegible]
778.			29	Adda Gangram	119	0	[illegible]
779.			30	Fiser Forest	92	6	[illegible]
780.			31	Adda Bishan	75	16	[illegible]
781.			32	Adda Wali Mohmmad	75	0	[illegible]
782.			33	Indira Ghandi Nagar	38	0	[illegible]
783.			34	Asok Nagar	3474	192	[illegible]
784.			35	Mahrachungi	593	90	[illegible]
785.			36	Adda Brandawan	246	45	[illegible]
786.			37	Farrukhabad Road	1185	91	[illegible]
787.			38	Adda Shishai	399	24	[illegible]
788.			39	Adda Makhan	127	0	[illegible]
789.	255	Sundarpur	1	Sundarpur	1590	528	[illegible]
790.			2	N Teela	120	0	[illegible]
791.			3	Adda Shyamlal	338	0	[illegible]
792.			4	Adda Narain	60	0	[illegible]
793.			5	Adda Chait Ram Palto	36	0	[illegible]
794.			6	Adda Kishan Swasoch	60	0	[illegible]
795.			7	N Paye Krshra Gopal	120	0	[illegible]
796.			8	N Chhakki	90	0	[illegible]
797.			9	Mahera Chungi	63	0	[illegible]
798.	256	Kachpura	1	Kachpura	300	263	[illegible]
799.			2	N Guddu Khadar	140	0	[illegible]
800.			3	N Ram Sanehi	129	0	[illegible]
801.	257	Naoli	1	Naoli	370	269	[illegible]
802.			2	N Naya	54	54	[illegible]
803.			3	N Takiya	207	116	[illegible]
804.			4	N Ram Nagar	153	95	0
805.			5	N Kusait	164	109	[illegible]
806.	258	Bhamanpur Bhago	1	Bhamanpur Bhagotipur	341	310	[illegible]
807.			2	N Khadar	200	200	[illegible]
808.	259	Desharmau	1	Desharmau	841	224	[illegible]
809.			2	Adda Dumber	251	0	[illegible]
810.			3	Adda Ram Dayal	104	0	[illegible]
811.			4	Adda Nihal	104	0	[illegible]
812.	260	Rampur Naoli	1	Rampur Naoli	500	500	[illegible]
813.			2	N Kusait	119	107	[illegible]
814.	261	Jadhonpur	1	Jadhonpur	251	251	[illegible]
815.			2	N Yadav	50	50	[illegible]
816.	262	Aarazi Jadhonpu	1	Aarazi Jadhonpur	935	194	[illegible]
817.	263	Pilkhar	1	Pilkhar	441	106	[illegible]
818.			2	Adda Mandir	51	0	[illegible]
819.			3	Adda Bhajawan	52	29	[illegible]
820.			4	Adda Chunnilal	52	52	[illegible]
821.			5	Adda Baba Haridas Pu	31	0	[illegible]
822.	264	Kishon Jadonpur	1	Kishon Jadonpur	233	25	[illegible]
823.			2	N Khubi	64	29	[illegible]
824.			3	N Alai	333	64	[illegible]
825.	265	Chandanpur Etaw	1	Chandanpur Etawah	972	747	[illegible]
826.			2	N Hiranpur	143	143	[illegible]
827.			3	N Ram Singh	257	0	[illegible]
828.			4	N Prathv Pura	367	229	[illegible]
829.			5	N Kusait	317	[illegible]	[illegible]
830.			6	N Daulatpur	457	274	[illegible]
831.			7	N Mansingh	257	0	[illegible]
832.			8	Kothi Mihi Lal	226	87	[illegible]
833.	266	Shekhpur Jakhau	1	Shekhpur Jakhauli	579	236	[illegible]
834.			2	Jakhali	545	414	[illegible]
835.			3	N Vedbhan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
836.			4	N Khadar	331	93	[illegible]
837.			5	N Chamaran	61	65	[illegible]
838.	267	Mahenepur	1	Mahenepur	1107	145	[illegible]
839.			2	Dera Sanjaran	401	0	[illegible]
	267			C/o :	352030	80315	[illegible]

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Popl'n 1991 Total	SC	ST
	257			B/f :	352030	80315	51
840.	268	Indhaua	1	Indhaua	557	364	0
841.			2	N Tad	407	0	0
842.	269	Phophi	1	Phophi	570	307	0
843.			2	Fufai Bashmir	654	0	0
844.			3	Adda Sarjaman	174	73	0
845.	270	Maharajpur	1	Maharajpur	137	72	0
846.			2	Khera	46	0	0
847.			3	Adda Lal Singh	29	0	0
848.	271	Sarai Ikdil	1	Sarai Ikdil	87	0	0
849.			2	Adda Chamaran	151	151	0
850.	272	Kathgawan	1	Kathgawan	656	340	0
		35 1 3 Barhpura Block					
851.	273	Jhawarapura	1	Jhawarapura	674	29	0
852.			2	Ram Pura	239	0	0
853.			3	Bahadur Pur	147	34	0
854.	274	Silayata	1	Silayata	679	81	0
855.			2	M Dheemar	178	0	0
856.			3	N Kachpura	101	0	0
857.			4	M Vikram	143	0	0
858.			5	M Bhugi	302	0	0
859.			6	N Miyan	149	0	0
860.	275	Sakatpura	1	Sakatpura	245	22	0
861.			2	Hadhiya	140	0	0
862.	276	Sakrauli	1	Sakrauli	293	34	0
863.			2	M Sokha	103	0	0
864.			3	M Dudpura	902	0	0
865.			4	Pahar Pura	652	0	0
866.			5	Narayan Pura	144	116	0
867.			6	M Poothan	187	18	0
868.	277	Jagsaura	1	Jagsaura	1411	437	0
869.			2	Lakhpura	352	102	0
870.			3	N Naital	96	20	0
871.			4	N Kanhai	151	20	0
872.			5	N Udaibhan	404	250	0
873.			6	Pachpada	50	0	0
874.			7	Rampal	151	0	0
875.			8	M Naya	277	177	0
876.			9	Nagariya Bhanu	416	0	0
877.			10	Nagariya Nahan	352	190	0
878.			11	N. Dhanu	251	104	0
879.	278	Sangawali	1	Sangawali	1021	204	0
880.			2	N Mahkam	297	40	0
881.	279	Bhatoora	1	Bhatoora	893	253	0
882.			2	Benilal	193	23	0
883.			3	N Mangalal	252	252	0
884.	280	Bhogipur	1	Bhogipur	500	0	0
885.			2	N Kach Pura	188	178	0
886.			3	N Kevala	170	0	0
887.			4	Adda Bhagipura	47	0	0
888.	281	Vijaipura	1	Vijaipura	1256	314	0
889.			2	N Hardaspura	803	23	0
890.			3	N Khns	204	0	0
891.	282	Dhimarai	1	Dhimarai	573	0	0
892.			2	N Domoli	50	0	0
893.	283	Parasani	1	Parasani	502	7	0
894.			2	Anoop Nagar	44	44	0
895.	284	Takpura Sarai J	1	Takpura Sarai Jalal	360	114	0
896.			2	Kewala	175	22	0
897.			3	Hirankar	100	0	0
898.	285	Padampur	1	Padampur	100	0	0
899.			2	N Bhagwat Pura	191	0	0
900.	286	Mohmmadpur	1	Mohmmadpur	80	19	0
901.			2	Railway Coloney	50	0	0
902.			3	Dera Banjara	100	33	0
903.			4	N Ramphal	39	0	0
904.	287	Aarazi Sarai Bh	1	Aarazi Sarai Bhopat	516	0	0
905.	288	Jainpur Nagar	1	Jainpur Nagar	972	356	0
906.	289	Sarai Bhopat	1	Sarai Bhopat	1431	537	0
907.	290	Sarai Esar	1	Sarai Esar	763	72	0
908.			2	N Kurhar	227	0	0
	289			C/o :	377024	85647	51
	289			B/f :	377024	85647	51
909.	290	Sarai Esar	3	N Baba	402	151	
910.			4	N Kharkali	202	29	
911.	291	Pratapner	1	Pratapner	356	3	
912.			2	N Padua	305	0	
913.			3	N Jawahar	317	0	
914.			4	N Chagugan	541	0	
915.			5	N Chandrapura	765	232	
916.			6	N Indrajeet	204	0	
917.			7	N Devi Pura	176	0	
918.			8	N Rura	731	104	
919.			9	Raja Ka Bagh	459	104	
920.			10	Maha Jeet	437	0	
921.			11	N. Narchandpur	561	0	
922.			12	N. Todha	414	0	
923.			13	N. Harju	724	30	
924.			14	Add Diup	153	15	
925.			15	N. Jahan	496	0	
926.			16	Sarvang Pura	1394	149	
927.			17	Vikram Pura	718	344	
928.			18	N Nigoli	204	0	
929.			19	Adda Bhura	101	1	
930.	292	Alampur Hauz	1	Alampur Hauz	573	124	
931.	293	Sandpur Nagala	1	Sandpur Nagala Peerj	465	123	
932.	294	Bulakipur Luhun	1	Bulakipur Luhunna	1155	105	
933.			2	Adda Madan	367	50	
934.	295	Kandhani	1	Kandhani	1228	176	
935.			2	N Udai	285	154	
936.			3	M Jage	553	0	
937.	296	Dhoomanpura	1	Dhoomanpura	50	1	
938.			2	Nepali Asharam	21	0	
939.			3	Avanti Bai	25	0	
940.			4	Nashiya Ji	21	0	
941.			5	N Ram Chandra	26	0	
942.			6	N Sunder	25	0	
943.			7	N Ram Singh	29	0	
944.			8	M Basgiya	39	0	
945.	297	Padraya	1	Padraya	0	0	
946.	298	Umren	1	Umren	0	0	
947.	299	Sarai Arjun	1	Sarai Arjun	950	406	
948.	300	Mohanpur Manik	1	Mohanpur Manik	1161	397	
949.	301	Manikpur Bisu	1	Manikpur Bisu	2457	856	
950.			2	N Sati	826	562	
951.	302	Pachdeora	1	Pachdeora	362	46	
952.			2	M Phumdi	200	194	
953.	303	Manikpur Mohan	1	Manikpur Mohan	1167	232	
954.			2	N Parandham	302	262	
955.	304	Hadauli	1	Hadauli	677	0	
956.			2	Navilia	509	22	
957.	305	Barakhera	1	Barakhera	606	93	
958.			2	Adda Laturi	151	128	
959.			3	Adda Shukla	100	0	
960.			4	Adda Ajudi	201	0	
961.			5	M Talaiya	412	0	
962.			6	M Kharkar	159	0	
963.	306	Mosaoli	1	Mosaoli	845	41	
964.			2	Madhaiya	130	0	
965.	307	Sitora	1	Sitora	758	30	
966.			2	N Jodha Pura	554	0	
967.			3	N Raipura	773	19	
968.			4	Nigahiot	513	246	
969.			5	N Busa	194	0	
970.			6	N Narayan	438	0	
971.			7	Parvat Pura	452	0	
972.			8	Newar Pura	644	3	
973.	308	Kalyanpur Etawa	1	Kalyanpur Etawah	727	12	
974.			2	N Nage	201	0	
975.	309	Belampur	1	Belampur	628	6	
976.			2	Adda Rup Singh	50	0	
977.			3	Adda Lal Bihari	150	0	
978.	310	Kankarpur	1	Kankarpur	639	235	
	309			C/o	409543	91340	

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
		309		B/f :	409343	91340	51
9.	310	Kankarpur	2	M. Khadar	[illegible]	[illegible]	0
0.			3	Madhya Hari	236	236	0
1.			4	Kasht Ram	134	[illegible]	0
2.	311	Prathvipur Bhon	1	Prathvipur Bhonakpur	1830	133	0
3.			2	Al Chinna	132	0	0
4.			3	M Feete	197	10	0
5.			4	M Chauhan	501	31	0
6.	312	Pura Murong	1	Pura Murong	395	35	0
7.			2	Bahadur Pur	593	61	0
8.	313	Morong	1	Morong	210	110	0
9.			2	M Bhavar	180	0	0
0.			3	M Avihal Para	300	0	0
1.			4	M Shree	91	0	0
2.	314	Garaita	1	Garaita	327	20	0
3.			2	Pura Tilak Singh	513	56	0
4.			3	Kariya Danda	258	0	0
5.			4	Adda Tulsi Ram	40	0	0
6.			5	Pura Midhansingh	170	0	0
97.			6	N Rahan Singh	81	0	0
98.	315	Sarai Bhagat	1	Sarai Bhagat	511	147	0
99.			2	Dugawali	100	0	0
00.	316	Sitapura	1	Sitapura	433	171	0
01.	317	Bela	1	Bela	387	31	0
02.			2	Naya Bala	55	0	0
03.			3	Pura Kirat Singh	111	0	0
04.			4	Pura Dangali	826	662	0
05.			5	Pura Hansarma	664	80	0
06.			6	M Manohar	105	0	0
07.			7	N Basuvan Singh	754	388	0
08.			8	Vijay Ram	332	0	0
09.	318	Chandrapur Mala	1	Chandrapur Malam	255	20	0
10.	319	Lakhanpura	1	Lakhanpura	335	60	0
11.			2	Adda Baduramа	150	0	0
12.			3	Nisatynarayan	110	0	0
13.	320	Pachhaya Gaon	1	Pachhaya Gaon	1505	379	0
14.			2	M Bejnath	386	73	0
15.			3	Adda Dheemar	100	0	0
16.			4	Madhaiya Lodhi	311	0	0
17.	321	Karanpura	1	Karanpura	0	0	0
18.	322	Sikandarpura	1	Sikandarpura	374	0	0
19.	323	Tornayakpur	1	Tornayakpur	0	0	0
20.	324	Nayakpur	1	Nayakpur	493	64	0
21.	325	Jaitpur Jamanpa	1	Jaitpur Jamanpar	886	161	0
22.			2	Jaitpur West	254	202	0
23.	326	Kumhera	1	Kumhera	431	69	0
24.	327	Sarekhipura	1	Sarekhipura	495	441	0
25.	328	Bhaupura	1	Bhaupura	856	128	0
26.			2	Mikachar	106	0	0
27.			3	Pura Gopal	106	0	0
28.			4	Pura Ranvir	130	123	0
29.	329	Aswa	1	Aswa	608	31	0
30.			2	West Khachar	156	0	0
31.			3	East Kachar	732	0	0
32.			4	Pura Pewadi	1405	197	0
33.	330	Ratnupura	1	Ratnupura	359	97	0
34.	331	Ajabpur Jhingup	1	Ajabpur Jhingupur	843	214	0
35.			2	Jhishpur	38	38	0
36.			3	Madhaiya	503	0	0
37.			4	Khera	62	0	0
38.	332	Manika Pura	1	Manika Pura	300	0	0
39.			2	Madhika Pura	250	193	0
40.			3	M Lal	97	0	0
41.	333	Chandanpur Khur	1	Chandanpur Khurd	403	110	0
42.			2	Pura Bhagwan Das	250	250	0
43.	334	Udhanpura	1	Udhanpura	346	71	0
44.			2	Adda	75	0	0
45.	335	Barauli Jamanpu	1	Barauli Jamanpur	864	89	0
46.			2	Karilgarh	1959	259	0
47.	336	Basabara	1	Basabara	705	159	0
48.			2	M Satiya	107	0	0
		335		C/o :	437721	97009	51

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
		335		B/f :	437721	97009	51
1049.	336	Basabara	3	M Madan Singh	50	0	[illegible]
1050.			4	M Khand	[illegible]	0	[illegible]
1051.			5	M Shukulpura	[illegible]	0	[illegible]
1052.	337	Bhindiya Pura	1	Bhindiya Pura	374	0	[illegible]
1053.	338	Beechupura	1	Beechupura	[illegible]	334	[illegible]
1054.	339	Lodhupura	1	Lodhupura	[illegible]	55	[illegible]
1055.	340	Nayepura	1	Nayepura	105	24	[illegible]
1056.	341	Badpura	1	Badpura	784	378	[illegible]
1057.			2	Modhaiya	335	84	[illegible]
1058.	342	Madayan	1	Madayan	595	156	[illegible]
1059.			2	M Pokhra	200	0	[illegible]
1060.	343	Gyanpur Gyani P	1	Gyanpur Gyani Parast	220	29	[illegible]
1061.			2	Kundeshwar	295	20	[illegible]
1062.	344	Dhamana	1	Dhamana	402	38	[illegible]
1063.			2	Kachar	121	0	[illegible]
1064.			3	Madaiya Lodi	[illegible]	0	[illegible]
1065.			4	Adda Chiraini	135	0	[illegible]
1066.			5	Adda Jandhan	201	195	[illegible]
1067.			6	Madiya Ahiran	[illegible]	0	[illegible]
1068.			7	Adda Jalim	111	0	[illegible]
1069.			8	Adda Mehavvan	120	0	[illegible]
1070.	345	Bahuri	1	Bahuri	830	38	[illegible]
1071.			2	M Dharmpura	120	0	[illegible]
1072.			3	Adda Teli	155	89	[illegible]
1073.			4	Adda Dangahu	145	0	[illegible]
1074.	346	Bhagauti Nagala	1	Bhagauti Nagala Kach	396	58	[illegible]
1075.			2	M Birbal	528	30	[illegible]
1076.	347	Kamet	1	Kamet	519	120	[illegible]
1077.			2	M Gaur	1105	325	[illegible]
1078.			3	Block Office	431	5	[illegible]
1079.			4	Pulki Madhaiya	110	0	[illegible]
1080.			5	Haviliya	826	295	[illegible]
1081.			6	M Birval	412	202	[illegible]
1082.			7	Madhaiya Khamat	544	303	[illegible]
1083.			8	M Azit	403	263	[illegible]
1084.			9	Adda Dhyani	252	86	[illegible]
1085.			10	Madhain And	503	22	[illegible]
1086.			11	Police Chauki	201	1	[illegible]
1087.	348	Sunbara	1	Sunbara	626	44	[illegible]
1088.	349	Bhatpura	1	Bhatpura	392	187	[illegible]
1089.			2	Habiliya	10	0	[illegible]
1090.			3	Madhaiya Lodhi	209	0	[illegible]
1091.			4	Dhavaha	119	0	[illegible]
1092.	350	Paroli Muttsil	1	Paroli Muttsil Kamet	192	192	[illegible]
1093.			2	Adda Raghuvir	120	0	[illegible]
1094.			3	Adda Naval	110	0	[illegible]
1095.			4	Adda Parauli	130	0	[illegible]
1096.			5	Ramikavar	138	0	[illegible]
1097.	351	Rajpura Jani Ba	1	Rajpura Jani Barasta	425	0	[illegible]
1098.			2	Pootan	502	4	[illegible]
1099.			3	Adda Puthan	316	0	
1100.			4	Kavari	412	23	
1101.	352	Kasonga	1	Kasonga	405	48	
1102.	353	Rampura	1	Rampura	205	0	
1103.	354	Jarhouli	1	Jarhouli	784	234	
1104.			2	Madhaiya Lodhi	529	0	
1105.			3	Nala Garhu	201	167	
1106.	355	Chak Pemera Nah	1	Chak Pemera Nahar	120	108	
1107.	356	Awari	1	Awari	803	407	
1108.			2	Nochonti	[illegible]	[illegible]	
1109.			3	Krishna Nagar	144	0	
1110.	357	Udi	1	Udi	1228	130	
1111.			2	Adda	454	156	
1112.	358	Kheda Azab Sing	1	Kheda Azab Singh	845	258	
1113.			2	M Bhavani Dash	475	345	
1114.	359	Gaati	1	Gaati	481	239	
1115.			2	Ganti Choti	211	0	
1116.			3	M Khiriya	132	0	
1117.	360	Chikani	1	Chikani	[illegible]	[illegible]	
1118.	361	Miholi	1	Miholi	578	25	
		360		C/o :	463192	102867	

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
		35		B/f :	40344	8887	0
1254.	36	Kurkha	1	Kurkha	0	0	0
1255.			2	Nagla Vijai	150	0	0
1256.			3	Nagla Nainsukh	0	0	0
1257.			4	Kurkha	578	335	0
1258.	37	Nagla Meraha	1	Nagla Meraha	124	16	0
1259.	38	Bani Hardu	1	Bani Hardu	289	0	0
1260.			2	Nagla Mudha	169	0	0
1261.			3	Nagla Chamaran	251	41	0
1262.			4	Nagla Nagaria	169	0	0
1263.			5	Nagla Tandapur	87	0	0
1264.			6	Shatiyanpur	154	0	0
1265.			7	Adda	95	33	0
1266.	39	Tukpura	1	Tukpura	270	17	0
1267.			2	Nagla Bhawar	150	0	0
1268.			3	Nagla Bhagat	50	6	0
1269.			4	Nagla Ghasipura	175	0	0
1270.			5	Adda	188	0	0
1271.	40	Keshonpura	1	Keshonpura	741	166	0
1272.			2	Nagla Himmatpur	126	0	0
1273.			3	Nagla Peepal	111	77	0
1274.			4	Chanlam Urf Nagla Bh	135	0	0
1275.	41	Santoshpur Pach	1	Santoshpur Pachar	260	166	0
1276.			2	Nagla Mihu	340	0	0
1277.			3	Maraiyya	25	25	0
1278.	42	Punja	1	Punja	605	31	0
1279.			2	Mathiya Thakuran	324	0	0
1280.			3	Gariya Dixitan	201	201	0
1281.	43	Shekhupur Pacha	1	Shekhupur Pachar	457	0	0
1282.			2	Nagla Panchhi	130	0	0
1283.			3	Nagla Jind	705	128	0
1284.	44	Araharpur	1	Araharpur	410	111	0
1285.			2	Nagla Lukatpura	150	0	0
1286.			3	Nagla Dhaukal	115	0	0
1287.			4	Nagla Khimi	90	0	0
1288.			5	Nagla Saraiyya	131	0	0
1289.	45	Turaiya	1	Turaiya	433	78	0
1290.			2	Nagla Jalarpur	106	0	0
1291.			3	Jogin Ka Nagla	681	353	0
1292.			4	Nagla Tal	307	0	0
1293.	46	Lakhanpur Pacha	1	Lakhanpur Pachar	297	0	0
1294.			2	Nagla Sidhu	274	0	0
1295.			3	Nagla Raveghar	149	15	0
1296.	47	Birsingpur	1	Birsingpur	174	0	0
1297.			2	Nagla Ekghara	99	0	0
1298.	48	Divrasai	1	Divrasai	522	0	0
1299.			2	Nagla Ichhara	200	86	0
1300.	49	Apurpur	1	Apurpur	402	73	0
1301.			2	Nagla Adhala	150	0	0
1302.			3	Ram Narayan	50	0	0
1303.	50	Alampur Turaiya	1	Alampur Turaiya	299	0	0
1304.	51	Ber	1	Ber	783	156	0
1305.			2	Nagla Pran	95	0	0
1306.			3	Nagla Chalaniya	97	0	0
1307.			4	Adda Baboram	66	0	0
1308.			5	Nagla Sitaram	76	0	0
1309.			6	Nagla Rapatpura	94	0	0
1310.	52	Jetu Pur Khhuja	1	Jetu Pur Khhujagi	567	74	0
1311.			2	Nagla Ramlal	200	0	0
1312.			3	Khojipur	150	100	0
1313.			4	Khojipur Khurd	50	0	0
1314.	53	Shekhopur Chand	1	Shekhopur Chandethi	530	451	0
1315.	54	Chandethi	1	Chandethi	546	14	0
1316.	55	Tadaukharra	1	Tadaukharra	409	3	0
1317.			2	Chhota Tanda	59	0	0
1318.			3	Bada Tanda	109	0	0
1319.			4	Adda Lakriyatish	47	0	0
1320.			5	Ukhara	150	2	0
1321.	56	Betiapur	1	Betiapur	464	88	0
1322.			2	Nagla Gopchi	101	0	0
1323.			3	Nagla Banjaran	126	109	0
		55		C/o :	57139	11373	0
		55		B/f :	57139	11373	0
1324.	56	Betiapur	4	Nagla Kallu	204	0	0
1325.			5	Nagla Peepar	343	0	0
1326.	57	Deep	1	Deep	421	33	0
1327.			2	Nagla Bhaupura	303	0	0
1328.			3	Nagla Khargur	211	0	0
1329.			4	Nagla Masood	340	97	0
1330.			5	Nagla Broota	201	62	0
1331.			6	Nagla Jafarpura	422	42	0
1332.			7	Nagla Khagi	309	85	0
1333.			8	Maraiyya Jafarpura	268	0	0
1334.	58	Santhar	1	Santhar	1034	396	0
1335.			2	Nagla Tar	212	0	0
1336.			3	Nagla Mahan Sing	242	0	0
1337.			4	Nagla Pachchhayan	215	0	0
1338.			5	Nagla Chhidai	303	0	0
1339.			6	Nagla Alipura	249	0	0
1340.			7	Nagla Bhikaridas	202	0	0
1341.			8	Nagla Habiliya	253	0	0
1342.			9	Nagla Lahariya	152	0	0
1343.			10	Nagla Ahivaranpur	202	202	0
1344.			11	Nagla Gapchipa	113	0	0
1345.			12	Nagla Hirmani	227	203	0
1346.			13	Nagla Haweli	212	212	0
1347.			14	Nagla Kalandra	162	119	0
1348.			15	Kothi Nahar	68	1	0
1349.	59	Bakauli	1	Bakauli	602	447	0
1350.			2	Shikhampura	336	336	0
1351.			3	Maurajpur	100	0	0
1352.			4	Maraiyya	151	0	0
1353.			5	Nagla Sukh Nand	150	0	0
1354.			6	Nagla Chandi	100	0	0
1355.			7	Hawali	101	0	0
1356.	60	Medipur	1	Medipur	231	0	0
1357.	61	Khiriya	1	Khiriya	275	0	0
1358.			2	Nagla Taran	99	0	0
1359.			3	Nagla Tal	125	0	0
1360.	62	Raura	1	Raura	803	76	0
1361.			2	Nagla Harchandi	105	0	0
1362.			3	Nagla Chunar	100	59	
1363.			4	Nagla Muren	104	0	
1364.			5	Nagla Ajab	100	100	
1365.			6	Nagla Faram	70	0	
1366.			7	Nagla Ganeshpura	75	0	
1367.			8	Nagla Jakha	115	54	
1368.			9	Nagla Barakhar	276	0	
1369.			10	Nagla Bochhal	100	0	
1370.			11	Nagla Hanuman	186	0	
1371.			12	Nagla Basant	125	0	
1372.			13	Nagla Gariya	52	0	
1373.	63	Nagla Manikpur	1	Nagla Manikpur	140	0	
1374.			2	Nagla Nunar	68	0	
1375.			3	Nagla Manphool	35	0	
1376.	64	Amthari	1	Amthari	[illegible]	[illegible]	
1377.			2	Nagla Hukumsingh	104	0	
1378.			3	Nagla Gayachipa	203	0	
1379.			4	Nagla Hanse	206	[illegible]	
1380.			5	Nagla Mayana	62	0	
1381.	65	Kudrail	1	Kudrail	[illegible]	[illegible]	
1382.			2	Puran Pura	[illegible]	[illegible]	
1383.			3	Hatila	[illegible]	0	
1384.			4	Chittar Pura	[illegible]	[illegible]	
1385.			5	Rampura	[illegible]	171	
1386.			6	Shivara	451	0	
1387.			7	Badariya Pooth	[illegible]	0	
1388.			8	Maraiyya Puranpura	212	202	
1389.			9	Kathotiya	377	0	
1390.			10	Kesopura	404	404	
1391.			11	Narayanpur	188	0	
1392.			12	Sukhaiyya	256	0	
1393.			13	Matha Angad	101	0	
		64		C/o :	75439	17128	

Sl.No.	Village Code Name	Habitation No. Name	Census Popl'n 1991 Total	SC	ST
	64	B/f :	[illegible]	[illegible]	0
1394.	65 Kudra[illegible]	14 Kothi	[illegible]	0	0
1395.		15 Thakuri Pura	173	0	0
1396.		16 Thapa	61	0	0
1397.		17 Kothi Bazar	[illegible]	0	0
1398.		18 Maraiyya Khange	[illegible]	0	0
1399.		19 Nagla Garariyan	[illegible]	0	0
1400.		20 Nagla Chatur	[illegible]	0	0
1401.		21 Nagla Buddhi	[illegible]	0	0
1402.		22 Nagla Sujanpur	303	0	0
1403.		23 Nagla Kua	253	0	0
1404.		24 Nagla Ber	101	[illegible]	0
1405.		25 Nagla Bansanit	51	0	0
1406.		26 Nagla Dalu	152	0	0
1407.		27 Nagla Lote	106	0	0
1408.	66 Patiyayat	1 Patiyayat	1100	43	0
1409.		2 Jaisingpur	1116	177	0
1410.		3 Nagla Himmat	350	0	0
1411.		4 Kankua	537	253	0
1412.		5 Mahua	350	0	0
1413.		6 Matha Rustam	467	0	0
1414.		7 Nagariya	467	127	0
1415.		8 Takiya	234	0	0
1416.		9 Haweli	515	515	0
1417.	67 Takha	1 Takha	625	186	0
1418.		2 Aspatal	97	0	0
1419.		3 Nagla Kori	110	43	0
1420.		4 Nagla Dwarikapuri	88	0	0
1421.		5 Atia	135	0	0
1422.		6 Tamoli	132	0	0
1423.		7 Biratiya	155	0	0
1424.		8 Nagla Duli	293	0	0
1425.		9 Bahadurpur	161	0	0
1426.		10 Nagla Desraj	53	0	0
1427.		11 Nagla Parsaypur	110	0	0
1428.		12 Nagla Bachcha	148	0	0
1429.		13 Lalpura	95	0	0
1430.		14 Nagla Kishanpura	149	0	0
1431.		15 Nagla Takan	84	81	0
1432.		16 Nagla Gariya	97	0	0
1433.		17 Nagla Karan	93	0	0
1434.		18 Nagla Kayampur	39	0	0
1435.		19 Nagla Katela Bala	77	74	0
1436.		20 Nagla Jawahar	[illegible]	0	0
1437.		21 Sutiyani	255	0	0
1438.		22 Nagla Bale	52	0	0
1439.		23 Nagla Rathor	224	0	0
1440.		24 Nagla Jugrajpur	145	0	0
1441.		25 Nagla Bishunpura	[illegible]	0	0
1442.		26 Nagla Koriyatl	[illegible]	93	0
1443.		27 Pahkalan	139	0	0
1444.		28 Nagla Pahkhurd	[illegible]	0	0
1445.		29 Nagla Gadchiya	84	0	0
1446.		30 Nagla Biloloi	74	0	0
1447.		31 Nagla Dhakau	[illegible]	0	0
1448.		32 Achhu Ka Matha	[illegible]	0	0
1449.		33 Daulatpur	[illegible]	62	0
1450.		34 Nagla Ratanpura	245	0	0
1451.		35 Nagla Kharag	[illegible]	1	0
1452.	68 [illegible] Himmatpur	1 [illegible] Himmatpur	[illegible]	0	0
1453.		2 Udaitpura	[illegible]	0	0
1454.		3 Nagla Chand	[illegible]	0	0
1455.		4 Nagla Mace	[illegible]	0	0
1456.		5 Nagla Havalia	[illegible]	0	0
1457.		6 Nagla Jhanda	[illegible]	0	0
1458.		7 Nagla Kayampura	[illegible]	0	0
1459.		8 Nagla [illegible]	[illegible]	[illegible]	0
1460.		9 Nagla Khalak	[illegible]	0	0
1461.		10 Nagla Himmatpur	252	0	0
1462.		11 Nagla Jagdaspur	[illegible]	396	0
1463.	69 Balapur	1 Balapur	[illegible]	92	0
	68	C/o :	91765	19372	0

Sl.No.	Village Code Name	Habitation No. Name	Census Popl'n 1991 Total	SC	ST
	68	B/f :	91765	19372	
1464.	69 Balapur	2 Nagla Kankiya	[illegible]	78	
1465.		3 Nagla Naya	[illegible]	0	
1466.	70 Sarawa	1 Sarawa	[illegible]	209	
1467.		2 Nagla Chint	[illegible]	52	
1468.		3 Nagla Rampura	[illegible]	0	
1469.		4 Nagla Dhyanpura	[illegible]	93	
1470.		5 Nagla Bilua	[illegible]	0	
1471.		6 Nagla Pratapur	[illegible]	0	
1472.		7 Nagla Gariya	[illegible]	0	
1473.		8 Nagla Ojha	99	1	
1474.	71 Nagriya Sarawa	1 Nagriya Sarawa	[illegible]	51	
1475.		2 Maraiyya	[illegible]	46	
1476.	72 Rajipur	1 Rajipur	[illegible]	23	
1477.		2 Sansiyapur	[illegible]	17	
1478.		3 Nagla Charo	[illegible]	0	
1479.	73 Belahar	1 Belahar	[illegible]	461	
1480.		2 Nagariya Yadvan	1245	357	
1481.		3 Nagla Sati	696	0	
1482.		4 Nagla Ganeshpura	0	0	
1483.		5 Nagla Gaja	429	0	
1484.		6 Nagla Aswar	107	0	
1485.		7 Nagla Ninar	121	0	
1486.		8 Madaiyya Jogi	2	0	
1487.	74 Soron	1 Soron	419	0	
1488.		2 Chhisaila	251	129	
1489.		3 Nagla Dhokalpur	372	0	
1490.		4 Bankato	332	259	
1491.		5 Tegapur	150	0	
1492.	75 Ratahari Sarawa	1 Ratahari Sarawa	726	318	
1493.		2 Indragarh	203	0	
1494.		3 Nagla Matan	201	0	
1495.		4 Naglakhusroo Pura	171	171	
1496.		5 Madaiyya	31	0	
1497.	76 Kakrahi	1 Kakrahi	0	0	
1498.		2 Nagla Pachhayan	195	0	
1499.		3 Nagla Talpar	195	0	
1500.		4 Nagla Gadhlot	182	0	
1501.		5 Kakrahi	792	112	
1502.		6 Nagla Natha	221	0	
1503.		7 Nagla Charo	155	0	
1504.		8 Nagla Shala	273	112	
	35 2 5 Sharthana Block				
1505.	77 Gangora Bojhera	1 Gangora Bojhera	572	58	
1506.		2 Nagla Ajhantha	815	0	
1507.		3 Nagla Bajhera	102	0	
1508.	78 Dinarpur	1 Dinarpur	277	76	
1509.		2 Nagla Panchi	[illegible]	0	
1510.	79 Mugalpur Nraini	1 Mugalpur Nraini	[illegible]	231	
1511.		2 Nagla Mahdhata	[illegible]	231	
1512.		3 Nagla Kila	[illegible]	0	
1513.		4 Nagla Beni	[illegible]	127	
1514.	80 Buapur	1 Buapur	[illegible]	123	
1515.		2 Naglavary	[illegible]	0	
1516.		3 Nagla Banjaran	[illegible]	164	
1517.	81 Hathnoli	1 Hathnoli	[illegible]	208	
1518.		2 Nagla Mihilal	[illegible]	0	
1519.		3 Nagla Dharmpal	125	0	
1520.		4 Nagla Tulsi Ram	84	0	
1521.	82 Kusana	1 Kusana	[illegible]	672	
1522.		2 Milkiya	[illegible]	0	
1523.		3 Khanpura	[illegible]	0	
1524.		4 Nagalghashi	[illegible]	0	
1525.		5 Nagla Ram Phal	[illegible]	0	
1526.		6 Nagla Dinpura	[illegible]	0	
1527.		7 Nagla Shadabad	[illegible]	0	
1528.		8 Nagla [illegible]	[illegible]	[illegible]	
1529.	83 Ninawa	1 Ninawa	[illegible]	96	
1530.		2 Nagla Gadniyan	[illegible]	0	
1531.		3 Nagla Sitaram Vishal	[illegible]	0	
1532.		4 Nagla Adda	[illegible]	0	
	82	C/o :	[illegible]	23907	

Sl.No.	Village Code Name	Habitation No. Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
	82	B/f :	112515	23907	0
1533.	83 Ninawa	5 Tilaksingh	1?0	0	0
1534.	84 Marhi Dudhi	1 Marhi Dudhi	[illegible]	[illegible]	0
1535.		2 Nagla Gurnaemanpur	[illegible]	[illegible]	0
1536.		3 Nagla Bandhadakhin	[illegible]	0	0
1537.		4 Nagla Bandhauttari	[illegible]	0	0
1538.		5 Naglahanu	70	0	0
1539.		6 Nagla Gayadin	120	0	0
1540.		7 Nagla Baburam Nath	30	0	0
1541.		8 Nagla Shaligram	50	0	0
1542.		9 Naglahari	70	0	0
1543.		10 Nshls Jhumsk	100	0	0
1544.		11 Nagla Rushtam	80	0	0
1545.		12 Nagla Thakuri	100	0	0
1546.		13 Nagla Banbari	60	0	0
1547.		14 N Hulas	52	0	0
1548.	85 Nigoh Buapur	1 Nigoh Buapur	0	0	0
1549.	86 Nigoh Ekarpur	1 Nigoh Ekarpur	335	239	0
1550.		2 Nagla Prem	150	0	0
1551.	87 Bhilona	1 Bhilona	537	135	0
1552.	88 Reetor	1 Reetor	2352	1130	0
1553.		2 Naglamoti	601	0	0
1554.		3 Nagla Mandhata	259	0	0
1555.		4 Nagla Budhu	60	0	0
1556.		5 Nagla Bhawanipura	351	56	0
1557.		6 Nagla Bhagi	371	0	0
1558.		7 Railway Quarter	29	0	0
1559.	89 Kunwarpur Bhatp	1 Kunwarpur Bhatpur	361	0	0
1560.		2 Nagla Naya	349	101	0
1561.		3 Nagla Banjaran	241	0	0
1562.		4 Nagla Faram	96	0	0
1563.		5 Nagla Solunkey	181	0	0
1564.	90 Basoli Ghat	1 Basoli Ghat	1115	434	0
1565.	91 Muraitha	1 Muraitha	621	212	0
1566.		2 Dera Banjaran	181	181	0
1567.		3 Nagla Hare	452	155	0
1568.	92 Damoderpur	1 Damoderpur	202	0	0
1569.		2 Dera Banjaran	141	133	0
1570.		3 Maraiya Godnan	152	142	0
1571.		4 Baju Nagar	101	0	0
1572.		5 Nagla Tilyani	141	0	0
1573.		6 Nagla Harnarayanpura	242	159	0
1574.		7 Nagla Radaey	152	0	0
1575.		8 Nagla Duju	101	0	0
1576.	93 Ibrahimpur	1 Ibrahimpur	260	0	0
1577.		2 Bajunagar	180	0	0
1578.		3 Lalpura	250	92	0
1579.		4 Naglabarela	50	0	0
1580.		5 Pandaykatal	149	126	0
1581.	94 Birari	1 Birari	3134	1399	0
1582.		2 Nalaajit	303	0	0
1583.		3 Nagla Bhikhari	253	0	0
1584.		4 Nagla Thakur	152	0	0
1585.		5 Nagla Puth	354	354	0
1586.		6 Nagla Harchand Pur	253	253	0
1587.		7 Nagla Parmady	202	202	0
1588.		8 Nagla Aminabad	152	65	0
1589.		9 Nagladalip	354	354	0
1590.		10 Nagla Dalpat	119	119	0
1591.	95 Kushgawan Badas	1 Kushgawan Badashpur	735	244	0
1592.		2 Nangla Kakrana	503	503	0
1593.		3 Nagla Birhiya	50	50	0
1594.	96 Akabarpur Daula	1 Akabarpur Daulatpur	894	461	0
1595.		2 Dolatpur	765	373	0
1596.	97 Balampur	1 Balampur	852	657	0
1597.	98 Ekrampur	1 Ekrampur	231	0	0
1598.		2 Naglabhole	45	0	0
1599.		3 Nagla Chavinath	100	0	0
1600.		4 Nagla Bihari	100	0.	0
1601.		5 Nagla Lachm	80	0	0
1602.	99 Sihpura	1 Sihpura	509	84	0
	98	C/c :	136532	33063	0

Sl.No.	Village Code Name	Habitation No. Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
	98	B/f :	136532	33063	0.
1603.	99 Sihpura	2 Nagla Matadeen	150	0	0
1604.		3 N Beldar	[illegible]	[illegible]	0
1605.	100 Kandhesi Pachar	1 Kandhesi Pachar	1371	612	0
1606.		2 Nagla Raja	265	0	0
1607.		3 Nagla Ajelaturf Nagr	366	0	[illegible]
1608.	101 Hajipur	1 Hajipur	556	144	[illegible]
1609.	102 Alampur Bovli	1 Alampur Boveli	283	121	0
1610.		2 Nagla Runch	250	0	0
1611.		3 Nagla Thakur	214	0	0
1612.	103 Biwoli	1 Biwoli	461	304	0
1613.		2 Nagla Sukhi	100	0	0
1614.		3 Maraiya Dalchand	200	0	0
1615.	104 Mudaina Biwoli	1 Mudaina Biwoli	535	393	0
1616.	105 Samaspur	1 Samaspur	1313	359	0
1617.		2 Nagla Lalpur	342	68	0
1618.	106 Rampur	1 Rampur	55	0	0
1619.		2 Nagla Kushalpur	300	78	0
1620.	107 Asafpur	1 Asafpur	357	202	0
1621.		2 Nagla Kothi	160	0	0
1622.		3 N Sumer	40	0	0
1623.	108 Piparipur Pacha	1 Piparipur Pachar	440	159	0
1624.	109 Turakpur Pachar	1 Turakpur Pachar	303	0	0
1625.		2 N Harnandan	104	87	0
1626.		3 N Mahipat	82	0	0
1627.	110 Qutubpur	1 Qutubpur	718	45	0
1628.	111 Birondhi	1 Birondhi	1873	712	0
1629.		2 Marahiya Malhan	201	0	0
1630.	112 Morhi	1 Morhi	1391	522	0
1631.		2 Nagla Hansay	80	0	0
1632.		3 Nagla Morhadey	260	0	0
1633.		4 Harijan Collony	120	0	0
1634.	113 Gopiyaganj	1 Gopiyaganj	1220	368	0
1635.	114 Bholi	1 Bholi	1378	749	0
1636.		2 Nagla Sukhlal	280	0	0
1637.		3 Nagla Ajeet	150	0	0
1638.		4 Nagla Amar	180	0	0
1639.		5 Nagla Manpur	80	0	0
1640.		6 Mahilbar	60	0	0
1641.		7 Nagla Jailal	80	0	0
1642.		8 Nagla Thakupuaa	491	0	0
1643.		9 Nagla Ali	100	0	0
1644.		10 Nagla Bhagat	120	0	0
1645.		11 Nagla Gudey	200	0	0
1646.		12 Nagla Kharenghee	222	222	0
1647.	115 Nagla Phoolpur	1 Nagla Phoolpur	170	0	0
1648.		2 Nagla Mitora	34	0	0
1649.	116 Nagla Chitt	1 Nagla Chitt	367	0	0
1650.	117 Kanwa Khurd	1 Kanwa Khurd	1146	495	0
1651.		2 Nagal Atwariiya	81	0	0
1652.		3 Plaki Maraiya	50	0	0
1653.	118 Ramain	1 Ramain	1958	898	0
1654.		2 Nagla Paah	196	0	[illegible]
1655.		3 Nagla Murpora	175	0	[illegible]
1656.		4 Chhola Pura	156	0	[illegible]
1657.		5 Nagla Chhola	293	224	[illegible]
1658.		6 Nagla Bhjansingh	147	0	[illegible]
1659.		7 Nagla Naya	78	0	[illegible]
1660.		8 Nagla Harlal	195	0	[illegible]
1661.		9 Nagla Sarai	147	0	[illegible]
1662.	119 Mahmoodpur	1 Mahmoodpur	315	94	[illegible]
1663.	120 Bharthana (Rula	1 Bharthana (Rular Are	[illegible]	767	[illegible]
1664.		2 Nagla Achhelal	[illegible]	0	[illegible]
1665.		3 Nagla Gari	121	0	[illegible]
1666.		4 Nagla Daro	[illegible]	0	[illegible]
1667.		5 Nagla Saraiya	[illegible]	0	[illegible]
1668.		6 Nagla Girdhattpur	60	0	[illegible]
1669.		7 Nagla Durcha	60	0	[illegible]
1670.		8 Nagla Koriyan	[illegible]	0	[illegible]
1671.		9 Ramnagar	[illegible]	0	[illegible]
1672.		10 Methli Nagar	50	0	[illegible]
	119	C/o :	161302	41507	

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Popl'n 1991 Total	SC	ST
	119			B/f :	161302	41307	0
1673.	120	Bhartrana (Rula	11	Maha Ki Maraiya	50	0	0
1674.			12	Yadav Nagar	50	0	0
1675.			13	Rajagang	80	0	0
1676.			14	Ambacka Nagar	101	0	0
1677.			15	Lohiy Nagar	50	0	0
1678.			16	Shukla Gang	50	0	0
1679.			17	Githar Nagar	40	0	0
1680.	121	Kunwara	1	Kunwara	1458	433	0
1681.			2	Nagla Harbansh	239	0	0
1682.			3	Nagla Puth	219	0	0
1683.			4	Nagla Tal	814	696	0
1684.	122	Sujipur	1	Sujipur	260	176	0
1685.			2	Nagla Chmaran	200	0	0
1686.			3	Nagla Mahatipan	29	0	0
1687.	123	Sahajpur Gyanpu	1	Sahajpur Gyanpur	455	302	0
1688.			2	Gyanpur	453	0	0
1689.			3	Nagla Nirpat	201	0	0
1690.			4	Maraiya Malahran	20	0	0
1691.	124	Kurrah	1	Kurrah	30	0	0
1692.			2	N Bhujh	530	100	0
1693.			3	N Naya	25	0	0
1694.			4	N Pyare	50	0	0
1695.			5	N Chajja	201	41	0
1696.			6	N Mohakam Singh	51	0	0
1697.	125	Sinhuan	1	Sinhuan	406	140	0
1698.			2	Nagla Rampural	152	0	0
1699.			3	Gopiyapur A	81	0	0
1700.			4	Saraiya L	102	0	0
1701.			5	Thulwaja	112	0	0
1702.			6	Pratappura	203	93	0
1703.			7	Athesa	122	0	0
1704.			8	Barahar	122	0	0
1705.			9	Kalandar	254	93	0
1706.			10	Nagla Bili	112	102	0
1707.			11	Nagla Mikti	122	0	0
1708.			12	Nagla Gaharua	152	0	0
1709.			13	Nagla Mathorikimarai	102	0	0
1710.			14	Nagla Mubarkpur	81	74	0
1711.			15	Talaiya Bri	132	0	0
1712.			16	Talaiya Choti	142	0	0
1713.			17	Nagla Pipar	91	0	0
1714.			18	Nagla Chandrapura	508	186	0
1715.			19	Nagla Chhana	152	0	0
1716.			20	Nagla Kothi	152	0	0
1717.			21	Nagla Dayali	163	0	0
1718.			22	Nagla Mittha	184	1	0
1719.	126	Saiphi	1	Saiphi	476	216	0
1720.			2	Nagla Gulab Singh	159	158	0
1721.			3	Nagla Pattu	126	126	0
1722.			4	Nagla Daulatpur	165	0	0
1723.			5	Nagla Ratan	189	156	0
1724.			6	Nagla Sugpura	125	0	0
1725.			7	Nagla Kattla	84	84	0
1726.			8	Nagla Burna	84	77	0
1727.			9	Arjun Pur	127	0	0
1728.	127	Nagla Bahadurpu	1	Nagla Bahadurpur	241	42	0
1729.	128	Nagla Bhagi	1	Nagla Bhagi	41	0	0
1730.	129	Salimpur	1	Salimpur	723	102	0
1731.			2	Nagla Dhana	413	17	0
1732.			3	Nagla Dariya	104	0	0
1733.			4	Nagla Teliyan	73	43	0
1734.			5	Nagla Ante	63	0	0
1735.			6	Nagla Mukutsingh	53	0	0
1736.	130	Mangupur	1	Mangupur	524	298	0
1737.			2	N Nirpat	83	83	0
1738.			3	N Jalal	3[illegible]	196	0
1739.			4	N Ranu	156	0	0
1740.			5	N Ghana	83	16	0
1741.			6	West Adda	125	125	0
1742.			7	East Adda	105	49	0
	130			C/o :	175408	45932	0

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Popl'n 1991 Total	SC	ST
	130			B/f :	175408	45932	
1743.	131	Nagla Chalaniya	1	Nagla Chalaniya	169	93	
1744.	132	Umar Senda	1	Umar Senda	1199	455	
1745.			2	Nagla Kothi	274	0	
1746.			3	Nagla Chandelal	219	28	
1747.			4	Nagla Bag	104	0	
1748.			5	Nagla Rampur	141	0	
1749.			6	Nagla Kuwarpal	33	0	
1750.			7	Nagla Dhami	165	0	
1751.	133	Nagla Bhara	1	Nagla Bhara	340	0	
1752.	134	Nagla Useera	1	Nagla Useera	203	0	
1753.	135	Nagla Buther	1	Nagla Buther	223	32	
1754.	136	Adlipur	1	Adlipur	573	192	
1755.			2	Nagla Mitcpa	50	0	
1756.			3	Nagla Pasi	201	0	
1757.			4	Nagla Marh	30	0	
1758.			5	Nagla Damai	251	68	
1759.			6	N. Aman	40	0	
1760.			7	Nagla Chamrrni	80	80	
1761.			8	Nakhatua	60	0	
1762.			9	N Shala	12	12	
1763.	137	Gansara	1	Gansara	729	151	
1764.			2	N Mahan	198	58	
1765.			3	N Laghaniya Pura	217	81	
1766.			4	N Surkhiman	198	0	
1767.			5	N Bhajrpuri	173	0	
1768.			6	N Hari	198	0	
1769.			7	Marha Balsingh	10	0	
1770.			8	N Gangadeen	89	0	
1771.			9	N Nakatpura	63	1	
1772.	138	Katahara	1	Katahara	562	390	
1773.			2	Tiliyani	201	49	
1774.			3	Nagla Lal Pura	121	0	
1775.			4	Nagla Dadi	101	0	
1776.			5	Nagla Sakantu	101	0	
1777.			6	Nagla Kori	50	50	
1778.			7	Nagla Usari	101	101	
1779.			8	Marah Chetrami	9	0	
1780.	139	Lahroi	1	Lahroi	699	180	
1781.			2	Nagla Umar	50	0	
1782.			3	Nagla Sabai	201	0	
1783.			4	Nagla Shamlal	301	0	
1784.			5	Nagla Mohan	452	0	
1785.			6	Farariapur Naya	151	0	
1786.			7	Gnhiriyarin	100	0	
1787.			8	Nagla Hirmani	80	20	
1788.			9	Nagala Bidhi	50	0	
1789.			10	Nagla Manu	40	0	
1790.			11	Nagla Heere	101	0	
1791.			12	Nagla Mantram	51	50	
1792.	140	Banamai	1	Banamai	245	35	
1793.			2	N Radhey	370	109	
1794.			3	N Dalu	49	0	
1795.			4	N Beldar	20	20	
1796.			5	N Raghunath Singh	49	0	
1797.			6	Yadwan	31	0	
1798.			7	N Kalyan Singh	79	79	
1799.	141	Baharpura	1	Baharpura	633	633	
1800.			2	Nagla Baripura	[illegible]	281	
1801.			3	Nagla Basawan	[illegible]	0	
1802.			4	Nagla Lahari	[illegible]	0	
1803.			5	Nagla Koriyan	[illegible]	0	
1804.			6	Dasi Pura	[illegible]	0	
1805.			7	Nagla Mirawa	[illegible]	0	
1806.			8	Nagla Kothi	[illegible]	0	
1807.			9	Nagla Gopi urf Purva	[illegible]	0	
1808.			10	Nagla Chandelan	[illegible]	0	
1809.			11	Nagla Baniya Math	[illegible]	0	
1810.			12	Nagla Majhepura	[illegible]	0	
1811.			13	Nagla Khragpura	[illegible]	0	
1812.			14	Nagla Mastkapura	[illegible]	0	
	141			C/o :	189137	49166	

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Popl'n 1991 Total	SC	ST
	140			B/f :	159137	49165	0
1813.	141	Saharpura	15	Nagla Naya	79	0	0
1814.			16	Nagla Kahari	20	0	0
1815.			17	Adda Ghasiram	10	0	0
1816.			18	Adda Raghunath	10	0	0
1817.			19	Mander Bababasudev	5	0	0
1818.			20	Shala Baba Amisudan	5	0	0
1819.			21	Nagla Bihari	55	0	0
1820.	142	Chakpura	1	Chakpura	743	743	0
1821.			2	Nagla Kailashpural	232	5	0
1822.			3	Nagla Harhila	186	0	0
1823.			4	Nagla Khumanipura	74	0	0
1824.			5	Nagla Blahari	158	0	0
1825.			6	Nagla Basanpura	65	0	0
1826.			7	Nagla Biajar Pura	186	0	0
1827.			8	Nagla Kiratpura	156	0	0
1828.			9	Nagla Kehari	167	0	0
1829.			10	Nagla Mardanpura	93	0	0
1830.			11	Nagla Rata	332	0	0
1831.			12	Nagla Guraiya Barahe	432	0	0
1832.			13	Nagla Ahirani	279	0	0
1833.			14	Nagla Karha	74	0	0
1834.			15	Pakkataal	93	0	0
1835.	143	Pali Kalan	1	Pali Kalan	301	0	0
1836.			2	Chhumaria	852	0	0
1837.			3	Bhensol	1266	202	0
1838.			4	Nagla Kali	251	0	0
1839.	144	Pali Khurd	1	Pali Khurd	3295	368	0
1840.			2	Nagla Bhgwan	200	0	0
1841.			3	Nagla Tal	200	0	0
1842.			4	Nagla Ramsukh	100	0	0
1843.			5	Nagla Kali	80	0	0
1844.			6	Nagla Barua	381	0	0
1845.			7	Nagla Churni	352	0	0
1846.	145	Sadikpur	1	Sadikpur	278	0	0
1847.	146	Kunethi	1	Kunethi	356	7	0
1848.			2	Nagla Khjuriya	116	0	0
1849.			3	Nagla Ranlal	134	0	0
1850.			4	Addadaya Ram	53	0	0
1851.			5	Nagla Kalu	107	0	0
1852.			6	Nagla Radhe	56	0	0
1853.	147	Baisoli Bhanpur	1	Baisoli Bhanpur	602	39	0
1854.			2	Nagla Indra	55	0	0
1855.			3	Nagla Kachpura	100	23	0
1856.			4	Nagla Bhute	120	0	0
1857.			5	Nagla Tirlokpur	383	117	0
1858.	148	Bhanpura	1	Bhanpura	400	191	0
1859.			2	Nagla Ajay	310	0	0
1860.	149	Sarai Chauri	1	Sarai Chauri	1237	425	0
1861.			2	Nagla Sirkora	521	177	0
1862.			3	Nagla Ishwari	174	0	0
1863.	150	Thari	1	Thari	651	272	0
1864.			2	Maraiya Nagla Baid	120	0	0
1865.			3	Nagla Vijai	171	0	0
1866.			4	Nagla Milsiya	151	0	0
1867.			5	Nagla Hariya	140	140	0
1868.			6	Nagla Chadroula	183	0	0
1869.			7	Nagla Makeshara	311	0	0
1870.			8	Nagla Tilyane	123	0	0
1871.			9	Nagla Dera	81	0	0
1872.			10	Nagla Lichaha	203	0	0
1873.			11	Nagla Kanhara	142	0	0
1874.	151	Nagla Khanta	1	Nagla Khanta	420	20	0
1875.	152	Kathmau	1	Kathmau	553	450	0
1876.			2	Nagla Ramdeen	101	0	0
1877.			3	Nagla Hanshraj	133	0	0
1878.			4	Nagla Lukhnepai	342	225	0
1879.			5	Nagla Birman	63	0	0
1880.	153	Lahariyapur	1	Lahariyapur	230	94	0
1881.			2	Bihanipur	153	0	0
1882.	154	Malhosi	1	Malhosi	993	585	0
	153			C/o :	210127	53250	0
	153			B/f :	210127	53250	
1883.	154	Malhosi	2	Nagla Bhure	95	0	[illegible]
1884.			3	Nagla Chote	153	[illegible]	[illegible]
1885.			4	Nagla Bare	144	[illegible]	[illegible]
1886.			5	Nagla Kuthiya	48	[illegible]	[illegible]
1887.			6	Nagla Mullu	479	[illegible]	[illegible]
1888.			7	Maraiya Purviyan	315	[illegible]	[illegible]
1889.			8	Kothi Nahar	0	[illegible]	[illegible]
1890.	155	Samhon	1	Samhon	1282	748	[illegible]
1891.			2	N Tilyani	250	250	[illegible]
1892.			3	N Gazadhar	200	0	[illegible]
1893.			4	N Puthiya	301	166	[illegible]
1894.			5	N Chhattar	223	[illegible]	[illegible]
1895.			6	N Naya	150	[illegible]	[illegible]
1896.			7	N Machhriya	240	[illegible]	[illegible]
1897.			8	N Medhupura	223	83	[illegible]
1898.			9	Purvigan Ki Madaiyal	220	0	[illegible]
1899.			10	N Bidhi	301	0	[illegible]
1900.			11	N Barra	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1901.			12	Beej Godown	18	[illegible]	[illegible]
1902.			13	Station Quarter	42	[illegible]	[illegible]
1903.	156	Satnupur	1	Satnupur	168	60	[illegible]
1904.	157	Mudaina Malhosi	1	Mudaina Malhosi	306	141	[illegible]
1905.			2	Nagla Math	57	0	[illegible]
1906.			3	Maraiyadubi	100	0	[illegible]
1907.			4	Nagla Bhoore	145	64	[illegible]
1908.			5	Nagla Ahankar Pura	190	42	[illegible]
1909.			6	Nagla Kuriyan	50	0	[illegible]
1910.	158	Jarpura	1	Jarpura	587	239	[illegible]
1911.			2	Nagla Chhote	282	0	[illegible]
1912.			3	Nagla Kaloi	151	0	[illegible]
	35 2 8 Mahewa Block						
1913.	159	Ishwaripur	1	Ishwaripur	789	77	[illegible]
1914.	160	Nagla Jek	1	Nagla Jek	519	0	[illegible]
1915.	161	Asai	1	Asai	[illegible]	0	[illegible]
1916.			2	Adda Vishwanath	[illegible]	0	[illegible]
1917.			3	Adda Dayali	[illegible]	0	[illegible]
1918.			4	Asai	655	177	[illegible]
1919.			5	Adda Rdhu	[illegible]	0	[illegible]
1920.			6	Adda Harbance	[illegible]	0	[illegible]
1921.	162	Dadora	1	Dadora	572	61	[illegible]
1922.			2	Dadora Ki Maraeya	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1923.	163	Birahipur	1	Birahipur	519	[illegible]	[illegible]
1924.			2	Nagla Sarkti	[illegible]	0	[illegible]
1925.	164	Bhulpur	1	Bhulpur	613	338	[illegible]
1926.	165	Mubarikpur	1	Mubarikpur	371	205	[illegible]
1927.	166	Daipura	1	Daipura	855	393	[illegible]
1928.			2	Nagla Lashki Riyan	[illegible]	0	[illegible]
1929.	167	Udhannpura	1	Udhannpura	551	96	[illegible]
1930.			2	Nagla Phoot	[illegible]	0	[illegible]
1931.			3	Kichiyani Ki Marreya	[illegible]	0	[illegible]
1932.	168	Dharampura	1	Dharampura	1061	13	[illegible]
1933.			2	Nagla Baseni	[illegible]	0	[illegible]
1934.	169	Piparipur Ghar	1	Piparipur Ghar	733	221	[illegible]
1935.			2	Nagla Shakha	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1936.	170	Chandpur	1	Chandpur	1088	713	[illegible]
1937.			2	Nagla Chamaran	[illegible]	0	[illegible]
1938.	171	Ababakerpur	1	Ababakerpur	379	289	[illegible]
1939.			2	Nagla Bane Ki Tal	[illegible]	0	[illegible]
1940.	172	Chindoli	1	Chindoli	557	218	[illegible]
1941.			2	Raiganj	579	219	[illegible]
1942.			3	Prahalad Pur	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1943.			4	Davaha	761	163	[illegible]
1944.			5	Bhute Pura	[illegible]	0	[illegible]
1945.			6	Vishnu Garh Pahabai	421	0	[illegible]
1946.	173	Bahadurpur Dhar	1	Bahadurpur Dhar	1457	409	[illegible]
1947.			2	Niyamatpur	[illegible]	0	[illegible]
1948.			3	Nagla Butri	[illegible]	0	[illegible]
1949.			4	Adda Bankhandi	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1950.			5	Vijhawali	333	211	[illegible]
1951.			6	Muchain	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	172			C/o :	232253	58908	

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
		172		B/f :	232258	58938	0
1952.	173	Bahadurpur [illegible]	7	Ramgarh Khera	[illegible]	0	0
1953.			8	Sansaiya Kachhar	[illegible]	0	0
1954.			9	Nagla Boitnoli	[illegible]	[illegible]	0
1955.			10	Nagla Shir Ram	[illegible]	0	0
1956.			11	Nagla Thansingh	[illegible]	0	0
1957.			12	Nagla Srinagar	[illegible]	0	0
1958.			13	Shamla	[illegible]	[illegible]	0
1959.			14	Kankaliiipura	[illegible]	0	0
1960.			15	Chakolpura	[illegible]	0	0
1961.			16	Ata	[illegible]	186	0
1962.			17	Dholpur	[illegible]	0	0
1963.			18	Tiliya	[illegible]	0	0
1964.			19	Nagla Baldu	0	0	0
1965.			20	Nagla Girind	[illegible]	119	0
1966.			21	Kanharpura	[illegible]	0	0
1967.			22	Adda Ramdin	[illegible]	66	0
1968.			23	Adda Mulu	35	0	0
1969.			24	Madaiya Fateh	89	30	0
1970.	174	Labedi	1	Labedi	[illegible]	851	0
1971.			2	Nagla Khudaganj	0	0	0
1972.			3	Nagla Harnarayan	0	0	0
1973.	175	Nawada Khurd Ka	1	Nawada Khurd Kalan	1378	443	0
1974.			2	Nagla Dhubiyae	474	111	0
1975.			3	Phatahai	92	0	0
1976.			4	Nagla Kushal	184	0	0
1977.			5	Nagla Jakha	556	166	0
1978.			6	Nagla Sikandarpur	0	0	0
1979.			7	Nagla Neeldevta	164	44	0
1980.			8	Swami Ka Adda	37	0	0
1981.			9	Nihal Singh	1	1	0
1982.	176	Bilahati	1	Bilahati	260	121	0
1983.			2	Nagla Mardan	230	83	0
1984.			3	Nagla Shreeram	100	0	0
1985.			4	Nagla Shukul	109	0	0
1986.	177	Jaitpur	1	Jaitpur	1220	359	0
1987.			2	Durgapura	1173	331	0
1988.			3	Nagulichita	80	76	0
1989.			4	Nagla Shiv Singh	343	95	0
1990.			5	Nagla Himmatpura	251	47	0
1991.			6	Nagla Tal	519	151	0
1992.	178	Turakpur Paharp	1	Turakpur Paharpur	766	354	0
1993.			2	Nagla Muloo	751	270	0
1994.			3	Nagla Madhoram	129	0	0
1995.			4	Nathu Haryalpur	14	14	0
1996.	179	Ekari	1	Ekari	729	177	0
1997.	180	Bidhipur	1	Bidhipur	888	292	0
1998.			2	Dagpura	0	0	0
1999.	181	Basaiya Har	1	Basaiya Har	507	84	0
2000.			2	Naglakali Chrankaadi	0	0	0
2001.	182	Maniya Mau	1	Maniya Mau	1470	532	0
2002.			2	Jagmohan Pur	732	124	0
2003.			3	Jaganath Pur	637	123	0
2004.	183	Mahnepur	1	Mahnepur	570	570	0
2005.			2	Maraiya Kathori	0	0	0
2006.	184	Kiratpur	1	Kiratpur	785	282	0
2007.	185	Saidpur	1	Saidpur	463	187	0
2008.			2	Saidpur Kalan	151	75	0
2009.			3	Saidpur Khurd	166	66	0
2010.			4	Maraiya Harisingh	114	47	0
2011.			5	Nagla Bhanju	150	121	0
2012.	186	Khargupur	1	Khargupur	451	80	0
2013.	187	Karwa Bujurg	1	Karwa Bujurg	401	184	0
2014.			2	Gopiyapura	638	306	0
2015.			3	Parsupura	765	368	0
2016.			4	Khera	571	279	0
2017.	188	Sarai Jalal	1	Sarai Jalal	[illegible]	818	0
2018.			2	Nagla Bhagoti	0	0	0
2019.	189	Ingurri	1	Ingurri	1095	355	0
2020.			2	Malaipura	767	187	0
2021.			3	Munni Ki Maraiya	602	206	0
		188		C/o :	260940	68703	0

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
		188		B/f :	260940	68703	[illegible]
2022.	189	Ingurri	4	Nagla Jawahar	[illegible]	46	[illegible]
2023.	190	Dhaurina	1	Dhaurina	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2024.			2	Naglatal	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2025.	191	Bijauli	1	Bijauli	[illegible]	125	[illegible]
2026.			2	Shabanipura	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2027.			3	Kukepura	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2028.			4	Amhar	[illegible]	134	[illegible]
2029.	192	Ratanpur	1	Ratanpur	[illegible]	193	[illegible]
2030.			2	Nagla Lalitpur	[illegible]	229	[illegible]
2031.			3	Nagla Gulabpur	0	0	[illegible]
2032.	193	Bishuna Mai	1	Bishuna Mai	[illegible]	0	[illegible]
2033.			2	Nagla Gulabpura	[illegible]	204	[illegible]
2034.			3	Nagla Raman	[illegible]	0	[illegible]
2035.	194	Kudariya	1	Kudariya	[illegible]	545	[illegible]
2036.			2	Nagla Rampura	[illegible]	523	[illegible]
2037.			3	Nagla Dipapoopur	[illegible]	244	[illegible]
2038.			4	N Kanaihya	0	0	[illegible]
2039.	195	Malupura	1	Malupura	[illegible]	20	[illegible]
2040.	196	Sarai Mithey	1	Sarai Mithey	[illegible]	466	[illegible]
2041.			2	Nagla Labourpur	[illegible]	49	[illegible]
2042.	197	Bakewer	1	Bakewer	[illegible]	130	[illegible]
2043.			2	Nagla Banay	0	0	0
2044.			3	Nagla Shala	965	201	[illegible]
2045.			4	Nagla Chandpura	0	0	[illegible]
2046.			5	Nagla Nesede Pura	0	0	[illegible]
2047.			6	Nagla Kaishapur	454	97	0
2048.	198	Beri Khera	1	Beri Khera	569	561	[illegible]
2049.			2	Nagla Athalkalan	202	0	[illegible]
2050.			3	Maraiya Laley	101	0	[illegible]
2051.			4	Chamerpura	505	224	[illegible]
2052.			5	Puthiya	[illegible]	622	[illegible]
2053.			6	Kakriya	[illegible]	424	[illegible]
2054.	199	Manpura	1	Manpura	396	94	[illegible]
2055.			2	Nagla Shaala	[illegible]	37	[illegible]
2056.	200	Lakhana	1	Lakhana	631	438	0
2057.			2	Pachpage	0	0	[illegible]
2058.			3	Nagla Khothi Nahar	0	0	[illegible]
2059.			4	Nagla Madairanipura	0	0	[illegible]
2060.	201	Mahipalpur	1	Mahipalpur	492	204	[illegible]
2061.			2	Nagla Khadar	385	165	[illegible]
2062.	202	Asadpur	1	Asadpur	1119	465	[illegible]
2063.	203	Ahmadpur	1	Ahmadpur	0	0	[illegible]
2064.	204	Maha Singh Pur	1	Maha Singh Pur	63	20	[illegible]
2065.	205	Nandgawan	1	Nandgawan	1044	59	[illegible]
2066.			2	Nagla Badha	372	179	[illegible]
2067.			3	Nagla Chamaran	0	0	[illegible]
2068.			4	Nagla Hawali	295	0	[illegible]
2069.			5	Nagla Neeldevta	0	0	[illegible]
2070.	206	Kachhpura	1	Kachhpura	[illegible]	129	[illegible]
2071.			2	Adda Dharahjeet	22	10	[illegible]
2072.	207	Lakhanpur Ghar	1	Lakhanpur Ghar	[illegible]	230	[illegible]
2073.	208	Takrupur	1	Takrupur	[illegible]	131	
2074.			2	Nagla Lakhanpura	[illegible]	112	
2075.	209	Sabdalpur Daudp	1	Sabdalpur Daudpur	[illegible]	[illegible]	
2076.			2	Daudpur	[illegible]	39	
2077.	210	Nagla Sarangpur	1	Nagla Sarangpur	[illegible]	107	
2078.			2	Adda Rancharan	[illegible]	0	
2079.	211	Barauli	1	Barauli	[illegible]	111	
2080.			2	Ngla Khadapur	[illegible]	0	
2081.	212	Marauli	1	Marauli	[illegible]	[illegible]	
2082.			2	Nagala Khajuree	[illegible]	[illegible]	
2083.			3	Nagla Ram Kishankaad	[illegible]	0	
2084.	213	Karondhi	1	Karondhi	985	413	
2085.			2	Nahar Par	[illegible]	234	
2086.	214	Vyaspura	1	Vyaspura	[illegible]	[illegible]	
2087.			2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2088.			3	Naglabalju	519	202	
2089.			4	Nagla Nandpur	[illegible]	0	
2090.			5	Khadar	[illegible]	0	
2091.			6	Nagla Maraiya	[illegible]	0	
		214		C/o :	291553	80028	

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Popl'n 1991 Total	SC	ST
	214			B/f :	291553	[illegible]	0
2102.	215	Ballampura	1	Ballampura	395	132	0
2103.	216	Sarai Narotam	1	Sarai Narotam	1414	175	0
2104.	217	Nagla Shukul	1	Nagla Shukul	395	128	0
2105.	218	Gautampur	1	Gautampur	709	129	0
2106.	219	Nagla Hari	1	Nagla Hari	220	110	0
2107.	220	Fatehpur	1	Fatehpur	567	97	0
2108.	221	Nagla Maha Sing	1	Nagla Maha Singh Pur	459	407	0
2109.			2	Nagla Dham Shala	0	0	0
2110.	222	Nagla Kale	1	Nagla Kale	793	165	0
2111.			2	Nagla Kale	278	33	0
2112.			3	Nagla Dand Pura	93	0	0
2113.	223	Ekror	1	Ekror	1376	181	0
2114.			2	Nagla Sala	426	73	0
2115.			3	Nagla Harchandi	59	0	0
2116.	224	Ramaupur	1	Ramaupur	535	77	0
2117.	225	Parsoli Orampur	1	Parsoli Orampur	620	0	0
2118.	226	Baraukh	1	Baraukh	540	199	0
2119.			2	Nagla Basansingh	231	28	0
2120.	227	Dalip Nagar	1	Dalip Nagar	1054	22	0
2121.			2	Bangla	816	6	0
2122.			3	Nagla Bihala	0	0	0
2123.			4	Nagala Haraiyan	518	0	0
2124.			5	Nagala Patta	0	0	0
2125.	228	Haluharrapur	1	Haluharrapur	662	271	0
2126.			2	Halloharrajpur Tal	571	244	0
2127.			3	Nagala Tal Haripur	0	0	0
2118.	229	Ghughseen	1	Ghughseen	701	225	0
2119.	230	Nasipur Bojha	1	Nasipur Bojha	811	565	0
2120.	231	Nodhana	1	Nodhana	1319	691	0
2121.			2	Nagla Bandpura	499	268	0
2122.			3	Nagla Huloo	0	0	0
2123.			4	Nodhana	0	0	0
2124.			5	Nagla Baraila	381	89	0
2125.			6	Nodhana	0	0	0
2126.	232	Nagla Matrampu	1	nagla Matrampur	472	78	0
2127.	233	Sarai Nodhana	1	Sarai Nodhana	457	231	0
2128.	234	Sherpur Rasoolp	1	Sherpur Rasoolpur	1183	573	0
2129.			2	Sherpur Kathi	474	109	0
2130.	235	Sunbarsa Bhatpu	1	Sunbarsa Bhatpura	1414	556	0
2131.	236	Singli	1	Singli	332	69	0
2132.			2	Nagla Dharampur	309	60	0
2133.			3	Nagla Bane	100	24	0
2134.			4	Naee Ka Adda	100	0	0
2135.	237	Jaimalpur	1	Jaimalpur	678	142	0
2136.			2	Nagla Chikami	219	93	0
2137.			3	Nagla Baripur	344	56	0
2138.	238	Megoopur	1	Megoopur	285	55	0
2139.			2	Ramnagar	159	33	0
2140.			3	Ngala Khyalisingh	271	99	0
2141.			4	Nagla Hire	150	62	0
2142.	239	Pirathipur	1	Pirathipur	821	345	0
2143.			2	Nagla Nandan	255	135	0
2144.			3	Nagla Tupian	0	0	0
2145.	240	Patiya Chatorpu	1	Patiya Chatorpur	822	38	0
2146.			2	Nagla Khdar	0	0	0
2147.			3	Chatorpur	0	0	0
2148.	241	Indrosi	1	Indrosi	760	76	0
2149.			2	N.Khadar	337	33	0
2150.			3	N Lidiyapura	0	0	0
2151.			4	Indrosi	0	0	0
2152.	242	Ludhiyana	1	Ludhiyana	1733	624	0
2153.	243	Bharipur	1	Bharipur	852	436	0
2154.			2	Nagla Manikpur	0	0	0
2155.			3	Sundarsingh	421	241	0
2156.			4	Nagla Kothi	421	241	0
2157.	244	Sarai Ilahi	1	Sarai Ilahi	627	149	0
2158.			2	Nagla Manju	262	50	0
2159.			3	Nagla Parsad	101	0	0
2160.			4	Nagla Chamaran	75	74	0
2161.	245	Kunetha	1	Kunetha	997	280	0
	244			C/o :	322476	89552	0

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Popl'n 1991 Total	SC	ST
	244			B/f :	322476	89552	
2162.	245	Kunetha	2	Milak	0	0	
2163.			3	Nagla Dhokal	837	206	
2164.			4	Nagla Maldhan	0	0	
2165.			5	Nagla Subsukh	0	0	
2166.			6	Mitari	0	0	
2167.	246	Pilkhana	1	Pilkhana	1097	462	
2168.			2	Nagla Khanderao	597	201	
2169.			3	Nagla Teentalaiyan	0	0	
2170.			4	Malhan	337	106	
2171.	247	Muraina Kalan K	1	Muraina Kalan Khurd	1104	293	
2172.			2	Aliyapur	650	108	
2173.	248	Khitora	1	Khitora	1525	218	
2174.	249	Ureng	1	Ureng	0	0	
2175.			2	Nagla Sntoshpur	1084	319	
2176.			3	Nagla Tula	0	0	
2177.			4	Nagla Singh	432	53	
2178.			5	Nagla Kaparia	0	0	
2179.			6	Harizan Adda	501	213	
2180.			7	Nagla Sardar Kundan	22	0	
2181.			8	Nagla Tadwa	362	53	
2182.			9	Uraing	1192	282	
2183.	250	Nagari Lolpur	1	Nagari Lolpur	0	0	
2184.			2	Nagaria Lalpur	950	435	
2185.			3	Nagla Sakoorpur	652	326	
2186.			4	Nagla Huloo	0	0	
2187.			5	Nagla Toota	396	120	
2188.	251	Ikaghara	1	Ikaghara	1002	458	
2189.			2	Nawla Kothi	155	38	
2190.			3	Ikaghara	0	0	
2191.	252	Kushgawan Ahira	1	Kushgawan Ahiran	0	0	
2192.			2	Marayachamaran	0	0	
2193.			3	Kushgwan Ahiran	799	60	
2194.			4	Nagla Motiram	994	169	
2195.			5	Ehanna Kala	0	0	
2196.			6	Nagla Khujuwa	0	0	
2197.			7	Semar	0	0	
2198.			8	Yadv Nagg	0	0	
2199.			9	Nagla Naheria	0	0	
2200.			10	Nagala Bore	0	0	
2201.	253	Paoli	1	Paoli	981	259	
2202.			2	Paoli	0	0	
2203.	254	Naugawan	1	Naugawan	514	50	
2204.			2	Naugawan	0	0	
2205.			3	Naugawan	0	0	
2206.	255	Tadwa Ismailpur	1	Tadwa Ismailpur	195	62	
2207.			2	Tadwa Ismailpur	0	0	
2208.			3	Nagla Ismailpur	626	120	
2209.			4	Tadwa Ismailpur	0	0	
2210.	256	Niwari Kalan	1	Niwari Kalan	1353	508	
2211.			2	Nagla Bhadoriya	702	445	
2212.			3	Nagla Paltoo	255	64	
2213.			4	Nagla Aasha	0	0	
2214.			5	Maraiya Sadrapur	1506	634	
2215.			6	Nagla Mandir	0	0	
2216.			7	Nagla Kuriyan	0	0	
2217.	257	Indrapur	1	Indrapur	675	453	
2218.	258	Indrackhi	1	Indrackhi	1724	590	
2219.			2	Purva Lachiram	461	256	
2220.			3	Nagla Bajee	0	0	
2221.	259	Danderpur	1	Danderpur	1334	[illegible]	
2222.			2	Nagla Pharpur	501	77	
2223.	260	Nagaria Bujurg	1	Nagaria Bujurg	991	747	
2224.			2	Nagla Passay	252	252	
2225.	261	Jagmohanpur	1	Jagmohanpur	1172	213	
2226.			2	Nagla Milra Bhitaru	251	132	
2227.	262	Aheripur	1	Aheripur	4691	1266	
2228.			2	Ram Garh	0	0	
2229.	263	Niwari Khurd	1	Niwari Khurd	2409	842	
2230.	264	Beerpur Salempu	1	Beerpur Salempur	1331	671	
2231.			2	Salempur	572	261	
	263			C/o :	359924	101807	

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
	263			B/f :	359924	101307	0
2232.	264	Beerpur Salempu	3	Gopiyapur	332	348	0
2233.			4	Chakarpur	0	0	0
2234.			5	Biharipur	654	323	0
2235.	265	Ujhiaani	1	Ujhiaani	1253	512	0
2236.			2	Nagla Rajpura	577	139	0
2237.			3	Chaandi	313	0	0
2238.			4	Mangal Singh	668	186	0
2239.			5	Nagla Babaji	114	1	0
2240.	266	Sahera	1	Sahera	1384	298	0
2241.			2	Adda Chamaran	747	410	0
2242.			3	Mandir Va Mane	0	0	0
2243.	267	Aneypur	1	Aneypur	1408	364	0
2244.			2	Chhatanapur	527	232	0
2245.			3	Chamarpur	0	0	0
2246.			4	Mandir Mahewa	68	0	0
2247.			5	Udda Hubbi	0	0	0
2248.	268	Mukatpur	1	Mukatpur	1234	356	0
2249.			2	Adda Kungi	13	0	0
2250.	269	Mahewa	1	Mahewa	2135	613	0
2251.			2	Adda Gadariya	676	270	0
2252.			3	Mandir Mahewa	1011	419	0
2253.			4	Kothi Nahar	0	0	0
2254.			5	Nagla Naya	0	0	0
2255.	270	Rahatpur	1	Rahatpur	944	339	0
2256.			2	Nagla Shala	0	0	0
2257.	271	Purawali	1	Purawali	0	0	0
2258.			2	Lohatapura	1038	371	0
2259.			3	Purawali	944	347	0
2260.			4	Nagla Khand	544	61	0
2261.			5	Nagla Hariya	0	0	0
2262.	272	Mehdipur	1	Mehdipur	1026	490	0
2263.			2	Nagla Ram Nagar	204	168	0
2264.			3	Nagla Ram Nagar Bara	0	0	0
2265.			4	Hanumantpur	838	838	0
2266.			5	Chhidi	0	0	0
2267.	273	Bamhora Humayop	1	Bamhora Humayopur	959	566	0
2268.			2	Nagla Rampura	829	489	0
2269.			3	Nagla Bhawani	0	0	0
2270.			4	Nagla Higutiya	1138	486	0
2271.			5	Nagla Tilitila	0	0	0
2272.	274	Lalpur	1	Lalpur	1028	550	0
2273.	275	Binayakpur	1	Binayakpur	409	17	0
2274.			2	Adda Chamaran	285	243	0
2275.			3	Nagla Ratanpur	0	0	0
2276.	276	Andawa	1	Andawa	0	0	0
2277.			2	Andawa	1061	150	0
2278.			3	Maraiya Malhan	716	72	0
2279.			4	Bangla	225	0	0
2280.			5	Manaya Ahiran	0	0	0
2281.			6	Nagla Lakhi	642	72	0
2282.			7	Nagla Gangadaspur	0	0	0
	35 2 7 Chakarnagar Block						
2283.	277	Kandhesi Ghar	1	Kandhesi Ghar	564	223	0
2284.			2	Nagla Gariya	251	111	0
2285.			3	Nagla Jonani	352	260	0
2286.			4	Nagla Rura	103	0	0
2287.			5	Nagla Mathuri	151	0	0
2288.			6	Nagla Tumrakola	151	0	0
2289.			7	Nagla Rujneya	151	0	0
2290.	278	Barecha	1	Barecha	593	87	0
2291.			2	Nagla Kthori	502	0	0
2292.			3	Nagla Purava Nake Si	151	0	0
2293.			4	Nagla Pilua	70	0	0
2294.			5	Nagla Chandan	51	50	0
2295.	279	Jagtoli	1	Jagtoli	40[illegible]	80	0
2296.			2	Nagla Chikna	405	259	0
2297.			3	Nagla Baheliyapur	202	4	0
2298.	280	Mitrol	1	Mitrol	421	44	0
2299.			2	Nagla Chamaran	81	20	0
2300.			3	Nagla Machheyai	73	8	0
	280			C/o :	391021	113369	0

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Pop'n 1991 Total	SC	ST
	280			B/f :	391020	113369	0
2301.	281	Barcholi	1	Barcholi	399	95	0
2302.			2	Nagla Devlal	33	9	0
2303.	282	Bindwan Kalan	1	Bindwan Kalan	525	11	0
2304.			2	Sona Ka Pura	505	279	0
2305.			3	Nagla Chamaran	50	50	0
2306.			4	Nagla Urkhela	102	0	0
2307.			5	Nagla Shalla	50	50	0
2308.	283	Bhoya	1	Bhoya	0	0	0
2309.			2	Nagla Aak Dada	172	0	0
2310.			3	Radha Ka Pura	143	0	0
2311.			4	Praga Singh Ka Pura	57	0	0
2312.			5	Adda	29	0	0
2313.			6	Bhoya	402	156	0
2314.			7	Sirona Bagh	230	0	0
2315.	284	Sakehi Sakrawal	1	Sakehi Sakrawali	113	63	0
2316.			2	Nagla Kitohara	148	0	0
2317.			3	Nagla Prem Ka Pura	346	0	0
2318.			4	Nagla Chamaran	69	69	0
2319.	285	Titawali	1	Titawali	414	0	0
2320.			2	Nagla Athakapura	300	0	0
2321.	286	Kola	1	Kola	832	101	0
2322.	287	Sirsa	1	Sirsa	595	48	0
2323.	288	Garhaiya	1	Garhaiya	810	227	0
2324.			2	Balju Ka Pura	147	122	0
2325.			3	Bigha Ka Pura	97	81	0
2326.			4	Rani Ka Pura	127	106	0
2327.	289	Chakar Nagar	1	Chakar Nagar	1445	840	0
2328.			2	Nagra Sgra	477	0	0
2329.			3	Nagla Aheriya	399	0	0
2330.			4	Nagla Mahnand	459	0	0
2331.			5	Nagla Tuta Tal	937	0	0
2332.			6	Nagla Neem Dünda	172	0	0
2333.			7	Nagla Chop	344	0	0
2334.			8	Nagla Han Pura	366	0	0
2335.			9	Nagla Bandha	402	0	0
2336.	290	Chandai	1	Chandai	278	190	0
2337.			2	Nagla Zor	700	136	0
2338.	291	Dibholi	1	Dibholi	741	17	0
2339.	292	Dadara	1	Dadara	500	277	0
2340.			2	Nagla Chaap	249	214	0
2341.	293	Dhakra	1	Chakra	734	173	0
2342.	294	Dilauli	1	Dilauli	205	0	0
2343.			2	Nagla Kharajpur	148	0	0
2344.	295	Rampura Ghar	1	Rampura Ghar	593	0	
2345.	296	Tejpura	1	Tejpura	605	152	
2346.			2	Raniya	352	0	
2347.	297	Ganiyawer	1	Ganiyawer	1098	178	
2348.	298	Bachedi	1	Bachedi	785	274	
2349.	299	Kundol	1	Kundol	1628	344	
2350.			2	Raj Pur	754	469	
2351.			3	Niranjay Nagar	125	125	
2352.	300	Palighar	1	Palighar	615	190	
2353.	301	Khiriti	1	Khiriti	802	101	
2354.			2	Kakaraiya	100	45	
2355.	302	Gohani	1	Gohani	1616	389	
2356.	303	Nogawan	1	Nogawan	925	286	
2357.			2	Nagla Chhit	234	0	
2358.	304	Gopalpur	1	Gopalpur	365	55	
2359.			2	Nagla Khera	132	52	
2360.	305	Kainchhi	1	Kainchhi	533	[illegible]	
2361.	306	Chhibroli	1	Chhibroli	640	415	
2362.	307	Mitahti	1	Mitahti	610	54	
2363.			2	Nagla Ram Bharosay	64	39	
2364.	308	Pasiya	1	Pasiya	499	499	
2365.			2	Nagla Nahar Khera	[illegible]	[illegible]	
2366.			3	Nagla Chandhas Pur	353	0	
2367.	309	Sahson	1	Sahson	1020	807	
2368.			2	Nagla Dali Khar	300	0	
2369.			3	Nagla Naya	288	0	
2370.			4	Nagla Kotra	400	0	
	303			C/o :	422243	121256	

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Popl'n 1991 Total	SC	ST
	308			B/f :	422248	121255	0
2371.	309	Sahson	5	Nagla Kotra	200	0	0
2372.			6	Nagla Sadan Pur	350	0	0
2373.			7	Sadupura	152	0	0
2374.	310	Hanumantpur	1	Hanumantpur	961	961	0
2375.			2	Nagla Kuwar Pura	419	76	0
2376.			3	Nagla Shadaur Riya	354	0	0
2377.			4	Nagla Ajit Ki Ghariy	217	0	0
2378.			5	Nagla Neebari	536	0	0
2379.	311	Piproli Gadhiya	1	Piproli Gadhiya	1653	335	0
2380.			2	Nagla Pratap Pura	204	135	0
	311			Tehsil Total :	427374	122715	0
	35 4 Auraiya Tehsil						
	35 4 7 Chakarnagar Block						
2381.	244	Bindwa Khurd	1	Bindwa Khurd	701	65	0
2382.			2	Gariyan Ka Nagla	191	0	0
2383.	245	Garhimangad	1	Garhimangad	418	83	0
2384.			2	Narayan Ka Pura	149	0	0
2385.	246	Jajepura	1	Jajepura	656	115	0
2386.			2	Kharakpura	139	83	0
2387.	247	Sindaus	1	Sindaus	2511	182	0
2388.			2	Manai Ka Pura	81	26	0
2389.			3	Mukut Pura	87	35	0
2390.			4	Manse Ka Pura	115	53	0
2391.			5	Jarhan Ka Pura	105	56	0
2392.			6	Chure Ka Pura	119	26	0
2393.			7	Billo Ki Gariya	127	64	0
2394.			8	Khodan	63	19	0
2395.			9	Sakat Pura	124	83	0
2396.			10	Churairi	211	78	0
2397.	248	Lalupura	1	Lalupura	411	93	0
2398.			2	Barelal Ki Khor	237	35	0
2399.			3	Teliyon Ki Khor	228	0	0
2400.			4	Khusali Ka Pura	72	72	0
2401.	249	Kunwarpur Kurch	1	Kunwarpur Kurchha	590	24	0
2402.			2	Kurchha	211	73	0
2403.			3	Jahar Pur	64	0	0
2404.			4	Amar Sing Ka Pura	67	59	0
2405.			5	Rathole Ka Pura	125	123	0
2406.			6	Nad Rang Ki Khor	54	0	0
2407.	250	Birori	1	Birori	1232	607	0
2408.			2	Danda	25	0	0
2409.			3	Kala Pather	41	25	0
2410.			4	Jaigra	128	60	0
2411.			5	Pahla	205	0	0
2412.			6	Gata	154	50	0
2413.			7	Khuda	82	61	0
2414.	251	Rawani	1	Rawani	67	17	0
2415.			2	Rawan Chhoti	33	10	0
2416.			3	Rawani Bari	43	0	0
2417.	252	Bansari	1	Bansari	2322	405	0
2418.	253	Katrauli	1	Katrauli	302	46	0
2419.			2	Amol Sing Ki Maraiya	96	0	0
2420.	254	Bihar	1	Bihar	274	70	0
2421.			2	Goran Ka Pura	160	0	0
2422.			3	Madho Ki Maraiya	265	265	0
2423.			4	Poora Khera	167	167	0
2424.			5	Asoo Pura	45	0	0
2425.	255	Ritaur Maraiyan	1	Ritaur Maraiyan	425	228	0
2426.			2	Maraiyan	141	54	0
2427.	256	Chaurela	1	Chaurela	563	49	0
2428.			2	Mata Deen Ki Gadiya	21	0	0
2429.			3	Tikoli Ka Pura	213	18	0
2430.			4	Kaloo Ka Pura	85	14	0
2431.			5	Binday Ka Pura	72	8	0
2432.			6	Mardan Ka Pura	342	28	0
2433.	257	Chamrahi Ter	1	Chamrahi Ter	0	0	0
2434.	258	Bithauli	1	Bithauli	1064	275	0
2435.			2	Bhajan Ka Pura	309	0	0
	15			C/o :	16770	3904	0

Sl.No.	Village Code	Village Name	Habitation No.	Habitation Name	Census Popl'n 1991 Total	SC	ST
	15			B/f :	16770	3904	0
2436.	259	Anetna	1	Anetna	497	100	0
2437.			2	Lal Gada	76	0	0
2438.			3	Bariya Kaleshwar	478	138	0
2439.			4	Gudiya Khar	150	0	0
2440.			5	Kaleshwar Mandir	4	0	0
2441.			6	Kundnawali	254	7	0
2442.	260	Salckhara	1	Salckhara	330	144	0
2443.			2	Lal Pura	157	75	0
2444.	261	Simari	1	Simari	553	142	0
2445.			2	Purva Davi	60	0	0
2446.			3	Purva Chamaran	95	60	0
2447.			4	Machal Ki Maraiya	99	0	0
2448.	262	Kanyawali	1	Kanyawali	522	122	0
2449.	263	Mahua Sunda	1	Mahua Sunda	825	159	0
2450.			2	Nagla Har Purwa	146	0	0
2451.			3	Nagla Phela	83	0	0
2452.			4	Sukha Ki Maraiya	92	29	0
2453.	264	Garha Kaswa	1	Garha Kaswa	1516	308	0
2454.			2	Milahan Ka Pura	143	27	0
2455.	265	Nibi	1	Nibi	223	3	0
2456.	266	Amiliya	1	Amiliya	213	70	0
2457.	267	Patharra	1	Patharra	1483	28	0
2458.			2	Purva Malahan	56	0	0
2459.			3	Nagla	72	2	0
2460.			4	Chamaran Ka Nagla	74	7	0
2461.			5	Ganesh Ka Pura	70	0	0
2462.	268	Acharauli	1	Acharauli	146	26	0
2463.			2	Ambar Pur	120	0	0
2464.	269	Kachahari	1	Kachahari	660	214	0
2465.			2	Shargara	197	50	0
2466.			3	Puthan	52	9	0
2467.	270	Chakarpura	1	Chakarpura	220	0	0
2468.	271	Bhareh	1	Bhareh	382	35	0
2469.			2	Charampur	208	40	0
2470.			3	Neeva Danda	87	30	0
2471.	272	Harauli Bahadur	1	Harauli Bahadurpur	1202	399	0
	29			Tehsil Total :	28252	6228	0